राजस्थान विधान सभा की कार्यवाही का वृत्तान्त

अंक ७] चतुर्थ विधान सभा के सप्तम् सत्र का बतीसवां दिवस [संख्या २६

बृहस्पतिवार, दिनांक ९ अप्रेल, १९७०

विधान सभा की बैठक म.प. ११-०१ को विधान सभा भवन, जयपुर में प्रारम्भ हुई ।

(श्री निरंजन नाथ आचार्य, अध्यक्ष पदासीन)

तारांकित प्रश्नोत्तर

(स्वायत्त शासन, सामान्य प्रशासन, कृषि, पशुपालन, गृह निर्माण, सार्वजनिक निर्माण, पशुपालन, गृह, जन स्वास्थ्य, सहकारिता, उपनिवेशन, पर्यटन, स्वास्थ्य विभाग)

श्री अध्यक्ष : प्रश्न ।

प्रश्न संख्या ६१३

श्री परसराम गंगाराम ।

(अनुपस्थित कृपया आगे देखिये)

प्रश्न संख्या ६१४

श्री मोतीलाल ।

(अनुपस्थित कृपया आगे देखिये)

प्रश्न संख्या ६१५

श्री लाभ चन्द वेद ।

(अनुपस्थित कृपया आगे देखिये)

प्रश्न संख्या ६१६

श्री किशन लाल वर्मा ।

(अनुपस्थित कृपया आगे देखिये)

श्री रामप्रसाद बोहरा ।

पशु चिकित्सालय, पिड़ावा

६१७. **श्री रामप्रसाद बोहरा** (झालरापाटन) : क्या पशु-पालन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(१) क्या यह सही है कि पिड़ावा, जिला झालावाड़ में वेटरनरी डिस्पेन्सरी में अभी कोई डाक्टर नहीं है ? यदि हां, तो क्यों ?

(२) क्या यह सही है कि डाक्टर श्री मदनमोहन भार्गव को इसी डिस्पेन्सरी में नियुक्त किया था परन्तु इसे यहां नहीं रखकर पंचाचत समिति सुनेल में रखा गया है जबकि वहां आलरेडी डाक्टर सरा डिग्री होल्डर भी नियुक्त है ? यदि हां, तो क्यों ?

उप मंत्री, कृषि (श्री हरिसिंह) : (१) जी हां । क्योंकि पशु औषधालयों में डाक्टर का पद स्वीकृत नहीं है । वहां पर केवल सहायक चिकित्सक ही लगाये जाते है न कि सहायक पशु शल्य चिकित्सक ।

(२) जी नहीं ।

Page No 2

श्री रामप्रसाद बोहरा : क्या यह सही है कि लगातार दो साल से डाक्टर नहीं है और डाक्टर की पोस्ट नहीं होते हुये भी पंचायत समिति सुनेल में लगाया हुआ है।

श्री हरिसिंह : वह औषधालय है, चिकित्सालय नहीं है इसलिए डाक्टर होने का प्रश्न ही नहीं है। अब रहा वेटरनरी असिसटेन्ट का सवाल फिलहाल वहां वेटरनरी असिस्टेन्ट लगा हुआ है। उसकी नियुक्ति वहां पर पंचायत समिति, पिड़ावा में है। वेटरनरी असिसटेन्ट औषधालय में लगाये जाते हैं चूंकि डाक्टर गजेटेड पोस्ट है।

श्री अध्यक्ष : श्रीमती मदन कौर।

मकान बनाने के लिए ऋण

६१८. **श्रीमती मदन कौर** (पचपदरा) : क्या गृह निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे—

(१) गत चार वर्षों में मध्यम श्रेणी और निम्न श्रेणी आय के कितने व्यक्तियों को मकान बनाने हेतु कितना कर्ज दिया गया? दोनों श्रेणियों एम. आइ. जी. एवं और एल. आइ. जी एच स्कीम के अलग अलग आंकड़े दिये जावे।

(२) इनमें से प्रत्येक श्रेणी में कितने प्रतिशत राज्य कर्मचारी है?

(३) कुल कर्ज की धनराशि का कितना प्रतिशत राज्य कर्मचारियों को दिया गया। प्रत्येक श्रेणी यानी एम. आइ. जी. एच. और एल. आइ. जी. एच. का अलग अलग प्रतिशत बतावें।

(४) इन योजनाओं के अलावा सरकार ने कितने राज्य कर्मचारियों को कितनी धनराशि मकान बनाने हेतु कर्ज दी?

उप मंत्री, टाउन प्लानिंग (श्री मुल्क राज थिन्द) : अध्यक्ष महोदय इसका उत्तर प्राप्त नहीं हुआ है इसलिये इसको स्थगित किया जाय।

श्री अध्यक्ष : स्थगित किया गया।

श्रीमती मदनकौर : यह प्रश्न काफी महत्वपूर्ण है। इसी सत्र में लिया जायगा क्या?

श्री अध्यक्ष : मंत्री महोदय बता देंगे। नेक्स्ट। श्री चुन्नी लाल।

नोखा से कोलायत को जोड़ने वाली सड़क

६१९. **चुन्नीलाल इंदलिया** (नोखा) : क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने कृपया करेंगे:—

क्या यह सही है कि तहसील हैड क्वार्टर नोखा से तहसील हैड क्वार्टर कोलायत को जोड़ने वाली महत्वपूर्ण सड़क ग्राम भामटसर व देसलसर व जागलू, जैसिंग देसर मगरा व भज्जू व कोलायत तक पक्की अकाल सहायता द्वारा कंकरीट रोड़ बन चुकी है? यदि हां, तो क्या राज्य सरकार इस सड़क पर डामर करवाने का इरादा रखती है? यदि हां, तो कब तक हो जायेगी? यदि नहीं, तो क्यों?

उप मंत्री, सार्वजनिक निर्माण विभाग (श्री माधोसिंह): नोखा से तहसील हैड क्वार्टर कोलयत तक अकाल सहायता द्वारा ग्रेवल रोड बनी है और कुछ मीलें अपूर्ण है। डामर

(श्री माधोसिंह)

कार्य की स्वीकृति अकाल विभाग से प्राप्त नहीं हुई है।

श्री चुन्नीलाल इंदलिया : इस सड़क को क्या राज्य सरकार पूरा करवाने का इरादा रखती है।

श्री माधोसिंह : मैंने कहा अकाल सहायता विभाग से स्वीकृति नहीं मिली हैं।

श्री अध्यक्ष : श्री जयनारायण सालोदिया।

मोटर चालकों तथा वर्क शाप स्टाफ को सुविधायें

६२०. **श्री जयनारायण सालोदिया** (निवाई) : क्या मुख्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(१) मोटर गैरेज, जयपुर के चालकों तथा वहां के वर्कशाप के स्टाफ के सम्बन्ध में उनकी ड्यूटी राजपत्रित अवकाशों पर ड्यूटी पर बुलाने पर उन्हें दिये जाने वाला ओवर टाइम या कम्पनसेटरी लीव तथा ऊनी वर्दी के सम्बन्ध में क्या नियम है ? नियमों की प्रति सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(२) क्या यह सत्य है कि उपरोक्त चालकों को १२-१५ घंटों की ड्यूटी देनी पड़ती है ? यदि हां, तो ऐसा क्यों ? क्या इस प्रकार की ड्यूटी देने से दुर्घटनायें होने की सम्भावना रहती है तथा चालकों को अपने दिन प्रति दिन के घरू कार्यों से वंचित रहना पड़ता है ?

(३) क्या यह भी सही है कि चालकों तथा उक्त वर्कशाप के स्टाफ को गर्म वर्दी दी जाती है ? यदि हां, तो कितनी-कितनी गर्म वर्दी किस किस तरह की कितनी-कितनी अवधि के लिये दी जाती है ? क्या यह सही है कि वर्कशाफ स्टाफ को दो साल में एक ऊनी जर्सी ही दी गई है ? गत ४ सालों में कितने चालक और वर्कशाप स्टाफ को क्या क्या गर्म वर्दी कब-कब दी गई ?

(४) क्या यह भी सही है कि उपरोक्त चालकों को राजपत्रित अवकाशों में भी ड्यूटी पर बुलाया जाता है ? यदि हां, तो ऐसे समय पर बुलाने पर उन्हें कम्पनसेंटरी अवकाश दिया जाता है ? यदि नहीं, तो क्यों ? गत चार सालों में उपरोक्त गैरेज के किन-किन चालकों को किस-किस राजपत्रित अवकाश के दिन बुलाया गया तथा उन्हें क्या-क्या सहूलियतें दी गई ?

उप मन्त्री, सामान्य प्रशासन (श्री प्रद्युम्न सिंह) : (१) इस सम्बन्ध में आर. एस. आर के नियमों के अनुसार कार्यवाही की जाती है और चालकों को केवल साप्ताहिक अवकाश दिया जाता है। वर्दी देने के नियम सदन की मेज रख दिये गये है। जो तालिका "क" पर हैं।

(२) (अ) जी हां। आवश्यकतानुसार इन्हें कभी कभी कुछ समय ज्यादा ड्यूटी देनी पड़ती है।

(ब) जी नहीं।

(३) (अ) जी हां। वर्दियों से सम्बन्धित नियम सदन की मेज पर रख दिये गये है (तालिका "क")

(ब) जी हां।

Page No 4

(श्री प्रद्युम्नसिंह)

(स) इसकी सूची तालिका "ख" पर रख दी गई है।

(४) जी हां। कम्पनसेन्टरी लीव दी जाती है और यही नियम गत कई वर्षों से चला आ रहा है।

(सूची विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई)]

प्रश्न संख्या ६२१

श्री अध्यक्ष : श्री सांवर मल वासोतिया।

(अनुपस्थित कृपया आगे देखिये)

प्रश्न संख्या ६२२

श्री शिवनाथ सिंह।

(अनुपस्थित कृपया आगे देखिये)

प्रश्न संख्या ६२३

श्री रावत राम।

(अनुपस्थित कृपया आगे देखिये)

श्री रघुनाथ विश्नोई।

ग्राम गुंदाऊ में नलकूप

६२४. **श्री रघुनाथ विश्नोई** (सांचोर) : क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(१) क्या यह सत्य है कि तहसील सांचोर के ग्राम गुंदाऊ में पिछले साल से एक नया नलकूप अकाल सहायता विभाग द्वारा खुदवाने का निर्णय लिया गया था ? अगर हां, तो वह नलकूप अब तक क्यों नहीं बनाया गया है ?

(२) अब वह नलकूप कब तक बना दिया जावेगा ? क्या इस नलकूप को खुदवाने लिये इस साल नई मंजूरी की आवश्यकता है ? अगर हां, तो वह मंजूरी कब तक करा ली जावेगी ?

(३) क्या यह भी सत्य है कि तहसील सांचोर के ग्राम पावटा, भाटावास, सिलू व लूणियासर नलकूप बनाया जाये तो वहां पर अधिक मात्रा में पीने एवं कृषि के लिये मीठा पानी उपलब्ध हो सकता है ? अगर हां, तो क्या इन गांवों में जिओलोजीकल विभाग द्वारा सर्वेक्षण कराया गया है ? अगर हां, तो कब तक ? अगर नहीं तो क्यों ?

(४) क्या उपरोक्त गांवों में भयंकर पीने के मीठे पानी की समस्या के हल हेतु एवं कृषि उत्पादन हेतु नये नलकूप सरकार बनाना उपयुक्त समझती है ? अगर हां, तो यहां पर नलकूप कब तक बना दिये जायेंगे ? अगर नहीं, तो क्यों नहीं ?

(५) जिला जालौर में अगले वर्ष व इस वर्ष कितने नये नलकूप बनाने का सरकार विचार रखती है ? पुराने बने हुये सफल नलकूपों के पानी के उपयोग के बारे में सरकार ने अब तक क्या योजना बनाई है ? यह योजना कब तक कार्यान्वित कर दी जावेगी ?

कृषि मन्त्री (श्री शोभाराम) : (१) जी नहीं, यह सत्य नहीं है कि तहसील सांचोर के ग्राम गुंदाऊ में पिछले वर्ष (१९६८-६९) अकाल सहायता विभाग द्वारा नलकूप खुदवाने का निर्णय लिया गया था।

Page No 5

(श्री शोभाराम)

(२) उपरोक्त स्थान पर नलकूप बनाने का निर्णय न लेने के कारण इस स्थान पर नलकूप लगाने का प्रश्न ही नहीं उठता ।

(३) तहसील सांचौर के ग्राम पांवटा, सिल व लपीयासर में नलकूप बनाया जाय तो वहां पानी के मिलने की सम्भावना तो है, किन्तु पानी अधिक खारा होने के कारण पीने व कृषि कार्य में सम्भवत: उसका उपयोग न हो सके। इस क्षेत्र का प्रारम्भिक सर्वेक्षण भू-जल मण्डल द्वारा किया जा रहा है और वहां मीठे पानी की सम्भवाना होगी वहां विस्तृत सर्वेक्षण भी किया जायगा ।

(४) उपरोक्त गांवों में पीने के मीठे पानी एवं कृषि उत्पादन की समस्या के हल हेतु भू-जल सर्वेक्षण किया जा रहा है तथा उपयुक्त स्थान पर सर्वेक्षण की रिपोर्ट के आधार पर नलकूप बनाने के लिये वित्तीय साधन उपलब्ध होने की स्थिति में विचार किया जा सकता है ।

(५) जालोर जिले में इस वर्ष एवं अगले वर्ष नये नलकूपों बनाने की अभी सरकार ने कोई योजना स्वीकृत नहीं की है। पुराने बने हुये नलकूपों में से जो नलकूप भू-जल मण्डल के अन्तर्गत हैं उनका उपयोग अभी पेय जल हेतु किया जा रहा है ।

श्री रघुनाथ विश्नोई : अध्यक्ष महोदय, गलत सूचना दी गई है। अकाल सहायता मीटिंग के अन्दर यह आदेश दिये थे और आदेश निकाल भी दिये थे कि, आप कैसे सूचना दे रहे है, मंजूर नहीं किये गये यह बिलकुल गलत सूचना है।

श्री शोभाराम : मैं जानकारी कर लूंगा।

श्री रघुनाथ विश्नोई : नल कूपों की जो स्वीकृति है उनमें अब तक कोई कम नहीं चलाया गया है।

श्री शोभाराम : इन्वेस्टीगेशन और सर्वे हो रहा है उसकी रिपोर्ट आ जायगी तब हमें मालूम पड़ेगा कि कौन कौन से कुये को देना है।

श्री रघुनाथ विश्नोई : एक्सपेरीमेंटल उसमें टेस्ट बोर कराये गये है। कई गांवों में जैसे डवाल, हाडोचा, चितलाना में खारा पानी है मगर मैने बताये है उसमें क्या ऐक्सपेरिमेन्टल टेस्ट बोर हुआ है। क्या सरकार अब विचार रखती है ?

श्री शोभाराम : मैंने निवेदन किया ट्यूब वैल का सवाल ऐक्सपेरिमेन्टल नहीं है। हम राजस्थान भर में इस प्रकार के ट्यूब वैल्स के लिये सर्वे करते है और जिस जिले का नम्बर आता है, क्योंकि सब जिलों की सर्वे एक साथ हो नहीं सकती है। उनको दिया जाता है। आपने जिन ट्यूब वैल्स के लिये कहा है मैं ७०-७१ के बजट में प्रावधान करवाने की कोशिश करूंगा।

श्री रघुनाथ विश्नोई : करीब २०० ट्यूबवैल्स जालौर में है। यह निर्णय आलरेडी किया जा चुका है। मैंने इस वर्ष भी निवेदन किया है और पिछले वर्ष भी निवेदन किया था। वहां का पानी बिलकुल खारा है, पानी पीने की गम्भीर समस्या है। उसके बारे में राज्य सरकार क्या विचार रखती है ?

Page No 6

श्री शोभाराम : बहुत पहले जो योजना बनी है वह क्षेत्रवाईज योजना बनी थी। ५० ट्यूब वेल्स राजगढ़ क्षेत्र में और ५० ट्यूब वैल्स जालौर क्षेत्र में तैयार होने को थे। इस वर्ष ११ लाख का प्रावधान है–राजाखेड़ा में काम शुरू हो गया है अब उसको बीच में खत्म नहीं कर सकते हैं। जालौर क्षेत्र में चतुर्थ पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत ७१-७२ में इसका प्रावधान रखेंगे। दो चार ट्यूब वैल्स के लिये हम सक्षम हो सकते हैं और उसके लिये प्रावधान करेंगे।

श्री अध्यक्ष : नैक्स्ट, श्री गंगासहाय।

श्री बिरदाराम (जालौर) : अध्यक्ष महोदय, मेरा निवेदन हैं ट्यूब वैल के माने में···

श्री अध्यक्ष : आर्डर, आर्डर।

श्री बिरदाराम : ···कि वहां पर···

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य स्थान ग्रहण करें।

प्रश्न संख्या ६२५

श्री गंगासहाय।

(अनुपस्थित कृपया आगे देखिये)

राजवी श्री रूपसिंह।

मंत्रियों की संख्या

६२६. **राजवी श्री रूपसिंह** (सरदार शहर) : क्या मुख्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(१) राज्य में समाजवाद को पनपाने के लिए क्या मंत्रियों की संख्या १० प्रतिशत आफ दी स्ट्रेन्थ आफ दी लेजिस्लेचर रखने का विचार है?

(२) क्या यह सही है कि मंत्रियों की संख्या १५ कर देने पर सरकार को एक करोड़ रुपये की सालाना बचत होगी?

उप मंत्री (श्री प्रद्युम्नसिंह) : (१) जी नहीं।

(२) वर्तमान में, मंत्रियों पर व्यय एक करोड़ सालाना नहीं होता है। अतः इतनी बचत का प्रश्न ही नहीं उठता।

राजवी श्री रूपसिंह : पहले का जवाब आपने क्या दिया है?

श्री प्रद्युम्नसिंह : जी नहीं।

श्री रामचन्द्र आर्य (नोहर) : क्यों नहीं?

श्री प्रद्युम्नसिंह : आवश्यक नहीं है इसलिए।

श्री अध्यक्ष : ऐसे ही नहीं।

राजवी श्री रूपसिंह : जब सरकार समाजवाद में बिलोव करती है तो फिर एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स कमेटी की सिफारिश के अनुसार मंत्रियों की संख्या कम नहीं करने के क्या कारण हैं?

श्री प्रद्युम्नसिंह : मैंने कहा कि मंत्रियों का कम करना और समाजवाद यह अलग अलग बातें हैं। आपने कहा कि इससे एक करोड़ की बचत हो जायेगी मैंने कहा कि १ करोड़ रुपये सालाना खर्च नहीं है। इसलिए इस प्रकार का प्रश्न ही पैदा नहीं होता।

Page No 7

श्री रामचन्द्र आर्य : क्या ऐसे मंत्री भी हैं जो पद त्याग करके बाहर आ सकते हैं ?

श्री प्रद्युम्नसिंह : मुझे इसकी जानकारी नहीं है।

श्री रामचन्द्र आर्य : जानकारी क्या नहीं है आप ही त्यागपत्र दे दीजिए।

श्री देवीदत्त गाडिया (बारां) : क्या यह सही है कि कांग्रेसी विधायकों की बैठक में एक उप-मंत्री ने कहा कि मुख्य मंत्री जी इस मंत्रिमण्डल में कटौती करें तो मैं इस्तीफा देने के लिए तैयार हूं ?

श्री प्रद्युम्नसिंह : यह असत्य है।

श्री रामकिशन (वैर) : आपने कहा कि एक करोड़ की बचत नहीं होगी तो मंत्रियों के खर्चे में किस किस खर्चे को शामिल किया है ?

श्री प्रद्युम्नसिंह : टेलीफोन, बिजली, पानी, पैट्रोल, मोटर एवरीथिंग इन्क्लुडेड वेतन स्टॉफ का वेतन मार्ग आदि।

श्री रामकिशन : जो मंत्री लोग दौरों पर जाते हैं और उनकी वजह से आफिस इकट्ठे होते हैं और इसके अलावा दूसरी सुविधायें भोगते हैं उनका सारा खर्चा शामिल कर लिया ?

श्री प्रद्युम्नसिंह : दूसरे प्रकार की सुविधाओं के बारे में स्पष्ट रूप से पूछ लें तो मैं उत्तर दे दूंगा।

श्री देवीदत्त गाडिया : श्री दीपचन्द छंगानी जिन्होंने कांग्रेस से इस्तीफा दिया है उन्होंने कहा हैं...

श्री अध्यक्ष : ऑर्डर, ऑर्डर। अलग से प्रश्न है।

श्री देवीदत्त गाडिया : ...उन्होंने कहा है कि ३ साल...

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, ऑर्डर ऑर्डर।

महारावल श्री लक्ष्मणसिंह (डूंगरपुर): अध्यक्ष महोदय, यह समाजवाद का प्रश्न नहीं है। क्या यह सच है कि इस प्रश्न के अन्दर मंत्रि-मण्डल का जीवन और मरण प्रश्न नीहित है ?

श्री प्रद्युम्नसिंह : यह तो आपके सोचने की बात है। मैंने निवेदन कर दिया है कि इस प्रश्न से समाजवाद का कोई संबंध नहीं है।

श्री भैरोंसिंह (किशनपोल, जयपुर): क्या यह सही है कि निकट भविष्य में ही मंत्रि मण्डल का विस्तार किया जाने वाला है ?

श्री प्रद्युम्नसिंह : मुझे इसकी सूचना नहीं है। यह तो मुख्य मंत्री जी का अधिकार है इस प्रश्न का मेरे पास कोई उत्तर नहीं है।

श्री भैरोंसिंह : यह प्रश्न मुख्य मंत्री जी से ही पूछा गया है।

श्री अध्यक्ष : अलग से प्रश्न है।

श्री भैरोंसिंह : क्या यह सही है कि श्री प्रद्युम्नसिंह जी को मंत्री बना दिया जाये तो वे प्रसन्न होंगे।

श्री अध्यक्ष : अलग से प्रश्न है।

बिजोलिया की जलप्रदाय योजना

६२७. **श्री मनोहरसिंह मेहता** (मांडलगढ़) : क्या स्वायत्त शासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(१) क्या यह सही है कि मांडलगढ़ तहसील के बिजोलिया कस्बे के लिये जल-प्रदाय योजना स्वीकार हो चुकी है ? तथा पंचायत बिजोलिया ने अपने हिस्से की रकम विभाग में जमा भी करवा दी है ?

(२) यदि हां, तो अब तक कार्य चालू न होने के क्या कारण हैं और कब तक योजना कार्य रूप में परिणित हो सकेगी ?

राज्य मंत्री, जल-प्रदाय (श्रीमती सुमित्रा) : (१) जी हां, जी हां। (२) योजना का कार्य निर्माणाधीन है।

; **श्री मनोहरसिंह मेहता** : धन्यवाद जब कार्य चालू है तो।

श्री अध्यक्ष : नैक्स्ट, श्री बालसिंह।

राजस्थान नहर क्षेत्र

६२८. **श्री बालसिंह सोढा** (जैसलमेर): क्या उपनिवेशन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(१) क्या यह सही है कि जैसलमेर जिले के गांव रामगढ़ तक राजस्थान नहर क्षेत्र घोषित किया हुआ है ?

(२) क्या यह भी सही है कि इस क्षेत्र में रहने वाले नागरिकों पर भू-आवण्टन व गांवों में मकान बनाने पर प्रतिबंध लगा हुआ है ? अगर हां, तो सरकार भूमिहीनों व मकान रहित जो इस क्षेत्र में रह रहे हैं उनकी व्यवस्था के लिए क्या सोच रही है ?

राज्य मंत्री, उपनिवेशन (श्री मनफूल सिंह) : (१) जी हां, जैसलमेर जिला के गांव रामगढ़ तक राजस्थान नहर योजना क्षेत्र घोषित किया हुआ है।

(२) संकार्य क्षेत्र में आवंटन एवं ग्रामों में मकान बनाने इत्यादि पर उपनिवेशन विभाग का नियंत्रण है और नियमों के मुताबिक तथा विकास कार्य की आवश्यकता के अनुसार आबादियों के लिए स्थल एवं प्लान आदि उपयुक्त स्थानों पर चयन किया जाकर तथा प्राविधिक एवं विशेषज्ञ नगर नियोजन विभाग द्वारा निर्मित प्लान के आधार पर आबादियों का आवंटन किये जाने की कार्यवाही की जा रही है।

श्री बालसिंह सोढ़ा : अध्यक्ष महोदय, क्या यह सही है कि वहां पर कॉलोनाइजेशन विभाग का एक भी अधिकारी नियुक्त नहीं है ?

श्री मनफूलसिंह : अभी नियुक्ति की आवश्यकता नहीं है। यह अभी प्लान में दिया गया है।

श्री बालसिंह सोढ़ा : क्या यह सही है कि जो पीढ़ियों से रहने वाले लोगों को मकान नहीं बनाने दिया जाता क्या उससे दिक्कत नहीं है उनको ?

श्री मनफूलसिंह : क्योंकि यह मालूम हो गया है कि वहां पर राजस्थान केनाल आयेगी और राजस्थान केनाल के आने के बाद यह जमीन बड़ी कीमती हो जायेगी इसलिए इस पर रोक पहले से ही लगाना उचित है।

Page No 9

श्री रामचन्द्र आर्य (नोहर) : क्या यह सही है कि वहां पर १० साल तक नहर नहीं पहुँचेगी ?

श्री अध्यक्ष : अलग से प्रश्न है।

श्री रामचन्द्र आर्य : अलग से नहीं हैं। वहा पर १० साल तक पानी नहीं जायेगा और पहले से ही रोक लगा दी गयी है।

श्री अध्यक्ष : प्रश्नकर्ता !

श्री बालसिंह सोढ़ा : राजस्थान केनाल की कोई समय निश्चित नहीं है और वहां पर पीढ़ियों ये गरीब लोग रह रहे हैं जिनके पास एक एक झोंपड़ी थी उससे दूसरी झोपड़ी नहीं बनाने दी जा रही है यह कहां तक वाजिब है ?

श्री मनोहर सिंह मेहता : कोई इन्टेरिम व्यवस्था होनी चाहिए।

श्री मनफूलसिंह : यह राजस्थान केनाल की योजना के अन्दर है इसलिए नहर कब आयेगी समय मैं नहीं कह सकता लेकिन नहर अवश्य आयेगी इसलिए इसको प्लान के अनुसार चीफ टाउन प्लानर जहा निर्धारित करेंगे वहीं आबादी बढ़ेगी।

श्री भैरोंसिंह (किशनपोल, जयपुर) : मैं यह पूछना चाहता हूँ कि आबादी की बढ़ती हुई संख्या के अनुपात में लोग अपने निवास स्थान के लिए मकान बनायें उस सम्बन्ध में राज्य सरकार की क्या व्यवस्था है ?

उपनिवेशन मन्त्री (श्री शोभाराम) : अध्यक्ष महोदय, यह ठीक बात है कि जहां आबादी एरिया है वहां मकान बनाने की जरूरत है। हमने इस पर विचार किया है कि वहां की पंचायतें रूल्स बनायें गवर्नमेंट के बिहाफ पर मन्जूरी देने के अधिकार दिये जायें। इस प्रकार के रूल्स बन रहे हैं और मैं उम्मीद करता हूँ इस महीने में ऐसे रूल्स बनाये ताकि पंचायत समिति क्षेत्र में जिस दिक्कत से लोग पीड़ित हैं उनको वह दिक्कत न हों और उनके बनाने में रुकावट नहीं हो।

महारावल श्री लक्ष्मणसिंह (डूंगरपुर) : अध्यक्ष महोदय, यह तो राजस्थान केनाल वहां पर आती है तो स्वागत है। मन्त्री महोदय ने अभी कहा कि रूल्स बनाने की व्यवस्था की जायेगी उसके साथ में मेरी सहानुभूति है लेकिन क्या मन्त्री महोदय यह अनुभव नहीं करते कि आज यह एक बर्निंग प्राब्लम है। गरीबों के रहने के लिए क्या व्यवस्था की जायेगी ? क्या सरकार का प्रथम कर्त्तव्य नहीं है कि इन लोगों के लिए व्यवस्था सर्वप्रथम की जाये तत्पश्चात् रूल्स आदि बनाने की जो व्यवस्था है वह सरकार सोचे। प्रेक्टीकली पोलोटिक्स क्या बाध्य करती है इस सम्बन्ध में क्या मन्त्री महोदय विचार नहीं करेंगे ?

श्री शोभाराम : अध्यक्ष जी जैसा मैंने निवेदन किया कि मौजूदा नियमों में इस प्रकार का प्रावधान नहीं है कि जल्दी से जल्दी मकान बनाने की सुविधा गांव वालों को मिल सकती है इसलिए मैंने निवेदन किया कि उन रूल्स के अन्दर इस प्रकार का प्रावधान कर रहे हैं कि जो पंचायत समितियों की नीचे की इकाइयां हैं उनको रूल्स बनाकर दें और उसके आधार पर वह एलॉटमेंट और बिक्री गवर्नमेंट के बिहाफ पर करें ताकि लोगों को किसी प्रकार की असुविधा नहीं हो।

Page No 10

श्री बालसिंह सोढ़ा : एलॉटमेंट में संशोधन करने की ··

श्री अध्यक्ष : ऑर्डर, ऑर्डर

श्री बालसिंह सोढ़ा : अध्यक्ष महोदय, आज पीढ़ियों से कई लोग भूमिहीन हैं और उनको टेम्पोरेरी एलॉटमेन्ट भी उस क्षेत्र में नहीं किया जाता है तो वह लोग कहां जाकर खेती करें, क्या इसकी राज्य सरकार व्यवस्था कर रही है ?

श्री अध्यक्ष : नैक्स्ट

श्री देवीदत्त गाड़िया (बारां) : प्रश्न संख्या ६२९ का जवाब दिला दें।

श्री अध्यक्ष : ऑर्डर प्लीज माननीय सदस्य ।

श्री रामचन्द्र आर्य : कम से कम यह आश्वासन दिया जाये कि कितने समय में यह व्यवस्था कर दी जायेगी एक साल में, दो साल में, ५ साल में या ६ महीने में। कोई अवधि तो हो उनको बसाने के लिए जगह नहीं दे रहे हैं और आप टाउन प्लानर का बहाना लेकर इन लोगों को परेशान कर रहे है ।

श्री अध्यक्ष : कोई प्रश्न नहीं होगा ।

श्री बालसिंह सोढ़ा : जो भूमिहीन थे पीढ़ियों से क्षेत्र में रह रहे हैं···

श्री अध्यक्ष :आर्डर, आर्डर

श्री शोभाराम : अध्यक्ष जी···

श्री अध्यक्ष : आर्डर, आर्डर मन्त्री महोदय । नैक्स्ट क्वेश्चन ।

श्री रामचन्द्र आर्य : शासन की तरफ से व्यवस्था की जाये वह उत्तर देने के लिए तैयार हैं ।

श्री अध्यक्ष : ऑर्डर, ऑर्डर ।

श्री बालसिंह सोढ़ा : अध्यक्ष महोदय, जो भूमिहीन उस क्षेत्र में कई वर्षों से और कई पीढ़ियों से रह रहे हैं उनको किसी प्रकार से टेम्पोरेरी एलॉटमेंट नहीं किया जा रहा है । क्या राज्य सरकार उनके एलॉटमेंट के लिए व्यवस्था कर रही ? क्या अधिक बढ़ती हुई जनसंख्या को देखते हुए उनके लिए करने का विचार रखती है ।

श्री शोभाराम : इस बात का भी ध्यान रखा जायगा ।

प्रश्न संख्या ६२९

श्री अध्यक्ष : श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल ।

(अनुपस्थित कृपया आगे देखिये)

श्री देवीदत्त गाड़िया : प्रश्न संख्या ६२९ ।

श्री अध्यक्ष : (श्री सचिव से पूछकर) आथोरिटी नहीं है ।

प्रश्न संख्या ६३०

श्री रामनारायण चौधरी ।

(अनुपस्थित, कृपया आगे देखिये)

श्री मूलचन्द डागा ।

पाली में नाजायज मकान बनाने का मामला

६३१. श्री मूलचन्द डागा (पाली) : क्या स्वायत्त शासन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे—

(१) क्या सरकार को विदित है कि पाली शहर में घांचियों के वास में भूतपूर्व मेम्बर श्री जसरान ने ८१ वर्ग गज के टुकड़े पर बावजूद स्टे आर्डर के मोहल्ले के चौराहे पर एक मकान बनाना शुरू किया ? यदि हां, तो कब ?

(२) क्या यह भी सत्य है कि सरकार ने इस ८१ वर्ग गज जमीन को एक्वायर करने की कार्यवाही शुरू कर दी थी और भूमि अवाप्ति अधिकारी ने इसकी सिफारिश कर दी थी ? यदि हां, तो कब ?

(३) क्या यह सत्य है कि इस भूतपूर्व वोर्ड के पहले के बोर्ड ने इसी श्री जसरान को मकान बनाने से मना कर दिया था और भूमि अवाप्ति की कार्यवाही कर दी थी ?

(४) क्या यह सत्य है कि इस ८१ वर्ग गज भूमि पर मकान बनने से मोहल्ले वालों को भारी तकलीफ होगी और काश्तकार अपनी बैलगाड़ियां आदि ले जाने से वंचित हो जावेंगे यदि हां, तो वर्तमान नगरपालिका पाली इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही कर रही है ? यदि नहीं कर रही है, तो क्यों ?

(५) क्या यह सत्य है कि यह मामला स्वायत्त शासन विभाग में पिछले दो साल से पड़ा हुआ है ? यदि हां, तो सरकार इस पर कब तक कार्यवाही पूर्ण करने का विचार रखती है ?

उप मन्त्री स्वायत्त शासन विभाग (श्री मुल्कराज थिंद) : अध्यक्ष महोदय, इस का मामला कोर्ट मे चल रहा है इसलिए इसका उत्तर नहीं दिया जा सकता है ।

श्री मूलचन्द डागा : आप क्या बात कर रहें ? जमीन एक्वायर करने की कार्यवाही हुई या नहीं, यह पूछा है ।

श्री मुल्कराज थिन्द : यह मामला अपीलेट आथोरिटी की कोर्ट में चल रहा है ।

श्री अध्यक्ष : अपीलेट आथोरिटी कहां रुकावट कर रही है ?

श्री मूलचन्द डागा : इसका मामला अदालत में नहीं है । आपको गलत तवज्जह दिलाई गई है ।

श्री मुल्कराज थिंद : मुझे जो जानकारी विभाग से मिली है वह यह है कि अपीलेट आथोरिटी में मामला चल रहा है ।

श्री अध्यक्ष : कौनसा मामला चल रहा है ?

श्री मूलचन्द डागा : आपके विभाग ने स्टे आर्डर कब से दे रखा है ?

श्री मुल्कराज थिंद : अध्यक्ष महोदय, रेकार्ड अपीलेट आथोरिटी से मंगवाया है ।

श्री अध्यक्ष : किस का रेकार्ड मंगाया है, क्या है ? (विराम)

स्थगित किया गया ।

श्री भैरोंसिंह : (किशनपोल, जयपुर) : अध्यक्ष महोदय, एक व्यक्ति विशेष के खिलाफ इस प्रकार का क्वेश्चन पूछा जा

(श्री भैंरोंसिंह)

रहा है। इस क्वेश्चन में पूछा गया है, क्या सरकार को विदित है कि पाली शहर में घांचियों के बास में भूतपूर्व मेम्बर श्री जसरान ने ८१ वर्ग गज के टुकड़े पर बावजूद स्टे आर्डर के मोहल्ले के चौराहे पर मकान बनाना शुरू किया ?" तो स्टे आर्डर वगैरहा दिया होगा तो गवर्नमेंट ने दिया होगा। इस प्रकार का क्वेश्चन नहीं पूछा जाना चाहिये था।

श्री अध्यक्ष : यह पाइन्ट आपका वाजिब है कि किसी व्यक्ति विशेष के खिलाफ कोई प्रश्न नहीं पूछा जा सकता है। मेरी आंखों से भी निकल गया है यह प्रश्न।

श्री देवीदत्त गाड़िया : (बारां) क्या यह सही है···

श्री अध्यक्ष : कुछ सही नहीं है।

(विराम)

नेक्स्ट।

हिन्डौन में गोली काण्ड की जांच

६३२. **श्री देवीदत्त गाड़िया** (बारां) : क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे—

क्या यह सही है कि हिण्डौन गोलीकाण्ड की जांच रिपोर्ट सरकार के पास आई हुई है ? यदि हां, तो रिपोर्ट सदन की मेज पर रखने का कष्ट करें।

राज्य मंत्री, गृह विभाग (श्री हीरालाल देवपुरा) : जी हां, रिपोर्ट सदन की मेज पर रख दी गई है।

श्री देवीदत्त गाडिया : अध्यक्ष महोदय, सूची नहीं मिली है।

श्री हीरालाल देवपुरा : माननीय सदस्य को मैं सूची तैयार कराकर दे दूंगा।

श्री देवीदत्त गाड़िया : कब दे देंगे ? मैं क्या सप्लीमेंट्री करूं ?

श्री अध्यक्ष : उत्तर तो दें कि क्या है ?

श्री हीरालाल देवपुरा : उत्तर दे दिया। जी हां, रिपोर्ट सदन की मेज पर रख दी गई है।

श्री देवीदत्त गाड़िया : कहां है सदन की मेज पर। माननीय अध्यक्ष द्वारा बार बार मंत्रि-मण्डल को ऐसी ताड़ना और आदेश भी दिये गये हैं फिर भी कोई असर नहीं हुआ।

श्री अध्यक्ष (पत्रावली देखकर) : माननीय सदस्य के लिए भी दी जानी चाहिए।

श्री हीरालाल देवपुरा : कापी तैयार नहीं हुई है। मैं माननीय सदस्य को दे दूंगा।

श्री भैंरोंसिंह (किशनपोल, जयपुर) : यह उपेक्षा क्यों की जाती है विधान सभा की ? आप कहते हैं तो भी नहीं मानते हैं तो कोई व्यवस्था तो होनी चाहिए। यह व्यवस्था हम कर लेंगे फिर क्या आप हमारा साथ देंगे ?

श्री अध्यक्ष : आप शुरू करें तो मैं साथ दूं फिर। मैं भी थक गया हूं इस मामले में।

(विराम)

मंगा लेते सूची कितनी लम्बी है।

श्री देवीदत्त गाडिया : लम्बी हो तो भी मिलनी चाहिए, माननीय अध्यक्ष।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, मैं भी समझता हूं । दे देते तो यह बात नहीं होती । (पत्रावली देखकर) दरअसल में सूची बहुत लम्बी-चौड़ी है ।

श्री भैरोंसिह : रिपोर्ट चाहिए ।

श्री अध्यक्ष : यह रिपोर्ट ही है ।

श्री भैरोंसिह : इस रिपोर्ट में क्या है ।

श्री अध्यक्ष : फिर विचार करूंगा ।

श्री भैरोंसिह : जब इस प्रकार की रिपोर्ट सदन में प्रस्तुत की जाती है तो उसका मतलब यह है कि प्रश्नकर्ता सदस्य को उसकी एक प्रतिलिपि मिले । यह तो पहले की व्यवस्था है ।

श्री अध्यक्ष : मैं इसको स्थगित कर देता हूँ ।

श्री भैरोंसिह : हां, यह कर दें ।

(सूची के अभाव में प्रश्न स्थगित किया गया ।

प्रश्न संख्या ६३३

श्री अध्यक्ष : श्री दिग्विजयसिंह ।

(अनुपस्थित, कृपया आगे देखिये)

श्री हरजीराम बुरड़क ।

सघन कृषि योजना

६३४. **श्री हरजीराम बुरड़क** (लाडनूं) : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(१) क्या सरकार को विदित है कि भारत सरकार ने सन् ७०-७१ के लिए देश में से १०० जिलों को सघन खेती के लिए चुना है ? यदि हां, तो राजस्थान से कौन कौन से जिले चुने गये हैं ?

(२) सघन कृषि के बारे में राज्य सरकार की क्या राय है ? और इस कार्यक्रम को कहां तक सफलता मिली है ?

उप मंत्री, कृषि (श्री हरिसिंह) : (१) इस प्रकार की कोई सूचना राज्य को नहीं है ।

(२) सघन कृषि कार्यक्रम उपयोगी सिद्ध हुआ है । इसके प्रारम्भ होने से कृषक अधिक उन्नत विधियों को अपनाने लगे हैं ।

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट, श्री रामसिंह कुड़ी ।

निरीक्षकों के स्थानान्तरण

६३५. **श्री रामसिंह कुडी** (जायल) : क्या सहकारी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

क्या सहकारी विभाग ने निरीक्षकों के स्थानान्तरण होम डिस्ट्रिक्ट से बाहर किये जाने के सरकार के निर्णय को फैल करने के उद्देश्य से सहकारी बैंकों, कृषि क्रय-विक्रय सहकारी समितियों एवं होलसेल भण्डारों एवं भूमि बन्धक बैंकों में काफी लोगों ने डेपुटेशन करवा लिये हैं या पहले से डेपुटेशन परचल रहे हैं ? यदि यह सच है तो इस तरह की संस्थाओं में निरीक्षक या उससे ऊंचे पद के अब कौन कौन अधिकारी किस किस संस्था में किस किस जिलों में अपने होम डिस्ट्रिक्ट में अभी भी है ? सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें ।

उप मंत्री, सहकारी विभाग(श्री रामदेव सिंह) : जी नहीं। विभागीय अधिकारी व निरीक्षकों को उनके स्वयं के जिलों की विभिन्न संस्थाओं में जो प्रतिनियुक्ति पर लगाया गया है, या वे पूर्व से लगे हुए हैं, उनकी संस्था द्वारा मांग किये जाने पर उनकी कार्य-कुशलता, अनुभव एवं मानवीय दृष्टिकोण को ध्यान में रखते हुए ही प्रति नियुक्ति पर लगाया गया है। वर्तमान में जो अधिकारी एवं निरीक्षक उनके स्वयं के जिलों की विभिन्न संस्थाओं में प्रतिनियुक्ति पर हैं उनकी सूची सदन की मेज पर रख दी गई है।

(कृपया परिशिष्ट १ देखिये)

श्री रामसिंह कुड़ी : अध्यक्ष महोदय, मेरा प्रश्न यह था कि कोआपरेटिव विभाग में होम डिस्ट्रिक्ट के बाहर तबादले किये गये थे सभी लोगों के परन्तु जिन लोगों की सिफारिशें थी उनको जिलों में रख दिया गया है तो उसका कारण नहीं बताया गया है।

श्री अध्यक्ष : उसका कारण बतलाएं।

श्री रामदेव सिंह : किस बात का कारण ?

श्री अध्यक्ष : जिन लोगों की सिफारिशें थी उनको होम डिस्ट्रिक्ट में रख दिया गया है इसका क्या कारण है ?

श्री रामदेवसिंह : यह गलत है ?

श्री हरजीराम बुरड़क (लाडनूं) : इस विभाग ने यह पालिसी बनाई थी कि इस विभाग के उच्च पदों पर जो अधिकारी है उनको अपने जिलों में नहीं रखा जाय, यदि हां, तो कब ?

श्री रामदेव सिंह : जी हां।

श्री हरजीराम बुरड़क : इसके बाद में जो डेपुटेशन पर भेजे गये हैं क्या वे अपने जिलों में नहीं है ?

श्री रामदेव सिंह : कई जगहों पर छूट दी जाती है जैसे किसी संस्था ने किसी खास आदमी को मांगा हो तो भेजना पड़ता है।

श्री अध्यक्ष : अपवाद स्वरूप हैं।

श्री हरजीराम बुरड़क : आपने जी नहीं कहा पहले तो और अब आपने हां भर दी।

प्रश्न संख्या ६३६

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट, श्री रामानन्द अग्रवाल।

(अनुपस्थित, कृपया आगे देखिये)

श्री भैरोंसिंह शेखावत।

यातायात दुर्घटनाएं

६३७. श्री भैरोंसिंह (किशनपोल, जयपुर) : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(१) १ अप्रेल सन् १६६८ से लेकर अब तक किस किस माह में किस किस जिले में कितनी-कितनी यातायात दुर्घटनाएं हुई और इनमें कितने व्यक्ति मर गये, कितने घायल हुए ?

(२) कितनी दुर्घटनाओं के सम्बन्ध में पुलिस द्वारा कितने-कितने अपराधियों का चालान किया गया और उसका क्या-क्या परिणाम रहा ? शेष की क्या स्थिति रही ?

(श्री भैरोंसिंह)

(३) इन दुर्घटनाओं को रोकने के लिए क्या क्या कार्यवाही की गई और उसके क्या परिणाम निकले ?

राज्य मंत्री, गृह विभाग (श्री हीरालाल देवपुरा) : अध्यक्ष महोदय, इसकी सूचना पूरी प्राप्त नहीं हो पाई है इसलिए इसको स्थगित किया जाय।

श्री अध्यक्ष : स्थगित किया गया।

श्री भैरोंसिंह : क्या हुआ, अध्यक्ष महोदय।

श्री अध्यक्ष : स्थगित हुआ।

नेक्स्ट, श्री गोरधन सोनी।

नेहरू मेमोरियल फण्ड के लिए एकत्रित की गई राशि

६३८. **श्री गोरधन सोनी** (मेड़ता) : क्या मुख्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(१) क्या यह सही है कि श्री सुखदेव आर्य भूतपूर्व एस. डी. ओ., मेड़ता ने ४ अप्रेल सन् ६७ से ११ जनवरी ६८ तक नेहरू मेमोरियल फण्ड के ४,०१०) रु० एकत्रित किये ?

(२) क्या यह सही है कि यह रकम १२-१-६८ को नागौर ट्रेजरी में जमा कराई गई ? इस फण्ड के वसूल करने एवं अपने पास रखने के संबंध में क्या नियम है ? प्रति सदन की मेज पर रखें।

(३) क्या यह सही है कि इस रकम को अब तक नेहरू मेमोरियल के लिए मेड़ता में नहीं लगाया गया ?

उप मंत्री, सामान्य प्रशासन (श्री प्रद्युम्न सिंह) : (१) जी हां।

(२) जी हां। इस संबंध में जारी किये गये निर्देश की प्रति संलग्न है।

(३) जी हां।

(कृपया परिशिष्ट २ देखिये)

श्री गोरधन सोनी : अध्यक्ष महोदय, मैं मंत्री महोदय से पूछना चाहूंगा कि यह जो माननीय श्री आर्य ने नेहरू फण्ड के लिए पैसा इकट्ठा किया था वह अलग था और उनको कोई अधिकार नहीं इकट्ठा करने का।

श्री प्रद्युम्नसिंह : ऐसी बात नहीं थी। उनको अधिकार था रुपया इकट्ठा करने का और नियमित रूप से इकट्ठा किया गया था।

श्री गोरधन सोनी : अध्यक्ष महोदय, मैं आपको बताना चाहता हूं कि आपने जो मुझे प्रति दी है उसके नियम तीन को देखें-

"अतः निवेदन है कि जिलाधीश महोदय, जिला स्तरीय समिति, जिला प्रमुख, पंचायत समितियों के प्रधान, विधायकों और संसद सदस्यों, स्थानीय नेताओं शिक्षा व समाज कल्याण अधिकारियों आदि को सम्मिलित कर अविलम्ब बना लें ताकि १४ नवम्बर, १९६९ से इस कोष के लिए धन एकत्रित करने का एक सप्ताह का अभियान प्रारम्भ हो तो निर्धारित लक्ष्य अर्थात् ५० लाख रुपये एकत्रित करने का लक्ष्य प्राप्त किया जा सके।"

(श्री गोरधन सोनी)

यह १४ नवम्बर, ६६ से अभियान प्रारम्भ किया जाना चाहिए था और एक सप्ताह के अन्दर सम्पूर्ण किया जाना चाहिए। श्री सुखदेव आर्य इस कमेटी में नहीं आ सकते हैं इसलिए अलग फण्ड इकट्ठा करने की चेष्टा की है। श्री सुखदेव आर्य ने चार अप्रेल ६७ से ११ जनवरी ६८ तक नेहरू मेमोरियल फण्ड का चन्दा इकट्ठा किया जो कि नियम के आधार पर नहीं किया जा सकता था। इसलिए मैं निवेदन कर रहा हूँ कि वह आप देखिये कि नेहरू स्मारक कोष के लिए क्षेत्रीय उप समिति की हिसाब रखने संबंधी हिदायतें। इसमें बताया गया है कि संग्रहीत राशि की पाक्षिक रिपोर्ट फार्म बी में भेजी जानी चाहिए और रकम बैंक ड्राफ्ट द्वारा भेजी जानी है। उसके हिसाब से यह भेजा जाना चाहिए था। एक साल तक रकम अपने पास रख लें और जब उसके खिलाफ कोई शिकायत हुई तो रुपया जमा करा दिया। वह रकम हड़प कर जाना चाहते थे। मैं मंत्री महोदय से पूछना चाहता हूं कि वे क्या कार्यवाही इस संबंध में करना चाहते हैं?

श्री प्रद्युम्नसिंह : मैंने निवेदन किया कि कोई अनाधिकार चेष्टा नहीं की गई है। जिलाधीश के आदेश थे, अच्छे कार्य के लिए धन एकत्रित किया जा रहा था। लेकिन जितना लक्ष्य था उतना एकत्रित नहीं हो सका है। यह कोई कायदे कानून की बात नहीं है। एक सक्युलर इश्यू किया गया था। जिलाधीश ने कहा वह प्रशासक थे। और न इस मामले में कोई गबन हुआ है। रसीदें काटी गई, हिसाब रखा गया। इस मामले में कोई गड़बड़ नहीं हुई है।

श्री हरजीराम बुरड़क : (लाडनूं) यह रकम जिस कार्य के लिए वसूल की गई थी, उसके लिए खर्च नहीं की गई है?

श्री प्रद्युम्नसिंह : मैंने निवेदन किया कि जिस कार्य के लिए एकत्रित की गई थी, वह यह कि ५० फीसदी जिले के लिए की जाएगी जबकि ५० फीसदी जनता स्वयं करे। वहां से ५० फीसदी किया नहीं गया।

श्री गोरधन सोनी : यह राज्य सरकार ने किया है?

श्री प्रद्युम्नसिंह : यह जिले से होना चाहिए था। वहां से प्रस्ताव आना चाहिए था।

श्री अध्यक्ष : नैक्स्ट।

श्री गोरधन सोनी : अध्यक्ष महोदय, यह गबन करने के लिए पैसा एकत्रित किया गया है।

श्री अध्यक्ष : ऑर्डर, ऑर्डर।

श्री गोरधन सोनी : नियम यह है (अश्रव्य)।

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज।

श्री सहकारिता मन्त्री।

महारावल श्री लक्ष्मणसिंह (डूंगरपुर) : अध्यक्ष महोदय, जहां तक रूल्स का सम्बन्ध है, जहां तक मैं रूल्स समझ सका हूं मैं यह

(महारावल श्री लक्ष्मणसिंह)

अनुभव करता हूँ कि श्री आर्य द्वारा अनियमितताएं हुई । माननीय प्रश्नकर्ता के द्वारा इस सदन के अन्दर गम्भीर आरोप लगाया गया है । में समझता हूं, अध्यक्ष महोदय, मन्त्रिमण्डल और उपमन्त्री महोदय का उत्तर अपर्याप्त हैं तथा पक्षपात पूर्ण है । क्या ऐसी दशा में माननीय प्रश्नकर्त्ता द्वारा जो आरोप अनियमितता के सम्बन्ध में श्री आर्य के ऊपर लगाये गये हैं, सरकार इस सम्बन्ध में निष्पक्ष रूप से जांच कराने का साहस रखती है या नहीं ?

श्री प्रद्युम्नसिंह : अध्यक्ष महोदय, मैंने निवेदन किया, एक ऐसे कार्य के लिए धन एकत्र किया गया था, स्व० पं० जवाहरलाल नेहरू मेमोरियल फण्ड के लिए धन एकत्र किया गया था। किसी निजी संस्था या आर्गनाइजेशन के लिए यह धन एकत्र नहीं किया गया है । इसमें दो मुद्दे खासतौर से हैं । वह किस परपज के लिए एकत्र किया गया है । दूसरे इस धन का कोई दुरुपयोग आदि तो नहीं हुआ है ? यह भी था कि ७ दिन के अन्दर यह निश्चित धनराशि एकत्र की जाएगी, वह नहीं की गई । यह एक अच्छे कार्य के लिए पं० जवाहरलाल नेहरू मेमोरियल फण्ड के लिए की गई थी ।

श्री अध्यक्ष : कलेक्टर की अनुमति से ?

श्री प्रद्युम्नसिंह : कलेक्टर ने यह कहा था, आप करते रहें । दूसरे में माननीय विरोधी दल के नेता को यह विश्वास दिलाता हूं कि इसमें कोई गबन नहीं हुआ है । रसीद काटी गई है । कैश बुक रखी गई है । ट्रेजरी में जमा कराया गया है । न वसूल करने में अनियमितता हुई है और न धन का दुरुपयोग ही हुआ है ।

एक माननीय सदस्य : धनराशि के कितने रुपये थे !

महारावल श्री लक्ष्मणसिंह : जो धन एकत्र किया गया है वह एक पवित्र कार्य हुआ । किन्तु नियम के अनुसार जितनी मुझे जानकारी प्राप्त है, में निश्चित रूप से यह अनुभव करता हूँ कि अगर कोई भी सरकारी कर्मचारी १५ दिन से अधिक धनराशि अपने कब्जे में रखता है तो वह रूल्स की अवहेलना करता है । क्या यह रूल्स की अवहेलना नहीं है ।

श्री प्रद्युम्नसिंह : मैंने निवेदन किया कि कोई अनियमितता नहीं है ।

श्री रामकिशन (वैर) : अध्यक्ष जी ने जवाब दे दिया है ।

श्री अध्यक्ष : आॅर्डर प्लीज । श्री सोनी (श्री सोनी के उठने पर) आॅर्डर प्लीज ।

एक माननीय सदस्य : (अश्रव्य)

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट ।

सहकारी समितियों के चुनाव

६३९. **श्री नत्थीसिंह** (भरतपुर) : क्या सहकारिता मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(१) क्या यह सही है कि राजस्थान के ८ कतिपय जिलों के अकालग्रस्त होने के

Page No 18

(श्री नत्थीसिंह)

कारण राज्य सरकार द्वारा सहकारी समितियों के चुनाव जून १९७० तक स्थगित करने के आदेश दिये गये हैं? यदि हां, तो उक्त आदेश की प्रतिलिपि सदन की मेज पर रखने का कष्ट करें।

(२) क्या यह सही है कि राज्य सरकार को इस प्रकार के आदेश देने का कोई अधिकार प्राप्त नहीं है। यदि हां, तो फिर यह आदेश कैसे दिये ?

उपमन्त्री, सहकारिता (श्री रामदेवसिंह): (१) जी हां, ३० जनवरी, १९७० से ६ माह के लिए चुनाव स्थगित किये जाने के आदेश दिये गये हैं। आदेश की प्रतिलिपि संलग्न है।

(२) जी नहीं।

(कृपया परिशिष्ट ३ देखिये)

श्री रामकिशन : (वैर) किस धारा में किया है।

सहकारिता मंत्री (श्री अमृतलाल यादव): १३९ में किया है।

श्री रामकिशन : अधिक से अधिक कितने दिन कर सकते हैं ?

श्री अमृतलाल यादव : ६ माह के लिए।

श्री रामकिशन : अब कब करने का इरादा है ? ६ महीने के बाद ?

श्री अमृतलाल यादव : हां।

एक माननीय सदस्य : वह बाद में सोचेंगे।

श्री रामसिंह कुडी (जायल) : नागौर के चुनाव कब स्थगित किये गये हैं ?

एक माननीय सदस्य : किस कारण ?

श्री अमृतलाल यादव : अकाल के कारण बहुत से सदस्य बाहर चले गये थे। जब नार्मल स्थिति आ जाएगी तब होंगे।

श्री रामकिशन : इसका मतलब है कि ६ महीने तक तो नार्मल स्थिति नहीं होगी।

श्री रामसिंह कुडी (जायल) : नागौर के चुनाव कब स्थगित किये गये थे ?

श्री अध्यक्ष : वह नहीं सुनते हैं। माननीय मन्त्री जी, उपमन्त्री जी, यह प्रश्न आया है।

श्री अमृतलाल यादव : सुना नहीं है।

श्री रामसिंह कुडी : नागौर के चुनाव कब स्थगित किये गये हैं ?

श्री अमृतलाल यादव : इसमें नागौर का पूछा नहीं है, इसलिए मैं नहीं बता सकता हूं।

श्री हरजीराम बुरडक (लाडनूं) : इसमें गांव नहीं पूछा गया है।

श्री अमृतलाल यादव : पूछा नहीं गया है।

श्री रामसिंह कुडी : अध्यक्ष महोदय, मैं सदन की जानकारी के लिए निवेदन करना चाहूंगा कि नागौर बैंक के चुनाव करने के लिए अधिकारी नियुक्त हो गया, नामीनेशन हो गया। हालत यह हो गई कि सरकार

Page No 19

(श्री रामसिंह कुड़ी)

समर्थित व्यक्ति चुनाव नहीं जीत सकेंगे तो दो दिन पहले चुनाव स्थगित किये हैं। दो दिन पहले चुनाव पोस्टपोन किये गये हैं।

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट।

श्री रामकिशन : अध्यक्ष महोदय, यह पक्षपातपूर्ण स्थिति है।

श्री रामचन्द्र आर्य (नोहर) : ये तो रोजाना ही ऐसा करते हैं। (अल्प विराम)

श्री रामसिंह कुडी : अध्यक्ष महोदय, कोई उत्तर नहीं दे रहे हैं।

श्री अमृतलाल यादव : माननीय अध्यक्ष महोदय, जवाब दे दिया गया। जनरल बात पूछी गई। उसमें नागौर या दूसरी जगह का पर्टीक्युलर पूछा नहीं गया है। अगर चाहते हैं तो अलग पूछ लें।

श्री पृथ्वीसिंह (बाली) : क्या यह सही है कि...

श्री अध्यक्ष : अलग से प्रश्न है। स्थगित प्रश्न।

श्री हरजीराम बुरडक।

स्थगित प्रश्न

(२७-३-७०)

राजपत्रित अधिकारियों की प्रतिनियुक्ति

३४१. **श्री हरजीराम बुरडक** (लाडनूं) : क्या मुख्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(१) कौन-कौन से राजपत्रित अधिकारी पर प्रतिनियुक्ति पर कहां-कहां पर हैं? सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(२) प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति करने के सम्बन्ध में क्या प्रक्रिया अपनाई जाती है? क्या इस सम्बन्ध में कोई नियम भी बने हुए हैं? यदि हां, तो उनकी प्रति सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(३) उक्त अधिकारियों को प्रतिनियुक्ति भत्ता दिया जा रहा है तो उसका विवरण सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(४) समान पद व समान योग्यता वाले अधिकारियों में से किस किस को प्रतिनियुक्ति पर भेजा जावे इसका निर्णय किस आधार पर व किस प्रकार से किया जाता है?

उपमन्त्री सामान्य प्रशासन (श्रीप्रद्युम्नसिंह) : (१) प्राप्त सूचना के आधार पर सूची सदन मेज पर रख दी गई है।

(२) विदेशी नियोजक अपनी इच्छानुसार प्रतिनियुक्ति पर लिये जाने वाले अधिकारी का स्वयं चयन करते हैं। प्रतिनियुक्ति सम्बन्धी नियम बने हुए हैं—नियम की प्रति सदन की मेज पर रख दी गई है।

(३) प्रति नियुक्ति भत्ते की सूचना संलग्न सूची में दर्ज है जिसे सदन की मेज पर रख दी गई है।

(४) सरकार द्वारा प्रतिनियुक्ति के लिये नाम साधारणतया वरिष्ठता एवं योग्यता के आधार पर भेजे जाते हैं। अन्तिम चुनाव विदेशी नियोजिक की मर्जी पर निर्भर होता है।

(नियमों की प्रति विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई)

श्री हरजीराम बुरडक : प्रश्न के भाग दो के उत्तर में यह नहीं बताया कि प्रति-नियुक्ति के सम्बन्ध में क्या प्रोसीजर अपनाया जाता है ? किसी बोर्ड में प्रतिनियुक्ति किया तो उसके सम्बन्ध में क्या प्रक्रिया अपनाई जाती है ?

श्री प्रद्युम्नसिंह : मैंने कहा कि विदेशी नियोजक नाम मांगता है। किसी आफिसर की जरूरत है तो हम लिस्ट भेज देते हैं तीन चार आफिसर की, जिसको वह चाहते हैं उसको भेज देते हैं।

श्री हरजीराम बुरडक : मन्त्री महोदय, बिलकुल गलत उत्तर दे रहे हैं। बहुत सी प्रतिनियुक्तियों के सम्बन्ध में जानकारी है कि बोर्ड को नहीं पूछते हैं, जब नियमानुसार पूछना चाहिए। और विभाग में जिस तरह नियुक्ति करते हैं उसी तरह कर देते हैं।

श्री अध्यक्ष : कौनसा बोर्ड ?

श्री हरजीराम बुरडक : बहुत से बोर्ड है।

श्री भैरोंसिंह (किशनपोल जयपुर) : जो प्रतिनियुक्ति हुई और जो इसमें उच्च अधिकारियों की सूची दी है, क्या इनके अतिरिक्त कोई अधिकारी नहीं है, किसी की प्रतिनियुक्ति हुई नहीं है ?

श्री प्रद्युम्न सिंह : जैसा मैंने निवेदन किया, प्राप्त सूचना के आधार पर (श्री भैरोंसिंह के खड़े होने पर) मैं निवेदन कर दूं मैंने जो आपको सूची दी है उसको आप देखेंगे तो वैसे गवर्नमेंट के बहुत सारे काफी महकमें हैं, उनमें से लोग डेपूटेशन पर जाते हैं (श्री भैरोंसिंह के खड़े होने पर मैं निवेदन कर रहा हूँ······

श्री भैरोंसिंह : जवाब इनकम्प्लीट है।

श्री प्रद्युम्नसिंह : मैंने इसमें आर. ए. एस. आई. ए. एस. और आई. पी. एस, आफिसर्स की सूची संलग्न की है। यह तीन महकमों की है—पी. डब्ल्यू. डी., एजूकेशन और एग्रीकल्चर-यह तीन महकमों की सूचना मेरे पास उपलब्ध नहीं हो सकी है, रिमाइन्डर करने के बाद भी वह सूचना मेरे पास उपलब्ध नहीं है। बाकी और डिपार्टमेंट से सूचना आ गई है कि कोई आफिसर डेपूटेशन पर नहीं है। मेजोरिटी आफ आफिसर हैं वह आर. ए. एस. आई ए. एस. और आई. पी. एस. है। जो प्रतिनियुक्ति का मुद्दा उठाया है···

श्री अध्यक्ष : सूची अधूरी है।

श्री प्रद्युम्नसिंह : सूची अधूरी है, यह तीन महकमों की सूची है उसमें ज्यादा आदमी एजूकेशन, पी. डब्ल्यू. डी. से नहीं गये हुये हैं।

श्री अध्यक्ष : श्री मजलिस खां।

श्री हरजीराम बुरडक : स्थगित कर दिया गया, क्या हुआ।

श्री अध्यक्ष : विचाराधीन रखा है स्थगित करने का प्रश्न।

श्री मजलिस खां।

Page No 21

महारावल श्री लक्ष्मणसिंह : विचाराधीन रखा गया है ३४१ को।

श्री अध्यक्ष : जी हां। श्री मजलिस खां !

स्थगित प्रश्न

(३०-३-७०)

भरतपुर जिलो में बाढ़ से क्षतिग्रस्त सिचाई कुए

४१०. **श्री मजलिस खां** (कामा) : क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(१) क्या यह सही है कि भरतपुर जिले में बाढ़ के कारण सिचाई के कुए खराब हो गये हैं? यदि हां, तो किस-किस तहसील में कितने-कितने ग्रामों में कितने-कितने ? सूची सदन की मेज पर रखी जावे।

(२) क्या यह सही है कि बाढ़ के कारण खराब हुए सिचाई के कुओं की मरम्मत के लिये तकाबी दी गई है ? यदि हां, कितनी-कितनी और कुल जिले के लिये कितनी धनराशि एलॉट की गई है।

उपमन्त्री कृषि (श्री हरिसिंह) : अध्यक्ष महोदय, इस प्रश्न की पूरी सूचना उपलब्ध नहीं हुई है इसलिए इसको स्थगित किया जाय।

श्री अध्यक्ष : पोस्टपोन्ड ! श्री भैरोंसिंह

स्थगित प्रश्न

(१-४-७०)

नगर विकास न्यास, जयपुर की स्वीकृत योजनाए

४५३ **श्री भैरोंसिंह शेखावत** (किशन पोल जयपुर) : क्या स्वायत्त शासन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(१) राज्य में नगर विकास न्यास की स्थापना कहां-कहां और कब कब हुई ? तथा उनमें अब तक किन-किन को सदस्य बनाया गया है ? नगर विकास न्यास के सदस्यों की सूची कृपया सदन की मेज पर रखें।

(२) जयपुर नगर विकास न्यास की स्थापना के बाद अब तक जयपुर में कितनी योजनायें बनायी गयीं तथा उनमें कितने-कितने भू-खण्ड आवंटन, नीलामी तथा रिजर्व्ह प्राइस पर लोगों को दिये गये हैं ?

(३) भू-खण्डों के आवंटन से अब तक न्यास को कितनी आय हुई तथा विकास योजनाओं पर कितना व्यय किया गया ? वर्षवार आय व्यय की सूची कृपया सदन की मेज पर रखें।

(४) क्या यह सही है कि जयपुर नगर विकास न्यास ने योजनाओं को स्वीकृत योजनाओं के अनुरूप विकासित नहीं किया तथा आरक्षित भू-खण्डों को नियम के विरूद्ध होते हुए भी रिहायशी प्लाटों में विभाजित किया है ?

(५) यदि हां, तो अब तक न्यास ने किन-किन उपनगरों में आरक्षित भू-खण्डों पर रिहायशी प्लाट आवंटित किये हैं ? जिन व्यक्तियों को आरक्षित भू-खण्डों पर प्लाट दिये गये हैं उनको नाम, आवंटन का वर्ष, उनके आवेदन की तिथि तथा भू-खण्डों की माप, भू-खण्डों की दर जो उनसे वसूल की गयी है, का विवरण कृपया सदन की मेज पर रखें।

(श्री भैरोंसिंह शेखावत)

(६) क्या यह सही है कि नगर विकास न्यास द्वारा आरक्षित भू-खण्डों पर किये गये रिहायशी प्लाटों के आवंटन के विरुद्ध लोगों ने राज्य सरकार को शिकायतें की हैं, तथा कुछ मामलों में राज्य सरकार तथा कुछ मामलों में न्यायालय ने स्थगन आदेश प्रदान किये हैं ?

(७) यदि हां, तो अब तक किन-किन मामलों में राज्य सरकार अथवा न्यायालय द्वारा स्थगन आदेश दिये गये हैं ? कृपया सूची सदन की मेज पर रखें। क्या इन मामलों में अन्तिम निर्णय हो चुका है ? यदि हां, तो क्या-क्या ? और नहीं हुआ तो किस स्तर पर विचाराधीन है ?

(८) अब तक सार्वजनिक उपयोग के लिये किन-किन संस्थाओं को कहां-कहां कितना-कितना भू-खण्ड निःशुल्क आवंटित किया गया है ? सूची सदन की मेज पर रखें।

(९) क्या यह सही है कि इस प्रकार निःशुल्क आवंटित किये जाने वाले भू-खन्डों की सुरक्षा तथा उसके सही उपयोग के प्रति आश्वस्त होने के लिये सम्बन्धित संस्थाओं की कार्य कारणी अथवा संचालन समिति ने न्यास द्वारा मनोनित प्रतिनिधि का होना अनिवार्य है। यदि हां तो उन संस्थाओं में प्रतिनिधित्व करने वाले अधिकारियों की सूची कृपया सदन की मेज पर रखे ?

श्री रामकिशन (बैर) : (श्री मुल्क राज थिंद के खड़े होने पर) क्या नहीं आया जवाब ?

उपमंत्री, स्वायत्त शासन (श्री मुल्कराज थिंद) : अध्यक्ष महोदय, इसकी पूर्ण सूचना नहीं प्राप्त हुई है अतः इसको स्थगित करने के लिए प्रार्थना है।

श्री रामसिंह कुड़ी (जाल) : अध्यक्ष महोदय, यह जान बूझ कर प्रश्नों को स्थगित किया जा रहा है।

श्री विजय सिंह (मकराना) : अध्यक्ष महोदय, इससे ऐसा समझ में आता है कि भैरोंसिंह जी के सारे प्रश्नों का जवाब देने के लिए राज्य सरकार तैयार नहीं है।

श्री अध्यक्ष : प्रश्नकर्त्ता स्वयं कह देंगे। प्रश्नकर्त्ता खड़े हुए हैं।

श्री विजयसिंह : अध्यक्ष महोदय, सरकार इस प्रकार का रवैय्या रखती है यह बात नहीं चलेगी। सरकार यह समझ कर चलती है कि विरोधी दल के नेताओं के प्रश्नों का वह जवाब नहीं देगी, उनका बांयकॉट करेगी—यह कैसे चल सकता है ?

श्री अध्यक्ष : ऑर्डर ऑर्डर।

श्री भैरोंसिंह : अभी माननीय उप-मंत्री जी ने बताया था कि इस प्रश्न की पूरी सूचना एकत्रित नहीं हो पाई है। मैंने उस समय कहा था कि जितनी सूचना आ गई है वह आप दे दीजिये और बाकी की सूचना सोमवार को दे दीजिये—उसमें मुझे आपत्ति नहीं है।

श्री मुल्क राज थिंद : अध्यक्ष महोदय, अभी मेरे पास सूचना आई है इसको टाइप करा कर एक घंटे के अन्दर अन्दर दे दूंगा।

श्री अध्यक्ष : फिर उत्तर कौन देंगे ?

श्री मुल्क राज चिंद : इसका उत्तर सोमवार को रख लीजिये।

श्री अध्यक्ष : मैं स्थगित करता हूं। कब रखना है—यह बाद में देखूंगा।

श्री हरजीराम बुरड़क।

स्थगित प्रश्न

(१-४-७०)

जयपुर शहर की सड़कों की मरम्मत का कार्य

४५९. **श्री हरजीराम बुरड़क** (लाडनूं): क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(१) क्या यह सत्य है कि किसी सड़क की चौड़ाई का कार्य नये कार्य में शुमार किया जाता है? यदि हां, तो जिला जयपुर में इस वर्ष और गत वर्ष में कौन-कौनसी सड़कों पर इस प्रकार का कार्य किया? सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(२) क्या यह भी सत्य है कि उक्त सड़कों की मंजूरी अलग-अलग से सड़क-वाईज दी गई थी? यदि हां, तो कब-कब, किस-किस अधिकारी द्वारा?

(३) क्या यह भी सत्य है कि जयपुर शहर की सड़कों की चौड़ाई का जो कार्य किया गया है उसकी अलग से सरकार की मंजूरी नहीं ली गई थी? यदि हां, तो क्यों?

(४) क्या यह भी सत्य है कि जयपुर शहर की सड़कों की चौड़ाई का कार्य मरम्मत के हैड से खर्च करके किया गया था? यदि हां, तो क्यों?

(५) अल्पकालीन टेन्डर मांगने के सम्बन्ध में क्या प्रक्रिया अपनाई जाती है?

(६) जयपुर की उक्त सड़कों की चौड़ाई के कार्य के लिये कब टेन्डर मांगे गये थे और किस प्रकार से ठेका किसको दिया गया था तथा कितने रुपये इस कार्य में खर्च हुये?

(७) क्या उक्त कार्य में ठेका देने, टेन्डर निकालने व स्वीकृति प्राप्त करने में सक्षम अधिकारियों की पूर्व स्वीकृति ली गई थी? यदि हां, तो कब-कब, किस-किस से किस कार्य की?

उपमंत्री, सार्वजनिक निर्माण (श्री माधोसिंह) : अध्यक्ष महोदय, इस प्रश्न की जो सूचना आई थी वह पर्याप्त नहीं थी इसलिए पूरी जानकारी के लिए भेजा है।

महारावल श्री लक्ष्मणसिंह (डूंगरपुर): अध्यक्ष महोदय, जो जयपुर सिटी के सम्बन्ध में प्रश्न पूछे जाते हैं उन सबका सरकार उत्तर नहीं देती है। इसका क्या कारण है। मैं यह गम्भीर आरोप लगाता हूं कि जयपुर सिटी के सम्बन्ध में सरकारी वृत्ति उपेक्षा मय है।

श्री हरजीराम बुरड़क : अध्यक्ष महोदय, यह पहले भी स्थगित हुआ था, इसमें केवल जयपुर से ही सूचना लेनी थी, दूर से सूचना मंगानी नहीं थी। जयपुर से सूचना लेने का प्रश्न है।

श्री अध्यक्ष : यही माननीय नेता महोदय ने कहा है।

श्री विजयसिंह : अध्यक्ष महोदय, आप मंत्री महोदय को कह दीजिये वह माइक को ऊंचा कर लें, झुकने से उनकी कमर लचक जायगी।

श्री माधोसिंह : अध्यक्ष महोदय, हम सदन का सम्मान करते हैं, इसलिए ही जो सूचना आई थी उससे मुझे संतोष नहीं हुआ था। उसके लिए मैंने विभाग को ताड़ना दी है और पूरा उत्तर देने के लिए कहा है।

श्री जयनारायण सालोदिया (निवाई): आपकी ताड़ना की परवाह कौन करता है ?

श्री माधोसिंह : इस सदन में मैं अधूरी सूचना देता तो आपकी तरफ से ताड़ना की बात होती।

श्री अध्यक्ष : आपने विभाग को ताड़ना दी है।

श्री माधोसिंह : जी ताडना।

महारावल श्री लक्ष्मणसिंह (डूंगरपुर): अध्यक्ष महोदय, इसमें ऐसा कौनसा प्रश्न है सूचना लेने का। कोई जयपुर हरियाणा, पंजाब, गुजरात या महाराष्ट्र में नहीं है। जयपुर राजस्थान का महत्वपूर्ण और अविभाज्य अंग है। आप समझते हैं, आपका यह उत्तरदायित्व है कि आप से जो प्रश्न इस सम्बन्ध में पूछे जायं उनका उत्तर दें।

श्री भैरोंसिंह : वह समझते तो उपमंत्री क्यों बनते।

श्री माधोसिंह : अध्यक्ष महोदय, जयपुर की उपेक्षा की नीति नहीं है। हम चाहते हैं कि जो उत्तर आये वह पूरा और पर्याप्त हो।

श्री देवीदत्त गाड़िया (बारां) : अध्यक्ष महोदय, मैं आपसे निवेदन करूंगा कि जो स्थगित प्रश्न दूसरे टाइम रखा जाता है तो कम से कम आपका विशेष रूप से ···।

श्री अध्यक्ष : स्थान ग्रहण करें। विशेष रूप से ध्यान दिया है।

श्री कृष्ण कुमार गोयल।

महाराव श्री लक्ष्मणसिंह : मैं अपनी यह लेजिटिमेंट ड्यूटी फील करता हूं और विनम्रतापूर्वक निवेदन करता हूँ कि सदन की परम्परा को कायम रखने का आपका हक हैं। अगर एक दफा स्थगित प्रश्न पूछा जाय, फिर दूसरी दफा स्थगित प्रश्न पूछा जाय फिर भी सरकार की तरफ से उत्तर नहीं आये तो यह क्या मखौल है ?

श्री अध्यक्ष : श्री कृष्ण कुमार गोयल।

स्थगित प्रश्न

(१-४-७०)

कोल्ड स्टोरेज की भूमि

४६०. **श्री कृष्ण कुमार गोयल** (कोटा): क्या उपनिवेशन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(१) क्या यह सही है कि बूंदी जिले में गोविन्दपुरा बावड़ी पर निर्मित कोल्ड स्टोरेज ने काश्त भूमि पर बिना उसे आबादी में परिवर्तित कराये अनाधिकृत रूप से भवन निर्माण कराया है ? अगर हां, तो कब व कितनी भूमि पर ?

(२) क्या यह सही है कि तहसील से उन्हें लैंड रेवेन्यू एक्ट के अधीन नोटिस दिए

Page No 25

(श्री कृष्ण कुमार गोयल)

गए थे ? अगर हां, तो कब ? आगामी क्या कार्यवाही की गई ?

(३) क्या यह सही है कि कुछ भूमि आबादी में परिणित की गई है ? अगर हां, तो कब, कितनी व किस शर्त पर ?

उपमंत्री (श्री मनफूल सिंह) : अध्यक्ष महोदय।

श्री जयनारायण सालोदिया (निवाई): मेरा ख्याल है, यह मन्सूबा कर के आये हैं।

श्री देवीदत्त गाड़िया (बारां) : शेम। शेम।

श्री जयनारायण सालोदिया : यह नाकाबिले बर्दाश्त है।

श्री विजयसिंह : अध्यक्ष महोदय, यह सदन का अपमान है। यह ऐसी स्थिति है कि जिसके कारण सरकार को डूब कर मर जाना चाहिए। मंत्रियों को सड़कों पर सफाई करने के लिए लगाया जाना चाहिए। आप क्या कर रहे हैं ?

श्री मनफूल सिंह : अध्यक्ष महोदय, यह प्रश्न १४ मार्च को पूछ लिया गया है, इस प्रश्न में उसी का रिपीटीशन है। इसलिए इस प्रश्न का उत्तर देने की आवश्यकता नहीं है।

श्री कृष्णकुमार गोयल : कौनसी तारीख ? १४ मार्च को ?

श्री मनफूल सिंह : १४ मार्च को।

कृषि मंत्री (श्री शोभाराम) : अध्यक्ष महोदय, श्री केसरीसिंह हाड़ा ने इस प्रकार का प्रश्न पूछा था……

श्री केसरीसिंह हाड़ा (हिन्डोली) : मेरा प्रश्न है और इनका प्रश्न है—इन दोनों में अंतर है।

श्री कृष्ण कुमार गोयल : आप वही उत्तर दे दीजिये।

श्री मनफूल सिंह : मेरा निवेदन है…

श्री अध्यक्ष : मैं निवेदन करता रहा हूं, यदि ऐसा कोई प्रश्न था जिसमें ऐसी कोई आपत्ति थी तो मेरे ध्यान में भी लाई जानी चाहिए थी, न कि दोनों का कम्पेरीजन करके सदन में कहें।

श्री मनफूल सिंह : पत्र भेज दिया गया है।

श्री अध्यक्ष : (श्री सचिव, विधान सभा द्वारा पत्र देने पर) यह आया है आज आपका पत्र।

श्री कृष्णकुमार गोयल : पिछली बार जो प्रश्न पूछा था वह राजस्व विभाग से पूछा था।

श्री अध्यक्ष : आज आया है।

श्री विजय सिंह : इनकी गाड़ी और डाक दोनों लेट चलती हैं।

श्री अध्यक्ष : मैं स्थगित करता हूं।

श्री आईदान सिंह (भीनमाल) : प्रश्न का उत्तर आयेगा या खत्म कर दिया।

Page No 26

श्री मनफूल सिंह : मैं इसका उत्तर देने को तैयार हूं। आप आदेश दें तो मैं उत्तर देने को तैयार हूं······

श्री शोभाराम : कल इसका उत्तर दे देंगे।

श्री मनफूल सिंह : कल दे देंगे उत्तर।

श्री कृष्ण कुमार गोयल : मैं निवेदन करता हूं कि यह प्रश्न कोई भारत के लिए नहीं उठाया गया है. यह जयपुर का प्रश्न नहीं है······

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज।

श्री कृष्ण कुमार गोयल : यह सारा का सारा कोल्ड स्टोरेज का मामला है जिसका उद्घाटन श्री बृजसुन्दर शर्मा ने किया था······

श्री अध्यक्ष : मैंने निवेदन किया······

महारावल श्री लक्ष्मणसिंह : जानबूझ कर कोल्ड स्टोरेज का प्रश्न कोल्ड स्टोरेज में रखा है।

श्री शोभा राम : तारीख १४ मार्च को यह कोल्ड स्टोरेज का क्वेश्चन माननीय केसरी सिंह हाड़ा ने रखा था।

श्री कृष्ण कुमार गोयल : उसमें और इसमें अन्तर है।

श्री शोभाराम : इसी प्रकार का प्रश्न था।

श्री कृष्ण कुमार गोयल : आप उन दोनों को देख लें, केवल कोल्ड स्टोरेज का नाम आने से एक नहीं हो जाता प्रश्न। यह अलग अलग क्वेश्चन हैं······

श्री शोभा राम : उसमें सप्लीमेन्ट्री क्वेश्चन उठाया था श्री बृजसुन्दर शर्मा के सम्बन्ध में······

श्री कृष्ण कुमार गोयल : बृजसुन्दर शर्मा तो चम्बलएरिया के चप्पे चप्पे पर बैठे हुए हैं। इस तरह के एक दो नहीं, कई प्रश्न आयेंगे।

श्री विजय सिंह : कोल्ड स्टोरेज में केवल अनाज ही नहीं सम्भाल कर रखा जाता है, मांस-मछली भी रखी जाती हैं। मेरा निवेदन है······

श्री अध्यक्ष : मैं दोनों प्रश्नों को देख लूंगा। आपका निवेदन चल रहा है और मेरा निवेदन भी चल रहा है। आप स्थान ग्रहण करें।

श्री भैरोंसिंह : अध्यक्ष महोदय, मेरा यह निवेदन है कि प्रश्न नहीं पूछे जाने चाहिए, आप यह कह देंगे तो प्रश्न नहीं पूछे जायेंगे। आज सरकार का बहुमत है इसलिए यह नियम बनवा दीजिये कि प्रश्न नहीं पूछे जायेंगे, हम प्रश्न पूछने की इजाजत नहीं देंगे। अध्यक्ष महोदय, मेरा निवेदन है कि मंत्रियों को आप इतना लेटिट्यूड नहीं दें कि जिस समय चाहें उस समय किसी भी प्रश्न को पोस्टपोन कर दें। यह अपनी सुविधा के लिए तैयार होकर आते हैं किसी क्वेश्चन को पोस्टपोन कराने के लिए······

श्री अध्यक्ष : मैं इस प्रश्न को स्थगित करता हूं।

श्री भैरोंसिंह : आप स्थगित करते हैं तो मैं व्यवस्था का प्रश्न करता हूं।

एक माननीय सदस्य : इस प्रकार पोस्टपोन होते है तो आगे भी आगे के लिए पोस्टपोन होंगे।

श्री भैरोंसिंह : अध्यक्ष महोदय, मेरा निवेदन है कि यह सदन का अपमान है, और आसन का भी अपमान है, यह नियमों का भी अपमान है। मैं चेतावनी के रूप में निवेदन करना चाहता हूं कि अगर भविष्य में कोई क्वेश्चन स्थगित किया गया तो इस प्रकार की व्यवस्था करने के लिए सरकार को मजबूर करना पड़ेगा कि सरकार भविष्य में कभी किसी क्वेश्चन को स्थगित करने का नाम नहीं ले। मैं निवेदन करता हूं कि सरकार भविष्य के अन्दर सावधानी वरते। और प्रोटेस्ट के रूप में मेरा निवेदन है कि हम इस सदन में देखते हुए आये हैं कि जितने भी इम्पार्टेन्ट क्वेश्चन आते हैं, जिसमें मिनिस्टर इन्वाल्व्ड होते हैं, जिसमें अधिकारी इन्वाल्व्ड होते हैं, उनका इस सदन में उत्तर नहीं आता है…

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य। मैं समझ गया हूं आपकी बात।

श्री भैरोंसिंह : इसलिए प्रोटेस्ट के तौर पर मैं और मेरे दल के सदस्य सदन से वाक आउट करते हैं और मैं निवेदन करना चाहता हूं चेतावनी के रूप में कि इसको आप और सदन विचार करके चलें।

(जनसंघ के माननीय सदस्यों द्वारा बहिर्गमन)

श्री अध्यक्ष : थोड़ी देर आप ठहर जाते तो कई प्रश्नों का हल हो जाता।

महारावल श्री लक्ष्मण सिंह : अध्यक्ष महोदय, पाइन्ट आफ आर्डर। मंत्री महोदयों के पार्टफोलियो में फेर बदल होते रहते हैं। यदि एक प्रश्न दो मंत्रियों से सम्बन्ध होता है, ओवर लेपिंग है मेरा विनम्र निवेदन है आपसे कि आप अमुक मंत्री की जिम्मेदारी नियत कर के उसका संकेत करें और उनका कर्त्तव्य होगा कि सरकार की तरफ से उत्तर अमुक मंत्री दे। मैंने अक्सर देखा है कि ओवर लेपिंग प्रश्नों के अन्दर होता है एक दूसरे की तरफ देखता है तो उसके लिए आप जिम्मेदारी डालें। अपने आप यह कह कर नहीं चलें कि राज्य सरकार का सूचना एकत्रित करने का प्रयास चल रहा है इस प्रयास को रोकने के लिये मैं विनम्रता-पूर्वक आपका ध्यान इस ओर आकर्षित करता हूं कि, यह समस्या है, फेनोमिना है, इसको चैक करने के लिये मैं आपका ध्यान विनम्रता पूर्वक आकर्षित करना चाहता हूं।

श्री हरजीराम बुडक : अध्यक्ष महोदय, ……

श्री अध्यक्ष : अध्यक्ष पैरों पर हैं।

मैं माननीय विरोधी दल के सदस्यों की भावनाओं और उनकी उग्रता के प्रति सहानुभूति रखता हूं। मैं समझता भी हूं कि इस प्रश्न पर मुझको अधिक नहीं कहना चाहिये, राज्य सरकार को समझ लेना चाहिये इस स्थिति को। मुख्यतः प्रश्नकाल में बहिर्गमन, का होना यह परम्परा का बनना यह उचित भी नहीं है। लेकिन जिस रूप से बाध्य हो कर विरोधी दल, जनसंघ का बहिर्गमन हुआ, यह स्वयं में एक संकेत है राज्य सरकार को। मैं बार बार इस सदन

(श्री अध्यक्ष)

में मैं कई मसलों पर संकेत देता रहा हूं। प्रश्नों को स्थगित किये जाने की यह प्रवृत्ति बढ़ती जा रही है। मैं समझता हूं राज्य सरकार इसको सजगता से ले।

महारावल श्री लक्ष्मण सिंह : देखिये यह है।

श्री अध्यक्ष : श्री मनोहरसिंह।

स्थगित प्रश्न

(१-४-७०)

मांडलगढ़ तहसील क्षेत्र में नदियों के कारण आवागमन की असुविधा

४६७. **श्री मनोहर सिंह मेहता :** (मांडलगढ़) क्या सार्वजनिक निर्माण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(१) क्या मांडलगढ़ में नदियों के कारण पूरे क्षेत्र में बड़ी दिक्कत होती है और ६ महीनों तक मोटरों तक का आवागमन रुक जाता है?

(२) क्या यह सही है कि कड़ाके की ठंड में भी बनास, बेड़च, कोठारी तथा मेनाली नदी में लोगों को पानी में होकर निकलना पड़ता है?

(३) क्या हर वर्ष नदियों में पांच सात जगह अस्थाई तौर पर कच्चा रास्ता बनाने की व्यवस्था की गई है? यदि नहीं, तो क्यों?

उपमन्त्री सार्वजनिक निर्माण विभाग (श्री माधोसिंह) : (१) मांडलगढ़ भीलवाड़ा रोड़ पर बेड़च, बनास तथा मेनाली नदियों के संगम से आगे एक सबमरसेबिल पुल का निर्माण किया गया है इस पर यातायात की कोई कठिनाई नहीं होती। शेष स्थानों पर सार्वजनिक निर्माण विभाग की सड़कें न होने के कारण मोटरों की दिक्कत के बारे में इस विभाग को जानकारी नहीं है।

(२) इस विभाग को जानकारी नहीं है।

(३) इन नदियों पर इस जिले में जहां जहां निर्माण विभाग की सड़कें हैं अस्थाई क्रॉसिंग बनाये जाते हैं। नदियां मांडलगढ़ तहसील में बहुत से स्थानों को क्रॉस करती हैं किन्तु उन स्थानों पर निर्माण विभाग की सड़कें नहीं होने से कोई व्यवस्था नहीं की जाती है।

श्री मनोहर सिंह मेहता : अध्यक्ष महोदय, यह जो आपने फरमाया कि त्रिवेणी पर पुल हैं, वह एक ही जगह पुल है बाकी सैंकड़ों जगह हैं खटवाड़ा के पास, बेरज के पास झाझरा के पास और अन्य सभी जगहों पर कहीं भी पुल नहीं है, वहां से औरतें निकलती हैं तो बच्चों को पीठ पर बांध कर निकली हैं, ऐसा लगता कि अभी तक आजादी नहीं आयी है···

श्री अध्यक्ष : प्रश्न पूछिये।

श्री मनोहरसिंह मेहता : बेड़च के पास, खटवाड़ा के पास, झाझरा के पास यहां कच्चे रास्ते भी बना दें। बेड़च का पुल बनाने का मन्त्री महोदय ने आश्वासन दिया था, पर अभी तक नहीं बना है···

श्री अध्यक्ष : आर्डर, राज्य सरकार इस प्रकार की व्यवस्था करना चाहती है क्या ?

श्री माधोसिंह : अध्यक्ष महोदय, जहां जहां हमारी सड़कें हैं वहां व्यवस्था करते हैं बाकी धनराशि उपलब्ध होती है उसके अनुसार व्यवस्था की जाती है ।

श्री मनोहरसिंह मेहता : मांडलगढ़ के क्षेत्र में सड़कें हैं ही नहीं तो क्या इसका मतलब यह हुआ कि वहां के लोग दुख ही पाते रहेंगे ?

श्री अध्यक्ष :

प्रश्न संख्या ४७९

श्री नन्दलाल बेरवा :

(अनुपस्थित, कृपया आगे देखिये)

श्री रामसिंह कुड़ी ।

महारावल श्री लक्ष्मण सिंह । इस क्षेत्र में कहीं सड़कें नहीं हैं…

श्री अध्यक्ष : नेता महोदय, दूसरा प्रश्न ले लिया है ।

महारावल श्री लक्ष्मण सिंह : २०' वर्षों की स्वतन्त्रता के बाद भी वहां यह स्थिति है ।

श्री गिरधारी लाल व्यास : यह गलत है बीजोलिया तक सड़कें बनी हुई हैं…

श्री मनोहर सिंह मेहता : इस क्षेत्र में नहीं है…

श्री अध्यक्ष : ऑर्डर, ऑर्डर ।

प्रश्न संख्या ४८८

स्थगित प्रश्न

(२-४-७०)

मुरड़ पर व्यय

४८८ **श्री रामसिंह कुड़ी** (जयपुर) : क्या सार्वजनिक निर्माण मन्त्री यह बताने की कृपा करें:—

(१) अकाल राहत कार्यों में गत वर्ष किस किस जिले में कितना कितना मुरड़ खोदा गया, कितना कितना मुरड़ किस किस सड़क पर बिछाया गया एवं कितना कितना मुरड़ किस किस दूरी पर गत वर्ष का पड़ा हुआ है ? गत वर्ष में बनी किस किस सड़क के अर्थ वर्क पर कितनी कितनी दूरी में अब मुरड़ बिछाना बकाया है एवं कितनी दूरी पर गत वर्ष में बनी ग्रेवल रोड पर मुरड़ बिछा दिया गया है ? रेगुलर सड़कों पर किस किस सड़क पर कितना कितना मुरड़ बिछाया गया ?

(२) गत वर्ष अकाल राहत कार्यों में मुरड़ के ट्रान्सपोर्टेशन चार्जेज के रूप में कितने रुपये खर्च हुए, कितने रुपये उस मुरड़ की खुदाई में खर्च हुए एवं कितने रुपये अर्थ वर्क पर खर्च हुए ? जिले वार आंकड़े बताइये । टी. एन. पी. पर अन्य मदों में गत वर्ष के अकाल राहत कार्यों में जिलेवार कितना कितना खर्चा हुआ ? टी. एन. पी. सिरकियां व चादरों के ढोने का गत वर्ष के अकाल राहत कार्यों में जिलेवार कितना कितना व्यय हुआ ? पूरा विवरण वित्तीय वर्ष १९६८–६९ एवं १९६९–७० के अलग अलग वर्षवार आंकड़ों सहित बतायें ?

Page No 30

(श्री रामसिंह कुड़ी)

सिरकियों की कीमत किस किस में सबसे अधिक थी एवं किस जिले में सबसे कम थी ? कितनी टी. एन. पी. खो गई एवं उनकी कीमत की वसूली क्या किसी से की जा रही है ।

उप मन्त्री सार्वजनिक निर्माण (श्री माधोसिंह) : अध्यक्ष महोदय, प्रश्न संख्या ४८८ के लिए निवेदन है कि इसमें बहुत से जिलों के सम्बन्ध में सूचना मांगी गई है, कुछ जिलों से सूचना प्राप्त नहीं हुई है इसलिए इसे स्थगित किया जाय ।

श्री बालसिंह सोढ़ा : अध्यक्ष महोदय, हाउस को एड्जोन कर के मन्त्रियों को एक महिने की छुट्टी दे दी जाय ।

श्री अध्यक्ष : स्थगित किया ।

प्रश्न संख्या ४९३ ।

स्थगित प्रश्न

(२-४-७०)

सूरसागर तालाब बीकानेर

४९३. **श्री रूप सिंह** (सरदार शहर) : क्या जन स्वास्थ्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे...

(१) क्या यह सही है कि सूरसागर तालाब जो बीकानेर में पुराने किले के सामने उत्तर-पूर्व की तरफ वाके हैं उसके चारों तरफ आबादी है और उसकी दक्षिण दीवार पर प्राईमरी फोर्ट स्कूल, उससे चिपती हुई फोर्ट डिस्पेंसरी है व ५० पावडां की दूरी पर पब्लिक ओफिसेज हैं ?

(ख) क्या यह भी सही है कि नये व पुराने शहर बीकानेर का टट्टी पेशाब का व वर्षा का पानी जो पावर हाउस के पास गिनानी में डाला जाकर शहर से बाहर निकाला जाता था उसे गिनानी को बन्द करके नये शहर से सूरसागर तक को ३ मील लम्बी ओपनडर तेज १२ लाख रुपये में बना कर सूरसागर में डाला जाता है जहां वह सड़ता रहता है ?

(ग) क्या यह सही है कि इस गन्दे पानी को सूरसागर से बाहर निकालने के लिए पब्लिक थोरोफेयर को रोक कर मशीन फिट की गई है और उसके द्वारा पानी बाहर पम्प किया जाता है ?

(घ) क्या यह सही है कि यह गन्दा पानी उस चैनल से निकाला जाता है जिसके द्वारा तीन मील दूर से वर्षा का पानी इस तालाब में पहले डाला जाता था ? यदि हां, तो इस चैनल को आखिरी सिरा, सूरसागर की सतह से ८०–९० फिट ऊंचा है इसलिए पानी बाहर निकाल कर चैनल में रुका रहता है ?

(ङ) क्या यह सही है कि इस चैनल को भी ५–६ लाख रुपये खर्च करके पक्का किया गया है और इसके बाद भी यह पानी न जाकर चैनल में ही ५ से १० फीट तक गहरा रुका रहता है ?

(च) क्या यह सही है कि गन्दे पानी की वजह से मक्खी, मच्छर की हर वक्त भरमार रहती है और इसके पास रहने वाले की जिन्दगी नर्क बन गई है ?

(छ) क्या यह सही है कि जिस वक्त मशीन से गन्दे पानी को बाहर निकाला

(श्री रूपसिंह)

जाता है तो पानी को बदबु मीलों तक फैल जाती है और लोगों का दम घुटने लगता है ?

(ज) क्या सरकार बीकानेर की जनता की तन्दुरुस्ती व जिन्दगी को गन्दे पानी की बदबू, मच्छरों, मक्खियों से बचने के लिए इस गन्दे पानी को इस तालाब में न डालकर पहिले की तरह जंगल में खेती व सब्जी के लिए बाहर निकालने का विचार रखती है ?

श्री अध्यक्ष : इस प्रश्न के सम्बन्ध में ध्यानाकर्षण प्रस्ताव है श्री रूपसिंह जी का इसलिए मैं इसे स्थगित करता हूं।

प्रश्न समाप्त हुए।

श्री रामचन्द्र आर्य : व्यवस्था का प्रश्न है। जब से विधान सभा का सेशन शुरू हुआ है मेरा कोई प्रश्न नहीं आया है, या तो

\+ + +

मन्त्रियों की तरफ से लगाई गई है...

श्री अध्यक्ष : यह एक्सपंज किया जाय, जो आपने + + + कहा है। एक्सपंज। शब्दों का भी दुरुपयोग होने लग गया।

(शेष तारांकित प्रश्नोत्तर के लिये कृपया परिशिष्ट ४ देखिये)

अनुपस्थित सदस्यों के तारांकित प्रश्नोत्तर

भ्रष्टाचार के मामले में पकड़ा गया मोहर्रिर

६१३. **श्री परसराम गंगाराम** (परबतसर) : क्या स्वायत शासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे—

(१) क्या यह सही है कि मोहर्रिर चुंगी चौकी जयपुर रोड़ अजमेर को दिन के १४-९-६७ को सुपरिन्टेन्डेन्ट पुलिस व एडिशनल एस. पी. ने ओन-ड्यूटी गिरफ्तार किया था ? यदि हां, तो क्यों ?

(२) क्या इस केस का चालान कोर्ट में पेश हुआ है ? यदि नहीं हुआ, तो क्यों ?

(३) क्या यह सही है कि भूतपूर्व एडमिनिस्ट्रेटर ने उसको सस्पेन्ड कर रखा है ? यदि हां, तो क्यों ?

(४) क्या यह सही है कि तारीख १४-९-६७ को चौकी चुंगी नसीराबाद रोड़ अजमेर चौकी चुंगी मोहर्रिर को डी. वाई. एस. पी. भ्रष्टाचार निरोधक विभाग द्वारा गिरफ्तार किया गया था ? यदि हां, तो उसका क्या नतीजा हुआ और उस केस में सरकार का कितना खर्चा हुआ ?

उत्तर

(१) डिप्टी सुपरिन्टेन्डेन्ट पुलिस एन्टीकरेपशन द्वारा गिरफ्तार किया गया था।

रिश्वत लेने के आरोप पर।

(२) जी हां। प्रश्न उत्पन्न नहीं होता है।

(३) उक्त कर्मचारी अभी सस्पेन्ड नहीं है।

(४) जी हां।

न्यायालय में अपने निर्णय दिनांक १४-८-६८ द्वारा बरी कर दिया।

\+ + अध्यक्ष पीठ के आदेशानुशार शब्द कार्यवाही से निकाले गये।

Page No 32

(स्वायत्त शासन मंत्री)

नगरपरिषद् ने बहाल कर दिया और वह दिनांक १९-८-६८ से कार्य कर रहा है।

व्यय कितना हुआ यह सूचना इस विभाग में प्राप्त नहीं है।

सिरोही दिल्ली अहमदाबाद वायुयान सेवा

६१४. **श्री मोतीलाल** (रेवदर) : क्या मुख्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(१) क्या राज्य सरकार सिरोही को दिल्ली-अहमदाबाद वायुयान सेवा से जोड़ने की योजना रखती है ?

(२) यदि हां, तो यह योजना कब तक कार्यान्वित की जावेगी ?

उत्तर

(१) सिरोही जिले के आबू रोड़ को वायु सेवा द्वारा अहमदाबाद एवं जोधपुर से जोड़ने के सम्बन्ध में राज्य सरकार द्वारा केन्द्रीय सरकार से पत्रव्यवहार किया जा रहा है।

(२) अभी इस विषय में भारत सरकार से कोई अन्तिम उत्तर प्राप्त नहीं हुआ है पर प्रयत्न जारी है। निकट भविष्य में ही यह सेवा चालू हो सकेगी।

कल्याण सोना व अन्य बीज की खरीद

६१५. **श्री लाभचन्द्र वैद** (सुजानगढ़) : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(१) धौलपुर पंचायत समिति में कितना कल्याण सोना बीज व अन्य कितना बीज खरीदा गया ?

(२) इस गेहूं में से कितना गेहूं का डी. ए. अ. द्वारा ग्रेडेशन कराया गया था ?

(३) कितन ग्रेडेड कितना अन ग्रेडेड खरीदा गया ? यदि अन ग्रेडेड खरीदा तो किसकी जिम्मेदारी से खरीदा गया ?

(४) क्या इस सम्बन्ध में पंचायत समिति ने कोई प्रस्ताव स्वीकार किया ? यदि हां, तो उस प्रस्ताव की प्रति सदन की मेज पर रखी जावे।

उत्तर

(१) यह पंचायत समिति से सम्बन्धित है।

(२) १०५-५९ क्विंटल गेहूं कल्यान सोना का कृषि विभाग द्वारा प्रोसेस किया गया।

(३) क्या पंचायत समिति से सम्बन्धित है।

(४) यह पंचायत समिति से सम्बन्धित है।

सरकारी सेवाओं में सुरक्षित स्थान

६१६. **श्री किशनलाल वर्मा** (सिकराय) : क्या मुख्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(१) क्या यह सही है कि अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जन जाति के लिए सरकारी सर्विसेज में २८ प्रतिशत सुरक्षित स्थान देने की जो घोषणा की गई है उसके

Page No 33

(श्री किशनलाल वर्मा)

संबंध में आदेश राजस्थान सरकार ने अब तक नहीं निकाले हैं ? यदि हां, तो क्यों ?

(२) इस सम्बन्ध में कब तक आदेश निकाले जावेंगे ?

उत्तर

(१) जी नहीं। आदेश प्रसारित किए जा चुके हैं।

(२) प्रश्न नहीं उठता।

ऊन केन्द्र नवलगढ़

६२१. **श्री सांवरमल वासोतिया** (नवलगढ़) : क्या पशुपालन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(१) क्या यह सही है कि नवलगढ़ में ऊन-केन्द्र की स्थापना की गई थी और उसमें कार्य भी प्रारम्भ हो गया था ? क्या यह भी सही है कि कुछ समय बाद ही उक्त ऊन केन्द्र को बन्द कर दिया गया था ? यदि हां, तो क्यों ?

(२) क्या राजस्थान सरकार राज्य में अन्य किसी जगह दूसरा ऊन केन्द्र खोलने जा रही है ? यदि हां, तो उक्त केन्द्र में और नये खोले जाने वाले केन्द्र के कार्य में क्या अन्तर है ?

उत्तर

(१) जी हां, नवलगढ़ में ऊन वर्गीकरण केन्द्र की स्थापना की गई थी तथा उसमें कार्य भी प्रारम्भ हो गया था लेकिन ऊन की न्यून उपलब्धि तथा आर्थिक कटौती के कारण उक्त केन्द्र को चालू रखना जरूरी नहीं समझा गया।

(२) अभी किसी भी अन्य स्थान पर ऊन वर्गीकरण केन्द्र खोलने का विचार नहीं है।

जूनियर व्यक्तियों का प्रमोशन

६२२. **श्री शिवनाथ सिंह** (गुढ़ा) : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(१) क्या यह सही है कि पुलिस विभाग में एच. सी. तथा ए. एस. आई. के पद से सब-इस्पेक्टर के पद पर प्रमोशन होता है ? यदि हां, तो किस तरीके से ?

(२) क्या यह सही है कि उपरोक्त प्रमोशन के लिये कम्पीटीटिव एक्जामिनेशन्स होते हैं ? यदि हां, तो जनवरी, १९६८ से दिसम्बर, १९६९ तक कितने इस प्रकार के कम्पीटीटिव एग्जामिनेशन हुए ?

(३) क्या यह सही है कि कम्पीटीटिव एक्जामिनेशन्स में पास हुए कई एच. सी. तथा ए. एस. आई. का प्रमोशन नहीं किया जाकर उनसे जूनियर दूसरे व्यक्तियों का प्रमोशन कर दिया गया ? यदि हां, तो उन व्यक्तियों की सूची सदन की मेज पर रखी जावे।

(४) क्या इस प्रकार का नियम है कि कम्पीटीटिव में पास होने के बावजूद उसी प्रमोटेड व्यक्ति के पी. टी. एस. किशनगढ़ में फेल हो जाने पर उसे रिवर्ट कर दिया जाता है ? यदि ऐसा नियम है तो कितने ऐसे व्यक्ति हैं जिनको पी. टी. एस. में असफल रहने पर भी रिवर्ट नहीं किया गया है और क्यों ?

(स्थगित किया गया)

Page No 34

ग्राम दड़ीबा की जलप्रदाय योजना

६२३. श्री रावतराम (छापर) : क्या जन स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(१) ग्राम दडीबा (जिला चूरू) के लिये ग्राम जलप्रदाय योजना कब स्वीकृत हुई थी ?

(२) उक्त योजना के तहत कितनी धनराशि खर्च हुई और पंचायत ने विभाग को कितनी धनराशि जमा करवाई थी ?

(३) उक्त योजना के लिये कार्य कब शुरू हुआ और क्या यह सही है कि दडीबा को पीने का पानी इस योजना के तहत मिलना शुरू हो गया है ?

(४) क्या यह सही है कि उक्त योजना का कार्य सपूर्ण हो चुका है ? यदि हां, तो कब ?

उत्तर

(१) जनवरी सन् १९६७ को ।

(२) दिसम्बर ६९ तक कुल १.१७ लाख रु. व्यय किया जा चुका है, पंचायत की ओर से रु. १०,०००.०० की धनराशि प्राप्त हुई है ।

(३) कार्य जनवरी ६७ में शुरू किया गया, जी नहीं, अभी तक योजना का कार्य निर्माणाधीन है ।

(४) जी नहीं, कार्य प्रगति पर है ।

व्यवस्थापकों का वेतन

६२५. श्री गंगासहाय (कठूमर) : क्या सहकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(१) क्या यह सही है कि अलवर जिले कि सहकारी समितियों के अधिकांश व्यवस्थापकों को गत ६ माह से वेतन नहीं दिया गया है ? यदि हां, तो इसका क्या कारण है ?

(२) क्या यह भी सही है कि उक्त वेतन भुगतान न होने के कारण बहुत से व्यवस्थापक नौकरी छोड़कर चले गये और उनके स्थान पर नई नियुक्तियां कर दी गई हैं ?

(स्थगित किया गया)

पंचायतों का नगरपालिका में परिवर्तन

६२६. श्री सतीश चन्द्र अग्रवाल (जौहरी बाजार, जयपुर) : क्या स्वायत्त शासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे ।

(१) क्या यह सही है कि राज्य की कुछ पंचायतों को नगरपालिका में परिणित करने के कुछ मामले सरकार के विचाराधीन हैं ? यदि हां, तो कौन कौन सी पंचायतों के ? उनके नाम तथा उनकी आबादी सहित विवरण सदन की मेज पर रखने की कृपा करें ।

(२) क्या भरतपुर जिले के अन्तर्गत नगर पंचायत को नगरपालिका में परिणित करने का कोई मामला सरकार के विचारा-धीन नहीं है ? यदि हां, तो क्यों ? क्या

Page No 35

(श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल)

कस्बा नगर की आबादी सांगानेर (जयपुर) से कम है ? यदि नहीं तो नगर पंचायत को नगर पालिका क्षेत्र में परिणित क्यों नहीं किया जाता ?

उत्तर

(१) जी हां।

सूची विवरण सहित सदन की मेज पर रखदी गई है।

(२) विचाराधीन नहीं है।

इस बारे में न तो ग्राम पंचायत की ओर न जनता की ओर से अथवा जिलाधीश से ही कोई मांग आई है। अतः किसी भी कार्यवाही किये जाने का प्रश्न नहीं होता है।

जी हां।

वर्ष १६६१ को जनगणनानुसार सांगानेर की आबादी ८,४६० व नगर की ५,७५५ है।

(कृपया परिशिष्ट ५ देखिये)

भूतपूर्व अधिकारियों की नियुक्ति

६३०. **श्री राम नारायण चौधरी** (मंडावा) : क्या मुख्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(१) कितने भूतपूर्व आई. ए. एस. अधिकारियों को राज्य सरकार ने विभिन्न पदों पर पिछले पांच सालों में नियुक्त किया है ? सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(२) इन अधिकारियों को इन पदों पर पुनः नियुक्ती के लिए किन आधारों एवं गुणों को मद्दे नजर रख कर सरकार ने निर्णय लिए थे ? कितने अधिकारियों को पी. एस. सी. तथा राज्य सरकार द्वारा गठित बोर्डो में नियुक्त किया गया ?

(३) उपरोक्त प्रकार की नियुक्तियों में राजस्थान प्रशासन सेवा से निवृत्त कितने अधिकारी हैं तथा वे किन पदों पर नियुक्त हैं और कितने कार्यकाल के लिए नियुक्त किये गये हैं ?

उत्तर

(१) ५ भूतपूर्व आई. ए.एस. अधिकारी राज्य सरकार द्वारा विभिन्न पदों पर पिछले पांच वर्षों में पुनः नियुक्त किये गये। इन सबों की सूचि संलग्न है।

(२) राज्य सरकार ने इन अधिकारियों को प्रशासन के अनुभव व शैक्षणिक योग्यता आदि के आधार पर पुनः नियुक्त करने के निर्णय लिये। पिछले पांच वर्षो में पुर्ननियुक्त आई. ए. एस. अधिकारियों में पी. एस. सी. के कोई सदस्य नियुक्त नहीं हुए। एक अधिकारी राजस्थान औद्योगिक खनिज विकास निगम के अध्यक्ष नियुक्त किये गये।

(३) राजस्थान प्रशासन सेवा के सेवा-निवृत पांच अधिकारी पुनः नियुक्त किये गये हैं। उनकी सूची संलग्न हैं।

(कृपया परिशिष्ट ६ देखिये)

उनियारा एवं निवाई की जलप्रदाय योजना

६३३. **श्री दिग्विजय सिंह** (उनियारा): क्या जन स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(श्री दिग्विजयसिंह)

(१) क्या यह सही है कि इस वर्ष विभाग द्वारा जिला टोंक में उनियारा एवं निवाई की जल प्रदाय योजनाएं शुरू की गई हैं ? यदि हां, तो अब तक किस किस जगह क्या क्या प्रगति हुई हैं ?

(२) क्या वर्ष १९७०-७१ में इन योजनाओं को पूर्ण कर दिया जावेगा ? यदि नहीं तो यह कब तक पूर्ण हो जावेगी ?

(३) क्या यह सही है कि कस्बा उनियारा में कूप खोद दिए गए हैं और पानी काफी मात्रा में मिला है ?

(४) क्या अभी तक विभाग द्वारा नल बिछाने का कार्य शुरू नहीं किया गया है, और पानी की टंकी भी अभी तक नहीं बनाई गई है ? यह कार्य कब तक चालू किये जावेंगे ?

उत्तर

(१) जी हां, उनियारा जल योजना में कुए तैयार हो चुके हैं, तथा आवश्यक सामान एकत्रित किया जा रहा है। निवाई जल योजना के लिए आवश्यक सामान एकत्रित किया जा रहा है तथा कुओं के लिए ट्रायल बोर किया जा रहा है।

(२) जी नहीं, योजना का कार्यपूर्ण करने में धन राशि व सामग्री की उपलब्धि पर ३ से ४ वर्ष का समय लगता है।

(३) जी हां, पानी आवश्यकतानुसार प्राप्त हो गया है।

(४) जी नहीं, यह कार्य वित्तिय वर्ष १९७०-७१ में प्रारम्भ किये जावेंगे।

भूतपूर्व नरेशों की निजी सम्पत्ति

६३६. **श्री रामानन्द अग्रवाल** (अलवर): क्या मुख्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(१) जयपुर, जोधपुर, उदयपुर, बीकानेर, कोटा, अलवर और डूंगरपुर के भूतपूर्व नरेशों की निजी संपत्ति में कौन कौन सी अचल सम्पत्ति (कृषि भूमि के अतिरिक्त) और चल सम्पत्ति दर्ज की गई है ? सूची सदन की मेज पर रखने का कष्ट करें।

(२) इन संपत्तियों को निजी संपत्ति में शामिल करने का क्या आधार था ? क्या राज्य सरकार से इन संपत्तियों को निजी संपत्ति में शामिल करने पर सहमति मांगी गई थी ? क्या राज्य सरकार ने किसी संपत्ति को इस सूची में शामिल करने पर एतराज किया था ? यदि हां, तो किस किस पर ?

उत्तर

(१) सूची सदन की मेज पर प्रस्तुत है।

(२) इन संपत्तियों को निजी सम्पत्ति में शामिल करने का निर्णय स्टेट मन्त्रालय भारत सरकार द्वारा संबंधित नरेश के प्रतिनिधि से परामर्श करके लिया गया था।

प्रश्न ही नहीं उठता।

प्रश्न ही नहीं उठता।

(सूची विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई)

अस्थाई यू० डी० सी०

६४४. **श्री कृष्ण कुमार गोयल** (कोटा): क्या मुख्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(१) क्या यह सही है कि राजकीय सचिवालय में ऐसे यू. डी. सी. हैं जिनको कि यू. डी. सी. के पद पर काम करते हुए आठ-दस वर्ष हो गये हैं लेकिन उनको अभी तक उस पद पर कन्फर्म नहीं किया गया है ? यदि हां, तो इसके लिये कौन जिम्मेदार है ?

(२) अगर इसके लिये व कर्मचारी खुद जिम्मेदार नहीं हैं, तो क्या सरकार उनको रिट्रास्पेक्टिव इफेक्ट से कन्फर्म करने का इरादा रखती है ? यदि हां, तो इनको कब तक कन्फर्म कर दिया जायेगा ?

उत्तर

(१) जी हां।

इनमें से कुछ व्यक्ति गत चयन समिति द्वारा स्थाईकरण के योग्य नहीं पाये गये थे।

चूंकि योग्यता सूत्र (Merit Farmula) के विषय में उच्च न्यायालय की स्थगन आज्ञा (Stay order) प्रभावशील थी, अन्य व्यक्ति, चयन समिति की बैठक आयोजित न होने के कारण, स्थायी नहीं किये जा सके।

(२) पूर्वकाल से स्थायीकरण संभव नहीं है। इनके स्थायीकरण की आज्ञा ३-४ महिने में निकल जाने की सम्भावना है।

मुख्य मंत्री सहायता कोष

६४५. **श्री दिग्विजय सिंह** (उनियारा): क्या मुख्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(१) मुख्य मन्त्री अकाल सहायता कोष में कुल कितना धन आज दिन तक प्राप्त हो चुका है ? कृपया वर्ष १९६६-६७, ६७-६८, ६८-६९ व ६९-७० का अलग अलग ब्योरा सदन की मेज पर रखें।

(२) क्या यह सही है कि इस कोष में निजी संस्थाओं द्वारा भी धन दिया गया है ? यदि हां, तो ऐसी कौन कौन सी संस्थाएं व व्यक्ति हैं, जिन्होंने इसमें दान दिया ? कृपया आंकड़े मय नाम के सदन की मेज पर रखें।

(३) इस कोष में से खर्च कहां कहां किस किस कार्य के हेतु किया गया है ? सूची सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(१) राजस्थान मुख्य मंत्री अकाल एवं बाढ़ सहायता कोष में अब तक (३१ जनवरी, १९७० तक) कुल रु० ४५,२५, २३७.३९ पै. की धनराशि प्राप्त हुई है। वर्ष १९६६-६७ एवं ६७-६८ में कोई धनराशि प्राप्त नहीं हुई है क्योंकि उक्त कोष की स्थापना अक्टूबर १९६८ में हुई है। वर्ष १९६८-६९ एवं १९६९-७० का ब्यौरा सूचि "क" संलग्न कर प्रेषित की जा रही है।

(२) जी हां। व्यक्तिवार सूची बनाया जाना श्रम एवं व्यवसाय नहीं है।

(३) उक्त कोष में से अकाल एवं बाढ़ पीड़ितों की सहायतार्थ अब तक (३१-३-७० तक) कुल रु० ३५, २८, ०३१-९५ पं० की राशि स्वीकृत की जा चुकी है। सूचि "ख" संलग्न कर प्रेषित की जा रही है।

(सूची विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई)

पब्लिक सर्विस कमीशन

६४६. श्री रूपसिंह (सरदार शहर) : क्या मुख्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(१) पब्लिक सर्विस कमीशन में इस वक्त चेयरमेन के अलावा और कौन कौन मेम्बर हैं और उनको क्या-क्या वेतन मिलता है ? उनकी क्या क्या उम्र है और वे किस किस विषय में विशेषज्ञ है ?

(२) पब्लिक सर्विस कमीशन के मेम्बर का अपोइन्टमेन्ट किस तरीके से होता है और इसके लिए क्या कोई आयु सीमा भी निर्धारित है ?

उत्तर

(१) चेयरमैन श्री रामचन्द्र चौधरी के अतिरिक्त लोक सेवा आयोग में ३ सदस्य सर्व श्री आर. एन. हावा, श्री शिवशंकर एवं श्री वी. डी. माथुर हैं। चेयरमेन २७५०) रुपये माहवारी वेतन पा रहे हैं। सदस्यों को २५००-२५००-२६२५-२६२५-२७५० के वेतनमान में वेतन मिलता है। श्री चौधरी की आयु इस समय ५७ वर्ष की हैं। श्री आर. एन. हावा एवं श्री शिवशंकर ५६ वर्ष के हैं एव श्री वी. डी. माथुर ५६ वर्ष के हैं। श्री चौधरी रिटायर्ड डिस्ट्रिक्ट एण्ड सेशन जज हैं। श्री हावा एवं श्री शिवशंकर भारतीय प्रशासनिक सेवा के मेम्बर है एवं श्री वी. डी. माथुर, रिटायर्ड मुख्य अभियन्ता, सार्वजनिक निर्माण (भवन व पथ हैं ?

(२) भारतीय संविधान की धारा ३१६ (१) के अनुसार चेयरमेन एवं दूसरे सदस्यों की नियुक्ति राज्यपाल महोदय द्वारा की जाती है। सदस्यों की नियुक्ति अनुभव एवं योग्यता के आधार पर की जाती है। संविधान के अनुसार सदस्यों का कार्यकाल नियुक्ति की तारीख से ६ वर्ष या ६० साल की आयु तक जो भी पहले हो।

एग्रो इन्डस्ट्रीयल कारपोरेशन

६४७. श्री रूपसिंह (सरदारशहर) : क्या मुख्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे.-

(१) राजस्थान स्टेट एग्रों इन्डस्ट्रीयल कोरपोरेशन का कौन सी तारीख को निर्माण हुआ ?

(२) इसके लिये सरकार ने व सेन्टर ने कितने रुपये देने का निर्णय लिया ?

(३) इसके चेयरमेन कौन है व उनकी क्या क्वालीफिकेशन है ?

(४) क्या चेयरमेन बनाने के लिये कोई रूल्स बनाये हुए हैं ?

(५) इन चेयरमेन को क्या तनख्वाह और क्या क्या फेसेलिटीज दी गई है ?

(६) इस एग्रो इन्डस्ट्रीयल कोरपोरेशन पर सालाना कितना खर्च होता है ?

उत्तर

(१) राजस्थान राज्य कृषि उद्योग निगम का निर्माण दिनांक १ सितम्बर, १९६९ को हुआ था।

(२) इस समय राज्य सरकार व केन्द्र सरकार ने क्रमशः १० और ४५ लाख रुपये शेयर केपीटल रूप में दिये हैं।

(मुख्यमंत्री)

(३) इस निगम के चेयरमेन श्री चन्दन मल वेदहै। ये एम. ए. एल. एल. बी. हैं तथा राजस्थान मंत्रि मण्डल के सदस्य रह चुके हैं।

(४) इस प्रकार के कोई नियम नहीं है।

(५) चेयरमेन को वे सब सुविधाऐं दी गई है जो राजस्थान के मंत्रिमण्डल स्तर के मन्त्री को दी जाती हैं, जैसे-

(क)	वेतन	१२५०)	रु० प्रति मास
(ख)	कार भत्ता	५००)	रु० प्रति मास
(ग)	सम्पच्युरी भत्ता	२५०)	रु० प्रति मास
(ख)	फर्नीचर भत्ता	५०)	रु० प्रति मास
(च)	मकान किराय	२५०)	रु० प्रति मास
(छ)	पानी एवं विजली	२००)	रु० प्रति मास
(ज)	टेलीफोन	२००)	रु० प्रति मास
		२७००)	रु०

(६) निगम द्वारा अगले वित्तीय वर्ष (१६७०-७१) का बजट शीघ्र ही वोर्ड आफ डाईरेक्टरस के सम्मुख प्रस्तुत किया जा रहा है। उक्त प्रस्तावों के अनुसार, उक्त वित्त वर्ष में निम्न अनुमानित वार्षिक आय व व्यय होगी।

आय-६७,८५,३००) रु०

व्यय-८७,७८,७२०) रु०

१०,०७,५००) रु०

मंत्रियों के दौरे

६४८. श्री रामचन्द्र आर्य (नोहर): क्या मुख्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(१) क्या यह सही है कि मन्त्रियों, राज्य मन्त्रियों व उप-मन्त्रियों का दौरा अधिकतर सरकारी कारों से होता है और सरकारी कारों को अपने मनमाने ढंग से इस्तेमाल करते हैं ?

(२) क्या यह सही है कि कुछ मन्त्रियों राज्य मन्त्रियों व उप-मन्त्रियों आदि ने अन्य प्रान्तों का सरकारी कार से दौरा किया और किया करते हैं ? यदि हां, तो क्यों ?

(३) क्या यह सही है कि काफी मरतबा सरकारी कार खाली जाती है और मन्त्री रेल से या हवाई जहाज से सफर करते हैं ? यदि हाँ, तो इस प्रकार से कितने मन्त्रियों ने दौरा किया है ? नाम व तारीख सहित तालिका सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

उत्तर

(१) दौरे के लिये, राजस्थान मन्त्री (यात्रा) भत्ता व वाहन का उपयोग एवं सधारण) नियम, १६६३ के नियम (iv) में सरकारी कार देने का प्रावधान है।

(२) सरकारी कारों को मनमाने ढंग से इस्तेमाल करने का प्रश्न ही नहीं उठता जी हां। राजकीय कार्य की आवश्यकतानुसार प्रयोग करते हैं।

(३) यह सही नहीं है कि काफी मरतबा सरकारी कार खाली जाती है। फिर भी, कभी कभी खाली गई कारों की सूची सदन को मेज पर रख दी है।

(कृपया परिशिष्ट ७ देखिये)

निगम के अध्यक्षों को सुविधायें

६४९. **श्री रूपसिंह** (सरदार शहर) : क्या मुख्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(क) लघु उद्योग निगम, होटल निगम, परिवहन निगम, खनिज विकास निगम, राजस्थान खादी व ग्रामोद्योग बोर्ड के अध्यक्ष कौन कौन कब कब से हैं व इनको क्या क्या तनख्वाह व दीगर सुविधाएं दी गई हैं ?

(ख) इन अध्यक्षों की क्या क्या योग्यतायें हैं ?

उत्तर

(क) लघु उद्योग निगम, होटल निगम, परिवहन निगम, खनिज विकास निगम, राजस्थान खादी व ग्रामोद्योग बोर्ड के अध्यक्षों की सूची सदन की मेज पर रखदी गई है । दिनांक व तनख्वाह व दीगर सुविधाऐं सूची में अंकित करदी गई है ।

(ख) संलग्न सूची में सूचना अंकित करदी गई है ।

(कृपया परिशिष्ट ८ देखिये)

यात्रा भत्ता एवं टेलीफोन पर व्यय

६५०. **श्री हरजीराम बुरड़क** (लाडनूं) : क्या मुख्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(१) १ जनवरी, १९६९ से लेकर ३१ दिसम्बर, १९६९ तक राज्य के मन्त्रियों राज्य मन्त्रियों तथा उप मन्त्रियों पर यात्रा भत्ते के रूप में कितने कितने रुपये खर्च हुए ? सूची सदन की मेज पर नाम वाईज रखने की कृपा करें ।

(२) उक्त अवधि में मन्त्रियों, राज्य मन्त्रियों तथा उप मन्त्रियों के टेलिफोन सुविधा पर हुए व्यय की सूची नाम वाईज सदन की मेज पर रखने की कृपा करें ।

उत्तर

(१) वांछित सूची सदन की मेज पर रखदी है ।

(२) यह सूचना उक्त सूची के कालम ४ पर अंकित करदी है ।

(कृपया परिशिष्ट ९ देखिये)

गंगानगर किसान आन्दोलन में गिरफ्तार व्यक्ति

६५१. **श्री बृज वल्लभ बोहरा** (दीगोद) : क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(१) नवम्बर ६९ से ३० जनवरी ७०, तक गंगानगर किसान आन्दोलन में कितने आदमी किस किस गांव एवं तहसील से गिरफ्तार हुए हैं ? सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें ?

(२) इनमें से कितने आदमियों को सजा हुई व कितने छोड़ दिये गये ? सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें ।

उत्तर

(१) गंगानगर किसान आन्दोलन में नवम्बर, १९६९ से जनवरी, १९७० तक कुल ९,१८२ व्यक्ति गिरफ्तार हुए उनका विवरण गांववार व तहसीलवार संलग्न है ।

(२) उक्त गिरफ्तार हुए व्यक्तियों में से ३,९५९ व्यक्तियों को सजा हुई और ५,२२३ व्यक्ति छोड़े गये ।

Page No 41

(सूची विस्तृत होने के कारण राजस्थान विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई है)

सरपंच के विरुद्ध दर्ज मामला

६५२. **श्री देवीदत्त गाड़िया** (बारां) : क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

क्या यह सही है कि जिला पाली के ग्राम गुडाएन्दला के सरपंच श्री घीसूलाल के विरुद्ध करीब ४०-५० हजार रुपयों के गबन के सम्बन्धित मामलों की रिपोर्ट सम्बन्धित थाने में हुई है ? यदि हां, तो कब और उस पर पुलिस ने अब तक क्या कार्यवाही की मय रिपोर्ट के विवरण सदन की मेज पर रखने का कष्ट करें ।

उत्तर

जी नहीं, ग्राम गुडाएन्दला के सरपंच श्री घीसूलाल के विरुद्ध ४०-५० हजार रुपयों के गवन की रिपोर्ट नहीं हुई बल्कि केवल ४-५ हजार रुपयों के गवन की रिपोर्ट हुई थी । जिस पर मु० नं० १२ दिनांक १०-३-६७ दफा, ४०६ ४२० ता० हि० दर्ज कर तफतीश की गई । दौरान तफतीश सरपंच घीसूलाल एवं उसके सहयोगी खीवसिंह व रामचन्द्र के खिलाफ ४४२३) रु. गवन करना सिद्ध हुआ । अतः उन्हें गिरफ्तार किया गया । मुकदमें में चालान के लिये राज्य सरकार के आदेश का इन्तजार है । एफ. आई. आर. की प्रति संलग्न है ।

(कृपया परिशिष्ट १० देखिये)

बेरी आयोग की रिपोर्ट पर कार्यवाही

६५३. **श्री हरजीराम बुरड़क** (लाडनूं): क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(१) क्या यह सत्य है कि सरकार ने बेरी आयोग की रिपोर्ट को कार्य रूप में लाने के लिए सरकार को सुझाव देने के लिये जो समिति सरकारी अधिकारियों की गठित की थी उसकी रिपोर्ट राज्य सरकार को प्राप्त हो गई है ? यदि हां तो उक्त रिपोर्ट की प्रति सदन की मेज पर रखने की कृपा करें ।

(२) उक्त रिपोर्ट पर राज्य सरकार ने क्या क्या निर्णय कब कब लिए और क्या क्या निर्णय लिये जाने शेष हैं जो कब तक लिये जावेंगे ?

उत्तर

(१) इस विषय में सदन में काफी चर्चा हो चुकी है और राज्य सरकार की ओर से साफ कर दिया गया है कि अधिकारियों द्वारा राज्य सरकार को दी गई रिपोर्ट की प्रति सदन की मेज पर रखना उचित नहीं है ।

(२) राज्य सरकार ने जो बेरी आयोग के प्रतिवेदन पर निर्णय लिया है वह गृह विभाग की आज्ञा संख्या एफ. २ (१७) (३) गृह-क/ग्रुप-१/६७ दिनांक २०-३-७० में अंकित है । इस आदेश की प्रति सदन की मेज पर पहले ही रखदी गई थी । क्या कार्यवाही करदी गई है व आगे क्या कार्यवाही करनी है वह इस आदेश में दी हुई है ।

अटरू थाने में दर्ज मामले

६५४. **श्री देवीदत्त गाड़िया** (बारां) : क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(१) जिला कोटा के अटरू थाने में एक वर्ष में कितने मामले अंकित हुए और उनमें से कितनों के चालान अदालत में पेश

Page No 42

(श्री देवीदत्त गाड़िया)

हुए और कितने मामले कितने समय से क्यों विचाराधीन हैं ?

उत्तर

जिला कोटा के अटरू थाने में गत वर्ष सन् १९६९ में ६९ मुकदमें दर्ज हुए हैं जिनमें से ३१ का चालान किया गया, ११ मुकदमात झूठे या दीवानी पाये गये, २४ मुकदमों में एफ. आर. अदम पता या अदम सबूत दी गई और ३ मुकदमात अभी तक जेर तफतीश है, इन पैंडिंग मुकदमात का विवरण संलग्न तालिका में दर्ज है।

(कृपया परिशिष्ट ११ देखिये)

जिला टोंक की सड़कों के लिए धनराशि

६५५. **श्री दिग्विजय सिंह** (उनियारा) : क्या सार्वजनिक निर्माण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(१) जिला टोंक की सड़कों के लिये वर्ष १९७०-७१ में कुल कितनी राशि का प्रावधान रखा गया है ?

(२) क्या यह सही है कि निम्न सड़कों के लिये भी कुछ धनराशि रखी गई है :—

(क) टोंक के सवाई माधोपुर वाया उनियारा।

(ख) उनियारा से इन्द्रगढ़ लाखेरी

(घ) उनियारा से नगर

(घ) कछोड से नगर,

यदि रखी गई है तो कितनी कितनी ?

(३) क्या यह सही है कि उनियारा क्षेत्र की सड़कों पर धन राशि इसलिए नहीं दी जाती है क्योंकि वहां पर विरोधी पक्ष जीत कर आता है ?

(४) क्या सरकार सड़कों पर धनराशि का आवन्टन क्षेत्रीय आधार पर करती है ? यदि नहीं तो टोंक जिले में अब तक किस किस सड़क पर कितना कितना व्यय किया गया है ?

(५) क्या टोंक सवाई माधोपुर एक ऐसा मार्ग है जिस पर बहुत ही कम खर्च किया गया है ?

(स्थगित किया गया)

स्पेशल रिपेयर ग्रान्ट

६५६. **श्री जुझारसिंह** (रामगंज मंडी) : क्या सार्वजनिक निर्माण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(१) सार्वजनिक निर्माण विभाग में प्रशासन की दृष्टि से कितने एस. ई. व कितने एक्जीक्यूटिव इंजिनियर (पी. डब्लू. डी. डिवीजन) सर्किल्स हैं ? लिस्ट सदन की मेज पर रखने की कृपा करें। अलग अलग पी. डब्लू. डी. डिविजन का रोड़, माईलेज और अलग अलग प्रकार की सड़क की मरम्मत के लिये नियमानुसार कितनी कितनी रकम मरम्मत हेतु मन्जूर की जानी चाहिए ?

(२) राजस्थान के अलग अलग पी. डब्लू. डी. (एस. ई.) सर्किल्स में पिछले तीन सालों में रिपेयर्स ग्रान्ट कितनी कितनी मन्जूर की गई है और वह राजस्थान की टोटल रिपेयर व मैंटिनेन्स ग्रान्ट का कितना प्रतिशत बनती है ?

Page No 43

(श्री जुझारसिंह)

(३) क्या यह सही है कि भारत सरकार द्वारा भी इन सालों में स्पेशियल रिपेयर ग्रान्ट दी गई थी ? यदि हां, तो इसे अलग अलग डिवीजन में कितना कितना बांटा गया है और बांटने का आधार क्या था ? सूची सदन की मेज पर रखने का कष्ट करें।

(स्थगित किया गया)

मिस्त्री की पेन्शन एवं ग्रेच्यूटी

६५७. **श्री राम प्रसाद बोहरा** (झालरापाटन) : क्या सार्वजनिक निर्माण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

क्या यह सही है श्री मोतीलाल मिस्त्री (पी. डब्लू. डी.) विभाग झालावाड़ को दिनांक १–७–६७ को पेन्शन पर रिटायर कर दिया गया है ? यदि हां, तो किन कारणों से इतने अर्से के बाद भी इस व्यक्ति को पेन्शन नहीं दी जा रही है और ना ही ग्रेच्यूटी आदि ही दी गई ?

उत्तर

जी हां। श्री मोतीलाल भूतपूर्व रियासत झालावाड़ में दारोगा के पद पर कार्य कर रहे थे उनका सेवा वर्गीकरण स्पेशल स्टाफ में २४–६–६५ को मेट के पद पर किया गया था जिसके अनुसार श्री मोतीलाल पेन्शन गेच्यूटी लेने को तैयार नहीं हैं।

झुंझुनूं–चूरू सड़क की मरम्मत

६५८. **श्री रूपसिंह** (सरदार शहर) : क्या सार्वजनिक निर्माण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(१) झुंझुनूं से चूरू तक की सड़क की मरम्मत किन किन सालों में हुई थी ?

(२) क्या यह सही है कि यह सड़क जगह जगह एक एक, दो दो मीलों तक टूटी हुई है और दो दो गज लम्बे खड्डे पड़े हुए है ?

(३) क्या सरकार इस सड़क की मरम्मत कराने का इरादा रखती है ?

उत्तर

(१) हर साल मरम्मत की जाती है।

(२) कुछ मीलों की हालत खराब है।

(३) मरम्मत कार्य चालू हैं।

अचल सम्पत्ति

६५९. **श्री हरजीराम बुरड़क** (लाडनूं) : क्या सार्वजनिक निर्माण मन्त्री यह बताने की करेंगे :—

(१) क्या यह सही है कि राजस्थान के बाहर भी राजस्थान सरकार की कोई अचल सम्पत्ति विद्यमान है ? यदि हां, तो कौन कौन सी सम्पति कहां कहां पर है ? सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(२) उपरोक्त सम्पत्ति किस किस कार्य में आती है ?

(३) उक्त सम्पत्ति की बुक वेल्यू क्या है ?

(४) उक्त सम्पत्ति की देख-रेख व सार संभाल सरकार की ओर से किसके द्वारा की जाती है ?

Page No 44

(श्री हरजीराम बुरड़क)

(५) यदि इससे किसी प्रकार की किराये की आमदनी होती है तो कितनी कितनी ?

(६) क्या उपरोक्त सम्पत्ति के मौजूदा उपयोग को सरकार उचित समझती है ?

उत्तर

(१) जी हां। सूची (क) प्रस्तुत है।

(२) काम का ब्यौरा सूची (क) में वर्णित है।

(३) सूची (क) के कालम तीन में अंकित है।

(४) राजस्थान सरकार द्वारा की जाती है।

(५) सूची (क) के कालम नम्बर ५ में अंकित है।

(६) जी हां।

(सूची विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई)

पुल बनाने का ठेका

६६०. **श्री हरजीराम बुरड़क** (लाडनूं) : क्या सार्वजनिक निर्माण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(१) क्या यह सत्य है कि नेशनल हाईवे नम्बर ११ पर भरतपुर और आगरा के बीच पुल बनाने का कार्य का ठेका दिया गया था ? यदि हां तो कब कितने रुपये में तथा किस व्यक्ति को ?

(२) क्या उक्त ठेकेदार द्वारा कार्य पूर्ण कर दिया गया है ? यदि नहीं तो अब तक कार्य पूर्ण नहीं करने का क्या कारण है ? उक्त ठेकेदार के साथ हुए एग्रीमेंट की प्रति सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(३) क्या सरकार ने उक्त पुल के प्लान को बदलने का इरादा किया है ? यदि हां, तो कब और क्यों तथा क्या परिवर्तन करने का विचार है ?

उत्तर

(१) जी हां, दिनांक ९-३-६९ को २,७५, २१६ रु० का श्री गंगा सहाय गोयल को ठेका दिया गया था।

(२) जी नहीं। ठेकेदार की धीमी गति के कारण एग्रीमेंट की प्रति संलग्न है।

(३) पुल के प्लान में कोई परिवर्तन नहीं किया गया है। प्रश्न नहीं उठता।

(सूची विस्तृत होने के कारण विधान-सभा पुस्तकालय में रखी गई)

भूतपूर्व एडमिनिस्ट्रेटर के विरुद्ध मामलों की जांच

६६१. **श्री परसराम गंगाराम** (परबतसर) : क्या स्वायत्त शासन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(१) क्या यह सही है कि भूतपूर्व म्यूनिसिपल एडमिनिस्ट्रेटर नगरपालिका अजमेर के खिलाफ भूतपूर्व म्यूनिसिपल काउन्सलर ने भ्रष्टाचार की जांच बावत कलेक्टर अजमेर के सामने हल्फनामा दिया था ? यदि हां, तो उस केस का क्या नतीजा हुआ ?

(श्री परसराम गंगाराम)

(२) भूतपूर्व म्यूनिसिपल एडमिनिस्ट्रेटर-नगरपालिका अजमेर के खिलाफ भ्रष्टाचार के कितने मामलों में जांच हो रही है और किस किस बारे में ?

(स्थगित किया गया)

पाली में भू-खण्डों का आवंटन

६६२. **श्री मूलचन्द डागा** (पाली) : क्या स्वायत्त शासन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(१) भूतपूर्व बोर्ड नगरपालिका पाली ने अपने अवधिकाल में किन किन को किस किस जगह कितना कितना -वर्ग गज कब कब कितनी कितनी-कीमत पर भू-खण्ड का आवन्टन किया ? ब्योरेवार सूची सदन की मेज पर रखने का कष्ट करें।

(२) क्या यह सत्य है कि इन भू-खंडों का आवन्टन नियमों के विरुद्ध और कानून को बलाये ताक रख कर किया है ?

(३) क्या यह सत्य है कि इनमें उन लोगों को भी भू-खण्ड आवंटित कर दिये गये हैं जो पाली के निवासी नहीं हैं और न रहे ?

(४) क्या यह सत्य है कि तिलक नगर में जो भू-खण्ड आवंटित किये गये हैं वह जमीन धानमन्डी के लिए नियुक्त की हुई है और इसकी योजना बनी हुई है ?

(५) क्या यह सत्य है कि भूतपूर्व बोर्ड ने ऐसा कोई रजिस्टर नहीं रखा जिसमें मांगने वालों के प्रार्थना-पत्र क्रमशः दर्ज किये हुए हों ? यदि हां, तो क्यों ?

(६) क्या सरकार उन भू-खण्डों के आवंटन को मनसूख करेगी जो नियमों के विरुद्ध और कानून की अवहेलना करके आवंटित कर दिये गये ?

उत्तर

(१) भूतपूर्व नगरपालिका पाली द्वारा जो उनके अवधिकाल में भू-खण्ड आवंटन किये गये है उनका अलग से ब्योरा नहीं पाया गया है। सूचनाएं तैयार की जावेगी और इसमें समय की आवश्यकता है।

उपरोक्त के अनुसार सूची सदन की मेज पर रखा जाना सम्भव नहीं है।

(२) सूचनाएं एकत्रित किये जाने के बाद ही उत्तर दिया जाना सम्भव है।

(३) उत्तर प्रश्न के भाग १ व २ में दिया गया है।

(४) जी हां। मुख्य प्रस्तावित धानमण्डी की भमि पर कोई एलॉटमेंट नहीं किया गया है।

(५) ऐसा रेकार्ड आज तक नगरपालिका में नहीं जाता है।

(६) जी हां।

भवन निर्माण ऋण के लिए प्रार्थना-पत्र

६६३. **श्री गंगासहाय** (कठूमर) : क्या नगर आयोजना मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

अलवर में भवन निर्माण ऋण के लिये कितने प्रार्थना-पत्र प्राप्त हुए। उनमें

(श्री गंगासहाय)

अनुसूचित जाति के लोगों के कितने प्रार्थना-पत्र थे ? गत दो वर्षों में कितने लोगों को भवन निर्माण ऋण दिया गया ? उनमें अनुसूचित जाति के कितने लोग हैं ? प्रत्येक व्यक्ति को कितना कितना ऋण दिया गया ? नाम व पद सहित सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें ?

(स्थगित किया गया)

ग्राम बामनवास में पानी की सुविधा

६६४. **श्री श्रवणलाल** (हिन्डौन) : क्या जलप्रदाय मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

क्या यह सच है कि सवाई माधोपुर जिले में बामनवास ग्राम में पीने के पानी की टंकी तो बन गई है किन्तु अभी तक कुओं के बारे में कोई व्यवस्था नहीं की गई है ? यदि हां, तो क्यों तथा इस बारे में कब तक व्यवस्था कर दी जावेगी ?

उत्तर

(१) जी हां, टंकी का कार्य निर्माणाधीन है और प्रगति पर है। चूंकि गांव के एक हिस्से में पानी खारा होना बताया गया हैं अतः कुओं के निर्माण के लिए अभी तक कोई स्थान का चयन नहीं किया जा सका। इस वर्ष कुए निर्माण करने का कार्य हाथ में लिया जा रहा है जिसके लिए आवश्यक कार्यवाही की जा रही है।

भू-खण्डों का लाटरी से अलाटमेंट

६६५. **श्री हरजीराम बुरड़क** (लाडनूं): क्या नगर विकास न्यास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(१) क्या यह सत्य है कि नगर विकास न्यास जयपुर ने ऐसी स्कीम बनाई है कि ३५ (पैंतीस) प्रतिशत भू-खण्ड लाटरी से अलाट किये जायेंगे ? यदि हां, तो कब से ? इस सम्बन्ध में बनाये गये नियम व अपनाई जाने वाली प्रक्रियाओं की प्रतियां सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(२) उक्त योजना का उद्देश्य क्या है ?

(३) क्या इस प्रकार की योजनाएं अन्य नगर विकास न्यासों द्वारा भी अपनाई जायेंगी ? यदि हां, तो कब तक ?

उत्तर

(१) जी हां, दिनाङ्क ६-१०-६६ से। नियम व प्रक्रियाओं की प्रतियां संलग्न हैं।

(२) इससे पुराने आवेदकों के साथ साथ नये आवेदकों को भी भू-खण्ड प्राप्ति का अवसर मिल सकेगा।

(३) जी नहीं। फिलहाल ऐसा कोई मामला राज्य सरकार के विचारार्थ नहीं है।

(सूची विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई)

नोखा मंडी में किराये पर दी गई भूमि

६६६. **श्री हरजीराम बुरड़क** (लाडनूं): क्या स्वायत्त शासन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(१) नगरपालिका नोखामंडी (बीकानेर) द्वारा जो भूमि लोगों को किराये पर दे रखी थी उसे उनके साथ हुए एग्रीमेन्ट की

(श्री हरजीराम बुरकड़)

अवधि समाप्त होने के बाद कब खाली करवाई गई ?

(२) क्या उपरोक्त भूमि में से किसी को दुबारा एग्रीमेन्ट करके किराये पर वापिस दी गई ? यदि हां, तो कब कब और किन किन को ? सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(३) क्या ऐसी भी भूमि है जिन पर किरायेदार का अब भी कब्जा है और किराये नामे की शर्तो के अनुसार एग्रीमेन्ट की अवधि खत्म हो चुकी है ? यदि हां, तो पूर्ण विवरण सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(४) उक्त भूमियों को किराये पर देने के सम्बन्ध में क्या प्रक्रिया अपनाई जाती है ?

उत्तर

(१) खाली करवाने सम्बन्धित कार्यवाही नगरपालिका द्वारा की जा रही है।

(२) जी नहीं। सूचि सदन को मेज पर रखने का प्रश्न उत्पन्न नहीं होता है।

(३) जी हां। ७२ दुकानों में से ३८ के लीज की अवधि समाप्त हो चुकी है, परन्तु कब्जा किरायादारों का है।

उपरोक्त के अनुसार विवरण सदन की मेज पर रखने का प्रश्न नहीं रहता है।

(४) नगरपालिका मण्डल द्वारा राजस्थान नगरपालिका अधिनियम के तहत प्रक्रिया नहीं अपनाई जा कर लीज की भूमि की स्वीकृति दी है।

पेय जल योजना का सर्वे

९९७. **श्री नन्द लाल** (किशनगंज) : क्या जन-स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

क्या यह सही है कि तहसील किशनगंज व शाहबाद के ग्राम किशनगंज, भंवरगढ, राजपुर शाहबाद कस्बा थाना की पेय जल योजना का सर्वे हो चुका है ? यदि हां, तो कब हुआ और इसे कार्यान्वित करने हेतु राज्य सरकार ने क्या क्या कदम उठाये ?

उत्तर

जी नहीं, केवल ग्राम शाहबाद की पेय जल योजका का सर्वे अप्रेल ६८ में किया गया है। इस कस्वे की योजना बनाई जा रही है तत्पश्चात् योजना की स्वीकृति एवं धन की उपलब्धि पर कार्य हाथ में लिया जा सकेगा। बाकी के ग्रामों के पेय जल योजना का सर्वे अभी नहीं हुई है।

बीदासर को जल योजना

९९८. **श्री हरजीराम बुरड़क** (लाडनूं): क्या जन-स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(१) क्या यह सत्य है कि सरकार ने कस्बा बीदासर जिला चूरू के लिए जल प्रदाय योजना की स्वीकृति दी है ? यदि हां, तो यह कितने रुपये की योजना है जिसमें सरकार एवं जन सहयोग तथा दान दाता के कितने कितने रुपये खर्च होंगे ?

(२) क्या उक्त जल योजना किसी दानदाता के नाम से है ? यदि हां, तो क्या नाम स्वीकृत किया गया है ?

Page No 48

(श्री हरजीराम बुरकड़)

(३) उक्त योजना का शिलान्यास किसके द्वारा किया गया तथा शिलान्यास समारोह किसके द्वारा आयोजित किया गया था ?

(४) योजना का कार्य कब शुरु हुआ तथा कब तक पूर्ण हो जावेगा ?

(५) इस योजना के लिये उक्त कस्बे के निवासियों का सरकार के समक्ष किसने प्रतिनिधित्व किया तथा शिलान्यास समारोह के लिए किसने आमन्त्रित किया ?

उत्तर

(१) जी हां, १५.८१ लाख रुपयों की समस्त व्यय सरकार द्वारा ही नगर पालिका बीदासर के एतदर्थ किया जावेगा।

(२) जी नहीं।

(३) शिलान्याय दि० २४-१-६९ को माननीय मुख्य मंत्री जी द्वारा किया गया था, शिलान्यास समारोह का आयोजन नगर पालिका की ओर से किया गया था।

(४) कार्य दि० २३-१-७० को योजना की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति के बाद प्रारम्भ किया गया। साधारणतया एक योजना के निर्माण कार्य को पूरा करने में धन व सामग्री की उपलब्धी पर ३ से ४ वर्ष की अवधि लग जाती है।

(५) इसकी जानकारी विभाग को नहीं है।

मोटर स्टेन्ड की जमीन

९९९. **श्री देवीलाल बुरासिया** (केकड़ी) : क्या स्वायत्त शासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे.—

(१) क्या यह सही है कि केकडी नगरपालिका द्वारा अलग मोटर स्टेन्ड बनाने हेतु सन् १९६५ में जमीन खरीदी गई थी ? अगर हां, तो कितने बीघा और कितने रुपयों में खरीदी गई थी ?

(२) क्या यह सही है कि उक्त जमीन के प्लाट बनाकर नीलाम किए गए थे ? अगर हां, तो कितने प्लाट बनाए व नीलाम कितने रुपये गज से किये गये और किस किस को नीलाम किए गए ? सूची सदन की मेज पर रखे ?

(३) प्रशासक द्वारा मोटर स्टेण्ड के पास और किस किस व्यक्ति को जमीनें दी और किस आधार पर दी गई, और उनसे कितना मूल्य लिया गया ? सूचि सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(४) क्या नगरपालिका बोर्ड द्वारा उक्त नीलामी के बाद में भी दुकानों के प्लाट नीलाम किए गए ? अगर हां, तो कितने प्लाट और किस किस व्यक्ति को किस किस दर से नीलाम किए ? सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(५) क्या यह सही है कि नगरपालिका बोर्ड ने बरामदों की जमीन भी उक्त प्लाट वालों को मोल दी थी ? अगर हां, तो किस किस व्यक्ति को कितने कितने रुपये गज कीमत से दी ? सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(श्री देवीलाल बुरासिया)

(६) क्या यह सही है कि बरामदों के लिए किन्हीं व्यक्तियों को किराये पर जमीने दी गई ? अगर हां, किन किन को ? सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें ?

(७) दूसरे व्यक्तियों को बरामदे की जमीन मोल वेची है और इनको किराये पर दी गई उसका क्या कारण है ?

(८) उक्त जमीन में किसी व्यक्ति को विश्राम शाला बनाने हेतु जमीन दी गई ? अगर हां, तो कितनी और किस दर से ?

(९) क्या उक्त विश्राम शाला बनाने के पहले जिलाधीश अजमेर ने कुछ शर्तें रखी थीं ? अगर हां, तो क्या ?

(१०) क्या उक्त विश्राम शाला जिलाधीश के नक्शे के अनुसार बनाई गई है? अगर नहीं तो क्यों? जिलाधीश द्वारा स्वीकृत नक्शा व वर्तमान नक्शा की प्रतिलिपियां सदन की मेज पर रखने की कृपा करें ।

(११) क्या उक्त विश्राम शाला के निर्माण की स्वीकृति नगरपालिका बोर्ड से ले ली गई थी ?

उत्तर

(१) जी नहीं । सन् ६५ में मोटर स्टेण्ड बनाने के लिए जमीन नहीं खरीदी गई ?

दि० २३-७-६४ को ३ बीघा ३ बिस्वा जमीन २०००) रु० नकद व ५०'×५०' भूमि देकर खरीद की गई थी ।

(२) जी हां । बस स्टेण्ड के लिए खरीदी गई जमीन में बोर्ड की कुछ खुली जमीन शामिल कर के १४ प्लाट बनाकर निलाम द्वारा वेचे गये थे ।

सूचना सहित सूची सदन की मेज पर रखदी गई है ।

(३) सूचना सहित सूची सदन की मेज पर रख दी गई है ।

(४) जी हां । २३ दुकानों के प्लाट सूचना सहित सूची सदन की मेज पर रख दी गई है ।

(५) जी हां, सूचना सहित सूची सदन की मेज पर रखदी गई है ।

(६) जी हां । सर्व श्री गणेश जी व गजानन्द को दी गई है । सूची सदन की मेज पर रखने का प्रश्न उत्पन्न नहीं होता है ।

(७) व्यक्तियों ने किराये पर लेने के लिए ही प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत किये थे ।

(८) जी हां । २७०-८८ वर्ग गज भूमि ३) रु० प्रतिवर्ग गज से सर्व श्री रामजीवन चांदमल को दी गई है ।

(९) जी नहीं ।

(१०) जिलाधीश का कोई स्वीकृति नक्शा नहीं था । नगरपालिका द्वारा नक्शा स्वीकृत किया गया था ।

नगरपालिका द्वारा पूर्व में स्वीकृत नक्शे के अनुसार निर्माण कार्य नहीं है । किन्तु मोजूदा निर्माण की भी नगरपालिका में प्रस्ताव दि० २३-४-६७ द्वारा स्वीकृति दे दी है ।

(११) जी हां ।

(सूची विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई है)

भेड़ व ऊन कतरण अध्यापक की बकाया वेतन

६७०. **श्री रामचन्द आर्य** (नोहर) : क्या पशु पालन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(१) क्या यह सही है कि श्री मोतीलाल हरिजन, भेड़ व ऊन कतरण केन्द्र चूरू में भेड़ व ऊन कतरण अध्यापक था ? यदि हां, तो श्री मोतीलाल अब कहां पर हैं ?

(२) क्या यह सही है कि श्री मोतीलाल हरिजन ने दिनांक ७-३-६८ को स्वास्थ्य खराब होने से छुट्टी की अर्जी दी थी फिर भी उसको गैर हाजिर किया गया ? यदि हां, तो क्यों ?

(३) क्या यह सही है कि श्री मोतीलाल को हरिजन होने के कारण भेड़ व ऊन कतरण चुरू के प्रसार अधिकारी द्वारा नौकरी से हटाने की चेष्टा की गई थी ? यदि हां, तो क्यों ?

(४) क्या यह सही है कि श्री मोतीलाल को भेड़ व ऊन कतरण केन्द्र से किसी अन्य स्थान जिला चुरू से बाहर बदल दिया है ? यदि हां, तो क्यों ?

(५) क्या यह सही है कि श्री मोतीलाल हरिजन को वेतन नहीं दिया जा रहा है ? यदि हां, तो क्यों ? यदि नहीं, तो दिनांक ७-३-६८ से आज तक वेतन का कौन सी तारीख में कहां पर पैमेन्ट हुआ है सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

उत्तर

(१) जी हां। श्री मोतीलाल अब मोबाईल शीयरिंग यूनिट, जयपुर में कार्य कर रहा है।

(२) जी नहीं। प्रश्न नहीं उठता।

(३) जी नहीं। प्रश्न नहीं उठता।

(४) जी नहीं। प्रश्न नहीं उठता।

(५) जी नहीं। प्रश्न नहीं उठता।

सूअर पालन केन्द्र

६७१. **श्री जुझारसिंह** (रामगंज मंडी): क्या पशु पालन मंत्री वह बताने की कृपा करेंगे:—

(१) राज्य में किन किन स्थानों पर कब से सूअर पालन केन्द्र चलाये जा रहे हैं और उन पर अलग अलग कितनी आमदनी व खर्चा किया गया है ?

(२) सूअर पालन केन्द्र, अलवर किस प्रयोजन से स्थापित किया गया है और उस पर कितने सरकारी कर्मचारी व प्रशासनिक अधिकारी नियुक्त हैं और इस केन्द्र का पिछले तीन सालों की आमदनी व खर्च क्या हैं ?

(३) क्या यह सही है कि इस केन्द्र का मुख्य प्रयोजन अलवर में लगाई जाने वाली बेकन फैक्ट्री को सूअर सप्लाई करना है ? यदि हां, तो क्या फैक्ट्री चालू कर दी गई है ? इसमें कितना (हैम) व बेकन तैयार किया व बेचा गया है व सूअर पालन केन्द्र का प्रोडेक्शन किस अनुपात में है ?

उत्तर

(१) राज्य में सूअर पालन केन्द्र अलवर १-३-६६ व सूअर प्रजनन केन्द्र बस्सी सन् १९५९--६० में चलाया जा रहा है। आय व्यय की तालिका संलग्न है।

(पशुपालन मंत्री)

(२) अनुसूचित जाति के सूअर पालकों को अनुदायित दर पर सूअर देना एवं चौथी पंचवर्षीय योजना से सूअर मांस कारखाने का सहायक बन सके, इस उद्देश्य से स्थापित किया गया। अन्य सूचना सम्बन्धी सूचि संलग्न है।

(३) अजी नहीं। सूअर मांस कारखाना शीघ्र ही चालू होने वाला है। Trialrun जारी है।

(कृपया परिशिष्ट १२ देखिये)

बारां नगर से पाकिस्तान गये व्यक्ति की सम्पत्ति

६७२. श्री देवीदत्त गाडिया (बारां) क्या पुनर्वास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगेः—

(१) क्या यह सही है कि बारां नगर में श्री अब्दुल रज्जाक वकील के मकान के सामने की जो भूमि है वह सन् ४८-४६ में पाकिस्तान गये व्यक्ति की भूमि होने के कारण सरकारी सम्पत्ति है ?

(२) क्या सरकार ने इस मामले की जांच करवाई थी ? यदि हां, तो जांच रिपोर्ट से क्या नतीजा निकला ?

(३) क्या यह सही है कि उस भूमि पर एक व्यक्ति ने कब्जा कर रखा है ? यदि हां, तो सरकार उस पर क्या कार्यवाही कर रही है ?

(४) क्या यह सही है कि बारां नगर में ऐसी और भूमि व मकान आदि हैं जिनके मालिक सन् ४८-४६ के आस पास पाकिस्तान चले गये और आज तक सरकार ने उन पर कब्जा नहीं किया ? यदि हां, तो क्यों ?

उत्तर

(१) जी नहीं।

(२) जी नहीं। जांच रिपोर्ट का प्रश्न नहीं उठता।

(३) परगना अधिकारी, बारा से प्राप्त सूचना के अनुसार ५ व्यक्तियों का इस भूमि पर कब्जा है। चूंकि इस भूमि का संबंध राज्य सरकार से नहीं है और न ही राज्य सरकार के पास इस भूमि का रिकार्ड है, इसलिए इस भूमि के बारे में काई कार्यवाही राज्य सरकार द्वारा करने का प्रश्न नहीं उठता है।

(४) इस प्रकार का कोई रिकार्ड राज्य सरकार के पास नहीं है।

स्थगित प्रश्न
(२०-३-७०)

राज्य मन्त्री के पास विचाराधीन मामले

२७२. श्री हरजीराम बुड़रक : (लाडनूं) क्या उपनिवेशन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(१) राज्य मन्त्री उपनिवेशन विभाग के पास जिला गंगानगर से अपीलों के रूप में आये कितने मामले कब कब से विचाराधीन हैं तथा उनमें स्टे आर्डर कब कब से दिया हुआ है ? सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(२) उपरोक्त विचाराधीन मामलों में ऐसे कितने मामले हैं जिनमें फैसले होने के बाद पुनः कार्यवाही शुरू की गई है ? पूर्ण विवरण सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(स्थगित किया गया)

Page No 52

स्थगित प्रश्न

(२०-३-७०)

बाड़मेर जिले में नस्ल सुधार कार्य-क्रम

२७६. **श्रीमती मदन कौर** (पचपदरा) : क्या पशुपालन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(१) बाड़मेर जिले में नस्ल सुधार कार्य-क्रम के अन्तर्गत गत तीन वर्षों में कितने पशुओं का बन्ध्यकरण (castrate) किया गया और कितने पशुओं का कृत्रिम गर्भाधान कराया गया ? इस कार्य-क्रम के अन्तर्गत कितने उत्तम सांड वितरित किये गये ? पंचायत समिति वार सूची सदन की मेज पर रखें।

(२) वर्ष १६७०-७१ और चतुर्थ पंच-वर्षीय योजना में राज्य में और बाडमेर जिले के लिये इस सम्बन्ध में जो कार्य-क्रम तैयार किया उसके लक्ष्य बतावें ?

उत्तर

(१) विगत तीन वर्षों में ६१,०४२ बधियाकरण एवं २०३ उत्तम सांड़ वितरित किये गये कृत्रिम गर्भाधान प्रणाली आरम्भ नहीं की गयी। पंचायत समितिवार सूची संलग्न है।

(२) सूचना तालिका संलग्न है।

(कृपया परिशिष्ट १३ देखिये)

स्थगित प्रश्न

(२५-३-७०)

अकाल राहत कार्यों के अन्तर्गत नागौर जिले में बनी सड़कें

३४६. **श्री रामसिंह कुड़ी** (जायल) : क्या सार्वजनिक निर्माण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(१) वर्ष १६६३-६४, ६४-६५, ६५-६६ व १६६६-६७ में अकाल राहत कार्यों में नागौर जिले में कितनी सड़कें बनी ? प्रत्येक पर किस किस वित्तीय वर्ष में कितना कितना अर्थ वर्क ग्रेवलिंग वर्क व मैटीरियल-कलेक्शन वर्क हुआ तथा कितनी कितनी मील में व कितनी कितनी राशि व्यय हुई ?

(२) क्या इस व्यय का आडिट विभाग द्वारा या डिपार्टमेंट द्वारा हुआ है ? यदि हां, तो उन आडिट रिपोर्टों की प्रतिलिपियां सदन की मेज पर रखी जावे।

(३) क्या इन आडिट रिपोर्टों पर या अन्य किसी शिकायत पर कोई जांच हुई ? यदि हां, तो ऐसी तमाम जांचों की जांच रिपोर्टों को सदन की मेज पर रखा जावे एवं जो जांच पेन्डिग हैं वो किन किन अधि-कारियों के पास किन किन मुद्दों पर व किन किन अधिकारियों के खिलाफ कब कब से पेन्डिग है ?

(स्थगित किया गया)

स्थगित प्रश्न

(२८-३-७०)

घग्घर फ्लड कन्ट्रोल एरिया के अन्तर्गत अवाप्त भूमि

४१६. **श्री केदारनाथ** (श्री गंगानगर) : क्या उपनिवेशन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(१) घग्घर फ्लड कन्ट्रोल एरिया में कितने काश्तकारों की जमीन को राज्य सरकार ने एक्वायर किया ? सूची सदन की मेज पर रखें।

(श्री केदारनाथ)

(२) उसमें से कितने काश्तकारों को तबादले में जमीन सरकार ने दे दी और कब? क्या यह सही है कि कुछ गरीब काश्तकारों को भूमि तबादले में नहीं दी गई है ? यदि हां, तो कितनों को तथा क्यों ?

(स्थगित किया गया)

स्थगित प्रश्न

(२८–३–७०)

अटरू-कवाई सड़क

४२०. **श्री प्रेमसिंह सिंघवी** (छबड़ा) : क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(१) क्या यह सही है कि कोटा जिले की बारां तहसील के बारां नगर से होती हुई एक पक्की सड़क अटरू, अन्ताना, काला तालाब, हाथी दीलोद से कवाई होती हुई छीपाबडोद जाती है ?

(२) क्या यह सही है कि इस सड़क पर अटरू से आगे कवाई तक की सड़क पर जो पुलियायें हैं वो बहुत ही जीर्ण-शीर्ण हैं, तथा सड़क भी बहुत खराब हैं, व हाथी दीलोद से कवाई तक कई पुलियायें अभी तक बनना शेष हैं ? यदि हां, तो सरकार इस सड़क को कब तक ठीक कराने का विचार रखती है तथा अब तक इस सड़क की हालत खराब रहने के क्या कारण हैं ?

(३) क्या सरकार इस बात का विश्वास दिलाने को तैयार है कि अब शीघ्र ही इस सड़क की मरम्मत करवाई जाकर लोगों को राहत दी जावेगी ?

उत्तर

(१) जी हां ।

(२) केवल एक पुलिया जो माइल ८-१ में पहले है उसकी दशा अच्छी नहीं है । शेष पुलियां ठीक है । बारां, अटरू, गऊवाट, सालपुर रोड़ पर मरम्मत कार्य प्रगति पर है ।

(३) मरम्मत कार्य प्रगति पर है ।

स्थगित प्रश्न

(१–४–७०)

जयपुर-टोंक सड़क पर दिये गये प्लाट

४९२. **श्री जयनारायण सालोदिया** (निवाई) : क्या स्वायत्त शासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(१) क्या जयपुर टोंक सड़क पर टोंक फाटक के पास स्वदेशी तोल यन्त्र व उसी के पास कडवी काटने की मशीन लगाने के लिये न्यास के द्वारा दो प्लाट दिये गये हैं ? यदि हां, तो किन को, कब कितने रुपयों में ?

(२) क्या इन प्लाटों को दिये जाने से पूर्व नियमानुसार कार्यवाही न्यास द्वारा पूर्ण की गई थी ?

उत्तर

(१) जी हां । श्री शंकरलाल को कुट्टी की मशीन लगाने हेतु राज्य सरकार की स्वीकृति सं० एफ २ (३२) नं० आ/६८ दिनांक ३–८–६८ के द्वारा भूमि दी गई थी व न्यास द्वारा दिनांक १–३–६९ को जो अतिरिक्त भूमि दी गई है उसे निरस्त करने हेतु आदेश जारी कर दिये गए हैं । उसी

Page No 54

(स्वायत्त शासन मंत्री)

प्रकार श्री रियाजुद्दीन को न्यास द्वारा ३९१.१ वर्ग गज भूमि एक साल के लिये किराये पर दी गई है व ३ साल की अवधि बढाई गई है उसे भी निरस्त करने हेतु आदेश जारी कर दिए गए हैं ।

(२) जी नहीं ।

स्थगित प्रश्न

(१-४-७०)

जोधपुर के तालाबों की सफाई

४९४. श्री ओमदत्त भाटी (सरदारपुरा, जोधपुर) : क्या स्वायत्त शासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(१) जोधपुर के तालाब व उन तालाबों में पानी लाने वाली नहरें किनके क्षेत्र में हैं?

(२) क्या यह सही है कि पिछले पांच-दस वर्षों में उपरोक्त नहरों की सफाई नहीं करवाई गई है? और उनमें साल भर इकट्ठा होने वाला कचरा और मैला बरसाती पानी के साथ तालाबों में चला जाता है ?

(३) क्या यह सही है कि इन तालाबों में कपड़े धोये जाते हैं और स्नान किया जाता है ? यदि हां, तो इस प्रकार तालाब के पानी को गंदा होने से बचाने की क्या व्यवस्था की गई है ?

(४) क्या सरकार ऐसे आदेश जारी करने का विचार रखती है कि वर्षा होने से कुछ दिनों पहले उपरोक्त नहरों की सफाई हो जाया करें ?

उत्तर

(१) नगरपरिषद क्षेत्र में है मगर इन पर अधिकार जल प्रदाय विभाग का है ।

(२) सही नहीं है ।

(३) सही नहीं है । इस सम्बन्ध में परिषद व्यय आम सूचना के बोर्ड लगाए हुए हैं ।

(४) परिषद यथा सम्भव वर्षा के पहले एवं समय २ पर नहरों की सफाई जनहित में करवा देती है ।

स्थगित प्रश्न

(१-४-७०)

जोधपुर नगरपालिका में रेवेन्यू आफिसर के पद

४९६. श्री फूलचन्द बाफना (सुमेरपुर): क्या स्वायत्त शासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(१) गत तीन वर्षों में जोधपुर नगर-पालिका रेवेन्यू आफिसर के पद पर किन किन (नाम बतावें) व्यक्तियों की कब कब नियुक्तियां की गई ? इन नियुक्तियों के आधार व कारण क्या क्या थे ? क्या कोई नियुक्ति किसी और हकदार का हक मार कर की गई थी ? यदि हां, तो किस का हक मार कर ऐसी नियुक्ति की गई थी ?

(२) क्या नगरपालिकाओं में नियुक्तियों एवं एकीकरण (इंटीग्रेशन) के लिये राजस्थान सरकार के कोई नियम बने हुए हैं ?

(श्री फूलचन्द बाफना)

यदि हां, तो पिछले तीन वर्षों में जो नियुक्तियां की गई वे क्या नियमों के अन्तर्गत की गई हैं ? यदि नहीं, तो क्यों ?

(३) जोधपुर नगरपालिका एवं अन्य नगरपालिकाओं में सेवाओं का एकीकरण कब हुआ ? यदि अब तक नहीं हुआ तो कारण क्या हैं ? और अब कब तक यह कार्य हो जायेगा ?

(४) सदन की मेज पर जोधपुर नगरपालिका की सेवा में गत तीन वर्षों से नियुक्त व्यक्तियों की सूची रखें जिनको कि उनकी सराहनीय एवं लम्बी सेवाओं के उपलक्ष में पहले से पारितोषिक एवं प्रशंसा-पत्र मिले हुए थे ? पारितोषिक एवं प्रशंसा-पत्र प्राप्त अनुभवी व्यक्ति उपलब्ध होते हुए भी उनकी उपेक्षा करके क्या किसी ऐसे व्यक्ति को गत दो वर्षों में समय में रेवेन्यू आफिसर के पद पर लगाया गया हैं जिसको कि नगरपालिका के कानूनों एवं राजस्व कानूनों का कोई पूर्व अनुभव नहीं था ? नियमानुसार एवं वरिष्ठतानुसार (लम्बे समय की सेवा व सराहनीय कार्यानुसार) इस पद पर नियुक्ति के लिये क्रमशः कौन कौन हकदार थे ?

(५) क्या यह सही है कि नगरपालिका जोधपुर के रेवेन्यू आफिसर के पद के लिये नियमित प्रमोशन उन व्यक्तियों को देने की परम्परा रही है जो कि वरिष्ठतम होते थे ? यदि हां, तो इस परम्परा को भंग करके गत तीन वर्षों में क्या किसी की नियुक्ति की गई है ? यदि हां, तो ऐसी नियुक्ति किस की हुई व क्यों ?

(६) गत तीन वर्षों में जोधपुर नगरपालिका में रेवेन्यू आफिसर के पद पर क्या किसी ऐसे व्यक्ति की नियुक्ति की गई है जिन्होंने पहले कभी इस पद के लिये ऐप्लाई किया था परन्तु स्थानीय स्वायत्त शासन विभाग ने नियमों के प्रतिकूल समझ कर उनका आवेदन-पत्र अस्वीकार किया था और फलस्वरूप तत्कालीन मुख्य सचिव महोदय ने उनका आवेदन-पत्र रद्द किया था ? यदि हां, तो अब उसी पद पर उनकी नियुक्ति कैसे उचित व नियमानुसार समझ ली गई ?

(स्थगित किया गया)

स्थगित प्रश्न

(१–४–७०)

बीकानेर की अनिवार्य शिक्षाशालाएं

४६७. **श्री रामानंद अग्रवाल (अलवर)** : क्या स्वायत्त शासन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(१) क्या अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा एक्ट, १९२९ (एक्ट नं. ३) के अन्तर्गत बीकानेर नगर परिषद् की अनिवार्य शिक्षा शालाओं का संचालन होता है ?

अगर हां, तो उक्त एक्ट के तहत स्कूल कमेटी का गठन हुआ था ? अगर हां, तो क्या उक्त कमेटी रहते हुए उसके अधिकारों का प्रयोग प्रशासक, बीकानेर, नगर परिषद् ने किया ? यदि हां, तो किस नियम के अन्तर्गत ?

(२) प्रशासक बीकानेर नगरपरिषद् ने उपरोक्त स्कूल कमेटी के अधिकारों का प्रयोग करते हुए कितने अध्यापकों की

(श्री रामानन्द अग्रवाल)

नियुक्ति एवं सेवा निवृत्ति की ? क्या सरकार उक्त नियुक्तियों आदि को अवैध घोषित करने का आदेश जारी कर स्कूल कमेटी को पुनः कार्य करने की आज्ञा प्रसारित करने का विचार रखती है ?

उत्तर

(१) जी हां, अनिवार्य शिक्षा एक्ट १९२९ (एक्ट नं. ३ के तहत अनिवार्य शिक्षा शाला कमेटी का गठन धारा ८ के तहत दि० २५-८-६४ को हुआ था।

कमेटी के दि० २५-१-६६ से न रहने पर प्रशासक ने नियमों में दी हुई अधिकार सूची के क्र० सं० २२ के आधार पर अधिकारों का प्रयोग किया गया है।

(२) ११ अध्यपकों की नियुक्ति की गई है एवं अध्यापकों को नियत आयु प्राप्त करने पर सेवा निवृत किया गया।

जी नहीं। नगरपरिषद् के चुनाव हो जाने के बाद ही संभव है क्योंकि कमेटी में ४ सदस्यों का प्राथमिक रूप से होना आवश्यक है।

स्थगित प्रश्न

(२-४-७०)

अकाल राहत कार्यों के अन्तर्गत घोटाले

५२७. **श्री हरजीराम बुरड़क** (लाडनू): क्या सार्वजनिक निर्माण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(१) क्या यह सही हैं कि गत वर्ष और इस वर्ष अकाल राहत कार्यों में किये गये घोटालों के सम्बन्ध में विभाग के अधिकारियों के खिलाफ कोई कार्यवाही चल रही है ? यदि हां, तो किन किन के खिलाफ क्या क्या कार्यवाहीयां कब कब से ?

(२) अब तक किन्हीं अधिकारियों के खिलाफ कोई जांच पूर्ण हुई हो तो उनका विवरण प्रस्तुत करें।

(३) शेष कार्यवाहीयां कब तक पूर्ण हो जायेंगी।

(४) भविष्य में इस प्रकार के घोटाले नहीं हो इस सम्बन्ध में सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई ?

(स्थगित किया गया)

स्थगित प्रश्न

(२-४-७०)

अजमेर में पानी की समस्या

५३२. **श्री भगवान दास शास्त्री** (अजमेर, पश्चिम): क्या स्वायत्त शासन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(१) क्या यह सही है कि श्री अनिल बोर्दिया के प्रशासक का कार्यभार संभालने के तुरन्त बाद अजमेर की जनता को पानी के लिए एक मास तक काफी दिक्कत उठानी पड़ी ? यदि हां, तो किन कारणों से ?

(२) क्या यह सही है कि प्रशासक को बदनाम करने के लिए वर्तमान कमिश्नर की साजिश थी ? यदि हां, तो ऐसे कमिश्नर के खिलाफ क्या कार्यवाही की गई है ? यदि नहीं तो क्यों ?

(श्री भगवानदास शास्त्री)

(३) क्या यह सत्य है कि डब्ल्यू. ई. को भी पानी की दिक्कत के दौरान दवाया जाता था ? क्या यह सत्य है कि पानी की दिक्कत के समय कमिश्नर से लेकर संबंधित अधिकारी अजमेर से गायव थे ? यदि हां, तो उनके खिलाफ कौनसी कार्यवाही की गई है ?

उत्तर

(१) जी नहीं ।
प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

(२) जी नहीं।
प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

(३) जी नहीं ।

स्थगन प्रस्तावों पर अध्यक्षीय व्यवस्था

श्री अध्यक्ष : ५ मिनट अवशेष हैं। मैं सदन की सहमति से स्थगन प्रस्तावों पर व्यवस्था देता हूं ।

मैं माननीय सदस्यों को सूचित करता हूं कि निम्नांकित स्थगत प्रस्तावों की सूचना प्राप्त हुई है:—

(१) श्री गोकुल प्रसाद, सदस्य विधान सभा ने गंगानगर आन्दोलन के सिलसिले में सिर्फ गंगानगर के भूमिहीन किसानों को राजस्थान नहर की जमीन आवंटित किये जाने के राज्य सरकार के निर्णय के कारण राजस्थान नहर की अनूपगढ़ शाखा पर जमीन जोतने वाले अकाल पीड़ित बाड़मेर, जोधपुर, नागौर, बीकानेर व जैसलमेर जिलों के भूमिहीन किसानों को जमीन वितरण न करने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में एक स्थगन प्रस्ताव की सूचना दी है ।

(२) एक अन्य स्थगन प्रस्ताव की सूचना श्री देवीदत्त गाड़िया, सदस्य, विधान सभा से मिली है जिसमें उन्होंने उदयपुर विश्वविद्यालय अध्यापक परिषद् द्वारा अपनी मांगों को लेकर दिनांक १० अप्रेल, १६७० से सांकेतिक हड़ताल करने के नोटिस दिये जाने से उत्पन्न स्थिति का उल्लेख किया है ।

इन मामलों में राज्य सरकार से जानकारी प्राप्त की जा रही है। जानकारी मिलने पर इन पर निर्णय लिये जा कर मैं माननीय सदस्यों को यथाशीघ्र सूचित कर दूंगा ।

इनके अतिरिक्त और स्थगन प्रस्तावों की सूचनाएं भी प्राप्त हुई हैं जो इस प्रकार हैं :···

श्री रघुनाथ विश्नोई, सदस्य, विधान सभा ने सांचौर कस्बा, जिला जालोर में पिछले १० दिनों से पानी खींचने के पम्प की खराबी से पानी की सप्लाई बंद हो जाने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में एक स्थगन प्रस्ताव की सूचना दी है ।

दूसरे स्थगन प्रस्ताव की सूचना श्री जयनारायण सालोदिया, सदस्य, विधान सभा से प्राप्त हुई है जिसमें सरकार के सभी विभागों में नई भरती पर लगाए गये प्रतिबन्ध से पढ़े-लिखे व्यक्तियों में बेकारी बढ़ने से उत्पन्न स्थिति का उल्लेख किया गया है।

तीसरे स्थगन प्रस्ताव की सूचना श्री गोकुल प्रसाद, सदस्य, विधान सभा ने दी है जिसमें भूतपूर्व रियासतों के एकीकरण

(श्री रघुनाथ विश्नोई)

के समय अनूपगढ़ तहसील जो पहले बीकानेर में थी उसको गंगानगर में मिला देने से उत्पन्न स्थिति का उल्लेख किया गया है। यह मामला ऐतिहासिक एवं बहुत ही पुराना है।

चौथे स्थगन प्रस्ताव की सूचना श्री गोरधन सोनी, सदस्य विधान सभा ने मेड़ता क्षेत्र के ग्राम रैंण में पेय जल की सप्लाई दिनांक १७-३-७० से बंद हो जाने व इस क्षेत्र के अन्य गांवों में पेय जल की समस्या के संबंध में एक स्थगन प्रस्ताव की सूचना दी है।

उपरोक्त सभी मामले इतने अविलम्बनीय लोक महत्व के भी नहीं हैं कि सदन की पूर्व निश्चित कार्यवाही को स्थगित की जा कर इन पर विचार किया जाये। अतः मैं इन स्थगन प्रस्तावों को सदन में प्रस्तुत किये जाने की अनुमति देने में असमर्थ हूँ।

इन स्थगन प्रस्तावों के अलावा सांगरिया, भादरा व चूरू गोलीकांड में दोषी अधिकारियों द्वारा जनता को अपने पक्ष में करने के लिये उन्हें डराने धमकाने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में एक स्थगन प्रस्ताव की सूचना श्री रामचन्द्र आर्य व श्री मेघराज, सदस्य विधान सभा से प्राप्त हुई है। इसी विषय में एक स्थगन प्रस्ताव की सूचना इन्हीं माननीय सदस्यों से पहले भी प्राप्त हुई थी और उस पर दिनांक ७ अप्रेल, १६७० को निर्णय दिया जा चुका है। अतः मैं इस स्थगन प्रस्ताव को भी प्रस्तुत करने की अनुमति नहीं देता हूं।

सदन की मेज पर रखे जाने वाले…

श्री रामचन्द्र आर्य : मैंने जो स्थगन प्रस्ताव रखा है और आपने व्यवस्था दी है कि पहले भी इस सम्बन्ध में स्थगन प्रस्ताव रखा गया था।……

श्री अध्यक्ष : स्थगन प्रस्तावों पर व्यवस्था के बाद कोई चुनौती नहीं, कोई चर्चा नहीं…

श्री रामचन्द्र आर्य : अभी भी तार आया है……

श्री अध्यक्ष : स्थगन प्रस्तावों पर व्यवस्था पर चर्चा नहीं। अंकित नहीं किया जाय।

श्री रामचन्द्र आर्य : ++

श्री अध्यक्ष : श्री रामचन्द्र आर्य। मैं बहुत थक गया हूँ आपके व्यवहार से।

श्री रामचन्द्र आर्य : मैं भी थक गया हूं सरकार के व्यवहार से।

श्री अध्यक्ष : मैंने आपको न बोलने का आदेश दिया है।

श्री रामचन्द्र आर्य : हम बरदाश्त नहीं कर सकते………

श्री अध्यक्ष : श्री रामचन्द्र आर्य।

श्री रामचन्द्र आर्य : लोगों की आवाज है।

श्री अध्यक्ष : मैं विवश होकर नाम से पुकारता हूँ।

++अध्यक्ष पीठ के आदेशानुसार भाषण अंकित नहीं किया गया।

श्री रामचन्द्र आर्य : कोई कार्यवाही नहीं की गई……

श्री अध्यक्ष : श्री रामचन्द्र आर्य।

(श्री रामचन्द्र के बोलते रहने पर)

स्थान ग्रहण करें। मुझे अगला कदम लेने के लिए बाध्य न करें।

(श्री रामचन्द्र आर्य के बोलते रहने पर)

श्री रामचन्द्र आर्य।

(१२ मध्याह्न)

श्री रामचन्द्र आर्य : अध्यक्ष महोदय, इस संबंध में……

श्री अध्यक्ष : श्री रामचन्द्र आर्य।

श्री रामचन्द्र आर्य : मैं निवेदन करना चाहता हूं कि किस प्रकार से……

श्री अध्यक्ष : श्री रामचन्द्र आर्य। सदन के प्रागंण को……

(श्री रामचन्द्र आर्य के बोलते रहने पर)

श्री रामचन्द्र आर्य।

अंकित न हो। साथ ही सदन के प्रागंण को……

मैं देहूं ?

श्री रामचन्द्र आर्य : + + +

श्री अध्यक्ष : श्री रामचन्द्र आर्य, आपका व्यवहार परम्पराओं के विपरीत होता जा रहा है। श्री रामचन्द्र आर्य।

श्री रामचन्द्र आर्य : + + +

श्री अध्यक्ष : श्री आर्य, सदन के प्रागंण को छोड़ें।

श्री रामचन्द्र आर्य : + + +

श्री अध्यक्ष : श्री आर्य।

श्री रामचन्द्र आर्य। श्री आर्य।

(श्री रामचन्द्र आर्य के बोलते रहने पर)

हाय हाय।

मैं वापस ले लेता हूं, जो आदेश मैंने दिया है।

श्री रामचंद्र आर्य : अध्यक्ष महोदय।

श्री अध्यक्ष : मैं माननीय सदस्यों से निवेदन करता हूं कि मेरा क्या कर्त्तव्य है ? मैं नहीं चाहता कि इनके खिलाफ कोई कदम उठाऊं…

श्री रामचन्द्र आर्य : समाजवाद का ढोंग रच रहे हैं…

श्री अध्यक्ष : श्री रामचन्द्र आर्य।

श्री रामचन्द्र आर्य : मेरा निवेदन है कि…

श्री अध्यक्ष : अंकित न हो।

श्री रामचन्द्र आर्य : + +

श्री अध्यक्ष : मैं पुनः अपने आदेश को दोहराता हूं।

श्री रामचन्द्र आर्य : + +

+ + अध्यक्ष पीठ के आदेशानुसार भाषण अंकित नहीं किया गया।

श्री अध्यक्ष : श्री आर्यजी।

श्री रामचन्द्र आर्य : + +

श्री अध्यक्ष : आर्यजी।

आर्य साहब।

आर्य महोदय।

स्थान ग्रहण करें।

श्री रामचन्द्र आर्य : + +

श्री अध्यक्ष : मैं सीरियस व्यू लेता हूं। माननीय सदस्यों की अनुमति से, फिर भी अकेला नहीं···

श्री रामचन्द्र आर्य : + +

श्री अध्यक्ष : मैं सीरियस व्यू लेता हूं।

श्री आर्य सदन का प्रांगण छोड़ दें।

श्री रामचन्द्र आर्य : + +

श्री अध्यक्ष : सदन का प्रांगण छोड़ें। मैं मार्शल को हिदायत करता हूं···

श्री रामचन्द्र आर्य : + +

श्री अध्यक्ष : मार्शल को हिदायत करता हूं कि श्री आर्य को बाहर ले जाने में मदद, सहायता···

श्री रामचन्द्र आर्य : + +

श्री अध्यक्ष : श्री आर्य बैठिए। मेरे धैर्य की परीक्षा है यह।

राजवी श्री रूपसिंह : यह दुःख की आवाज है।

श्री अध्यक्ष : क्या किया जाय? अभी तक वह बैठे नहीं। आप देखिए परीक्षा होती है।

श्री रामचन्द्र आर्य : + +

श्री अध्यक्ष : श्री आर्य को मार्शल बाहर ले जाने में···

श्री रामचन्द्र आर्य : + +

श्री अध्यक्ष : वह प्रांगण छोड़ें। मार्शल श्री आर्य को बाहर ले जाने में मदद करें।

श्री रामचन्द्र आर्य : + +

श्री अध्यक्ष : बहुत इत्मिनान से सदन से बाहर ले जायं।

श्री रामचन्द्र आर्य : राजस्थान की जनता से···

श्री अध्यक्ष : कुछ भी अंकित न हो।

श्री रामचन्द्र आर्य : + +

श्री अध्यक्ष : श्री आर्य को बाहर ले जाने में मार्शल मदद करें।

श्री आर्य। मार्शल, माननीय सदस्य को बाहर ले जायं।

श्री केदारनाथ (गंगानगर) : (अश्रव्य)

श्री अध्यक्ष : मैं विथड्रा करता हूं।

श्री केदारनाथ : मेरा निवेदन है कि ऑर्डर वापस ले लिया जाय।

श्री अध्यक्ष : मैंने आपसे पूर्व ही वापस ले लिया।

+ + अध्यक्ष पीठ के आदेशानुसार भाषण अंकित नहीं किया गया।

Page No 61

श्री देवीदत्त गाड़िया (बारां) : मैं आपकी आज्ञा से दो मिनट निवेदन करना चाहता हूं···

श्री अध्यक्ष : मैंने आज्ञा दी नहीं।

श्री देवीदत्त गाड़िया : उदयपुर विश्वविद्यालय···

श्री अध्यक्ष : ११ बजे जब मैं सदन में आ रहा था, आपका स्थगन प्रस्ताव आया और मैंने आपसे निवेदन किया कि मैं जानकारी के लिए भेज रहा हूं। जब मैं रवाना हो रहा था तब की बात है। फिर क्या करूं? अब नहीं।

श्री देवीदत्त गाड़िया : इसलिए निवेदन करना चाहता हूं···

श्री अध्यक्ष स्थान ग्रहण करें।

श्री गोरधन सोनी : मेरे स्थगन प्रस्ताव पर जवाब दिलाया जाय।

श्री अध्यक्ष : उसकी व्यवस्था नहीं हुई होगी तो देखूंगा। श्री रामप्रसाद लड्ढा।

श्री रामकिशन (वैर) : कुछ पुराने प्रस्ताव पड़े हुए हैं। सूचना मांगी गई थी, हनुमानगढ़ में पी० डब्ल्यू० डी० कर्मचारी···

श्री अध्यक्ष : आज लेखा जोखा करूंगा। बिजिनेस एडवाइजरी कमेटी की मीटिंग में व्यवस्था की जायगी।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल (जौहरी बाजार, जयपुर) : अध्यक्ष महोदय, चूरू, भादरा व सांगरिया में गोलीकांड के सिलसिले में कल मुख्य मंत्री गंगानगर की समस्याओं के बारे में वक्तव्य देंगे तो इस संबंध में मैं समझता हूं कि माननीय सदस्यों की जो उग्रता हुई उसको समझते हुए चूरू, भादरा व सांगरिया के गोलीकांड की जांच के लिए नियुक्त छांगानी कमीशन की जो बैठक बीकानेर में हो रही है, जिसके संबंध में हमने स्थगन प्रस्ताव की सूचना दी है, मेरा निवेदन है कि आप गृह मंत्री को इस संबंध में आदेश दें कि कल जब गंगानगर के संबंध में मुख्य मंत्री वक्तव्य दें तो उस समय खुलासा एक बार बातचीत हो जाय और सदन में वक्तव्य हो जाय जिससे सदस्यों को जो कुछ कहना है, कहा जाय क्योंकि अनेक ऐसे मुद्दे हैं। रामचंद्रजी तो एजीटेटेड हैं हम लोग भी हैं लेकिन हम संयम और मर्यादाओं में बंधे हुए हैं और आपके आदेशों का पालन करना चाहते हैं। कई मसले ऐसे हैं, जनता की तरफ से वकील नियुक्त करने का संबंध है, अधिकारियों के ट्रांसफर का भी सवाल है और नहीं तो फिर हमें मजबूत होकर छांगानी कमीशन का बायकॉट करना पड़ेगा। ऐसी परिस्थितियां पैदा न हों और कमीशन की बैठकों में भाग ले सकें, उसकी जिम्मेदारी सरकार पर है। उस समय गृह मंत्री सदन में उपस्थित रहें और वक्तव्य दें।

श्री अध्यक्ष : इसको भी बिजिनेस एडवाइजरी कमेटी की बैठक के समय सोचेंगे और उसके बाद भी मैं विवेचन, अध्ययन और जो कुछ उचित हो सकता है, करने का प्रयास करूंगा।

श्री रामप्रसाद लड्ढा।

सदन की मेज पर रखा जाने वाला पत्र

श्री रामप्रसाद लड्ढा (परिवहन मंत्री) : अध्यक्ष महोदय, मैं राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम के लेखे (अवधि ३१

(श्री रामप्रसाद लड्ढा)

मार्च १६६६ तक) एवं उन लेखाओं पर अंकेक्षण प्रतिवेदन सदन की मेज पर रखता हूं ।

याचिकाओं का उपस्थापन

श्री अध्यक्ष : याचिकाओं का उपस्थापन ।

श्री देवीलाल बुरासिया (केकड़ी) : अध्यक्ष महोदय, मैं केकड़ी नगर में छात्रावास चालू कराने से संबंधित ४ याचिका देने वालों द्वारा हस्ताक्षरित याचिका का उपस्थापन करता हूं ।

अध्यक्ष महोदय, मैं केकड़ी नगर में डिग्री कालेज खुलवाने के संबंध में ३ याचिका देने वालों द्वारा हस्ताक्षरित याचिका का उपस्थापन करता हूं ।

श्री हरजीराम बुरड़क : अध्यक्ष महोदय, मैं लाडनूं कस्बे में जल-प्रदाय योजना में पाइप लाइन की कमी को पूरा कराने के संबंध में एक याचिका देने वाले द्वारा हस्ताक्षरित याचिका का उपस्थापन करता हूं ।

अध्यक्ष महोदय, मैं लाडनूं-सुजानगढ़ व जसवंतगढ़ के मध्य में बनने वाले कालेज भवनों को पूर्ण कराने से संबंधित याचिका देने वालों द्वारा हस्ताक्षरित याचिका का उपस्थापन करता हूं ।

श्री अध्यक्ष : श्री महेन्द्र कुमार । (अनुपस्थित) ।

श्री मोहनलाल मोदी । (अनुपस्थित) ।

प्रतिवेदन का उपस्थापन

श्री भैरोंसिंह (सभापति, राजकीय उपक्रम समिति) मैं राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम की व्यवस्था से संबंधित समिति के दसवें प्रतिवेदन का उपस्थापन करता हूं ।

ध्यानाकर्षण प्रस्ताव

श्री अध्यक्ष : ध्यान आकर्षण प्रस्ताव ।

श्री रूपसिंह राजवी ।

राजवी श्री रूपसिंह : मैं प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी···

श्री सतीशचंद्र अग्रवाल : आवाज नहीं आती है ।

श्री अध्यक्ष : जोर से बोलिए ।

राजवी श्री रूपसिंह : अध्यक्ष महोदय···

श्री गिरधारी लाल व्यास (आसीन्द) : गला बैठा हुआ है ।

श्री अध्यक्ष : मेरा भी बैठा हुआ है ।

राजवी श्री रूपसिंह : श्री रामचंद्रजी के पड़ोसी होने के कारण मेरा भी गला खराब हो गया है । अध्यक्ष महोदय, मैंने ध्यान आकर्षित किया है सरकार का । हमारे रूल्स के रूल १३१ के तहत बीकानेर के सूर सागर तालाब में शहर की गंदगी भर जाने से मक्खी-मच्छर पैदा होते हैं, उस संबंध में स्वास्थ्य मंत्री का ध्यान आकर्षित करने के लिए मैं खड़ा हुआ हूं ।

श्री अध्यक्ष : आपका गला खराब हो तो दूसरा बोले ।

Page No 63

श्री रामचंद्र आर्य : इस संबंध में मैं मंत्री महोदय का ध्यान आकर्षित करूंगा कि बीकानेर शहर में···

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज ।

श्री रामचंद्र आर्य : बीकानेर शहर की आबादी···

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज, श्री रूपसिंह ।

श्री रामकिशन : उनको बोलने का अधिकार दिया है ।

श्री अध्यक्ष : कोई अधिकार नहीं । आॅर्डर प्लीज ।

श्री रामचन्द्र आर्य : मैंने एक स्थगन प्रस्ताव भी पेश किया था ।

श्री अध्यक्ष : राजवी रूपसिंह ।

राजवी श्री रूपसिंह : अध्यक्ष महोदय, हमारे बीकानेर शहर में सूर सागर नाम का बहुत बड़ा तालाब है । संवत् १९५६ में जब अकाल पड़ा था उस वक्त इसको बनाया गया था और वर्षा का पानी इसमें डाला जाता था । जो आदमियों और मवेशियों के पीने के काम में आता था । जब तक राजस्थान का फार्मेशन नहीं हुआ था उसमें बरसात का पानी डाला जाता रहा लेकिन राजस्थान के फार्मेशन के बाद बीकानेर शहर का पानी, पूर्व की तरफ का पानी ड्रेनेज से बाहर निकाल दिया जाता था और नॉर्थ का पानी इसमें डाल दिया जाता था । उसके बाद एक गिनानी नाम से स्कीम बनायी गयी । पहले वह स्कीम १७ लाख रुपये की थी और बाद में उसको २१ लाख रुपयों का कर दिया गया । उसमें गिनानी नाले का गन्दा पानी आता था उसको नये शहर से कनेक्ट कर दिया और सूर सागर में जहां बरसात का पानी डाला जाता था वहां उसको डाल दिया । उसका परिणाम यह हुआ कि शहर का तमाम मल-मूत्र उसमें इकट्ठा हो गया और गंदे पानी के कारण से चारों तरफ मक्खी-मच्छर पैदा हो गये और बदबू इतनी आने लग गयी कि ट्वेन्टी-फोर अवर्स जो वहां के पास रहने वाले हैं उनका रहना मुश्किल हो गया । नये शहर से लेकर सूर सागर दो मील का डिस्टेन्स है । यह ड्रेनेज का पानी ८ मोहल्लों से होकर पानी गुजरता है । इसके पास २० हजार की आबादी है । रात दिन गंदगी, मक्खियां और मच्छर रहते हैं । तालाब की पाल के ऊपर एक प्राइमरी स्कूल बना हुआ है और चिपते ही डिस्पेन्सरी है । जो लोग वहां रहते हैं वे भी महसूस करते हैं कि उनका रहना और आना जाना कितना मुश्किल हो गया है । इस सम्बन्ध में सरकार से बातचीत की गयी । सरकार ने ६ लाख रुपये की स्कीम मंजूर की । उस गंदे पानी को बाहर निकालने के लिये एक पक्का ड्रेनेज बनाना शुरू किया । यह वहां बनाया कि जिस नाले से तालाब में वर्षा का पानी डाला जाता था । वहां गंदे पानी को निकालने के लिए मशीन लगायी जिसे मेन रास्ते पर फिट कर दी । उसमें मोहल्ले वालों का आना—जाना बन्द हो गया । इस तरह से वह ६ लाख की स्कीम भी फेल हो गयी क्योंकि जमीन ऊंची और तालाब की तरफ नीची पड़ती है । नये शहर से लेकर तीन मील तक यह गंदा पानी भरा हुआ रहता है । ५० हजार की पॉपुलेशन मुसीबत उठा रही है और हर तरह की बीमारियां

(राजवी श्री रूपसिंह)

फैलती हैं और बदबू के मारे हर आदमी की नाक में दम आ गया है। वहां आदमी चल फिर नहीं सकते और न खड़े ही रह सकते हैं। हैल्थ मिनिस्टर साहब को भी लिखा कि इन्तजाम कर दिया जाय क्योंकि लोग मुसीबत के मारे तंग आ गये हैं। मंत्री साहब को यह भी लिखा कि आप स्वयम् चल कर मौका देख लें। दस मिनिट भी आप वहां खड़े हो जाय तो आप भी महसूस करेंगे कि खड़े नहीं रह सकते। वहां के निवासी गरीब लोग हैं। दूसरे होते तो सत्याग्रह कर देते। मंत्री महोदय खुद पर्सनली जाकर देखें और इन्तजाम करें। जो तालाब स्वर्ग की जगह था। जिस का पानी पीने के काम में आता था उसको गंदे नाले में परिवर्तित कर दिया गया है। गर्मी का मौसम आने वाला है। इसको ठीक करा दें वरना बीमारी फैल जायगी।

श्री अध्यक्ष : मंत्री महोदय।

महारावल श्री लक्ष्मण सिंह : एक मिनिट के लिये मैं ध्यान आकर्षण प्रस्ताव के सम्बन्ध में निवेदन करना चाहता हूं।

श्री अध्यक्ष : सामान्यतः नेता महोदय, ध्यान आकर्षण प्रस्ताव उसी माननीय सदस्य से होता है।

महारावल श्री लक्ष्मणसिंह : आपकी आज्ञा नहीं है तो नहीं बोलूंगा।

श्री अध्यक्ष : मैंने सामान्यतः कहा है।

महारावल श्री लक्ष्मणसिंह : धन्यवाद।

अध्यक्ष महोदय, सूर सागर तालाब एक रमणीय तालाब है और बीकानेर नगर में स्थित है। यह तालाब रेगिस्तान के बीच है। इस तालाब के पास पब्लिक पार्क है। एक जमाना था कि पब्लिक पार्क में फूलों की सुगन्ध आया करती थी और इस रमणीय तालाब के अन्दर वर्षा का पानी हिलोरें लिया करता था। अध्यक्ष महोदय, खेद का विषय है कि इस सूर सागर तालाब को एक सेस पूल बना दिया गया है, एक गटर पूल बना दिया गया है। बीकानेर में नगरपालिका है या नहीं यह भी मैं तो नहीं कह सकता। यह आजादी का जमाना है। जिस जमाने में जनहित के लिये सरकार का प्रथम कर्त्तव्य है अधिक से अधिक ध्यान दे, अधिक से अधिक व्यय करे। भूतपूर्व प्रतिक्रियावादी शासन के अन्दर सूर सागर, पब्लिक पार्क बीकानेर नगर की खूबसूरती में अभि वृद्धि के मुख्य स्थान माने जाते थे। आज बिलकुल विपरीत परिस्थित है। आशा करता हूं कि सरकार इस सम्बन्ध में इस सेस पूल की जगह सूर सागर की स्थिति पूर्ववत करने की चेष्टा करेगी।

श्री अध्यक्ष ; मन्त्री महोदय।

श्रीमती सुमित्रा (राज्य मन्त्री जन-स्वास्थ्य): माननीय अध्यक्षजी, सूर सागर तालाब और वहां के गिनानी नाले के सम्बन्ध में सदन के अन्दर ध्यान आकर्षण प्रस्ताव द्वारा और इस विभाग की मांग चल रही थी तब भी कई माननीय सदस्यों ने ध्यान आकर्षित किया था। इस सम्बन्ध में मैं यह निवेदन करना चाहूँगी कि जैसा कि माननीय सदस्य जो सरदारशहर से आते हैं वे इस बात को जानते होंगे और विरोधी दल के माननीय नेता महोदय भी जानते हैं इस बात को कि जिस सूर सागर की बात वे कर रहे हैं सचमुच

(श्रीमती सुमित्रा)

बीस वर्ष पहले वहां पर पीने का पानी एकत्रित होता था और वहां के विद्युत टरबाइन को चलाने के लिये भी वहीं से पानी लिया जाता था। जैसे जैसे बीकानेर शहर की आबादी बढ़ी यह गिनानी मोहल्ले के नाम से बस्ती प्रसिद्ध है और बस्ती के नाम की वजह से ही गिनानी नाला नाम पड़ा उस जगह कोई बस्ती नहीं थी। इसलिये पुराने बीकानेर शहर का गंदा पानी गिनानी बस्ती की जगह चार खड्डों में इकट्ठा हुआ करता था और हवा और गर्मी की वजह से और आबादी कम थी इसलिये धीरे धीरे नेचुरल कोर्स में सूख जाया करता था। लेकिन जैसे जैसे आबादी वढ़ी, आबादी बढ़ने के साथ साथ गिनानी मोहल्ला सूर सागर के तल से नीचा था इस लिये धीरे धीरे शहर का गंदा पानी एकत्रित हुआ करता था। गिनानी का गन्दे पानी का तालाब धीरे धीरे पटता गया गन्दगी से और वह बन्द हुआ। और वह बन्द होने से चूंकि नीची जगह थी इसलिये पानी बहने लगा और सूर सागर में पानी गिरने लगा गया। जैसे जैसे किसी शहर का विकास होता है तो लोग नीची जगह में भी रहने लग जाते हैं इसको गिनानी बस्ती में परिवर्तित कर दिया गया। जब बस्ती का निर्माण हो गया और जहां गन्दा पानी, टट्टी मूत्र इकट्ठा हुआ करता वहां वह इकट्ठा होते होते उसको पाट दिया गया तो गन्दे रास्ते से पानी बहता बहता सूर सागर में गिरने लगा। यह एक समस्या बनी और स्वास्थ्य की दृस्टि से वहां के नागरिकों ने इस प्रश्न को उठाया तो यह सोचा गया कि किसी प्रकार इसकी व्यवस्था की जाय। जो गन्दा पानी मल-मूत्र आया करता था उससे बचाव के लिये एक बाई पास सूर सागर के पास बना कर सूर सागर से आगे नाले में डाला जाया यह स्कीम बनायी गयी। शहर का विकास हुआ तो सूर सागर कैनाल जो सूर सागर से आगे जाती है और पहले जो जगह थी वहां पर कूड़ा कचरा डालना शुरू कर दिया था इस वजह से उसकी सतह सूर सागर की सतह से कुछ ऊंची हो गई है। किसी समय ४०-५० साल पहले सूर सागर के अन्दर बरसात का पानी इकट्ठा होने पर तरह तरह की नेचुरल ड्रेनेज बनाई गई थी, उनसे पानी, गंदा पानी सूर सागर में जाने लगा। लेकिन मैं माननीय सदस्यों और सदन की जानकारी के लिये यह निवेदन करना चाहूंगी कि इसके लिये राज्य सरकार ने १९ लाख और ११ हजार रुपयों की एक स्कीम, गिनानी नाले की बनाई है। इसके द्वारा यह जो गन्दा पानी है वह सूर सागर में नहीं डाल कर और सूर सागर का पानी स्वच्छ रह सके, इसलिये पहले की नालियों को पक्का बनाया गया है और अब तक सूर सागर से लेकर जस्सूसर, वापू वस्ती, जस्सूसर गेट तक याने जस्सूसर गेट से लेकर सूर सागर तक पक्की नालियां वनाई गई हैं और इस पर करीब ४ लाख रुपया खर्च किया गया है और बाकी आगे सूर सागर कैनाल बनाई जायेगी। यह नागणीनी के मन्दिर तक जायेगी। उस पर इतना पैसा खर्च करना पड़ेगा। इसके लिये मैं माननीय सदस्यों से यह निवेदन करूंगी कि चूंकि कई बार ऐसा हो चुका है, और कई जगह कूड़ा कचरा डालने की वजह से वह कुछ ऊंचा हो गया है, उसको गहरा किया जा रहा है, चौड़ा किया जा रहा है।

महारावल श्री लक्ष्मणसिंह : गिनानी नाले को आप खुदवाइये, आपकी सारी समस्या हल हो जायेगी।

श्रीमती सुमित्रा : यह जिम्मेदारी म्युनिसिपैलिटी की है। उसको कई वार इसके लिये आगाह किया जा चुका है कि वह इसकी उचित सफाई करे परन्तु वे लोग नहीं कर पाते हैं और इस वजह से यह समस्या उत्पन्न हो नही है।

मैं माननीय सदस्यों से यह निवेदन करना चाहती हूं कि पिछले साल में बीकानेर गई थी और मैंने स्वयं ने इसको देखा है और सारे नाले के वर्क को देखा है। अब जो समस्या है, सूर सागर से पम्प द्वारा इस गन्दे पानी को निकाल जाता है। यह ऐसी समस्या है जिसको देखने में स्वयं गई थी और मैंने इसको देखा है और इस समस्या के हल के लिये सूर सागर से गिनानी नाले की तरफ आने वाला वाई पास बना दिया गया है। तो मैं ऐसा समझती हूं कि यह जो गन्दा पानी है वह इसमें जाने लग जायेगा। इस वाई पास में गन्दा पानी विना सूर सागर में गये सूर सागर कैनाल में चला जायगा। मैं इतना और निवेदन करना चाहती हूं कि एक साल ऐसा अन्देशा हो गया था कि कहीं ऐसा न हो कि सूर सागर का जो पानी है वह वापिस पहुंचे गिनानी नाले की तरफ और बीकानेर के गिनानी मोहल्ले में पानी भर जाये। लगातार चूंकि पानी पंप द्वारा बाहर फेंका जा रहा था सूर सागर से कैनाल तक ऐसी समस्या नहीं आई और एक दिन तो ढाई इंच के करीव वर्षा हुई फिर भी उस दिन किसी के घर में भी पानी नहीं पहुंचा। मैं समझती हूं·······

श्रीमती कांता कथूरिया (कोलायत) : अध्यक्ष महोदय, मेरा विशेष रूप से मन्त्री महोदय से पूछना है, क्योंकि यह मेरी कांस्टीटयून्सी में है···

श्री अध्यक्ष : पहले मन्त्री महोदय का भाषण पूरा हो जाये। उसके बाद में आप स्पष्टीकरण के तौर पर पूछ सकती हैं।

श्रीमती कांता कथूरिया : अध्यक्ष महोदय, मेरा कहना यह है कि······

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज। बीच में न बोलें। पहले भाषण समाप्त होने दीजिये।

श्रीमती सुमित्रा : अध्यक्ष महोदय, में यह निवेदन कर रही थी, और माननीय सदस्या को भी यह निवेदन कर देना चाहती हूं कि बाई पास बन जाने से इस समस्या का हल हो जायेगा। उनकी जो समस्या है वह आगे के पानी की है। वह पानी कहां जाये। इसके सम्बन्ध में हम भी यह सोचते हैं कि शहर की सफाई रहे, सूर सागर का पानी गन्दा न हो, उसमें गंदा पानी न जाये और जो गंदा पानी है उसका डाइवर्शन हो जाये। इस गिनानी नाले को पूरा करने की आवश्यकता है। ऊपर से कचरा न डाल दें उसको कहीं कहीं से ढक दिया गया है। इसको ढका गया है और जहां पर रास्ता नहीं होता है वहां पर उसको ऊपर से ढका गया है ताकि सूर सागर साफ रहे। इन्हीं शब्दों के साथ में अपनी यह बात समाप्त करना चाहूंगी कि सरकार इस तरफ पूर्ण सचेष्ट है। हम नहीं चाहते हैं, जैसा कि कहा गया गया है, वहां पर गन्दगी रहे। मैं स्वयं वहां गई थी। पंपिंग से यह पानी निकाला जा रहा है। थोड़ी बहुत स्मेल जरूर हो सकती है। ऐसी बात नहीं है कि वहां खड़ा ही नहीं रह सके आदमी। मैं वहां पर खड़ी रह कर आई हूं, मैंने स्वयं ने मौके को देखा है और इस गंदे पानी को निकालने के लिये यह नाला बनाया

(श्रीमती सुमित्रा)

जा रहा है ताकि वहां के जन जीवन के स्वास्थ्य की रक्षा की जा सके और शहर साफ सुथरा रह सके।

श्री रामचन्द्र आर्य : यह तालाब शहर के बीच में है......

श्री अध्यक्ष : प्रश्न केवल स्पष्टीकरण के लिये।

श्रीमती कांता कथूरिया : अध्यक्ष महोदय, मैं यह निवेदन करना चाहती हूं कि मन्त्री महोदया ने इस बात को कहा है कि सूर सागर के पास बाई पास बनाया गया है। और यह पक्का बनाया गया है। मैं यह निवेदन कर देना चाहती हूं कि कई सालों से यह काम चल रहा है। न तो अभी तक बाई पास बन पाया है और जो अधिकारी हैं उनके सामने यह प्रश्न है कि इसको कैसे पूरा किया जाये क्योंकि इसकी जो स्कीम है वह डिफेक्टिव है। मुझे खेद के साथ यह कहना पड़ रहा है कि इस नाले में भयंकर मच्छर है और उसमें कीड़े सड़ रहे हैं और लोगों को डर हो गया है। क्योंकि एक-दो बार जानवर भी उसमें गिर कर मर गये हैं। मन्त्री महोदया ने यहां यह बताया है कि एक-दो हजार की बस्ती इसके आसपास है। मैं आपको यह बताना चाहती हूं कि उसके आस पास चार वार्ड्स हैं और उसमें करीब २०/२५ हजार लोग बसते हैं। इस पर जो अधिकारी वर्ग काम कर रहा है वह स्वयं इससे सन्तुष्ट नहीं है। मैं यह भी निवेदन करना चाहती हूं कि इस नाले को ढका जाये, खुला नहीं छोड़ा जाये। अगर खुला रखा गया तो लोग कचरा, मैला डालेंगे और उनको कोई नहीं रोक सकता, जिससे पानी रुक जायेगा। इसलिये इस नाले को ढका जाना चाहिये। आज हालत यह हो गई है कि जनता के मकानों की नीवों में पानी भर गया है और पानी भरे रहने से उनके गिरने का खतरा वहां मौजूद है और उनके घरों के आगे काफी गन्दगी का ढेर हो रहा है क्योंकि नाले की सतह ऊपर है। इसको भी नीचा किया जाना चाहिये।

श्री अध्यक्ष : इतना ही पर्याप्त है।

श्रीमती सुमित्रा : माननीय सदस्या को मैं यह बता देना चाहती हूं कि नाली पक्की कर दी गई है। जो सीम आ जाने की बात है। यह अब इसलिये पैदा नहीं होगी कि नागणीनी के मन्दिर तक इसको पक्का करने की बात है। अध्यक्ष महोदय, मैं यह निवेदन करना चाहती हूं कि इस के लिये १९ लाख ११ हजार की स्कीम है। यह स्कीम सूर सागर से लेकर नागणीनी के मंदिर तक नाली को नीचे से पक्का करने तथा दोनों तरफ की दीवालों को कच्ची रखने की है। अगर दोनों तरफ की दीवारों को पक्का करते हैं तो इसमें करोड़ों रुपया लग जायेगा और यह करोड़ों की स्कीम हो जायेगी। यह जनता की स्कीम है और इसमें म्युनिसिपैलिटी को भी अपना कंन्ट्रीब्यूशन करना चाहिये। इसलिये इस संबध में सरकार के पास इतना ही प्रोविजन, १९ लाख का प्रावधान है और वह इस दृष्टिकोण से काफी है और इसमें इतना ही किया जा सकता है।

श्रीमती कांता कथूरिया : नीचे से नाली पक्की नहीं बनी है। यह गलत स्टेटमेंट सदन में दिया गया है।

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज।

श्री चुन्नीलाल इंदलिया (नोखा) : अध्यक्ष महोदय, मैं यह बताना चाहता हूँ...

श्री अध्यक्ष : प्रश्न कर लीजिये ।

श्री चुन्नीलाल इंदलिया : यह बता दीजिये। नाली किस किस जगह से पक्की बनाई गई है ? मेरी यह मान्यता है कि किसी भी जगह से पक्की नहीं बनाई गई है। यह नाला कचहरी के पास होकर निकलता है और वहां पर कोई खड़ा नहीं रह सकता है और लोगों के घरों में पानी घुस जाता है।

श्री अध्यक्ष : किस जगह पर बनाई गई है ?

श्रीमती सुमित्रा : बापू बस्ती, जसूसर गेट से सूर सागर तक पक्की है । इसके अलावा यह कोटगेट से लेकर पुलिस वर्कशाप तक पक्की है। यदि यह सही नहीं है तो आप चैलेन्ज कर दें। मैं इसकी पूरी जांच करवा दूंगी।

श्री चुन्नीलाल इंदलिया : मेरी बात पहले सुन लीजिये। जहां से गन्दा पानी सूरसागर में इकट्ठा होता है उस पानी के के निकालने का सवाल है। इसके लिए आगे कोई नाला बनाया है क्या ?

श्रीमती सुमित्रा : आपको भौगोलिक स्थिति का ज्ञान नहीं मालूम देता।

श्री चुन्नीलाल इन्दलिया : मैं बीकानेर में ही छोटे से बड़ा हुआ हूं एक एक गली को जानता हूं। यह आपको नक्शा देखने से ज्ञान नहीं होगा। आप लोगों के घरों को जाकर देखिये वहां की हालत क्या है तब आपको ज्ञान होगा।

राजवी श्री रूपसिंह : माननीय मंत्री महोदया ने जो कुछ फर्माया है यह सही है वहां पर ऐसी गन्दगी है कि कोई भी आदमी एक मिनिट भी खड़ा नहीं रह सकता है । यहाँ बीकानेर के दस आदमी हैं। उनमें से आप किसी से यह पूछ लीजिये कि क्या कोई भी आदमी एक मिनिट भी वहां खड़ा रह सकता है ? गन्दगी के कारण मच्छर और मक्खियों का वह घर बन गया है और मेले का घर बन गया है। आपके इन्जीनियर्स की गलती है, ड्रेनेज जो खोदते हैं उनको कोई ज्ञान नहीं आगे कितना ऊंचा है कितना गहरा है। माननीय मंत्री महोदया अपनी गलती मन्जूर करने के बजाय यह कहती हैं कि वहां पानी इकट्ठा नहीं होता । वह स्थान समुद्र की सतह से तीन हजार फीट ऊंचा है इतने लेवल पर पानी किस तरह से जावेगा। माननीय मन्त्री महोदया को चाहिये कि वहां की जो यह समस्या है उस पर सहानुभूतिपूर्वक गौर करें । बीकानेर के साथ आप इस तरह का व्यवहार न करें। मैंने चीफ मिनिस्टर साहब से भी निवेदन किया था, आप वहां पर चलिये और देखिये। उन्होंने कहा वहां तो व्यास जी रहते हैं कैसे जाये। बीकानेर जिले के साथ जो इस प्रकार का व्यवहार हो रहा है वह बहुत ही ही अन्यायपूर्ण है। अगर आपका यही रवैया रहा तो बीकानेर की पब्लिक इसको बर्दाश्त नहीं करेगी।

श्रीमती सुमित्रा : सरदार शहर से आने वाले माननीय सदस्य कह रहे हैं कि सूरसागर से नागरिणी के मन्दिर तक जाने वाला जो नाला है और सूरसागर से

(श्रीमती सुमित्रा)

निकलने वाली सतह ऊंची है साठ-सत्तर फीट ऊंची है यह गलत और बेबुनियाद है। इस नाले के बीच-बीच में कचरा वगैरह आ जाने से पांच छः फीट ऊंचा हो गया है। उसको काटकर उसकी सतह को नीचा किया जा रहा है। आपको यह गलतफहमी हो रही है कि जो नाला बनाया जा रहा है सूरसागर से नागणिनी के मन्दिर तक सूरसागर के लेवल से नीचा है। बाई पास जो बनाया जा रहा है वह सूरसागर से पहले बनाया जायगा जो उससे बिल्कुल ऊंचा नहीं पड़ता है। इस बाईपास के बनाये जाने के बाद वह ठीक हो जायगा नेचुरल तरीके से ठीक तरीके से पानी बहने लग जायेगा।

श्री रामचन्द्र आर्य : आप उस तालाब को मिट्टी डालकर बुरवा क्यों नहीं देते हैं? बाहर पानी निकालने के लिए आप लाखों रुपया खर्च कर रहे हैं इससे समया का हल नहीं होगा। समस्या तो तालाब को मिट्टी से बुरवा देने के बाद ही ठीक हो सकेगी। इसके बारे में आपकी क्या राय है?

श्री अध्यक्ष : श्री रामकिशोर व्यास।

विधायी कार्य

प्रवर समिति के प्रतिवेदन का उपस्थापन

श्री रामकिशोर व्यास (राजस्व मंत्री): मैं राजस्थान अभिधृति (टिनेन्सी) विधेयक १६६६ पर प्रवर समिति के प्रतिवेदन का, असहमति पत्रों सहित, उपस्थापन करता हूं।

विचारार्थ लिये जाने वाले विधेयक

श्री रामसिंह कुडी : अध्यक्ष महोदय, मेरा आध घन्टे की चर्चा का प्रश्न है।

श्री अध्यक्ष : वह बाद में लिया जायगा।

श्री भीखाभाई।

श्री भीखाभाई (स्वायत्त शासन मंत्री): अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूँ कि राजस्थान नगरपालिका (संशोधन) विधेयक, १६७० को विचारार्थ लिया जाय।

श्री अध्यक्ष : इस विधेयक पर निम्नांकित संशोधन प्रस्ताव प्रस्तुत हुए हैं—

(१) श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल (वि० स १६४)
(२) श्री मूलचन्द डागा (वि० सं० ११३)
(३) श्री वृद्धिचन्द्र जैन (वि० सं० ८६)
(४) श्री कृष्णकुमार गोयल (वि० सं० १६)
(५) श्री श्रवणलाल (वि० सं० १६१)
(६) श्री हरजीराम बुरड़क (वि० सं० १७४)
(७) श्री शिवनाथ सिंह (वि० सं० ५८)
(८) श्री देवीदत्त गाड़िया (वि० सं० ५२)
(६) श्री पृथ्वीसिंह (वि० सं० ७५)
(१०) श्री ओमदत्त भाटी (वि० सं० ६)
(११) श्री शंकरलाल जाट (वि० सं १५३)
(१२) श्री किशनलाल वर्मा (वि० सं १६)
(१३) श्री रामनारायण चौधरी (वि० सं० १३३)
(१४) श्री यशवन्तसिंह नाहर (वि० सं० १२०)
(१५) श्री पी० के० चौधरी (वि० सं० ७१)

ने क्रमशः प्रस्ताव किया कि:—

(श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल आदि)

१. ' राजस्थान नगरपालिका (संशोधन) विधेयक, १९७० को छः माह / एक माह / तीन माह / छः माह / तीन माह/ एक माह / तीन माह के लिए जनमत जानने हेत परिचालित किया जाये ।"

(१) श्री रामचंद्र आर्य (वि० सं० १३०)

(२) श्री रघुनाथ विश्नोई (वि० सं० १२४)

(३) श्री आईदानसिंह (वि० सं० ६)

(४) श्री शंकरलाल (वि० सं० १५४)

ने क्रमशः प्रस्ताव किया कि

२. "राजस्थान नगरपालिका (संशोधन) विधेयक, १९७० को एक प्रवर समिति को निर्दिष्ट कर दिया जाये जो अपना प्रतिवेदन आगामी सत्र के प्रथम सप्ताह / एक सप्ताह/ एक माह/आगामी सत्र के प्रथम सप्ताह में प्रस्तुत करे (समिति के सदस्यों की नामावली बाद में प्रस्तुत कर दी जावेगी) । "

विरोधी पक्ष के नेता महोदय !

महारावल श्री लक्ष्मणसिंह : पहले श्री सतीशजी को बोलने दीजिये । में बाद में बोल लूंगा ।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल (जौहरी बाजार, जयपुर) : अध्यक्ष महोदय, राजस्थान नगरपालिका संशोधन विधेयक १९७० को जनमत जानने हेतु प्रसारित करने के संबंध में मैंने प्रस्ताव प्रस्तुत किया है । अध्यक्ष महोदय, यह जो संशोधन विधेयक माननीय सदस्य ने सदन में विचारार्थ प्रस्तुत किया है उस सम्बन्ध में मैं निवेदन करना चाहता हूं राजस्थान नगरपालिका अधिनियम सन् १९५९ में इस सदन द्वारा पारित किया गया था । इस कानून को बने हुए आज लगभग ११ साल हो गये । इन पिछले ११ सालों में नगरपालिकाओं के सम्बन्ध में जो अनुभव हमें हुए हैं उनके आधार पर आवश्यकता इस बात की थी की राजस्थान सरकार नगरपालिकाओं के सम्बन्ध में जो कानून बना है उसमें आवश्यक संशोधन करके, एक नया बिल सदन के समक्ष प्रस्तुत करती । और हमने अनेक अवसरों पर इस सम्बन्ध में सरकार के सामने अपनी मांग को दोहराया है । फिर मैं आज पुरजोर शब्दों में कहना चाहता हूं कि राजस्थान नगरपालिका अधिनियम १९५९ में बना और पिछले ११ सालों के अनुभव के आधार पर यह कहा जा सकता है कानून एक प्रकार से आवसोलीट हो चुका है । राजस्थान नगरपालिका विधेयक में हम उसके अनुसार आवश्यक परिवर्तन नहीं कर सके इसके परिणाम स्वरूप नगरपालिकाओं के सामने अनेक प्रकार की कठिनाइयां उपस्थित हुई हैं ।

अध्यक्ष महोदय, मैं इस मत का हूँ कि पीसमील में अमेण्डमेण्ट्स नहीं करने चाहिये । राजस्थान सरकार जो पीसमील अमेण्डमेण्ट्स प्रस्तुत कर रही है में उसका विरोध करता हूं ।

(कई माननीय सदस्यों के आपसी बातचीत करने पर)

श्री अध्यक्ष : सदन में बातचीत न हो ।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : इस तरह पीसमील में अमेण्डमेण्ट्स लाने से नगरपालिकाओं को असन्तोष भी है । इसलिये मेरा यह निवेदन है कि काम्प्रीहैन्सिव लॉ राजस्थान की अर्बन एरिया की नगरपालिकाओं और नगरपरिषद, जो काम कर रही हैं, उनको आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए देश के अन्य

(श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल)

भागों में विकसित और विकास सम्पन्न जो नगरपालिकायें हैं उनके उदाहरण सामने रखकर उसी प्रकार का कानून यहां भी लाया जाय। और उसको प्रवर समिति के सुपुर्द किया जाय, प्रवर समिति में विचार होने के बाद वह प्रतिवेदन सदन में प्रस्तुत हो।

(१२-४० म.प.)

(श्री पूनमचन्द विश्नोई, उपाध्यक्ष, पदासीन)

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : मुझे बड़ा खेद है कि थोड़ी थोड़ी बात लेकर जैसे रिक्शा पुलिंग, फायर ब्रिगेड, एडमिनिस्ट्रेटर का एपोइण्टमेण्ट इस तरह की बातों को लेकर नगरपालिकाओं की अवधि बढ़ाने आदि को लेकर कभी एक क्लाज का अमेण्डमेंट, कभी दो क्लाज का अमेण्डमेण्ट, कभी तीन क्लाज का अमेण्डमेण्ट बिल छोटी छोटी समस्याओं को लेकर विधान सभा में प्रस्तुत करते हैं। यह जो प्रवृति राजस्थान सरकार की है वह घोर निन्दनीय है इसलिये मेरा निवेदन है कि इसके सम्बन्ध में व्यापक रूप से नगरपालिकाओं के संबन्ध में बिल प्रस्तुत करना चाहिये। इस तरह के विचार दोनों पक्ष के माननीय सदस्यों ने सदन में प्रस्तुत किये हैं। उन सब की भावनाओं को ध्यान में रखकर आप इस प्रकार का कानून पेश करते।

उपाध्यक्ष महोदय, आज से ११ साल पहले नगरपालिका कानून बनाया था उस समय परिस्थितियां और थीं आज परिस्थितियां और हो गई हैं। राजस्थान के बड़े कस्बे हैं नगर हैं जहाँ पर कार्पोरेशन्स बना सकते हैं। जयपुर म्युनिसिपैलिटी की जगह कार्पोरेशन बनाया जाय जोधपुर, अजमेर में कार्पोरेशन बनाया जाय। राजस्थान सरकार जो यहां के बड़े शहर हैं उनमें भी कार्पोरेशन बनाने का विचार नहीं करती। राजस्थान की इन शहरों की म्युनिसिपल कौन्सिल्स को ज्यादा अधिकार दिये जायं और कॉर्पोरेशन के आधार पर अधिक पावर्स प्रदान कर प्रशासनिक दृष्टि से उनको मजबूत बनाया जाय। इस बात की मांग मैंने सदन में अनेक मौकों पर रखी है। दोनों ओर के बैठने वाले माननीय सदस्यों ने उससे सहमति प्रकट की है लेकिन खेद है इस राज्य सरकार ने न तो यह कहा है कि जयपुर, जोधपुर और अजमेर को कार्पोरेशन बनाना चाहते हैं और न ही उनके चुनावों के बारे में अभी कुछ कहा है। मैं सदन में फिर दोहराना चाहता हूं जयपुर, जोधपुर, अजमेर जहां की आबादी दो लाख से ऊपर है और जहां पर दो दो विधान सभाओं की सीटें हैं और यदि सरकार चाहे तो उदयपुर, बीकानेर, कोटा जहां की आबादी एक लाख से ऊपर है-इन ६ शहरों में म्युनिसिपल कार्पोरेशन स्थापित किये जायं।

आज यू० पी० में आगरा, लखनऊ, कानपुर, बनारस और इलाहाबाद इन पांच जगह कार्पोरेशन की व्यवस्था की गई है। वहाँ पर यू० पी० सरकार ने कॉर्पोरेशन बनाकर उनको ज्यादा अधिकार प्रदान किये हैं। जमीनें बेचने का अधिकार, इम्प्रूवमेंट के अधिकार और कई प्रकार की प्रॉबलम सोल्व करने के अधिकार दिये हैं। मेरा निवेदन है उसी प्रकार के अधिकार हमारी राज्य सरकार कानून बनाकर विधान सभा में पेश करेगी। मैं माननीय मन्त्री महोदय से चाहूंगा, उपाध्यक्ष महोदय, इसी संदर्भ में

(श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल)

में सदन के माननीय सदस्यों का, जो शहरी क्षेत्र से चुनकर आते हैं या जिनका सम्बन्ध कुछ नगरपालिकाओं के साथ है—इस अवसर पर ध्यान खींचना चाहूंगा, मैंने पहले भी सदन में कहा था कि यह सदन गंभीरता से विचार करे कि आज राजस्थान में जो नगरपालिकाओं की हालत है, आज राजस्थान सरकार ने नगरपालिकाओं की आमदनी को अपने हाथों में लेकर नगरपालिकाओं को पंगु बना दिया है। परसों विधान सभा में एक प्रश्न भी आया था उसमें यह था कि छापर में सफाई कर्मचारी हड़ताल पर हैं और हड़ताल पर होने के कारण उनकी तनख्वाहों का भुगतान नहीं कर रहे हैं। ऐसी स्थिति राज्य की अनेक नगरपालिकाओं में है। वहां की नगरपालिका के अधिकारी अपने कर्मचारियों को वेतन नहीं चुका सकते हैं–यह खेदजनक स्थिति है। उपाध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करना चाहूंगा आमदनी के जरिये राज्य सरकार ने अपने हाथ में लिये हैं--एन्टरटेनमेंट टैक्स, रजिस्ट्रेशन फीस, व्हिकल्स टैक्स के नाम पर, एडवरटाइजमेन्ट टैक्स--ये सारे जितने आमदनी के स्रोत हैं वे सब नगरपालिकाओं को ट्रान्सफर किये जाने चाहिये। मैं यह भी मांग करना चाहता हूं, उपाध्यक्ष महोदय, हमारी लोकतन्त्र की शासन पद्धति में जो ऊपर से नीचे तक बनाई है—संसद को रखा है, विधान सभाओं को रखा है, जिला परिषद और पंचायतों को रखा है-शहरी क्षेत्र में नगरपालिकाओं को रखा है और ग्रामीण क्षेत्र में पंचायतों को रखा है उसके लिये मैं यह कहना चाहता हूं माननीय सदस्यों से कि राज्यों और केन्द्र के बीच फाइनेन्स का बंटवारा किस प्रकार से होगा, इसका संविधान में प्रावधान है। फाइनेन्स कमीशन की नियुक्ति होनी चाहिये जो यह देखे कि कौन कौन से टैक्सेज और कितना-कितना हिस्सा किसी राज्य को मिलना चाहिये वह कमीशन इस बात का निर्धारण करे। मैं मांग करता हूं कौन-कौन से टैक्सेज हैं जो नगरपालिकाओं को मिलने चाहिये। और कौन-कौन से टैक्सेज पंचायतों व जिला परिषदों को मिलने चाहिये। इस बात के लिये राजस्थान में फाइनेन्स कमीशन की नियुक्ति की जाय। वह जांच करे कि कौन कौन से टैक्सेज राज्य सरकार वसूल करती है जो नगरपालिकाओं को मिलने चाहिये, उनमें कितना हिस्सा नगरपालिकाओं को दिया जाना चाहिये और कौन कौन सा हिस्सा पंचायतों को दिया जाना चाहिये। फाइनेन्स को इम्प्रूव करने का एक ही रास्ता है कि राजस्थान में फाइनेन्स कमीशन बनाया जाय और वह राज्य सरकार की होने वाली आमदनी का कितना हिस्सा किस नगरपालिका को दिया जाय उसका निर्धारण करे जो कानून के अन्तर्गत उन नगरपालिकाओं को मिलना चाहिये या पंचायतों को मिलना चाहिये। इस प्रकार की व्यवस्था की जानी चाहिये। उपाध्यक्ष महोदय, आज होता क्या है? आज राज्य सरकार ग्रान्ट देती है, अनुदान देती है और अनुदान में राज्य सरकार की मर्जीदान नगरपालिका है या सत्ता रूढ़ दल की है उसको अनुदान की राशि समय पर मिल जाती है, सुविधा मिल जाती है, सरलता से मिल जाती है···

महारावल श्री लक्ष्मण सिंह : बिलकुल ठीक है।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : लेकिन जिन नगरपालिकाओं में विरोधी दल का बहुमत है उनकी आर्थिक हालत खराब है-आर्थिक

(श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल)

हालत खराब होने से उनकी प्रशासनिक इन ऐफिसियेन्सी नहीं हैं बल्कि धन के अभाव में वे नगरपालिकायें कुछ कर नहीं पाती हैं। राज्य सरकार उनको अनुदान के मामले में सब प्रकार से राजनैतिक आधार पर परेशान करती हैं, वे राजनैतिक भेदभाव के आधार पर अनुदान देने में किस प्रकार की धांधली करते हैं यह प्रश्नों के जो उत्तर दिये जाते हैं उससे अनुमान लगाया जा सकता है। पिछले ५-६ सालों में आपको स्मरण होगा कि ६१ में चुनाव हुये उसके बाद ६३ में चुनाव हुये। उन ६१-६२ के चुनावों में कोटा की नगरपालिका में जनसंघ का बहुमत आया, जयपुर में ६१ में जनसंघ का बहुमत था ६३ में स्वतन्त्र पार्टी का बहुमत था, उदयपुर में जनसंघ की नगरपालिका बनी और राज्य में अनेक स्थानों पर बहुमत आया। जोधपुर में हमारा प्रधान बना, अजमेर में भी कुछ ऐसी स्थिति रही, सीकर और छापर में विरोधी नगरपालिकाओं की कितनी विकट वित्तीय स्थिति रही, यह सब आपसे छिपा हुआ नहीं। जयपुर में चुंगी की चोरी रोकी, उदयपुर नगरपलिका ने अपनी आमदनी के जरिये बढ़ाये, डीडवाना नगरपालिका ने बिना हाऊस टैक्स वसूल किये अपनी आमदनी का जरिया बढ़ाया, चुंगी चोरी को रोका और हुआ क्या उपाध्यक्ष महोदय चुंगी चोरी रोकने पर राज्य सरकार ने नगरपालिका को नोटिस दे दिया। डीडवाना का उदाहरण हमारे सामने है केवल इसी आधार पर डीडवाना नगरपालिका को सुपरसीड किया गया कि उसने साइकिल टैक्स वसूल करना बन्द कर दिया। आज साइकिल टैक्स बन्द कर देने के कारण उसको सुपरसीड कर दिया गया उपाध्यक्ष महोदय यह कितनी खेद की बात है। कोटा की नगरपालिका ने हाऊस टैक्स नहीं लगाया तो उसको भी नोटिस दिया लेकिन सीकर के चेयरमैन महोदय को जिसने गाड़ी–हाथ थैला की खरीद में लाखों रुपयों का घोटाला किया उसका कुछ नहीं किया क्योंकि वह आपका मरजीदान था। इस बारे में राज्य सरकार कोई स्मरण पत्र दिये गये, भूख हड़ताल की गई, धरणा दिया गया लेकिन सीकर के चेयरमैन की कोई जांच नहीं करवाई और कोई जांच भी करवाई तो उसको दबा दिया गया-जांच को दाबकर आप बैठ गये आज उसकी जांच रिपोर्ट मौजूद है। माननीय मंत्री महोदय हमारे पास सारी जांच रिपोर्ट मौजूद है। सीकर नगरपालिका के चेयरमैन पर करप्शन के कई चार्जेज हैं लेकिन राज्य सरकार जांच नहीं करा सकती जनसंघ ने करप्शन के मामले को उठाया उसके सबूत हैं लेकिन आज तक राज्य सरकार ने उस चेयरमैन को नहीं हटाया आखिर आप लोकतन्त्र की कबतक हत्या करोगे, आज आप शासन में बैठे हुये हैं हो सकता है कल आप विरोध में आ सकते हैं।

आज गान्धी शताब्दी के अवसर पर कांग्रेस दो टुकड़ों के अन्दर बंट गई राजस्थान की कांग्रेस पार्टी तीन महिने पहले नीलम संजीव रेड्डी और निजलिंगप्पा के साथ थी-सिन्डिकेट की पूरी समर्थक रही लेकिन जब देखा इन्दिरा जी का शासन ठीक चल रहा है, रेड्डी की हार है तो रातों रात ही बदल गई। रात में सिन्डिकेट और सुबह में इन्डीकेट; यह है आज आपकी राजनीति ? बदलती हुई हवाओं के साथ आप अपनी राजनीति को बदलते रहते हैं

(श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल)

अगर आप इस तरह का रूख इन स्वायत्त शासन संस्थाओं के प्रति रखेंगे तो लकेतन्त्र की जड़े खुदेंगी। राजस्थान के लोकतन्त्र में कांग्रेस का यह रवैया रहा है, हमारे राजस्थान में जनतन्त्र की जड़े खुदी हैं उपाध्यक्ष महोदय, इसी संदर्भ में निवेदन करना चाहता हूं और इसीलिये मैंने मांग की है कि आज नगरपालिकाओं की वित्तीय हालत को सुधारने के लिये माननीय मन्त्री महोदय सदन को बतायेंगे कि हमारी नगरपालिकाओं की क्या स्थिति है ?

राज्य सरकार ने माथुर कमेटी बनाई थी, उसने अपनी रिपोर्ट दी इससे पहले भी एक कमेटी बनी थी, उसका मैं भी सदस्य था। उस कमेटी ने अपनी बैठकें कीं और राज्य सरकार को रिकमन्डेशन की, उन रिकमन्डेशन्स का क्या हुआ, उन सिफारिशों का क्या हुआ ? राज्य सरकार ने विचार नहीं किया और न ही कोई कानून में संशोधन किया। उपाध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करना चाहता हूं आज राजस्थान की नगरपालिकाओं की दयनीय हालत होगी और शायद इतनी दयनीय हालत की हमारी पंचायतों की भी उतनी दयनीय हालत नहीं है। आज राजस्थान में नगरपालिकाओं पर १५० प्रशासक काम कर रहे हैं उनके चुनाव नहीं करा रही है। जब राजस्थान में राष्ट्रपति शासन लागू हो गया था और वह राष्ट्रपति शासन करीब डेढ़ महीने ही रहा तो कांग्रेस की सरकार किस प्रकार किलबिला उठी जिस प्रकार मछली बिना पानी के किलबिला उठती है। यह तो इनकी डेढ़ महीने में हालत हो गई थी। उपाध्यक्ष महोदय, अनुमान लगाइये १५० नगरपालिकाओं के चुनाव नहीं हो रहे हैं और उनमें वर्षों से प्रशासक काम कर रहे हैं और प्रशासक भी ऐसे, उपाध्यक्ष महोदय, जिनको ५५ साल पूरे हो गये हैं। ५५ साल में रिटायर हो जाने चाहिये। सदन में घोषणा की थी कि हम ५५ साल बाद रिटायर करे रहे हैं। मैं माननीय मंत्री महोदय से पूछना चाहता हूं होली के अवसर आपके यहां फायरबिग्रेड भेज दें, आपके घर में सफाई की व्यवस्था करवा दें, दो हरिजन आकेप यहां तैनात कर दें क्या इसीलिये आपने नगरपालिकाओं में प्रशासक की नियुक्ति कर रखी है। समय उनका पूरा हो गया है लेकिन प्रशासक महोदय अभी चल रहे हैं और सरकार ने आदेश निकाले और उसमें लिखा है कि इन्टेरिम अरेन्जमेंट के लिए जब तक दूसरी व्यवस्था नहीं हो यह काम करते रहेंगे। उनको कोई अधिकार नहीं है, वह राज्य सरकार की सेवा में नहीं, जो राज्य सरकार की सेवा में नहीं, जो रिटायर हो गया, जिसका रि-एम्प्लायमेंट नहीं, जिसका रि-एपॉइन्टमेन्ट नहीं वह व्यक्ति जो भी एडमिनिस्ट्रेटर के पद पर काम कर रहा है। उपाध्यक्ष महोदय बड़ा खेद है इस बात का यह बात सही है और माननीय सदस्य की यह बात मानने को मैं तैयार हूं कि यू. आई. टी. में दो व्यक्ति भेजने का सवाल तो वह नॉमीनेट करेगी म्युनिसिपैलिटी और म्युनिपैलिटी नहीं है तो एडमिनिस्ट्रेटर करेगा। लेकिन जो इन्टेरिम पीरियड के लिए एडमिनिस्ट्रेटर बना हुआ है, टेम्पोरेरी काम चलाऊ प्रशासक है उसको अधिकार नहीं दिया गया है कि वह दो यू. आई. टी. में नॉमीनेट कर दे। आज मिनिस्टर को अधिकार नहीं है कि चीफ इन्जीनियर यदि

(श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल)

छुट्टी चला जाये तो वह उसकी जगह पर काम करे। मिनिस्टर हालांकि चीफ इन्जीनियर से ऊपर है, उसके आदेशों को वह रद्द कर सकता है लेकिन कानून में इजाजत नहीं है कि कोई भी मिनिस्टर चीफ इन्जीनियर का चार्ज अपने हाथ में ले ले। इसी तरह से जिसका प्रोवीजनल कन्टीनुएन्स किया गया है—जिसका रि-एपॉइन्टमेन्ट नहीं, जिसका एक्सटेन्शन नहीं, जिसका रि-एम्पलॉयमेन्ट भी नहीं फिर किस तरीके से व्यक्तियों रो उन्होंने नामीनेट किया है। एक तो खुद को कर लिया और एक दूसरे कमिश्नर को कर दिया। उनको यू. आई. टी. में भेज दिया। ऐसे एक नहीं, उपाध्यक्ष महोदय, अनेक उदाहरण है राजस्थान में। मैं नाम नहीं लेना चाहता हूं क्योंकि अधिकारियों के बारे में व्यक्तिगत रूप से उनके खिलाफ बोलने की आदत नहीं है। लेकिन बनेड़ा और शाहपुरा से आने वाले माननीय सदस्य इसको समझ भी गये होगें क्योंकि वह काफी इन्टेलिजेन्ट हैं इस मामले में।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन कर रहा था एक बात इस सदन में उठाई गई। आज राजस्थान के अन्दर सन् १९५९ में नगरपालिकायें बनीं। क्या ११ साल में कस्बों की आबादी नहीं बढ़ी ? क्या ऐसी कोई भी पंचायत नहीं है जिसको नगरपालिका में परिवर्तित किया जा सकता है ? क्या उनकी आबादी आज दस हजार से ऊपर नहीं हुई ? क्या लालसोट की आबादी इतनी नहीं हुई ? नगर क्षेत्र की आबादी कितनी है जो कि भरतपुर में है ? ऐसे एक नहीं अनेक स्थान हैं छीपाबड़ोद की आबादी कितनी है, मांगरोल की आबादी कितनी है ? आबादी दस हजार से ऊपर हो गयी उनको नगरपालिकायें नहीं बनायेंगे यह किस को बनायेंगी हमने सदन में प्रश्न पूछा कि लालसोट को नगरपालिका क्यों नहीं बना रहे हैं तो कहने लगे कि १० हजार की नहीं हुई है। उपाध्यक्ष महोदय, मुझे बड़े खेद के साथ कहना पड़ता है मैं मन्त्री महोदय से चाहता हूं और नाहर साहब क्या आप उसका समर्थन करेंगे लालसोट को नगरपालिका नहीं बनाया जाये क्योंकि वहां कांग्रेस नहीं जीतती हमेशा विरोधी जीतता है और एक जगह है आमेठ इसकी आबादी ६६१६ है, दूसरी जगह पीलीबंगा जिसकी आबादी ४ हजार है। यह माननीय उप-मन्त्री जी इसमें दिलचस्पी रखते होगें, केसरीसिंहपुरा की आबादी ४६७० है, विजयनगर जो गंगानगर में है उसकी आबादी ३६५३ है और उदयपुर में फतेहनगर है उसकी आबादी ७६०० है—इनको नगरपालिका में परिवर्तित करने के बारे में सरकार विचार कर रही है……

महारावल श्री लक्ष्मणसिंह : विजयनगर में भी बना रहे हैं ?

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : बना रहे हैं। वहां पर नगरपालिका बनाने का राज्य सरकार के विचाराधीन है। क्या सरकार मना कर सकती है ? यह मेरे प्रश्न का उत्तर है। मना करेगी तो कैसे करेगी मैं गरदन से पकड़ लाऊंगा। प्रश्न में लिखा है निम्न ग्राम पंचायतों को नगरपालिका में परिवर्तित करने के मामले राज्य सरकार के विचाराधीन हैं, नाम पंचायत और इनकी जनगणना के यह आंकड़े दिये हुए हैं! नाहर साहब, यह तो पकड़े गये इसलिए

(श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल)

इन्कार नहीं कर सकते बाकी चोरी चोरी तो करते हैं। आप उनका समर्थन करते हैं।

श्री मुल्कराज सिंह (उपमन्त्री) : उसके साथ अगर गांव भी लगा हुआ है तो हो सकता है।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : आपका तर्क उप-मन्त्रीजी यह है कि उसके आसपास के गांवों को मिलाकर आबादी को दस हजार की कर दी जायेगी। तो इस तरह से हर क्षेत्र होगा जिसके आसपास गांव न हो। आप जहां करना चाहें कर सकते हैं ···

श्री मुल्कराज सिंह : आपने केसरीसिंहपुरा का कहा बिलकुल उसके साथ एक गांव है।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : मुझे उसमें एतराज नहीं है। मैं उसका विरोध नहीं करता आपका इलाका है। आपको करना जरूरी है तो कीजिए लेकिन मैं तो यह कहना चाहता हूं कि आप तो रोटी खायें और दूसरे भूखों मरें यह कहां का न्याय है? आप करें मुझे इन्कार नहीं है। मैं तो उनका केस प्लीड कर रहा हूं जहां आप नहीं करते हैं ···

श्री मुल्कराज सिंह : आपसे निवेदन किया था कि कोई मांग ही नहीं करे, कलेक्टर की तरफ से नहीं आये, ग्राम पंचायतों की तरफ से नहीं आये, वहां के लोगों की तरफ से नहीं आये तो किस तरह से नगरपालिका बनाई जा सकती हैं।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : नगर भरतपुर का है, लालसोट, छींपाबड़ोद की मांग पेन्डिंग है। आप कह दीजिये कि हम उनके ऊपर सहानुभूतिपूर्वक विचार करेंगे।

दूसरे मैं निवेदन करूंगा कि इस संबंध में आप विचार कीजिये और राजस्थान के अन्दर कौन कौन से कस्बे और कौन कौन सी पंचायतें ऐसी हैं जिनकी आबादी १६७० में १० हजार से ऊपर हो चुकी है उन सारे ग्राम पचायत क्षेत्रों को नगरपालिका में परिवर्तित कीजिए। चाहे वह ग्राम पंचायतें विरोधियों के क्षेत्र में आती हों या सत्तारूढ़ दल के क्षेत्र में आती हों।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं इस सम्बन्ध में अधिक कुछ नहीं कहते हुए एक दो बात और कहना चाहूंगा। माननीय स्वायत्त शासन मन्त्री महोदय ने इस सम्बन्ध में कानून भी सदन में पेश किया है। अब जो भी कानून सदन के सामने लाने जा रहे हैं उसके सम्बन्ध में व्यवस्था की गई है कि राजस्थान में नगरपालिका क्षेत्रों में जो रिक्शे चलते हैं उन रिक्शों का चलन, उनका किराया, उनकी हालत, उनकी अवधि, उनके मालिक और रिक्शों के लाइसेन्स इस सम्बन्ध में कड़ा नियन्त्रण किया जाये और कड़ा नियन्त्रण किस आधार पर किया जाये, यह सिफारिश किस ने की है तो उपाध्यक्ष महोदय, यह विधेयक आपके सामने भी होगा इसके उद्देश्य और कारणों में लिखा हुआ है अन्त में जाकर :

"The problem of Rickshaw pulling was given a serious thought and consideration at the All India Labour Ministers Conference."

आल इण्डिया लेबर मिनिस्टर्स कांफ्रेन्स में इसको बहुत सीरियस थाट दिया गया और इतना सीरियस थाट दिया गया है इसलिए राज्य सरकार ने यह महसूस किया कि तुरन्त विधान सभा में एक कानून लाया

(श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल)

जाय। नगरपालिका के कानून में बाकी संशोधन करने की आवश्यकता नहीं इस मामले में तुरन्त संशोधन किया जाय और राज्य सरकार ने लेबर मिनिस्टर्स की कान्फ्रेन्स में जो सीरियस थाट दिया गया, जो गम्भीर निर्णय लिया गया, विचार किया गया उसकी क्रियान्विति के लिए कदम उठाया है। इसके लिए तो मैं उनको बधाई देता हूं। लेकिन, उपाध्यक्ष महोदय, यह कान्फ्रेन्स हुई थी कब? यह सीरियस थाट दिया तो वह कान्फ्रेन्स हुई थी आल इंडिया लेबर मिनिस्टर्स कान्फ्रेन्स हैल्ड एट हैदराबाद इन १६५५।

श्री मूलचन्द डागा : २० साल के पहले कर दिया। आप और क्या चाहते हैं?

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : इनकी अक्ल पर तरस भी आता है और खेद भी होता है। निन्दा करने की भी तबियत करती है लेकिन यह जोड़ी सामने बैठी है स्वायत्त शासन विभाग को सम्भाले हुए इसको देखकर रहम भी आता है एक दिल के मरीज है और एक दिमाग के मरीज हैं। इसलिए मैंने यदि कहीं गहरी चोट कर दी तो मैं समझता हूं कि एक सवाईमानसिंह हॉस्पिटल में जायेगा और एक मेंटल हॉस्पिटल में जायेगा।

श्री मूलचन्द डागा : आप में काफी करुणा भरी हुई है।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : डागाजी, आप वकील हैं और मेरे मित्र हैं।

श्री उपाध्यक्ष : आर्डर प्लीज, आपस में बात न करें, माननीन सदस्य।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : आज १५ साल के बाद इस सीरियस प्रॉब्लम पर ध्यान दिया।

इस सदन में पिछले साल रिक्शा पुलर्स की तरफ से विधान सभा के समक्ष प्रदर्शन किया गया। राज्य सरकार को एक ममोरन्डम दिया और हमने कुछ मांग रखी थीं। राज्य सरकार ने मैं समझता हूं कि आश्वाशन दिया। उससे पहले साल भी यह बात हुई थी। मैं पूछना चाहता हूं कि आप रिक्शा पुलिंग कम करना चाहते हैं। उपाध्यक्ष महोदय, आप भी अनुभव करेंगे कि इसमें लिखा है कि गली मोहल्ले में रिक्शा नहीं जाय, उनका चालन वन्द किया जाय, उनका समय निर्धारित किया जाय। वैसे जयपुर शहर में गली-मोहल्ले में रिक्शा नहीं जाता है क्योंकि सड़कें टूटी हुई हैं। रिक्शा नहीं चल सकता है, उसमें कोई बैठ नहीं सकता।

मैं निवेदन करना चाहता हूं कि यह रिक्शा पुलिंग केवल इस आधार पर वन्द नहीं हो सकता है कि आप रिक्शा पुलिंग वन्द करना चाहते हैं। रिक्शा पुलिंग रिक्शा पुलर नहीं रिक्शा मालिक करता है। यह कहा गया है इसमें कि जो रिक्शा मालिक है वे रिक्शा पुलर्स का एक्स्प्लॉयटेशन करते हैं, तो मैं समाजवादी सरकार से एक बात कहना चाहता हूं कि क्या सरकार मेरे कथन का समर्थन करेगी कि रिक्शा मैन्यूफैक्चरिंग की इन्डस्ट्री राजस्थान पब्लिक सेक्टर में लगाये? गरीबों का मामला है। गरीबों के लिए पब्लिक सेक्टर में रिक्शा बनाये जायं और गरीबों को चार आने रोज पर रिक्शे दिये जाय नो फॉफिट नो लॉस पर इन्डस्ट्री

(श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल)
चलाई जाय। रिक्शा कितने दिन तक चलेगा। उसकी लाइफ ५ साल की है तो पांच सालों में स्प्लिट ओवर कर दिया जाय। कितने पैसे लगते हैं तो चार आने ६ आने के हिसाब से रिक्शा पुलर बैंक में जाकर गवर्नमेंट जैसा कहेगी रोजाना उस पैसे को जमा करा दें। उसका एकाउन्ट खोल दिया जायगा। उसको लोन एडवान्स किया जाय। उसको रिक्शा क्रेडिट पर दिया जाय। क्या सरकार यह करेगी? नहीं करेगी। रिक्शा पुलर के लिए नहीं करेगी। उसके लिए पैसा नहीं है। उसके लिए पैसा कहां से आयेगा? ६० लाख सवाईमाधोपुर को देकर ढाईलाख का चन्दा लेना है। रिक्शा-पुलर को आप क्या देने वाले हैं? वह झण्डी तो जनसंघ की लगाने वाला है। उसके लिए आप क्या करने वाले हैं? उपाध्यक्ष महोदय, आज गरीब के लिए कांग्रेस नहीं रही है और कांग्रेस में गरीब नहीं रहे हैं···

श्री मनोहरसिंह मेहता : बहुत अच्छा कहा।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : इसलिए गरीबों के लिए आपका कोई ध्यान नहीं है आपका उनके लिए कोई आब्जेक्टिव नहीं है। आपका राजनैतिक नारा है। कांग्रेस के माननीय सदस्य मेरी इस मांग का समर्थन करेंगे और सरकार पर दबाव डालेंगे कि पब्लिक सेक्टर में रिक्शा बनने चाहिए और सरकार को रिक्शा देना चाहिये। रिक्शा-पुलर की हालत उसके बिना नहीं सुधर सकती है। उनका शोषण उसके बिना नहीं रुक सकता है आप कितने ही कानून बना लें।

मैं, उपाध्यक्ष महोदय, निवेदन करना चाहता हूं कि आप रिक्शा-पुलिंग बंद करेंगे तो रिक्शे वाला करेगा क्या? आज कांग्रेस राज्य की योजनाओं में उनको ऑलटरनेट एम्प्लायमेंट प्रोवाइड नहीं कर सकते हैं। रिक्शा चलाने में किसी को आनन्द नहीं आता है। रिक्शा चलाने में बहुत तकलीफ होती है। उपाध्यक्ष महोदय, रिक्शा चलाने में तकलीफ तो होती है तो रिक्शा वाले जितने भी हैं वे ज्यादातर गांवों से आते हैं। आप आज उनको गांवों में भूमि नहीं दे सकते हैं। आज भूमिहीन काश्तकार घूमते हुए रिक्शा चलाते हैं। वे घूमते हैं लेकिन उनको भूमि नहीं है। अगर भूमि है तो एलॉटमेंट नहीं होता है, एलॉटमेंट है तो कब्जा नहीं है और कब्जा नहीं मिलता है तो भूमिहीन गावों से चलकर···

श्री उपाध्यक्ष : आपका भाषण लम्बा हो गया है।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : ५ मिनिट में खत्म कर दूंगा।

रिक्शा लेकर रिक्शा चलाता है। माननीय सदस्य इस बात पर विचार करेंगे कि जब तक उनको ऑलटरनेट एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड़ नहीं करेंगे और रिक्शों की संख्या में कमी करेंगे तो केवल यह एक राजनैतिक नारा हो सकता है। यह केन्द्रीय सरकार को खुश करने की बात हो सकती है, यह मानवीय दृष्टिकोण कहा जा सकता है, लेकिन मानवीय दृष्टिकोण यह भी है कि जिसको खाने के लिए रोटी मुहैया नहीं है, जिसको रोजगार नहीं है उसको रोजगार दें। उसको रोजगार नहीं दे सकते तो करेगा क्या? उपाध्यक्ष महोदय, चार हजार लोग इसी जयपुर शहर के सवाई मानसिंह अस्पताल में अपना खून बेचकर

(श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल)

अपना पेट पालते हैं। अपने शरीर का खून बेचते हैं और २५ रुपये लेते हैं और फिर अपना पेट पालते हैं, या राजस्थान की सरकार जो कि गरीबों को रोजगार नहीं दे सकती है, उनको रोटी नहीं दे सकती है, उनके खाने का इन्तजाम नहीं कर सकती है...

एक माननीय सदस्य : भूखे मरो।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : वह रिक्शों का चलाना बन्द करेगी ? यह कहने की आवश्यकता नहीं है। मैं तो इस दृष्टि से कह रहा हूँ कि मानवीय दृष्टिकोण इस सम्बन्ध में क्या है इस पर सोचिये। जयपुर में रिक्शा चलाना बन्द किया जाय तो उनको आटोरिक्शा दें! आज सरकार ने कितने लोगों को आटोरिक्शा दिये ? क्यों नहीं देती है ? क्यों नहीं देती है लोन ? मैं माननीय सदस्यों की जानकारी के लिए कहूँगा कि एक प्रश्न, मैंने समाचार पत्रों में पढ़ा, जानकारी के लिए, पार्लियामेंट में खड़ा हुआ। किसी माननीय सदस्य ने पूछा कि हिन्दुस्तान में बैंक नेशनेलाइजेशन के बाद कितने रिक्शा पुलर्स को लोन दिया गया ? तो जवाब दिया गया कि चार रिक्शा पुलर्स को। चार रिक्शा पुलर्स को हिन्दुस्तान में लोन मिला है बैंकों के नेशनेलाइजेशन के बाद। आज बैंक के नेशनेलाइजेशन के बाद बिरला और टाटा को लोन मिल सकता है। लोग तारीफ करते हैं और माननीय रामानन्दजी की काम्युनिस्ट पार्टी ने भी वाह-वाह के नारे लगा दिये। आज, उपाध्यक्ष महोदय, नारे लगाना अलग बात है और वास्तविकता अलग है और यथार्थता अलग है। यदि आप रिक्शा पुलर्स की हालत सही करना चाहते हैं तो एक मालिक को कम कर दें तो ५० रिक्शा-पुलर्स बच गये और एक रिक्शे पर १५ रुपये के हिसाब से ७५० रुपये रिक्शा पुलर्स के डेली बच गये। रिक्शा के मालिकों में कमी नहीं करेंगे लेकिन रिक्शा पुलर्स में कमी करेंगे, तो इससे कोई समस्या हल नहीं होने वाली है।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करना चाहता हूं कि आज राजस्थान नगरपालिका विधेयक में जो यह पीसमील संशोधन ला रहे हैं मैं इसका विरोध करता हूँ......

श्री रामचन्द्र आर्य : लूप लगाना हो तो वह तो लगा लें।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : उपाध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करना चाहता हूँ कि यह जो पीसमील में जो एमेंडिंग बिल्स लाये जाते हैं बार बार—पिछली बार भी आपको मालूम होगा, शंकरलालजी, कि जयपुर के एडमिनिस्ट्रेटर के एपाइंटमेंट को वेलिडेट करने के लिए बिल लाया गया था, एक बार फायर ब्रिग्रेड के लिए बिल लाया गया है, एक बार एन० सी० सी० और होमगार्ड के बारे में बिल लाया गया है एक एक क्लाज के बिल और दो-दो लाइनों के बिल ये सदन में पेश करते हैं तो मैं समझता हूं कि सदन का समय जाया करते हैं और हमारे लेजिस्लेटिव राइट्स पर कुठाराघात करते हैं।

उपाध्यक्ष महोदय मैं निवेदन करना चाहूंगा कि राजस्थान म्युनिसिपल एक्ट १६५५ को एमेंड किया जाय कम्प्रिहेन्सिवली परिस्थितियों के अनुसार, और इन बड़े बड़े

(श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल)
शहरों के लिए जो कि मैंने नाम गिनाये हैं उनके लिए फाइनेन्स कमीशन नियुक्त किया जाय जिसको कि इस बारे में जो प्रोग्रेसिव व्यूज हो सब लोग सूचित करें। राजस्थान की नगरपालिकाओं के चुनाव पिछले कई वर्षो से नहीं हुए हैं और नगरपालिकाओं में प्रशासक काम कर रहे हैं। मैं मंत्री महोदय से चाहूंगा कि इस सदन में घोषणा करें कि राजस्थान नगरपालिकाओं के चुनाव कौन सी तारीख तक निश्चित रूप से कर दिये जायेंगे। यह घोषणा आज सदन में होनी चाहिए।

इन्हीं शब्दों के साथ मैंने इस बिल को जनमत जानने के लिए प्रसारित करने के लिए जो प्रस्ताव प्रस्तुत किया है माननीय सदस्यों की सेवा में मैं आशा करता हूं कि सदन के दोनों तरफ बैठने वाले माननीय सदस्य मेरे विचारों का समर्थन करेंगे और मेरे प्रस्ताव को स्वीकृति प्रदान करेंगे।

श्री मूलचन्द डागा : उपाध्यक्ष महोदय,......

श्री उपाध्यक्ष : विरोधीपक्ष के नेता महोदय।

श्री मूलचन्द डागा : इसमें मेरा संशोधन है......

श्री प्रेमसिंह सिंघवी : क्या हो गया ?

श्री मूलचद डागा : विरोधीपक्ष के नेता बोल रहे हैं।

महारावल श्री लक्ष्मणसिंह (डूगरगढ़) : उपाध्यक्ष महोदय, यह प्रस्ताव है कि इस बिल को जनमत जानने हेतु प्रसारित किया जाय। मैं एक तरह से सरकार की नियत को नहीं समझ सका कि यह तीन अलग-अलग बिल फुटकर रूप से क्यों लाये गये ? जैसा कि मेरे पूर्व वक्ता ने कहा कि ऐसा सदन के समय को व्यर्थ में नष्ट करना है। मैं इस भावना का समर्थन करूंगा। मैं अत्यन्त आवश्यक समझता हूं, उपाध्यक्ष महोदय कि सरकार इसका म्युनिस्पैलिटीज के सम्बन्ध में एक कोडीफाइड मेजर लाए ताकि दो तीन मेजर्स लाकर उसको पीसमील रूप में जोड करे। फिर तो वही कन्फ्यूजन बना रहा। इसलिए एक कोडीफाइड मेजर आना आवश्यक है। साथ ही साथ में यह भी निवेदन करूंगा कि जैसे पंचायतों को स्वावलम्बी बनाना परम आवश्यक है, इसी तरह से म्युनिस्पैलिटीज को भी स्वावलम्बी बनाना आवश्यक है। सरकार जानबूझकर म्युनिस्पैलिटी को परालम्बी बनाने की चेष्टा कर रही है। मैं समझता हूं कि यह डिस्किमिनिश चल रहा है। म्युनिस्पैलिटी का विनाश क्यों करते हैं ? सरकार के स्टेट टैक्सेज का अधिकार और म्युनिस्पिल के टेक्सेज का अधिकार स्पष्ट होने चाहिए। ओवरलैपिंग व्यस्वथा है। जब भी ओवरलेपिंग व्यवस्था होगी तो जो एडमिनिस्ट्रेटर होगा वह अधिक अधिकार हस्तगत करने की चेष्टा करेगा। इसलिए म्युनिस्पिल और स्टेट की आय के स्रोत अलग अलग होने चाहिए। उनका विभाजन होना चाहिए। यह, उपाध्यक्ष महोदय, सिंगल मेम्बर और डबल मेम्बर की व्यवस्था की गई है यह तो बहुत कन्फ्यूज्ड व्यवस्था है लेकिन मेरी व्यक्तिगत भावना है जो कि स्पष्ट करना चाहता हूं। अगर डिलिमिटेशन करना चाहते हैं, सीमा निर्धारित करते हैं...

श्री पी० के० चौधरी (फुलेरा) : ओन ए प्वाइंट ऑफ आर्डर, सर। आप भगवानदास शास्त्री के बिल पर बोल रहे हैं या कि बिल फार कन्सीडरेशन पर बोल रहे हैं ?

महारावल श्री लक्ष्मणसिंह : उपाध्यक्ष महोदय, यह इण्टरलिंक्ड है। मेरा जो व्यू है उसमें यह सब सम्बन्धित, विषय इण्टरलिंक्ड है। मेरा ख्याल है, जैसा कि मन्त्री महोदय का व्यू है वैसा ही मेरे दिल का भी व्यू हो सकता है। इसलिए मेरा निवेदन है, सब पर मैं अपने विचार व्यक्त करते हुए अन्त में मैं दो शब्द निवेदन करूंगा। मैं सदन का ज्यादा समय नहीं लूंगा। आपने जो निर्वाचन-क्षेत्र की सीमाएं रखी हैं, उनका आधार क्या है? मेरा स्वयं का अनुभव है। जहां कि विधान सभाओं के क्षेत्र हैं, सुरक्षित कौन से रखे जाएं और जनरल सीटें कौन सी रखी जाए, इसका आधार होना चाहिए। इसके लिए मैं निवेदन करूंगा कि डूंगरपुर शहरी क्षेत्र के बारे में, वहां की आबादी ५% भी आदिवासी नहीं है। उसे कैसे सुरक्षित क्षेत्र में रखा जाए? उस क्षेत्र को जहां कि वह वोटर नहीं हैं? जिनके लिए ऐसा क्षेत्र बनता है, यह उनके भी हित में नहीं है मैंने इलेक्शन कमीशन को बताया। उस समय सारे लोगों ने मुझे कहा कि आप का सोचना गलत है। सौभाग्य की बात है कि इलेक्शन कमीशन ने मेरी बात मानी। अगर आप को सुरक्षित क्षेत्र कायम करना है तो कम से कम वहां उनकी आबादी १५% तो होनी चाहिए। १५% हरिजन वोटरों की बस्ती नहीं है तो कोई सुरक्षित क्षेत्र नहीं हो सकता है। जहां इन लोगों की वाजिब बस्ती है, कोई न कोई प्रतिशत संख्या के अन्दर १५/२०% की बस्ती हो, तो सुरक्षित क्षेत्र चल सकता है। लेकिन वहां पर यह निर्णय राजनैतिक आधार पर किया जाएगा। ऐसी मेरी आशंका है, ऐसा मेरा अनुभव है। जैसा कि मैं कटु अनुभव करता हूं। सरकार को यह निष्पक्षतापूर्वक गम्भीरता से विचार करना चाहिए। उपाध्यक्ष महोदय, मेरा यह अनुभव है कि म्युनिस्पिलिटीज की जहां पर कार्य की अवधि समाप्त होती है वहां पर एडमिनिस्ट्रेटर कायम होता है। अधिकांश विरोधी पक्ष की म्युनिस्पिलिटीज़ जहां हैं वहां ऐसी व्यवस्था की जाती है, जैसा कि मेरे पूर्व वक्ता ने कहा है।

श्री भीखा भाई : पक्षपात राजनैतिक आधार पर किया जाता है, यह गलत है।

महारावल श्री लक्ष्मणसिंह : मन्त्री महोदय को अधिकार है विचार व्यक्त करने का, उतना ही मुझे भी अपने विचार व्यक्त करने का अधिकार है। मेरी आशंका है। मैं सदन के सामने विचार व्यक्त करूं। मैं सरकार पर आरोप लगाये बिना नहीं रह सकता हूं। म्युनिस्पिलिटीज की नीति सरकार की पक्षपात की नीति है न केवल पक्षपात की नीति है अपितु पक्षपात की पराकाष्ठा पर है। एडमिनिस्ट्रेटर के सम्बन्ध में मेरा निवेदन करना है उपाध्यक्ष महोदय, यह एडमिनिस्ट्रेटर एक तरह का छोटा मोटा हिटलर होता है। भ्रष्टाचार के ऊपर उसका जीवन निर्धारित है लोगों के शोषण में बिलकुल मस्त हैं। जो सेवक होने चाहिए वही वास्तविक रूप से शासक के रूप में आज काम कर रहे हैं। उपाध्यक्ष महोदय, इस सदन में १६६६ में यह घोषणा सरकार द्वारा की गई थी रिक्शा के सम्बन्ध में कि मनुष्य को मनुष्य खींचकर चले यह अमानवीय है। अशोभनीय है। इस सम्बन्ध में सरकार ने तरह तरह की बातें कहीं। रिक्शा चलाना ठीक है या नहीं ठीक है, जो भी चल रहा है, मेरे ख्याल से रिक्शा चलाना भारतवर्ष के लिए हमारी खास

(महारावल श्री लक्ष्मणसिंह)

समस्याओं को मद्दे नजर रखते हुए एक ऐसी व्यवस्था है जिस पर सरकार को गम्भीरतापूर्वक विचार करना होगा। यह रोजी रोटी का प्रश्न है और अगर रोजी रोटी के प्रश्न पर सरकार के पास कोई ऐसी व्यवस्था नहीं है। अगर रिक्शा को मैकेनाइज्ड कर दें तो आज गरीब लोग, जो रिक्शा चला रहे हैं, उनके लिए रोजी रोटी की कोई अव्यवस्था हो सकती है। इसलिए मैं समझता हूं कि रिक्शा को कतई बन्द कर देना व्यवहारिक है और इसका औचित्य में नहीं देख सकता। मैं इसका विरोध करूंगा और जब तक सरकार के पास कोई ऐसी ठोस योजना नहीं हो जिसको शनैः शनैः कार्य रूप में सरकार परिणित नहीं कर सके तब तक एकदम लाक स्टाक एण्ड बैरल इन रिक्शा वालों को बिल्कुल बन्द कर देना बिल्कुल अवास्तविक होगा। यह सरकार को मैं निवेदन कर देना चाहूंगा।

खास खास म्यूनीसिपैलिटीज के सम्बन्ध में, उपाध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन कर देना चाहूंगा। आपने बहुत सी म्यूनीसिपैलिटिज को बन्द किया है, उदाहरणार्थ सन् १६०६ की गलिया कोट म्यूनिसिपैलिटी को आपने खत्म किया। उसका मूल कारण था, सदा से आपका वह समर्थन, शासनारूढ़ दल का समर्थन गलियाकोट कस्बे के लोग नहीं करते हैं। इस गलियाकोट में म्यूनीसिपैलिटी १६०६ में कायम हुई थी, पचास वर्ष पहले की म्यूनीसिपैलिटी हैं, उसकी राजस्थान भर में मेरे ख्याल में सर्वप्रथम म्यूनीसिपैलिटी के रूप में गलियाकोट की म्यूनीसिपैलिटी की गणना की जाय तो अतिशयोक्ति नहीं होगी। उसको आपने समाप्त किया। अब मैंने सुना हैं, तीन तीन हजार और चार चार हजार की आबादी के कस्बों में आप म्यूनीसिपैलिटी का अधिकार देना चाहते हैं, तो कम से कम मैं भी अपनी विचारधारा के अनुसार यह आवश्यक समझता हूं कि आपने जिन स्थानों पर म्यूनीसिपैलिटी थीं, वहां के नागरिकों का वह अधिकार आपने ले लिया और पंचायत बना दी और उस पंचायत को भी, माननीय मंत्री महोदय मेरे जिले से आते हैं, उनको खूब मालूम है कि उसको सागवाड़े में रखा है। सागवाड़ा पंचायत समिति में नहीं रख कर गलियाकोट को सीवनवाड़ा पंचायत समिति के अन्दर रख कर त्रिशंकू की तरह अधर में लटका दिया है।

चुंगी के सम्बन्ध में वैसे बिल आने वाला है लेकिन इसके साथ भी वह संबंधित है, इसलिए मैं निवेदन करना चाहूंगा कि रिक्शा को मेकेनाइज्ड करके आय का स्रोत म्यूनीसिपलिटी का सरकार समाप्त करना चाहती है, मैकेनाइज जब रिक्शा हो जायं तो सरकार उसकी आय का स्रोत अपने हाथ में हस्तगत करना चाहती है, उसी तरह से चुंगी की व्यवस्था को अपने हाथ में हस्तगत करना चाहती है। म्यूनीसिपैलिटी की बात रख कर म्यूनीसिपैलिटीज को सरकार पंगु बनाना चाहती है – इसका मैं कड़ा से कड़ा विरोध करूंगा। नगरपालिकाओं का राज्यीयकरण राज्य सरकार करना चाहती है, जिसको हमारा दल स्टेटिज्म कहता है– उसका हम विरोध करते हैं। मैं मंत्री महोदय से निवेदन करूंगा कि चुंगी की व्यवस्था है वह म्यूनीसिपैलिटी के हाथ में अनादि काल से रही है, वह उनको यथावत दी जानी चाहिए।

(महारावल श्री लक्ष्मणसिंह)

मैं यह भी निवेदन करना चाहूंगा कि अगर चुंगी की व्यवस्था सरकार ले लेगी तो छोटे व्यापारियों के लिए यह बहुत अहितकर होगा। राज्य सरकार के कर्मचारी छोटे व्यापारियों को हर तरह से परेशान करेंगे और उनको व्यापार नहीं करने देकर हर जगह और हर कदम पर कहेंगे-हमको रिश्वत चाहिए। जय हिन्द का जमाना है, जेब गरम करो। तो यह भ्रष्टाचार की व्यवस्था परिपूर्ण छाई हुई है—इसको देखते हुए यह चुंगी की व्यवस्था छोटे व्यापारियों के लिए अत्यधिक अहितकर होगी। इतना ही मैं निवेदन करना चाहूंगा।

श्री उपाध्यक्ष : श्री मूलचन्द डागा।

श्री मूलचन्द डागा (पाली) : उपाध्यक्ष महोदय, ऐसा कानून, जिसे कहना चाहिए-बैड़ लॉ, और इतना अनसर्टेन लॉ—मैंने कहीं नहीं देखा। मेरा निवेदन है, इस कानून को पारित कराने की आवश्यकता क्यों हुई? पन्द्रह साल के बाद आपने यह कानून बनाया है, उसके सम्बन्ध में रामकिशन साहब, जो समाजवादी है, उनको यह बड़ा कानून लगे और कहें कि रिक्शा वालों के लिए बड़ा कानून पास कर दिया। या फिर नाहर साहब समाजवाद की बात करते हैं वह यह कहें। मेरी समझ में नहीं आता-इस कानून की आवश्यकता क्या है? आप चाहते हैं कि आज से यह ऐलान हो—राजस्थान के रिक्शा वालों! तुम्हारे रिक्शा कल से हो जायेंगे और मालिक कल से खत्म हो जायेंगे। क्या आप कहते हैं कि कौनसी तारीख से यह कानून लागू होगा? आप एक बात बतला दीजिये, कितनी रिक्शा आप कितने साल में बन्द कर देंगे? आप एक बात यह बताइये कि क्या रिक्शा वालों को आपने सुविधायें दी हैं? कितनी उम्र तक रिक्शा चला सकेंगे? मान लीजिये, हमारे जयनारायण सालोदिया है, उम्र में वयोवृद्ध हैं लेकिन मजबूत हैं। लेकिन कोई रिक्शा वाला जवान होता है वह तबीयत से कमजोर होता है। आपने क्या प्रेस्क्राइब किया है? आपने कहा है कि उम्र की बात होगी, लेकिन यह उम्र का प्रश्न आपने हल नहीं किया है। आपने कहा कि मजिस्ट्रेट के पास मुकदमात भेजेंगे, तो मजिस्ट्रेट क्या सजा देगा? क्या आपने इस सम्बन्ध में प्रेस्क्राइब किया है? क्या सजा होगी? यह कहीं नहीं है। आपने अब किसकी डेफिनेशन दी है? रिक्शा चालक की दी है? रिक्शा की दी है? ऑनर की दी है? मजिस्ट्रेट की दी है? कन्विक्शन की दी है? यह एक्ट क्या है? मैं इस एक्ट को समझ नहीं पाया। मेरी समझ में आया, इस प्रकार से यह ड्राफ्ट होते हैं बिल! आप पन्द्रह साल के बाद लाते हैं तो हरिडली आपको यह नहीं करना चाहिए, धीरे धीरे, संतोष के साथ करना चाहिए। आपने देखा कि समाजवाद में बड़ा प्रगतिशील कानून बनायेंगे। शायद ऐसे लोग बोलें भी जो समाज में...

श्री उपाध्यक्ष : सबसे बड़े आप ही समाजवाद के बारे में बोलने वाले हैं।

श्री मूलचन्द डागा : मैं एक बात कहना चाहता हूं, उपाध्यक्ष महोदय, कानून बनाने के पहले इस बात को समझना था। २६७ जो राजस्थान के म्यूनीसिपैलिटीज एक्ट के अन्तर्गत है उसके अन्दर यह प्रावधान है तो फिर आपने यह अमेंडमेंट क्यों किया? २६७ है उसमें है, पावर ऑफ गवर्नमेंट टू मेक रूल्स एण्ड ऑर्डर। आपने उसमें दिया है :

(श्री मूलचन्द डागा)

The use of within municipal limits of vehicle...

यह आपके उसमें आलरेडी है, आज भी एक्जिस्टिंग लॉ जो है उसमें है। मैं यह मानता हूं कि जनसंघ जब म्यूनीसिपैलिटी में आसीन था, जयपुर में आसीन था उन्होंने इस समस्या की ओर ध्यान नहीं दिया। इस जनसंघ को आज भी मैं दिल्ली में इस बात के लिए दोषी ठहराता हूं। जो नगरपालिकाओं में मानव दृष्टिकोण को लेकर इस प्रश्न को हल नहीं कर पाते वह मानव के साथ अच्छा व्यवहार नहीं करते...

श्री देवीदत्त गाडिया (बांरा) : आपको ख्याल नहीं है दिल्ली का।

श्री मूलचन्द डागा : मुझे ख्याल है, जयपुर में जनसंघ आसीन था...

श्री देवीदत्त गाडिया : आप नहीं जानते हैं। देश की राजधानी दिल्ली में जो कांग्रेस पिछले बीस सालों में नहीं कर पाई है वह करके जनसंघ ने उसकी कायापलट करके संसार के सामने एक आदर्श उपस्थित कर दिया है। अगर आप किसी से प्रेरणा लेना चाहते हैं तो वह जनसंघ से लें।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य !

श्री मूलचन्द डागा : जयपुर में जब म्यूनीसिपैलिटी जनसंघ के हाथ में थी...

एक माननीय सदस्य : रात को स्वप्न आ गया !

श्री मूलचन्द डागा : उस समय जो यह समस्या थी, उसी समस्या ने उग्र रूप धारण किया है और वह समस्या आज हमारे सामने आई है। मैं एक बात कहना चाहता हूं, २६७ में यह है :

"The use of within municipal limits of vehicle...

तो आप इस व्हीकल की एक्ट में परिभाषा देते हैं। व्हीकल का मतलब आप लेना क्या चाहते हैं? जो साधन उपलब्ध थे, उसके लिए आपको अलग से कानून बनाने की जरूरत पैदा क्यों हुई? और जब कानून बनाने की जरूरत पैदा हुई तो जैसा कल आपने भी अखबारों में पढ़ा होगा कि आज भी देश में बेकारी बढ़ रही है और आने वाले जमाने में पांच करोड़ आदमी पढ़े-लिखे आदमी बेकार मिलेंगे, यह देश में बेकारी को ज्यादा करने वाला है। जो आदमी आज मेहनत करता है उस आदमी की आप यह कह दें कि तुम पशु का काम करते हो। आपको यह भाषा लिखने के पहले सोचना था। आदमी मेहनत करके कमाता है, रोटी कमाता है, भिखमंगों की तरह नहीं, रेलगाड़ियों में मांग कर नहीं लेकिन वह मेहनत करके खाता है, उसको आप बीस्ट की परिभाषा मत दीजिये। यह मत कहिये कि बीस्ट की तरह लोड खींचता है। आपने एक समाजवादी कदम का ऐलान किया कि म्यूनीसिपैलिटी सारे रिक्शाओं को अपने कब्जे में ले लेगी, और खुद ओनर बन जायेगी। आप एक कदम यह उठायेंगे। आपने इसमें क्या फर्माया है :—

"Notwithstanding anything contained in the section or anyother provision of the Act or anyother law for the time being in force..."

पहला क्वेश्चन है कि आपके माइन्ड में यह बात है या नहीं कि लॉ है या नहीं। एक्जिस्टिंग

(श्री मूलचन्द डागा)

लॉ है, तो उसको पूरा इस ड्राफ्ट में दीजिये कि यह एक्जिस्टिंग लॉ है, इसके अन्दर हम चेंज करना चाहते हैं । आपने आगे क्या दे दिया है :

"Any other law for the time being in force, the State Government may for the purpose of preservation of human health...

बड़ा अच्छा सिद्धान्त है : "to the safety or convenience of the public in public places and streets..."

एक वर्ड आपने लिया है : "or the amelioration of rickshaw pullers.."

क्या कहते हैं आप ? इन्सान की जिन्दगी को बहतरीन बनाने का ठेका लेने के पहले उन इन्सानों को, भिखमंगों को सड़कों पर मत देखो । इस प्रकार की बात हम तो कहते है कि आप गन्दगी मिटा दो म्यूनीसिपैलिटी अपना वह काम करे । आज सडांधा और बदबू के कारण लोगों की तन्दरुस्ती गिर रही है । लेकिन सफाई के काम को न करा कर उसके लिए आप एक नया काम पैदा कर रहे हैं, जिसके पास कोई साधन नहीं हैं ।

म्युनिसिपैलिटी का काम था कि अच्छी स्वच्छ और साफ जगह दे । जहां म्युनिसिपैलिटीज गन्दगी, सड़ांध और बदबू को नहीं मिटा सकती, वहां आप कहते है कि इन्सानों की जिंदगी को ऊंचा उठायेंगे । इस तरह से इन्सानों की जिंदगी को ऊंचा उठायेंगे या इन्सानों को भिखमंगों की कतारों में खड़ा करेंगे ? आप इन्सानों को भिखमंगों की कतारों में खड़ा करने के लिये उनका काम बन्द करते हैं । आपके पास उन लोगों को देने के लिये कोई काम नहीं है और आप उनके काम को बन्द करना चाहते हैं । यह कानून पास करते ही कल रिक्शा वालों को आपके अफसरों द्वारा कहा जायगा कि जोहरी बाजार जाने से पहले हमसे पूछो । एक मुसाफिर बाहर से आया है वह स्टेशन से घी वालों के रास्ते में जाना चाहते है । रिक्शे वाला उसको बैठा कर लायेगा और बड़ी चौपड़ पर कह देगा कि आगे मैं जा नहीं सकता यहीं पर उतर जाओ । वह मुसाफिर बड़े चक्कर में फंस जायगा । इस प्रकार का कानून बना कर आप लोगों के जीवन के साथ खिलवाड़ करना चाहते हैं । जो रिक्शा खींचता है वह कभी नहीं चाहता कि वह रिक्शा खीचे पर मजबूरी के कारण उसको रिक्शा खींचना पड़ता है । तो उसको आप कहते हैं यह कानून बना कर कि तुम डाक्टर से जांच करवाओ । डाक्टर क्या जांच करेगा, वह कह देगा कि १० रुपये दे दो तो अभी फिट कर देता हूँ और अगर १० रुपये नहीं देते हो तो अनफिट करता हूँ । इस तरह डॉक्टर के हाथ में कानून सोंपना चाहते हैं आप ? आप इस कानून को पास कर देंगे तो म्युनिसिपैलिटी अफसर मुकर्र करेगी, वह गली गली में फिरेगा और कहेगा रिक्शा वालों से कि ज्यादा क्यों बैठा दिया, तेरे रिक्शे के टायर ठीक नहीं हैं, यह कानून के अनुसार घंटी नहीं लगाई है और वह उसका चालान करेगा । आगे ही इन लोगों की जान के लिये पुलिस वाले बहुत हैं फिर यह रिक्शा पुलिस पर कानूनी पाबन्दी और क्यों लगा रहे हैं । आप कहते हैं कि इन्सान की जिंदगी को सुधारने का हम ठेका लेते हैं । अगर वास्तव में इन्सान की जिन्दगी को सुधारना चाहते हैं तो आपको

(श्री मूलचन्द डागा)

यह कानून पास करना चाहिये था कि कोई रिक्शा मालिक किराये पर रिक्शा नहीं चला सकेगा, जो रिक्शा चलाता है उस ही को रिक्शा का लाइसेंस दिया जायगा । इस कानून में लिखा है:—

"Prescribe the date on and after which rickshaws shall not be plied, driven or used in streets and public places."

"Provide for authorising any officer or authority to limit form time to time, the number of rickshaws..."

कौनसी डेट प्रेस्क्राइब करेंगे ? १५ साल बाद कानून लाये हैं और ४० साल बाद डेट फिक्स करेंगे । फिर लिखते हैं "Prescribe the maximum number of passengers or load or both which can be carried···"

वह क्या जांच करेगा ? कोई शरीर में मोटा है, उसमें ज्यादा बजन है वह रिक्शा में बैठेगा, हमारे में सवाड़ा जैसे मोटे मिनिस्टर रिक्शा में बैठ गये तो आपका अफसर कह देगा कि उतर जाओ रिक्शा से क्योंकि तुममें ज्यादा भार है । यह क्या नियम है ? फिर कहते हैं:—

"Prescribe the hire charges to be paid by the puller to the owner of the rickshaw and for the delivery..."

श्री उपाध्यक्ष : माननोय सदस्य, यह प्रश्न तो तब आयेंगे जबकि इस पर खण्डश: विचार होगा ।

श्री मूलचन्द डागा : खण्डश: का सवाल ही नहीं हैं ।

श्री उपाध्यक्ष : आपने संशोधन नहीं दिया है ।

श्री मूलचन्द डागा : मैं आपको इसकी बैकग्राउण्ड बताता हूं । मैं मंत्री महोदय से पूछना चाहूंगा कि ऐसा कानून पास करने जा रहे हैं क्या आपने रिक्शा वालों से पूछा है ? जयपुर की चौपड़ पर रिक्शा वालों को इकट्ठा कर के पूछो कि हम तुम्हारे लिये कानून लाते हैं, बोलो तुम्हारी क्या राय है ? वे अगर आपको स्वीकृति दे देते हैं ऐसा कानून लाने की तो मैं मान जाऊंगा । इस लिये कानून लाने से पहले मालूम करो कि जनमत इसके लिये क्या कहता है ।

फिर कहते हैं कि अगर बीमारी हो जाय तो आपने लिखा है.—

"Provide for disinfection of rickshaw..."

रिक्शे में कौनसी बीमारी पैदा होगी ? मांकड़ मिल गये तो उसका चालान कर दिया जायगा । फिर यह लिखा है:—

"Prescribe the maximum number of passengers or loador both which can bo carried at one time in a rickshaw.

अब आप कहते हैं कि कितना लोड है चलो मैं तोलूंगा तुम्हारी पेटी को, अगर उसमें चांदी भरी है तो ज्यादा वजन होगा । आखिर क्या कानून बनाना चाहते है ? आप अगर रिक्शा बन्द करना चाहते हैं, अगर आप यह कहते हैं कि हम रिक्शा देखना नहीं चाहते तो आप यह करिये कि ओनर्स

(श्री मूलचन्द डागा)

को रिक्शा एलाउ नहीं करेंगे रेट पर देने के लिये और हर साल १०० या २०० रिक्शा कम करेंगे और रिक्शा चालकों को ऑटो रिक्शा देंगे।

२६७ ए. के. अन्दर कानून बनाना शुरू किया कि रिक्शा पुलर अब हम तुम्हारी खबर लेंगे। चालान होगा तो मजिस्ट्रेट कितना जुर्माना कर देगा, रिक्शा पुलर्स को कितनी परेशानी होगी ? यह गलत तरीका है। किसी एक का सवाल नहीं, डाक्टर का सवाल नहीं, यह सारा का सारा कानून ही अन्सर्टेन है। इसमें लिखा है कि बाई लांज अलग बनायेंगे, रूल्स अलग बनायेंगे। आखिर यह कानून लाये है ? मुझे तो इस कानून से कोई लाभ होता नहीं दिखाई देता, सिवाय परेशानी के। आपको इस प्रकार का कानून लाना चाहिये था कि गवर्नमेंट म्युनिसिपैलिटीज पर वाईडिंग करती है कि तमाम रिक्शा ओनर्स से म्युनिसिपैलिटी रिक्शे ले लेगी, सब रिक्शे म्युनिसिपैलिटी के होंगे, म्युनिसिपैलिटी सबको खरीद लेगी।

श्री वृद्धिचन्द जैन (बाड़मेर) : सिलेक्ट कमेटी में रखवा दें ?

श्री मूलचन्द डागा : सिलेक्ट कमेटी में रखना बहुत जरूरी है। **वृद्धिचन्द** जी साहब, आप बड़े प्रोग्रेसिव हैं, अगर आपने इसको सिलेक्ट कमेटी में नहीं रखवाया तो लोग इसको पढ़ कर हसेंगे।

मैं मन्त्री महोदय से पूछूंगा कि यह कानून कब लागू होगा ? आज शाम को इस कानून के पारित हो जाने पर कल इस का क्या असर होगा ? आप कहेंगे कि अभी तो रूल्स बनेंगे, रूल्स कमेटी बनेगी। १५ साल बाद कानून आता है उसका क्या फायदा यह कानून जिसका गलत ड्राफ्टिंग है। लिखते हैं गलियों की। सेफ्टी के लिये। क्या सेफ्टी गलियों की ? ज्यादा कानून की टांग तोड़ने की कोशिश की गई है। मैं एक बात कहना चाहता हूं, नाहर साहब जा रहे हैं, जो रिक्शावालों के बड़े हिमायती हैं, रिक्शेवाले नाहर साहब का नाम बहुत लेते हैं, पता नहीं किराया लेते हैं या नहीं, पर यह कानून पास हो गया तो नाहर साहब रिक्शे वाले आपको रिक्शे में बैठाना बन्द कर देंगे। मैं एक बात बतलाना चाहता था...

एक माननीय सदस्य : फ्री बैठाते हैं क्या नाहर साहब को ?

श्री मूलचन्द डागा : हां फ्री बैठाते हैं। कल ही कह रहे थे।

म्युनिसिपेलिटी में नागरिकों की तन्दुरुस्ती का ख्याल आपके दिमाग में क्यों पैदा हुआ ? अगर किसी को अच्छे पैसे मिलते हैं, ११, १२ रुपये रिक्शावाला कमाता है, शाम को भरपेट रोटी खाता है, तो इस कानून के पास होने पर कल से रिक्शा पुलर्स के लिये टाइम फिक्स होगा कि ४ बजे शाम को रिक्शा चलाओगे और रात १२ बजे खत्म कर दोगे। अगर रिक्शावाले को दो घंटे तक कोई सवारी नहीं मिलेगी तो वह क्या कमायेगा ? अगर आपको टाइम ही फिक्स करना है तो वकीलों का टाइम फिक्स कीजिये। तन्दुरुस्ती पर असर पडेगा। आपने हमारी तन्दुरुस्ती का ख्याल किया। उस पर असर तब पड़ेगा जब आदमी निकम्मा रहेगा। आपने और शब्द इसमें लिखे हैं :—

(श्री मूलचन्द डागा)

"It is, therefore considered necessary in the intererst of general public to prohibit plying of rick-shaws and to save human beings used as beasts."

उनसे पशुओं की तरह काम लेते हैं। मेरे ख्याल से पशु नहीं हैं। आपका कहना गलत है। रिक्शावाले बड़े प्रेम से रिक्शा चलाते है। आराम से रिक्शा चलाते रहते हैं, अगर आप उनसे रिक्शा छुड़ायेंगे तो नुकसान हो जायगा। तन्दुरुस्ती के बारे में जो नगरपालिका कानून है, उसमें संशोधन कर सकते जिससे उनकी तन्दुरुस्ती बढ़ सकती है। कई लोग ऐसे घरों में रहते हैं जो अच्छे ढंग से नहीं बने हुए हैं, ऐसे कानून में संशोधन होना चाहिए, आप नया कानून लायें। नगरपालिकाओं के बाबत १६५६ में जो एक्ट बनाया है उसके बाद महाराष्ट्र मे और दूसरे राज्यों ने नया कानून बनाया है और इस एक्ट के अन्दर डिफेक्ट्स हैं उनके अन्दर संशोधन नहीं किया, सारा एक्ट नया लायें नहीं तो जो पुराना १६५६ का एक्ट था, उसको ही कायम रखें। जो कुछ भी आप लायें लेकिन यह लॉ किसी भी दृष्टिकोण से लाभप्रद साबित नहीं होगा जब तक इसको सिलेक्ट कमेटी में न भेजें या जनमत की राय जानने के लिए न भेजें।

श्री उपाध्यक्ष : श्री वृद्धिचन्द जैन।

श्री यशवंतसिंह नाहर (बनेडा) : अगर आज्ञा हो, तो मैं बोलूं। रिक्शा पुलर्स के संबंध में एक बिल राज्य सरकार की तरफ से रखा गया है। उस बिल को शायद राज्य सरकार मेरे बोलने के बाद रेफर कर दे। मैं बियड़ा करने के लिए तो नहीं कहता लेकिन रेफर कर दें। आइ हैव आलरेडी मूव्ड ए बिल विच इज अंडर दी कन्सीडरेशन आफ दी गवर्नमेंट। अगर वह माना जाय तो उसको भी आप इन्कार्पोरेट कर सकते हैं इसलिए मैं अपने विचार रख दूं, उसके बाद जैसा सदन उचित समझे, करे। इस बिल में ऐसी कोई चीज नहीं है जो यह सदन तय करे। मोटे मोटे जनरल प्रिंसीपल्स की बात है और सारे डेलीगेटेड लेजिस्लेशन को रोक दिया है, कहीं लिमिट नहीं है। आज मालिकों के नाम पर रिक्शा लाइसेंस है और पुलर्स बेचारे ५) रु. रोज मालिक को देते है। पुलर दिन भर रिक्शा खींचता है। नतीजा यह हो रहा है कि मनी लेंडर्स एक्ट के तहत हमने प्रोवाइड कर दिया कि १२ आना सैकड़ा ब्याज होगा लेकिन रास्ता आपने ऐसा निकाला है जिससे ४००)रु. रिक्शा का और २००)रु. महीने की आमदनी, कितना ब्याज हुआ ? १००) रु० पर ५०) रु० ब्याज एक महीने का। ऐसा रास्ता हमने खोल रखा है और इस बिल में कहीं भी प्रावधान नहीं है कि आप रिक्शा ओंनर को अब लाइसेन्स नहीं देगें। मुझे मालूम पड़ा कि रिक्शा लाइसेन्सज को रिड्यूस करते चले जायेगें। मैंने निवेदन किया था एक बिल सरकार को दिया था जो उनके कन्सी-डरेशन में है, उसकी कापी सारे भारतवर्ष को भेजी है, भारत सरकार को भेजी है, राजस्थान के सभी मंत्रियों को भेजी है और उस दिन भी मैंने निवेदन किया था उस पर। जब मेंने परसनली डील किया तो मालूम पड़ा कि उस बिल में कुछ तन्त है, उसको लिया जाना चाहिए। मैंने जो बिल दिया है, उसमें भविष्य में कोई लाइसेन्स रिक्शा ओंनर के नाम पर इश्यू नहीं होगा······

श्री शंकरलाल (जेतारण) : जो पहले मिले हुए हैं ?

श्री मनोहरसिंह मेहता : उनको तो केंसिल करो।

श्री यशवंतसिंह नाहर : सुनो तो सही।

श्री उपाध्यक्ष : ग्रार्डर प्लीज।

श्री यशवंत सिंह नाहर : वह लाइसेंस यदि किसी ग्रॉनर के नाम पर है तो केंसिल हो जायगा ग्रोन दी कमिंग इन टू फोर्स ग्राफ दिस एक्ट। वह सब लाइसेंसज केंसिल होने चाहिए। नया लाइसेन्स किसी ग्रॉनर को जब तक वह प्लायर न हो, नहीं दिया जाना चाहिए।

दूसरी चीज, एक ट्रिब्यूनल एस्टेबिलिश करें। ट्रिब्यूनल समेरिली इस बात को तय करे कि रिक्शा की कीमत क्या है, मार्केट रेट ग्रगर ४००) रु. है, ग्राज ३ ग्रौर ५ रुपये के बीच रिक्शा ड्राइवर ग्रॉनर को दे रहा है। ५) रोज इस तरह ढाई महीने में रिक्शा की रकम ग्रा जाती है। तो ट्रिब्यूनल कायम करें। उसको ग्रधिकार दें चाहे एप्लीकेशन म्यूनिसपल बोर्ड की हो चाहे किसी की भी हो, उसको ग्रधिकार दें कि लाइसेन्स का पजेशन पुलर को सौंप दे ग्रौर ग्रॉनर को ३ या ५) रोज एज काम्पनसेशन प्रोर्पोशनेटली देता हुग्रा चला जाय। इस तरह से तीन महीने में पूरे पैसे ग्रा जायेंगे। दिल्ली कार्पोरेशन ने भारत सरकार से १० करोड़ इस बात के मांगे हैं कि रिक्शा लाइसेंस जो ग्रॉनर्स के नाम पर हैं, वह खतम करके पुलर्स के नाम पर दे दिए जाय। मेरा जो बिल है, उसमें एक रुपया भी सरकार को खर्च करने को जरूरत नहीं है। केवल खर्च होगा ट्रिब्यूनल के एस्टेबिलिशमेंट पर ग्रौर रिक्शा का पेमेंट होता चला जायगा। वह तो हमारा पैसा नहीं है।

मैं स्वास्थ्य मंत्री से निवेदन करना चाहता हूं कि वह इस बात को स्वीकार करें। ग्रपने नाम का शौक नहीं है कि इसके साथ मेरा नाम जोड़ा जाय। लीगली ग्राप बिल को इन्ट्रोड्यूस करें तो ग्रच्छा होगा। इसलिए मैं चाहता हूं कि जितना डेलीगेटेड लेजिस्लेशन के द्वारा थोपा गया है, वह सब विधान सभा तय करे सिद्धान्तों को ग्रौर डेलीगेटेड लेजिस्लेशन खत्म हो जाना चाहिए। इसलिए इसको सिलेक्ट कमेटी में रेफर किया जाना चाहिए। मैं मानता हूं कि मंत्री महोदय इसको स्वीकार करेंगे ग्रौर दूसरे माननीय सदस्य भी विचार रखना चाहें तो दे दें।

श्री वृद्धिचंद जैन : मंत्री महोदय, ग्राप एग्री करते हैं ?

श्री मनोहर सिंह मेहता : यह रिक्शा का मामला है ग्रौर सबसे ग्रधिक पीड़ा वह पा रहा है रिक्शा वाला इसलिए ग्रगर खुद ग्राप सिलेक्ट कमेटी को सौंपने को तैयार हैं तो हम विचार व्यक्त न करें, बाकी मालिक ज्यों का त्यों रहे, रिक्शा वाला संकट पाए, यह भयंकर पाप हो रहा है। मंत्रीजी को गंभीरता से सोचना पड़ेगा।

श्री वृद्धिचंद जैन (बाड़मेर) : उपाध्यक्ष महोदय, राजस्थान नगरपालिका (संशोधन) विधेयक, १६७०, को जनमत जानने हेतु प्रचालित करने के लिए मैंने प्रस्ताव रखा है। मैं ग्रपने विचार सदन के समक्ष रखना चाहता हूं। मैंने ग्रक्सर देखा

(श्री वृद्धि चन्द जैन)

है कि कोई भी लेजिस्लेशन बनता है. राज्य सरकार संशोधन लाती है कभी पीस-मील में इस प्रकार के संशोधन लाते हैं कई तो शब्दों का और कई ऐसे लाते हैं कि किसी भी हालत में, उस एकता की मन्शा की पूर्ति नहीं होती है। अभी नगरपालिका एक्ट के बारे में मेरा दृढ़ मत है कि इस एक्ट को पारित हुए ११ साल हो चुके हैं और यह एक्ट आजकल की परिस्थितियों के अनुकूल नहीं है। इस एक्ट में ऐसे बहुत से सेक्शन्स हैं जिनसे जो प्रगति हम चाहते हैं, जो समाजवाद की स्थापना चाहते हैं, जो स्वायत्त शासन चाहते हैं, उसकी पूर्ति नहीं होती है। कांग्रेस शनैः शनैः आगे बढ़ रही है और समाजवाद को अपनाने का निर्णय ले लिया है और इसका इम्पलीमेंटेशन करने हम जा रहे हैं। तो हम चाहते हैं कि नगर-पालिकाओं का कानून भी प्रगतिशील हो। उसमें इस प्रकार के सेक्शन्स न हों जो अन्सर्टेन हैं और उसका क्लीयर भाव नहीं हैं। क्लीनलीनेस, पनिशमेंट बिल्डिंग के निर्माण की इजाजत के बारे में सेक्शन्स क्लीयर नहीं हैं। अभी तक इस प्रकार का प्रावधान है कि नगरपालिका का अध्यक्ष प्रथम श्रेणी का १५०) मासिक पाता है और द्वितीय व तृतीय श्रेणी नगर-पालिकाओं का ७५) प्राप्त करता है। कौन अध्यक्ष ७५) रु० लेकर अपने सम्मान को खोयेगा? प्रधान को भी २००) मिलता है और नगरपालिका के अध्यक्ष को ७५) यह किसी सूरत में ठीक नहीं है और आज कल की परिस्थिति के अनुकूल नहीं है। उसका प्रोविजन हटा देना चाहिये। अध्यक्ष वालन्टियरी काम करे यह उचित होगा। ७५) और १५०) का प्रोविजन रखना उचित नहीं है। या तो उसको बढ़ाया जाय और नहीं तो वालन्टियरी काम करने की पद्धति होनी चाहिये। इस प्रकार के बहुत से सेक्शन्स हैं जिनको ठीक करना आवश्यक है। नगरपालिका का कानून है। तीन वर्ष की उसकी टर्म है। एडमिनिस्ट्रेटर चाहे जितने वर्ष तक मुकर्रर कर सकते हैं। अवधि कुछ नहीं है। यह तो स्वायत्त शासन का ढंग नहीं हुआ। एडमिनिस्ट्रेटर रखना है तो ६ महीने के लिये प्रोविजन रख दीजिये और बाद में चुनाव हों। नगर-पालिकाओं का चुनाव हम कराने नहीं जा रहे हैं और एडमिनिस्ट्रेटर को नियुक्त हुए वे दो-दो तीन-तीन साल से होने जा रहे हैं। इस तरह से हम किस तरह से प्रजा-तन्त्र और स्वायत्त शासन का विकास कर सकते हैं? नगरपालिका में यह स्थिति है और पंचायतों में भी यही स्थिति कर रहे हैं। हमने प्रजातन्त्र को अपनाया है। यदि हमें प्रजातन्त्र को मजबूत करना है तो ईमानदारी से उसके अनुसार ही हम को चलना होगा और कानून भी बनाना पड़ेगा और नियम भी बनाने पडेगें। यह दृष्टिकोण अपनाना पड़ेगा।

क्या पंचायतें, क्या पंचायत समितियें, क्या जिला परिषदें और क्या नगरपालिकायें, इन सब के साधन बिलकुल सीमित हैं। सब की स्थिति दयनीय है। नगरपालिका और स्वायत्त शासन में कोई प्रगति नहीं हुई। शहर में नगरपालिकाओं के एरियर्स होते हैं तो सरकार पे करती है लेकिन कस्बों में नहीं। कभी जोधपुर शहर की नगरपालिका के एरियर्स पे करती है और कभी दूसरी जगह की नगरपालिकाओं के

(श्री वृद्धिचन्द जैन)

पे करती है। छोटी २ जो नगरपालिकायें हैं, बाड़मेर बालोत्तरा उनको खुद को खर्चा वहन करना पड़ता है। इस प्रकार के एरियर्स का पेमेन्ट गवर्नमेन्ट नहीं करती है। इन नगरपालिकाओं की वित्तीय स्थिति ठीक नहीं है। एन्टरटेनमेन्ट टैक्स के लिये कहूंगा कि क्या जरूरत थी राज्य सरकार को नगरपालिकाओं से हमें लेने की ? एन्टरटेनमेन्ट टैक्स की राशि सन् १९५७-५८ की टैक्स वसूली के आधार पर नगरपालिकाओं को अभी तक दी जाती है। सन् ५७-५८ में बाड़मेर की दस हजार की एन्टरटेनमेन्ट इनकम थी। आज वहां पर एक लाख की इनकम टैक्स द्वारा होती है वह राशि न दी जाकर दस हजार ही दी जाती है। नगरपालिका को मजबूत करना चाहते हैं तो यह आवश्यक है कि जो भी इनकम एन्टरटेनमेन्ट टैक्स की होती है एड़मिनिस्ट्रेटिव चार्जेज निकाल कर वही की वही रकम नगरपालिका को दे दी जानी चाहिए। हाउस टैक्स का भी कानून बना कर अधिकार लेने जा रहे हैं। हाउस टैक्स से भी नगरपालिका वंचित होगी। इस प्रकार शनैः शनैः नगरपालिकाओं की सारी इनकम आप ले रहे हैं। आक्ट्रोय की इनकम भी हम ले रहे हैं। ६९-७० में जो इनकम होगी इतनी तो देने की कोशिश करें और आगे सालों में पाच पर्सेन्ट, दस पर्सेन्ट इनकम बढ़ा कर दें तो आक्ट्रोय बन्द करके सेल्स मार्टन ओवर टैक्स इन्ट्रोड्यूस करना चाहते हैं वह उचित होगा। हमें सोचना है कि नगरपालिकाओं के वित्तीय साधन मजबूत करना है। नगरपालिकाओं को इसलिये कमजोर करना चाहते हैं कि जनसंघ का अधिकार है। हमें मजबूत होना चाहिये। कोई आवश्यक नहीं है कि जनसंघ अधिकार करे। हमारी नगरपालिका में कोई अधिकार जनसंघ का नहीं है। हम अगर मजबूती से काम करें तो कांग्रेस सब नगरपालिकाओं पर अधिकार कर सकती है। कौनसी जगह जनसंघ कार्य कर रहा है ? ज्यों २ कार्य हाथ में आते हैं आपको सम्भालना चाहिये। अरबन इम्प्रूवमेन्ट ट्रस्ट बना रहे हैं और अधिकार देते हैं। कोई जरूरत नहीं है। यह नगरपालिकाओं को अधिकार दे सकते हैं। यह इलेक्टिड बाडी है। डिसेन्टेलाइजेशन को मजबूत करना चाहते हैं तो कोई आवश्यकता नहीं हैं इम्प्रूवमेन्ट ट्रस्ट की। यह आप गलत परम्परा बना कर डेमोक्रेसी का खून कर रहे हैं। जनसंघ शक्ति प्राप्त कर लेता है तो हमें यह कोशिश करनी चाहिये कि हम अपनी शक्ति प्राप्त करें। उसके उपरान्त भी जनसंघ शक्ति प्राप्त कर लेता है तो प्रजातन्त्र है, आज हमारा शासन है कल उनका होगा। इसमें डरने की क्या आवश्यकता है ?

रिक्शा पुलर्स के लिये जो कानून बनाया गया है वह किसी काम का कानून नहीं बनाया गया है। पहले जो कानून आया था शिड्युल्ड कास्ट शिड्युल्ड ट्राइब्स के बारे में था, वह कानून बिलकुल निकम्मा था। अनुसूचित जाति और अनुसूचित जन-जाति को जो अधिकार दिया था। उनको लेने का अधिकार दे दिया। हम नहीं चाहते थे। हम अधिकारियों पर निर्भर रहते हैं। मंत्री महोदय खुद देखें। एक एक मंत्री पर एक एक लाख रुपया खर्च होता है। आप खुद देख नहीं सकते। आप अपने में जिम्मेवरी

(श्री वृद्धिचन्द जैन)

पैदा नहीं कर सकते और कानून को नहीं देख सकते हैं तो आपको यह पद नहीं सम्हालना चाहिये। आप योग्य नहीं है इस पद के लिये तो आपको स्तीफा दे देना चाहिये।

रिक्शा पुलर्स के लिये निवेदन करना चाहता हूं कि समाजवाद की और प्रगति करना चाहते हैं जिस प्रकार से छोटे २ काश्तकारों को लोन्स दिलाने की कोशिश कर रहे हैं उसी प्रकार से रिक्शा पुलर्स के लिये भी सरकार लोन दिलाने की गारन्टी दे। एक करोड़, दो करोड़ रुपया बैंकों से ले। रिक्शा मालिको से गवर्नमेंट रिक्शा ले सकती है और कम्पन्सेशन देकर रिक्शा पुलर्स को दे सकती है। बैंक्स से ऋण दिला सकती है। हमारे लिये आवश्यक है कि ऋण दिला कर रिक्शा पुलर्स को हमेशा के लिये मालिक बनायें। जिसके उद्देश्य के अन्दर कहा गया है कि इस प्रकार के मालिक पुलर्स का एक्सप्लॉटेशन करते हैं हम उसको

(२ म. प.)

बन्द करना चाहते हैं। एक्सप्लॉटेशन को बन्द करने के लिये जो आपने सेक्शन बनाया है उससे एक्सप्लॉटेशन आप कभी भी बन्द नहीं कर सकते हैं। यह जो (बी) है, यह 2–p में जो प्रोविजन किया गया है :

"Prescribe higher charges to be paid by the puller to the owner of the rickshaw and for the delivery of a receipt in acknowledgement of such payment."

इससे आप क्या करेंगे ? दो रुपया, डेढ़ रुपया आप किराया तय कर दें। परन्तु इससे आप ज्यादा लेने से कोई रोक नहीं लगा सकते। वे ज्यादा लेगें और आपको कुछ मालूम नहीं होगा। इसमें रसीद का आपने प्रोविजन किया है। आप चाहें जैसा प्रोविजन करें मालिक जितना चाहेंगे, उतना लेंगे और उनको आप रोक नहीं सकते। यह जो क्लाज (बी) बनाया है उसमें रिक्शा पुलर को नहीं रखा है। इसको रिक्शा पुलर भी रख सकेंगे, और मालिक भी रख सकेंगे। परन्तु इतना अवश्य है कि वह ज्यादा चार्जेज लेगा। मनी लैंडर्स बिल आपने बनाया है। परन्तु आज क्या होता है। जो मनी लेन्डर्स हैं वे जो इन्ट्रेस्ट लेना चाहते हैं वह लेते हैं और उनको कोई रोक नहीं पाता है, कोई ताकत, शक्ति उनको रोक नहीं रही है। इसी तरह से इसमें होगा। आप इसमें यह प्रोवीजन कर दीजिये कि सजा दी जायेगी। क्या और किस प्रकार की सजा दी जायेगी जब तक इसका साथ ही प्रोवीजन नहीं होगा यह कानून प्रभावशाली नहीं होगा।

श्री उपाध्यक्ष : ऑर्डर माननीय सदस्य। मंत्री महोदय, इस विधेयक को प्रवर समिति के सुपुर्द करने के प्रस्ताव को स्वीकार करते हैं। इसलिये...

श्री शंकरलाल : अभी तो यह प्रस्ताव नहीं रखा गया है।

श्री उपाध्यक्ष : अब रख दीजिये। श्री शंकरलाल, प्रस्ताव प्रस्तुत करेंगे।

श्री कृष्ण कुमार गोयल : जिन्होंने भी प्रस्ताव रखे है वे मान लिये जायें।

श्री शंकरलाल : उपाध्यक्ष महोदय, मैं इतना ही निवेदन करना चाहता हूं कि इसको प्रवर समिति को रेफर करना अवश्यक है। इसके अन्दर तो रिक्शा चलाने वाले हैं, उनको खुद को लाइसेन्स देने की बात नहीं है और आडर्स को बिलकुल देने की बात नहीं है। अभी तक जो कन्डीशन कायम हैं उसको हटाने के लिये भी इसमें प्रोवीजन नहीं है। और भी कई ऐसे मामले हैं, जिन पर विचार प्रवर समिति में ही किया जाना चाहिये।

श्री उपाध्यक्ष : प्रस्ताव पर मतदान।

प्रश्न यह है कि जो प्रस्ताव श्री शंकर लाल ने प्रस्तुत किया है कि राजस्थान नगरपालिका (संशोधन) विधेयक, १६७० को एक प्रवर समिति को निर्दिष्ट कर दिया जाये जो अपना प्रतिवेदन आगामी सत्र के प्रथम सप्ताह में प्रस्तुत करें। जो पक्ष में हो वे हां कहें। जो विपक्ष में हो वे ना कहें।

(स्वीकृत)

प्रस्ताव स्वीकार किया गया।

श्री उपाध्यक्ष : प्रश्न यह है कि...

श्री कृष्ण कुमार गोयल : जनमत जानने हेतु परिचालित करने का प्रस्ताव जिन्होंने दिया हैं वे सभी विड्रा करना चाहते हैं।

श्री उपाध्यक्ष : अल विड्रान समझें जांय।

(विराम)

राजस्थान पंचायत विधियां (द्वितीय संशोधन) विधेयक, १६६६

श्री परसराम मदेरणा (पंचायत मंत्री): उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि राजस्थान पंचायत विधियां (द्वितीय संशोधन) विधेयक, १६६६ को विचारार्थ लिया जाये।

श्री उपाध्यक्ष : इस विधेयक पर निम्नांकित संशोधन प्रस्तावों की सूचना प्राप्त हुई है :

(१) **श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल** (वि० सं० १६४)

(२) **श्री मूलचन्द डागा** (वि० सं० ११३)

(३) **श्री कृष्णकुमार गोयल** (वि० सं० १६)

(४) **श्री श्रवणलाल** (वि० सं० १६१)

(५) **श्री रामचन्द्र आर्य** (वि० सं० १३०)

(६) **श्री हरजीराम बुरड़क** (वि० सं० १७४)

(७) **श्री शिवनाथसिंह** (वि० सं० १५८)

(८) **श्री देवीदत्त गाडिया** (वि० सं० ५२)

(९) **श्री कल्याणमल मीणा** (वि० सं० १२)

(१०) **श्री रामनारायण चौधरी** (वि० सं० १३३)

(११) **श्री गंगासहाय** (वि० सं० २४)

(१२) **श्री नन्दलाल** (वि० सं० ६२)

(१३) **श्री किशनलाल वर्मा** (वि० सं० १६)

(१४) **श्री यशवन्तसिंह नाहर** (वि० सं० १२०)

(१५) **श्री वृद्धिचन्द्र जैन** (वि० सं० ८६)

क्रमशः प्रस्ताव प्रस्तुत किया कि :—

१. "राजस्थान पंचायत विधियां (द्वितीय संशोधन) विधेयक, १६६६ को तीन माह/छः माह/एक माह/छः माह/सात दिन/तीन माह/एक माह/तीन माह/एक माह के लिये जनमत जानने हेतु परिचालित किया जाये।"

(१) **श्री दुर्गालाल बाढ़दार**
(वि० सं० ५०)
(२) **श्री रघुनाथ विश्नोई**
(वि० सं० १२१)
(३) **श्री शंकरलाल जाट** (वि० सं० १५३)
(४) **श्री शंकरलाल (जैतारण)**
(वि० सं० १५४)

क्रमश: प्रस्ताव प्रस्तुत किया कि :—

२. "राजस्थान पंचायत विधियां (द्वितीय संशोधन) विधेयक, १६६६ को एक प्रवर समिति को निर्दिष्ट कर दिया जाये जो अपना प्रतिवेदन एक सप्ताह/एक माह/एक सप्ताह में प्रस्तुत करे (समिति के सदस्यों की नामवली बाद में प्रस्तुत कर दी जावेगी)।"

श्री पी० के० चौधरी (वि० सं ७१) प्रस्ताव किया कि:—

खण्ड ४

३. राजस्थान एक्ट २१ सन् १६५३ में प्रतिस्थापित की जाने वाली धारा २३ के उप-खण्ड (१) के ∠ के भाग (a) के अन्त में विराम चिह्न ";" विराम चिह्न ";" द्वारा प्रतिस्थापित कर दिया जाय तथा उसके पश्चात् निम्नांकित परन्तुक जोड़ा जाय:—

"Provided that every Panchayat in the group agrees to the appointment of a Group Secretary;"

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : (अनुपस्थित)
श्री मूलचन्द डागा।

श्री मूलचन्द डागा (पाली) : उपाध्यक्ष महोदय, इसके द्वारा जो एमेंडमेंट लाया जा रहा है उससे मालूम होता है कि हमारी पंचायतों से पंच लोगों ने ठीक काम नहीं किया है। यह जो एमेंडमेंट आप ला रहे हैं उससे मालूम होता है कि आपने पंचों को कई कामों में दोषी पाया है, कई मामलों में दोषी पाया है, इसलिये आप यह एमेंडमेंट ला रहे हैं। मैं इसका विरोध करता हूं। मैं चाहता हूँ कि इस तरह का एमेंडमेंट नहीं लाना चाहिये। पहला सवाल यह है कि पहले सेक्शन १६ में जो पावर्स थीं पंचों को आप उसे...

श्री उपाध्यक्ष : पहले आप अपने प्रस्ताव की बात बोल दीजिये। उससे शुरूवात करें।

श्री मूलचन्द डागा : ऑर्डर सर।

श्री उपाध्यक्ष : क्या प्रस्ताव है पहले यह तो रखिये।

श्री मूलचन्द डागा : यही रख रहा हूँ। मैं यह बात रख रहा हूं...

श्री परसराम मदेरणा : क्लाज बाय क्लाज डिसकशन होना चाहिये।

श्री उपाध्यक्ष : पहले आप प्रस्ताव प्रस्तुत करें।

श्री मूलचन्द डागा : मैंने तो यह प्रस्ताव किया है कि इसको जनमत जानने हेतु प्रसारित किया जाये...

श्री कृष्णकुमार गोयल : पाली से आने वाले माननीय सदस्य ने जो आपति की है वह उपयुक्त है। जो बिल पेश किया गया है, उसके अन्दर एक क्लाज, सब क्लाज को डिलीट करने की बात कही गयी है लेकिन दुर्भाग्य से या जानबूझकर······

श्री उपाध्यक्ष : आपको अवसर मिलेगा, उस वक्त कहें।

श्री कृष्णकुमार गोयल : मैं यह स्पष्टीकरण कराना चाहता हूं। इस बारे में माननीय सदस्य डार्कनेस में हैं। उनको यह

Page No 95

(श्री कृष्णकुमार गोयल)

पता नहीं है कि कौन सी क्लाज को डिलीट कर रहे हैं। जो क्लाज डिलीट की जानी थी वह इस बिल के साथ लानी चाहिये थी, जो कि नहीं है।

श्री शंकरलाल : सब हैं।

श्री कृष्णकुमार गोयल : नहीं है। सब क्लाज (२) को डिलीट करना चाहते हैं वह नहीं है। वह लगी हुई नहीं है।

श्री परसराम मदेरना : उपाध्यक्ष महोदय यह बात सही है कि जो सब क्लाज को डिलीट करना चाहते हैं उसको प्रिन्सीपल एक्ट में नहीं दिया गया है। लेकिन माननीय सदस्यों की जानकारी के लिये मैं यह निवेदन कर देना चाहता हूं कि जो क्लाज ४ में सब क्लाज (२) है उस सब क्लाज (२) में सरर्टेन ड्यूटीज पंचायत सेक्रेटरी ग्रुप सेक्रेटरी को देना चाहते हैं। यह जो काम सरपंचों के जिम्मे था वह सेक्रेटरी के जिम्मे किया गया है। यह ओरीजनल में नहीं दिया गया है। परन्तु वह आगे यूं का यूं, यह इस बिल का जो पार्ट है उसमें है और उसको पढ़ने के बाद, इस पर्टीकुलर सेक्शन को पढ़ने के बाद, क्या लैंग्वेज हैं, क्या इबारत है वह इससे भलीभांति परिचित हो जायेगा ...

श्री कृष्णकुमार गोयल : सब क्लाज (२) सेक्शन १६ में एमेण्डमेन्ट है जबकि आप बता रहे हैं सेक्शन १७ में एमेंडमेंट है तो सेक्शन १६ में सब क्लाज (२) कौनसा है।...

श्री परसराम मदेरना : सेक्शन १७ को नहीं कह रहा हूं।

श्री कृष्णकुमार गोयल : क्लाज कौनसा है ?

श्री परसराम मदेरना : क्लाज ४ की बताई है : इसके सब क्लाज (२) की बात कह रहा हूं। अब क्लाज के अन्दर जैसा ओमीशन हमने किया है वह सब क्लाज (५) सेक्शन १६ में हैं। उनको ओमीशन किया है। क्लाज ४ के सब क्लाज (२) में रिपीट कर दिया गया है वर्ड वाई वर्ड। वह ऐसा है।

To keep the records and registers in his custody.

वहां एमेंडमेंट किया है और यहां रिपीट किया है।

श्री कृष्णकुमार गोयल : कहीं कल वाली बात न हो जाय। उपाध्यक्ष महोदय, यह चर्चा इसलिये उठाई है कि जो एक्ट, बिल मंत्री महोदय रख रहे हैं उनको पता नहीं है कि वे क्या रख रहे हैं। जैसा कि कल लेबर सम्बन्धी कानून था और माननीय श्रम मंत्री महोदय को यह पता नहीं था कि वे किस पर बोल रहे हैं। जिस प्रकार उन्होंने सदन को कन्फयूज करना चाहा उसकी कोई दूसरी मिसाल नहीं मिलेगी। इसलिये आप जो कह रहे हैं वह सही है न।

श्री परसराम मदेरना : कन्फयूज करने का प्रयास मैं नहीं करता हूं। मैं सदन के सामने स्पष्ट बात रखता हूं। किसने किया, कन्फयूज आप हो गये हों और इन्टेशनली कुछ समझने में भी भूल रह सकती है। यहां पर प्रिन्सिपल एक्ट की ५ क्लाज हैं। वह जो सरपंच की ड्यूटीज हैं ओमिट कर दी गई हैं और सेक्रेटरी को आर्म्ड कर दिया है।

श्री कृष्णकुमार गोयल : ५ क्लाज निकाल रहे हैं और ७ कौनसी बात रहे हैं ?

श्री परसराम मदेरना : पहली ५ क्लाज रिपीट की है और ६ व ७ को ओरे एड किया है।

श्री पी. के चौधरी : आप पढ़कर सुना दें।

श्री मूलचन्द डागा : मैं पढ़ देता हूं...।

श्री परसराम मदेरना : इस विधेयक में जो तजवीज की गई है क्लाज २ के जरिये उसकी क्लाज ३, ५, ७, ८ और ११ को ओमिट करने की बात है।

श्री कृष्णकुमार गोयल : आप पूरा पढ़ दें।

श्री परसराम मदेरना : क्लाज ३ इस तरह से है। मैं पढ़ता हूँ और आप सब कापी देखते रहें। मैं इधर पढ़ता हूँ आप देखिये सेक्शन १६ सब क्लाज ३१ वह है...

To keep the records and registers of the Panchayat in its custody.

तीन के बाद ५ है।

(a) Responsible of maintaining accounts of the Panchayat fund...

(b) (7) Issue receipts under his signatures for sums received on behalf of the Panchayat.

श्री लादूराम मुलानियां : पॉइण्ट ऑफ ऑर्डर, सर,

पंचायतों के अन्दर जिस प्रकार के सरपंच हैं वे केवल शुद्ध रूप से अपने दस्तखत करने के अलावा और कुछ नहीं जानते लेकिन उनके लिये जो हम एक्ट बनाते हैं, संशोधन प्रस्ताव लाते हैं वह सब अंग्रेजी में रखते हैं इनका अर्थ हिन्दी से मिलता नहीं है। इसलिये मैं आसन से यह निवेदन करता हूं कि वह सरकार को आदेश दे कि वे हिन्दी में कानून लायें।

श्री उपाध्यक्ष : यह पॉइंट ऑफ ऑर्डर नहीं है।

श्री पी. के. चौधरी : स्टेटमेण्ट ऑफ ऑब्जेक्टस एण्ड रीजन्स में क्लाज २ में जिस प्रकार का प्रोवीजन रखना चाहते हैं उसका है ही नहीं।

श्री परसराम मदेरणा : उपाध्यक्ष महोदय, बात यह है कि इस बिल के ओब्जेक्ट्स एण्ड रीजन्स में जो ग्रुप सेक्रेटरी रखने की प्रावधान रखने की बात सोची है तो आखिर इनके सर्टेन फंक्शन्स और ड्युटीज तो होंगी। इसलिये जब हमने ग्रुप सचिव की योजना को लागू किया है तो इनकी ड्यूटीज क्या नहीं होंगी क्या नहीं होंगी यह तो इम्पलाइड है।

श्री पी. के. चौधरी सेक्रेटरी का प्रोवीजन तो पहले भी रखा हुआ था

Secretary has got his function under the old Act also.

सेकण्ड क्लाज के बारे में ऑब्जेक्ट्स एण्ड रीजन्स में कोई मेन्शन नहीं है।

श्री परसराम मदेरणा : जहां पहले सेक्रेटरी का प्रोवीजन था वहां यह भी था कि सरपंच उनको रखे या न रखे।

श्री पी. के. चौधरी : पॉइण्ट यह है कि जो चेन्जेज करने जा रहे हैं उसका ग्रोब्जेक्ट्स एण्ड रीजन्स में जिक्र तक नहीं है। सब क्लाज (२) जो इन्ट्रोडयूस. कर रहे हैं उसका उल्लेख तक नहीं है।

श्री परसराम मदेरणा : ग्रुप सेक्रेटरीज के बारे में ग्रॉब्जेक्टस एण्ड रीज़न्स में उल्लेख है। उसकी ड्यूटीज क्या होगी यह तो उसके साथ इम्पलाइड है।

श्री शिवनाथसिंह (गुढ़ा) : सरपंच के पावर्स ग्राप सेक्रेटरी को दे रहे हैं। यही एक्ट की मन्शा है। हमारा कहना यह है कि यह बिल भी हरीडली ड्राफ्ट किया हुआ है।

श्री मूलचन्द डागा : जल्दबाजी में यह बिल ड्राफ्ट किया हुआ है।

श्री पी० के० चौधरी : What...We are making a very fundamental change by withdrawing the powers of the Sarpanch and vesting them into the Secretary.

जिसका कोई मेन्शन नहीं है। ग्राब्जेक्ट्स एण्ड रीजन्स में।

श्री परसराम मदेरणा : ग्रुप सेक्रेटरी का एपाइण्टमेण्ट हो जाने के बाद में एकाउन्टस ग्रादि के बारे में सरपंच जिम्मेदार नहीं रहेगा उसके बाद ग्रुप सेक्रेटरी की जिम्मेदारी हो जानी चाहिये। पुराने एक्ट के ग्रनुसार सरपंच का काम हैं। जब कभी पंचायत राज इन्स्टीटयूशन्स के बारे में वादविवाद होता है तब इस बात का ग्रारमेण्ट्स दिया जाता है कि एकाउन्टस ग्रादि के बारे में एडवर्स ग्रोपीनियन रही है।

श्री पी० के० चौधरी : We are not going into the merits. My point of order is different.

श्री परसराम मदेरणा : हमेशा पंचायत राज संस्थाग्रों द्वारा इस बात की मांग रही है कि जो भी कार्य पंचायत में होता है एकाउन्ट्स का हो या ग्रन्य कोई सब के बारे में इलेक्टेड रिप्रेजेन्टेटिव को जिम्मेदार रखा है जबकि उसको सेलेरी नहीं दी जाती। प्राइम मिनिस्टर ग्राफ इण्डिया हो, प्रेसिडेण्ट ग्राफ ग्रमेरिका, स्टेट के चीफ मिनिस्टर हो उनको एक भी पैसा रेण्डर नहीं करना पड़ता न कोई कैश हैण्डल करना पडता है यह सब होते हुए भी करोड़ों रुपयों की मन्जूरी देता है। इसी प्रकार की ड्यूटी सेक्रेटरी की रहेगी। ग्राज तो यह सवाल ग्राता है एकाउन्ट्स कौन मेन्टेन करे फाइनेन्स कमिश्नर का क्या काम है? यह सब ड्यूटी पंचायत समितियों के कर्मचारियों की है। सरपंच की नहीं होनी चाहिये। सेलेरीड व्यक्ति नहीं होने से वह दूसरे कामों में लगा रहेगा यह क्लेरिकल ड्यूटी भी उसको थोप दी गई है।

श्री पी० के० चौधरी : ग्राप पाइण्ट ग्राफ ग्रार्डर समझे नहीं।

I have not concerned with that. It may that I will be agreeing with you. मेरा पोइण्ट इतना है कि स्टेटमेण्ट ग्राफ ग्रॉब्जेक्टस एण्ड रीजन्स में जबकि हम फण्डामेन्टल चेन्ज कर रहे है उसका जिक्र उसमें ग्राना चाहिये।

I entirely agree with what you say.
ग्रॉब्जेक्ट्स एण्ड रीजन्स से जो चेन्ज कर रहे है उसका कतई मेन्शन नहीं है।

श्री उपाध्यक्ष : आपका पाइण्ट ऑफ आर्डर क्या है यह मेरी समझ में नहीं आया। इसमें क्या किसी नियम का वायोलेशन होता है ?

श्री पी० के० चौधरी : एमेण्डमेण्ट्स जो आते हैं उसके अनुसार पूरे एक्ट के एक्स्ट्रेक्ट्स दिये जाते हैं स्टेमेण्ट आफ ऑब्जेक्ट्स एण्ड रीजन्स में Mainly for what purpose, the amendment is made.

यह जो ग्रेट चेन्जेज किये जा रहे हैं। जो सरपंच के फक्शन्स थे उनको ट्रान्सफर किया जा रहा है ग्रुप सेक्रेटरी और सेक्रेटरी में वैसी हालत में इसका जिक्र होना चाहिये स्टेटमेण्ट आफ आब्जेक्ट्स एण्ड रीजन्स में

श्री कृष्णकुमार गोयल : रूल ६२ है।

विधायिनी शक्ति प्रत्यायोजित करने वाले विधेयकों का व्याख्यात्मक ज्ञापन

जिस विधेयक में विधायनी शक्ति के प्रत्यायोजन के लिये प्रस्थापनायें अन्तर्ग्रस्त हों उसके साथ अग्रेतर एक ज्ञापन होगा जिसमें ऐसी प्रस्थापनाओं की व्याख्या होगी और उनकी व्याप्ति की ओर ध्यान दिलाया जायेगा तथा यह भी बताया जायेगा कि वे सामान्य रूप की है या अपवादस्वरूप की।

इसके अन्तर्गत बिल पेश करते समय ऑब्जेक्टस एण्ड रीजन्स वे बातें आनी चाहिये जिसके लिये यह विधेयक लाया जा रहा है, जिस तरह की इस विधेयक के अन्दर व्यवस्था की गई है, मूल धाराओं के बारे में ऑब्जेक्ट्स एण्ड रीजन्स में किसी तरह का उल्लेख नहीं किया गया है।

श्री उपाध्यक्ष : ६२ का रूल यह है।

"A Bill involving proposals for the delegation of legislative power shall further be accompanied by a memorandum explaining such proposals and drawing attention to their scope and stating also whether they are of normal or exceptional character."

यह इस पर लागू नहीं होता।

श्री नत्थसिंह : स्टेटमेण्ट आफ ऑब्जेक्ट्स एण्ड रीजन्स में जो बताया गया है। उसके अन्तर्गत ग्रुप सेक्रेटरी के लिये जो पंचायतें इस तरह के अरेन्जमेन्ट्स के लिये सहमत होंगी वहीं पर लागू किया जायगा। इसलिये "Shall" शब्द का प्रयोग किया गया है।

श्री उपाध्यक्ष : ऑब्जेक्शन रूल आउट किया जाता है।

श्री उपाध्यक्ष : श्री डागा जी।

श्री मूलचन्द डागा : मैंने जो प्रस्ताव रखा है जनमत जानने का वह वाजिब और ठीक समझ कर रखा है। मेरा निवेदन यह था कि सेक्शन १६ के अन्दर······

श्री पी० के० चौधरी : पाइन्ट आफ आर्डर, सर।

श्री उपाध्यक्ष : जब पाइन्ट आफ आर्डर पर व्यवस्था दे दी तो अब पाइन्ट आफ आर्डर कैसे उठ सकता है ?

श्री पी० के० चौधरी : उपाध्यक्ष महोदय दूसरा पाइन्ट आफ आर्डर है। यह सेक्शन ६२ में नहीं सेक्शन ५८ के अन्दर—I think Rule 58 apply here

Page No 99

श्री उपाध्यक्ष : But the subject matter should not be the same.

श्री पी० के० चौधरी : पाइन्ट ग्राफ ग्रार्डर डेलीगेशन का था इसलिये अलाऊ नहीं किया ।

श्री उपाध्यक्ष : कौनसा नियम ?

श्री के० पी० चौधरी : ५८ । यह बिल जो लाया जा रहा है इसमें ग्रावजेक्ट क्या है ? रीजन्स क्या हैं—ये दोनों बातें होनी चाहिये । उसमें रीजन्स क्या है । यह नहीं दिया गया है ।

श्री उपाध्यक्ष : ग्रार्डर प्लीज । ग्रोवजेक्ट ग्रोर रीजन्स होने चाहिये यह लाजमी है । वह वहां पर है ।

श्री पी० के० चौधरी : नहीं है It does not cover clause.

श्री उपाध्यक्ष : ग्रार्डर प्लीज । साथ में लगा हुग्रा है इसलिये क्या है, क्या नहीं है यह तो इसकी गहराई में जाने से······

श्री हरिवल्लभ शर्मा : ६७ का नियम है, वह केवल ग्राबजेक्टस के ऊपर है ।

श्री उपाध्यक्ष : किन्ही रूल्स का वायोलेशन नहीं हो रहा है इसलिये कोई पाइन्ट ग्रॉफ ग्रार्डर नहीं है ।

श्री शंकर लाल (जेतारण) : मैं समझता हूं पाइन्ट ग्राफ ग्रार्डर है वह ठीक नहीं है । ५९ को पढ़े तो यह पाइन्ट ग्राफ ग्रार्डर ठीक नहीं था क्योंकि इसमें लिखा हैं—"Any member other than a Minister, desiring to move for leave to introduce a Bill shall give notice of his intention and shall together with the notice submit a copy of the Bill and an explanatory statement of objects and reasons which shall not contain arguments."

श्री नत्थी सिंह : यह बहुत जल्द बाजी में ग्राया ।

श्री उपाध्यक्ष : मैंने निवेदन किया स्टेटमेंट लगा हुग्रा है ।

श्री शंकर लाल : That is rule 59 which I have read······"Any member other than······"

श्री उपाध्यक्ष : ग्रार्डर प्लीज । श्री डागा जी ।

श्री मूलचन्द डागा : सेक्शन १६ जो पहले का था राजस्थान पंचायत एक्ट, १९५३ के ग्रन्दर उसमें यह था—सरपंचों को यह ग्रधिकार था कि—

(a) Keep the record and register in his custody.

"(b) Responsible for maintaining accounts of the Panchayat fund and issue receipts under his sigatures for sums received on behalf of the Panchayat and to prepare all statements and records required by or under this Act."

जब एक्ट बना था तब यह मंशा थी कि हम गांवों के ग्रन्दर लोगों को जिम्मेदार समझकर ग्रोर लोगों पर जिम्मेदारी डाल कर उनसे काम करवायेंगे । ग्राज ग्रापने

(श्री मूलचन्द डागा)

उनको साईनिंग मशीन बना दिया। पंचों को केवल दस्तखत करना होगा, They will only sign. तो बहुत मेहरबानी हो जाय- बाई आर्डर आफ गवर्नर—इसमें जो अमेन्ड- मेंट ले रहे हैं आज से सारा ग्राम पंचायत का काम चुनिन्दा व्यक्ति का न होकर केवल सेक्रेटरी जो मेट्रीक्यूलेट है वह उस पर आसीन होगा। उनके जिम्मेदारी सिर पर आ गई है। आपने जब जनतन्त्र और पंचायत राज राजस्थान में कायम किया और आपने यह कहा था कि हम गांव के व्यक्तियों पर जिम्मेदारी डालना चाहते हैं, उनको जिम्मे- दार व्यक्ति बनाना चाहते हैं और उन्हें कहा गया था कि गांव की समस्याओं का निराकरण करना होगा। आज इतने सालों के बाद नई चीज लेकर आये हैं। पंचायत मंत्री जी खूबसूरती से पंचों और सरपंचों की कमजोरी को चबा गये। हमारे पंचायत मंत्री जी ने बड़ी खूबसूरती से कहा कि पंच और सरपंच जिम्मेदारी को महसूस नहीं करते हैं और जिम्मेदारी महसूस नहीं करने के कारण हमने उनके अधिकार ग्रुप सचिव को दे दिये और इसलिये यह अमेन्ड- मेंट ले आये। आज से ग्राम पंचायतों के सरपंच केवल दस्तखत करेंगे They will only sign. अब वे अपने कस्टोडियन रखेंगे। सरपंच को मोहताज होना पड़ेगा ग्रुप सचिव का। एक ग्रुप सचिव चार पंचायतों को कन्ट्रोल करेगा। अब क्या होगा एक पंचायत को रेकार्ड की जरूरत पड़ेगी तो कहेंगे ग्रुप सचिव साहब दूसरी पंचायत में विराजमान हैं इसलिये उनके आने पर ही कार्यवाही हो सकेगी। सरपंच के रिकार्ड उपलब्ध कराने की बात नहीं रही क्योंकि ग्रुप सचिव साहब दूसरी पंचायत में पधारे हुये हैं—

"To keep the record and regis- ters in his custody."

ग्रुप सचिव सारे रेकार्ड को अपने कन्ट्रोल में रखेंगे। ग्राम पंचायत की मिटिंग होगी तब निकालेगा नहीं तो नहीं निकालेगा—

"Issue receipts under his sigatures—"

अब एक बात और सदस्य कोई चन्दा दें ग्राम पंचायत को तो उसकी तोहीन है। २०० रुपये ग्राम पंचायत को भेंट किये और रसीद देंगे सेक्रेटरी साहब। यह नई बात होगी। अब सारे गांव में यह कर दिया कि सेक्रेटरी साहब पैसे लेते हैं, पंचों और सरपंचों को पैसे दें तो रसीद देंगे, सेक्रेटरी साहब। पैसे दिये मूल चन्द, राम चन्दर को और रसीद होगी पूरन चन्द जोगा राम की। यह तो बिलकुल पासा ही पलट गया। जो रिकार्ड रखना चाहते हैं—

"Issue receipts under his siggnatures for the sums received on behalf of Panchayat."

अब सरपंच बैठा है तो रसीद नहीं दे। "By order of Sarpanch."

इतना भी लिख देते बाई आर्डर राम चन्दर, वह भी नहीं किया। हमारे सरपंचों में अब इतना अविश्वास होने लगता है कि रेकार्ड ठीक नहीं रख सकते हैं, अकाऊन्ट की रसीद नहीं दे सकते हैं—To be res- ponsible for the safe custody o the Panchayat fund."

आपने यह सोचा है ७०–१०० रुपये कमाने

(श्री मूलचन्द डागा)

वाला एल०डी०सी० है वह ज्यादा जिम्मेदार है और आपका चुनिन्दा सरपंच है वह जिम्मेदार नहीं है। सरपंच पर जिम्मेदारी डालना चाहिये। नौकरशाही पर जिम्मेदारी डालना यह नाकाबिले बर्दाश्त है। आपका यह जो वर्ड है 'subject to control' उससे आप सरपंच को अपने अधिकार से वंचित करना चाहते हैं और नोकरशाही को हावी करना चाहते हैं यह कभी बर्दाश्तकाबिल नहीं है। हमारे माननीय गुलाब सिंह जी ५) रु० ग्राम पंचायत में देना चाहते हैं तो यह उनकी एक प्रकार की तौहीन है—"To prepare all statements and reports required by or under this Act or rules made thereunder."

"To make all sush payments as may be sanctioned by the Panchayat to perform such functions and duties uuder this Act or rules made thereunder." फिर आपने ऐलीगेशन रख दिये। इस तरह आपका ग्रुप सचिव सारा काम करेगा। अब ग्राम सचिवों की क्या क्वालीफिकेशन्स होंगी, क्या उसमें काबलियत होगी हम तो कई बार कह चुके हैं कि जहां आपकी लोकतांत्रिक इकाइयां हैं वहां पर नौकरशाही खत्म करनी चाहिए। मैं तो एग्जीक्यूटिव आफिसर के पक्ष में नहीं हूं। चुनिन्दा आदमी हैं वही काम करें, यह मैं पसन्द करता हूँ। एक से किया हुआ काम और एक दूसरों पर भरोसे का काम किया हुआ इन दोनों में बहुत फर्क है।

(२-३१ म. प.)

(श्रीमती कान्ता कथूरिया सभानेत्री, पदासीन)

अब लिखने और पढ़ने का काम क्लर्क करेगा। ग्रुप सचिव कितना काम करेगा, कितनी पंचायतों को ग्रुप सचिव कवर करेगा। एक ग्राम पंचायत में एक ग्रुप सचिव नहीं है। तीन-चार पंचायतों में वह ग्रुप सचिव घूमता है। उसका टी० ए०, डी० ए० कौन देगा ? ग्रुप सचिव की क्या योजना है इसके बारे में विचार करना चाहिए। मैं कहता हूँ कि आपने अमेन्डमेन्ट लाकर ग्रुप सचिवों पर भार डालकर पंच और सरपंच को एम्बेजलमेन्ट से बचाने की कोशिश की है यह हिन्दुस्तान की आजादी के २० साल बाद आपने उनको जिम्मेदार नहीं बनाया। आपने उनको जिम्मेदारी से हटा दिया है। यह सिद्धान्ततः गलत है। आपको किसी भी आदमी के ऊपर जिम्मेदारी डालनी चाहिए, आदमी को जिम्मेदार बनाना चाहिए। इसका मतलब है कि आप अकर्मण्यता पंचों और सरपंचों में लाना चाहते हैं। सरपंच कह देगा कि मुझे क्या करना है जो कुछ रेकार्ड रखता है वह ग्रुप सचिव रखता है।

जब पंचायतों के चुनाव सम्भव नहीं हुए। दरअसल में हम गांवों के अन्दर जाग्रति रखना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि लोगों में जिन्दादिली रहे और वह जिन्दादिली कब रह सकती है जबकि थोड़ा समय हो और काम करने का स्कोप हो। पांच सालों के अन्दर पंचायतों के पंच होते हैं उनमें नयापन नहीं होता है, उनमें जोश नहीं होता, उनमें उत्साह नहीं बना रहता। लेकिन आपने ५ साल बढ़ाकर गांवों की छोटी-छोटी इकाइयों में जो जोश काम करने का होता है वह आपने कम कर दिया है। मैं समझता हूँ कि पंचायत के लिए ३ साल का पीरियड रहना चाहिए। आपने फाईव ईयर प्लान की तुलना की होगी। फाईव ईयर प्लान देश

(श्री मूलचन्द डागा)

का बनता है, असेम्बली ५ साल की होती है लेकिन एक ग्राम पंचायत तीन साल में अपना प्लान नहीं बना सकती ? आपके तीन साल में एक ग्राम पंचायत अपने प्लान को बनाकर पूरा कर सकती है। यह आपकी जो भावना है उस भावना से गावों में उत्साह जोश कम होगा और नई जागृति नहीं आयेगी। इसलिए ३ साल का पीरियड नहीं होना चाहिए या यों कहें कि आप समय पर चुनाव नहीं करा सकें—यह तो मैं नहीं कह सकता लेकिन आपके दिमाग में ५ साल की बात क्यों है—यह इससे मालूम होता है।

एक हाईकोर्ट का जजमेन्ट आ गया और जजमेन्ट में यह बात आ गयी कि हम चुनाव लड़ने के लिए उसको अलाऊ नहीं करेंगे। मैं समझता हू कि यह भी ठीक नहीं है। एक आदमी गुनाह करता है तो कितने समय के लिए वह गुनहगार रह सकता है ? आखिर कभी तो ठीक होगा। लोकतंत्र अपने आप निर्णय करता है कि किस आदमी को ऊपर लाना है और किस को नहीं लाना है। लेकिन लोकतंत्र का काम जब आप कानून बनाकर बाध्य करना चाहते हैं यह गलत होगा। मैं समझता हूं कि रोज नया सूरज उगता है और नया इन्सान जन्म लेकर आता है। इन्सान कल कुछ हो सकता है लेकिन आज कुछ हो सकता है। हम हर वक्त आगे बढ़ने की भावना से सोते हैं। आपका यह तरीका सोचने का गलत है। किसी आदमी का मोरल टरपीट्यूट है लेकिन उसका व्यवहार अच्छा हो गया है और वह अच्छा हो जाता है तो आप उस को डिप्राईव करना चाहते हैं। इसका मतलब यह है कि आप कानून के जरिये नफरत पैदा करना चाहते हैं जिससे किसी कारण से कोई जुर्म हो गया है। इस प्रकार की डिसक्वा-लीफिकेशन रखते है इसका भी मैं विरोध करता हूं। इसलिए इस अमेन्डमेन्ट के ऊपर विचार करने की जरूरत है। एक तो ३ साल का सवाल, ग्रुप सचिव का सवाल और यह पंचों को पूछें इसलिए इसके ऊपर विचार होना चाहिए और यह बिल आज पारित नहीं होना चाहिए।

श्रीमती सभानेत्री : श्री कृष्णकुमार गोयल।

श्री कृष्ण कुमार गोयल (कोटा): सभा-नेत्री जी, राजस्थान पचायत लॉज (सेकिण्ड एमेन्डमेन्ट) बिल, १९६९ के सबंध में मैंने जनमत जानने के लिए प्रस्ताव प्रस्तुत किया है। इसके पूर्व कि मैं सम्बन्धित बिल की धाराओं की ओर आपको माध्यम से सदन का ध्यान आकर्षित करू मैं राज्य सरकार को इतना अवश्य कहना चाहूंगा कि सत्ता विकेन्द्रीकरण के नारे के साथ-साथ राज-स्थान के अन्दर जो पंचायती राज की स्थापना की थी और उसके पीछे कल्पना थी कि हर एक गांव में एक पंचायत होगी, वह पचायत अपने पचायत के क्षेत्र के अन्दर अपना राज्य करेगी और अपने साधनों पर निर्भर करेगी और राज्य सरकार का उस पर कोई अकुंश नहीं होगा। राम राज्य के अन्दर जो पचायतों का प्रशासन देखने को मिलता था वह मिलेगा यह इसके पीछे धारणा थी और साथ ही साथ जब हमने लोकतंत्र स्वीकार किया है तो हमारी यह भी मन्शा थी की जहां हम पचायती राज को मजबूत करें राजस्थान के अन्दर हर पंचायत क्षेत्र के अन्दर हमें नेतृत्व मिलेगा, नया राजनैतिक जीवन मिलेगा, नये नये लोग

(श्री कृष्ण कुमार गोयल)

आकर राजनैतिक क्षेत्र में उतरेंगे जो कि अपने क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करेंगे अपने काम का लेकिन दुर्भाग्य है कि पंचायती राज की स्थापना के बाद से जो राजस्थान के अन्दर पंचायतों की हालत है वह दिन प्रति दिन बिगड़ती चली जा रही है। मैं सोचता हूं कि कोई भी लोकतंत्र में विश्वास रखने वाला व्यक्ति ऐसी पंचायती राज की व्यवस्था को देखकर दुखी ही होगा और उसे उससे सन्तोष नहीं हो सकता। आज पंचायतें सबसे बड़ी इकाई हैं जिनके ऊपर पंचायत समिति और जिला परिषद का सारा ढांचा खडा है या मैं यह कहूंगा कि लोकतन्त्र का ढांचा खड़ा है वह आज पंचायतें पंगु बनती जा रही हैं। न उनके पास आय के स्रोत हैं और इस कारण से वह अपने पंचायत क्षेत्र की सफाई और व्यवस्था कर सकती हैं और न किसी प्रकार का प्रशासन कर सकती हैं। पंचायतें कहने को जरूर हैं। पंचायतों के चुनाव होने को होते हैं लेकिन आज पंचायत का सरपंच और पंच साधारण बात के लिए अपने जिला अधिकारियों पर, अपने तहसील अधिकारियों पर या अन्य अधिकारी वर्ग है उनकी दया के ऊपर निर्भर होकर रह गया है। आज हमें ऐसी स्थिति नजर नहीं आती है कि पंचायत और पंचायत के सरपंच का शब्द कानून बन जाय या पंचायत के सरपंच का निर्णय सरकार पर बाध्य हो जाय। ऐसी स्थिति आज तक २२ साल के बाद भी पंचायत स्तर पर नहीं आती, परन्तु धीरे-धीरे पंचायतों में राजनीति घुस जाने के कारण आज धीरे-धीरे पंचायतों का स्तर गिरता चला जा रहा है। पंचायतों के अन्दर और पंचायतों के पदाधिकारियों के ऊपर जिस प्रकार का विश्वास उस क्षेत्र के ग्रामवासियों में होना चाहिए था आज देखने को यह मिलता है कि वह विश्वास उनके अन्दर नजर नहीं आता, बल्कि इसके विपरीत आज उनके प्रति घृणा नजर आती है। जाति-आधार पर झगड़े, जाति आधार पर गुटबन्दी, जाति के आधार पर चुनाव, ये सारी व्यवस्थाएं आज पंचायतों के अन्दर नजर आती है। क्या सरकार ने विचार किया है कि हम इन पंचायतों को मजबूत बनायें, इन पंचायतों को शक्तिशाली बनायें और पंचायतों को आय के स्रोत दें, ताकि उसके आधार पर वे अपने पैरों पर खड़ी होकर एक मोडल के रूप में पंचायतें बनकर बताएं। आज सरकार लैण्ड रेवेन्यू को अपने कब्जे में लेकर बैठी है। मैं राज्य सरकार से पूछना चाहता हूँ कि आप अपनी महरबानी पर क्यों किसी पंचायत को जिन्दा रखना चाहते हैं? राज्य सरकार निर्णय क्यों नहीं लेना चाहती है जिस पंचायत क्षेत्र का जितना राजस्व राज्य सरकार को होता है वह सारे का सारा राजस्व पंचयात को हैण्ड ओवर कर दिया जायगा लेकिन पंचायतों को राजस्व हैण्ड ओवर कर सकें ऐसा निर्णय लेने की क्षमता इस राज्य सरकार में नहीं है।

यही पंचायत समितियों की स्थिति है। आज पंचायत समितियों में, सभानेत्रीजी, आप जानती हैं कि उनके पास एक जीप के अलावा जिस जीप में प्रवास करें और दौरा करें, क्या ऐसे निर्णय हैं या कुछ धनराशि है जिसके आधार पर अपने क्षेत्र का विकास कर सकें, विकास के अन्दर योग दे सके? आज यह स्थिति नहीं है।

(श्री कृष्ण कुमार गोयल)

शनैः शनैः राज्य सरकार सत्ता के विकेन्द्रीकरण का नारा एक ओर देती रही, पंचायत और पंचायत समितियों के विकास का नारा देती रही, और दूसरी ओर जो उनके आय स्रोत, जो पैसा उनकी आमदनी में जाता था, जो पैसा उनके विकास के अन्दर लगाया जाता था उस सारे को शनैः शनैः खींच कर, निकाल कर दूसरी संस्थाओं को देते जा रहे हैं। आज सहकारी संस्थाओं के माध्यम से जितना पैसा जायेगा, भेजा जायगा, चाहे विकास का सवाल हो, चाहे उद्योग हों सारा पैसा सहकारी क्षेत्र से जायेगा, लेकिन पंचायत समितियों में टुकड़े होकर बटेगा। यह ठीक है, मैं स्वयं मानता हूं कि जो कुछ पहले पैसा दिया गया पंचायत समितियों को उसका कटु अनुभव है कि उसका ठीक प्रकार से वितरण नहीं हो पाया, उसका ठीक प्रकार से युटिलाइजेशन जो होना चाहिए था और जो उपयोगिता प्रमाणपत्र उसके आने चाहिए थे वे नहीं आ पाये, लेकिन क्या इसका तात्पर्य यह था कि जिस सिद्धान्त पर हमने पंचायत समितियों का निर्माण किया उसकी कमर ही तोड़ डालें ? बीमारी का इलाज होना चाहिए। अपराधी लोगों को दण्डित किया जाना चाहिए था, और कोई ऐसी मशीनरी इन्वॉल्व करनी चाहिए थी जिसके माध्यम से हम पंचायत समितियों को अधिक शक्तिशाली कर सकें, योग्यता के आधार पर कुछ ऐसा मापदण्ड बनाना चाहिए था कि पंचायत समितियों के प्रधान, पंचायतों के पंच और सरपंच कम से कम इतनी मिनिमम क्वालिफिकेशन लेकर चुनाव लड़ेंगे। लेकिन उस ओर सरकार ने ध्यान नहीं दिया। पंचायतों और पंचायत समितियों को शक्तिशाली बनाने के लिए, उनको मोडल और आदर्श बनाने के लिए जोर नहीं दिया। हमारा आज का अनुभव है कि राजनैतिक आधार पर उनका निवारण नहीं करके स्थिति को सुधारने की कोशिश नहीं की गई और सब पंचायत समितियों को पंगु बना दिया गया। आज केवल पंचायत समिति में उसकी एक जीप है। इसके अलावा पंचायत समिति किसी प्रकार का कार्य नहीं करती है। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि जहां एक ओर राज्य सरकार विकेन्द्रीकरण की बात करती है, पंचायत और पंचायत समिति की बात करती है वहां राज्य सरकार के लिए आवश्यक है, अगर हम इमानदारी से यह चाहते हैं कि ये संस्थाएं मजबूत बनें तो इन संस्थाओं को आमदनी के स्रोत दें, जितने कार्य उस क्षेत्र के विकास के लिए किये जाते हैं वे सारे इनके माध्यम से किये जायं और उसके लिए पैसा इनके माध्यम से वितरित किया जाना चाहिए लेकिन राज्य सरकार विचार नहीं करती है। राज्य सरकार निर्णय लेती है तो यह लेती कि है तीन साल में उनके चुनाव होने चाहिए तो वह चुनाव तीन साल में नहीं करवाती है और पांच साल में करवाती है और कहती है कि पैसे की कमी है। राज्य सरकार अपनी कमजोरी के कारण, राज्य सरकार के राजनैतिक दलबन्दी में फसे रहने के कारण वह समय पर चुनाव नहीं करना चाहती है। अकाल का बहाना लेती है या दूसरा बहाना ले लेती है, लेकिन समय पर चुनाव नहीं कराती है। समय पर चुनाव कराये जायं, समय पर सब बातें हो जांय, अपराधी और दोषी पंचायत समितियों के प्रधान और पंचायतों के पंच और

(श्री कृष्ण कुमार गोयल)

सरपंचों को दण्डित किया जाय तो कुछ हो सकता है। लेकिन राज्य सरकार यह नहीं करना चाहती है राज्य सरकार ऑर्डिनेन्स लायेगी, और फिर विल के माध्यम से ५ साल में चुनाव कराने का समय कर देगी। मैंने पहले भी इसका विरोध किया था और आज भी विरोध करता हूं। राज्य सरकार सोचती है कि पंचायत समितियों और पंचायतों को चुनावों की अवधि ३ साल के बजाय ५ साल के लिए की है वह ठीक होगी. लेकिन मैं समझता हूं कि वह आपके लिए घातक होगा। अवधि तीन साल की होना चाहिए और तीन साल में चुनाव हों यह व्यवस्था राज्य सरकार को करनी चाहिए।

सभानेत्रीजी, संशोधन जो लाया गया है तो जैसा कि मैंने कहा कि पंचायतों को मजबूत बनाया जाय इस पर सरकार ने विचार नहीं किया है। आप वी० एल० डबल्यू० को सेक्रेटरी बनाकर रखना चाहते हैं। आप कहते हैं कि हमने कुछ जगहों पर परीक्षण किया है। मैंने देखा है जैसा कि परीक्षण होता है। पंचायतें बन्द पड़ी हैं, ताला लगा हुआ है क्योंकि वी०एल०डबल्यू० को फुरसत नहीं है कि वहां जाकर वह काम करे। पंचायत की सप्ताह में एक बैठक आवश्यक है। पंचायत के लिए यह आवश्यक है कि उसका सेक्रेटरी स्वयं का हो। वी० एल० डबल्यू० ४-५-६ पंचायतों का सम्मिलित सेक्रेटरी होता है तो उनका किस प्रकार से सुपरवीजन कर सकता है? मैं कहता हूं कि यह असम्भव है। अगर यह स्थिति की गई तो परिणाम यह होगा कि वी० एल० डबल्यू० में राजनीति घुसेगी। वह पंचायत के सरपंच को इन्वाल्व करने की कोशिश करेगा और सरपंच वी० एल० डबल्यू० को इन्वाल्व करने की कोशिश करेगा इससे जो पंचायतों का विकास होने वाला है वह विकास अवरुद्ध हो जायेगा। मैं पुरजोर शब्दों में निवेदन करना चाहता हूं कि वी० एल० डबल्यू० को सेक्रेटरी की स्थिति में बनाकर रखना चाहते हैं इस कल्पना को छोड़ दें। इस पर मत चलें। हर पंचायत का एक सेक्रेटरी हो और सेक्रेटरी उसके कार्य का संचालन करेगा। यह हर पंचायत के विकास के लिए आवश्यक है। अगर उसके आय के स्रोत नहीं हैं तो जैसा कि मैंने आरम्भ में कहा है उनकी आय के स्रोत बनाने होंगे, उसको बढ़ाना होगा। इसके लिए सीधी आमदनी लेण्ड रेवेन्यू सेन्ट-पर्सेन्ट पंचायतों के सुपुर्द कर दें। लेकिन यह स्थिति आप पंचायतों की नहीं रखना चाहते हैं।

दूसरा, जैसा कि पाली से आने वाले माननीय सदस्य ने कहा, सभानेत्रीजी, मैं कहना चाहूंगा कि आज जिस प्रकार का पंचायत का सिस्टम है तो उन पंचायतों में किस स्टेण्डर्ड के, किस योग्यता के सरपंच चुनकर आते हैं, किस योग्यता के पंच चुनाव लड़कर आते हैं तो उनकी कुछ कमजोरियां हैं, उनकी कुछ सीमाएं हैं, उसको नजर अन्दाज नहीं करना चाहिए। यह ठीक है कि कुछ लोग भ्रष्ट हो सकते हैं लेकिन उसके साथ-साथ हमें यह स्वीकार करना होगा कि वे इन्नोसेन्ट हैं। आज राज्य सरकार इन व्यक्तियों पर तलवार लटकाकर रखना चाहती है कि तीन साल की टर्म को ५ साल कर दी। अगर पंच, सरपंच,

(श्री कृष्णकुमार गोयल)

प्रधान, उप-प्रधान इनके खिलाफ कुछ आरोप हैं तो उन आरोपों के कारण उनको हटाया जाना चाहिए, उनके खिलाफ कार्यवाही होना चाहिए। तो मैं राज्य सरकार से पूछना चाहता हूं कि उनके सामने ऐसी कौन सी कठिनाई है कि जिस ५ साल की अवधि तक वे कार्य कर सकते हैं तो उसके अन्दर उनके खिलाफ जांच को पूरा करा कर उनको दण्डित न कर दें और उस वक्त पदच्युत न कर दें। वह कार्यवाही आप नहीं करते हैं कि जितना जल्दी से जल्दी हो वह कार्यवाही पूरी होनी चाहिए। बाद में कार्यवाही नहीं कर सकते हैं। आप चाहते हैं कि ५ साल का जो टर्म है और उसके बाद में फिर चुनाव जीत कर आ गया और फिर पंच, सरपंच, प्रधान या उप-प्रधान बन गया तो उसके खिलाफ जो ५ साल पुरानी जांच हैं वह जांच होगी और फैसला उस टर्म में जाकर देंगे और जिस वक्त वह फैसला होगा तो उसको अपने पद से अपदस्थ मान लिया जायगा और यह मान लिया जायगा कि उसने अपना स्थान खाली कर दिया है। यह कौन सा न्याय है! अगर अपराधी है तो अपराधी को दण्ड देना चाहिए लेकिन जिस टर्म में वह चुना जाता है उसी टर्म के अन्दर अन्दर जांच कराकर फैसला करें, और उसकी अवधि समाप्त होने तक आपके सामने उसका अपराध आता है और नये चुनाव आने होते हैं तो इतना मौका आपको है कि नये चुनाव आने के पहले पहले आपका निर्णय हो जाना चाहिए। वर्ना इस आधार पर राजनैतिक दमन होगा, राजनैतिक संरक्षण होगा कुछ व्यक्तियों के ऊपर आरोपों की तलवार लटका दी जायगी। मन चाहे ढंग से राजनैतिक दखल करके सारी पंचायत व्यवस्था को अस्त-व्यस्त करना चाहेंगे। इस आधार पर मैं इसका कटु विरोध करता हूं। और साथ ही, सभानेत्री जी, मैं पंचायत मन्त्री जी का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा कि आप भ्रष्टाचार को समाप्त करने की बात करते हैं। उसको अपदस्थ करने की बात करते हैं।

श्री रघुनाथ विश्नोई : आप का मतलब क्या है? फाइंडिंग के ऊपर डिस्क्वालिफिकेशन होगा?

श्री कृष्णकुमार गोयल : इसका मतलब यह है कि दुबारा इलेक्शन होता है, और वह जीतकर आता है, उस समय फाइंडिंग उसके पास पहुंचती है। तो यह माना जाएगा कि वह मुक्त हो गया है। यह ध्यान देना है तो उसी समय अपदस्थ कीजिए। यह नहीं हो सकता कि कच्चे धागे की तलवार जिन्दगी भर उसके ऊपर लटकाये रहें। मैं एक मामले पर आप का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा। सवाई माधोपुर से आने वाले माननीय सदस्य ने ध्यान आकर्षित किया था। यह है पंचायत बिजपुरी खण्डर के पास। उस पंचायत की स्टैंडिंग कमेटी का चेयरमैन है, केशवदेव। सभानेत्री महोदया, केशवदेव के कुछ रिश्तेदार और उसी के ८/६ व्यक्तियों द्वारा दरखास्त दी गई कि खसरा नं० ८२/८३/८४ की जमीन पर कुआं बनाने के लिए हम को ३ हजार रुपये की ग्राण्ट दी जाय। यह दरख्वास्त पंचायत समिति की स्टैंडिग कमेटी के सामने थी। बिचपुरी सरपच उसके चेयरमैन थे। कुऐ के लिए एक हजार रुपये का अनुदान स्वीकार कर दिया? उस

(श्री कृष्णकुमार गोयल)

समय यह स्वीकार कर दिया गया तो बिचपुरी के अन्य लोगों को मालूम पड़ा तो पता चला कि ८२/८३/८४ नं० का खाता तो सरपंच का ही है। लोगों ने मालूम किया ८/९ आदमियों की ओर से दरख्वास्त थी। लोगों ने जांच की। शिकायत हुई। शिकायत की जांच हुई। साधारण आदमी ने जांच नहीं की। एस० डी० ओ० और बी० डी० ओ० सवाई माधोपुर ने जांच की। उन्होंने कहा कि जांच से पाया गया कि खसरा नं० ८२/८३/८४ की मेढ़ पर एक ही खेत है श्री केशवदेव के पिता राम कल्याण की खातेदारी में है और इस खेत में केवल दो बीघा २ बिस्वा लूंमी की सिंचाई के हेतु श्री केशवदेव के पिता की खातेदारी में है। पंचायत समिति की ली हुई अनुदान की धनराशि से एक कुऐ का निर्माण करा लिया है जिस पर श्री केशवदेव का निजी आहट लगा है। उपरोक्त ७ व्यक्तियों में से जिनके नाम से यह अनुदान मांगा गया था सुन्दर धोबी मौके पर उपस्थित नहीं मिला। हरबख्श्या चमार फौत हो चुका। बाकी ५ व्यक्तियों में से एक इन्द्रकुमार ने दरख्वास्त दि० ९/१/६० पर हस्ताक्षर होना स्वीकार किया। श्री इन्द्रकुमार श्री केशवदेव के चाचा लगते हैं और उनका इस अनुदान प्राप्त करने में श्री केशव देव के साथ साजा रहा है। बाकी चार व्यक्तियों का कथन है कि इस दरख्वास्त पर उनके हस्ताक्षर व निशानी नहीं है और न उन्होंने कभी अनुदान मांगने की मांग की है। लोरिया व बजरंगा का कथन है कि उनकी निशानी फरजी बनाई गई है तथा राम परसाद व रामकुमार ने भी बयान दिया कि दरख्वास्त पर उनके हस्ताक्षर फरजी बनाये गये हैं। जांच से यह पाया गया है कि बजरंगा व सुन्दर भूमिहीन हैं और इस ग्राम में उनकी एक बिस्वा भी जमीन नहीं है।

गतवर्ष रामकुमार नाई ने एक बीघा जमीन में इस कूप से पानी लिया था परन्तु केशवदेव सरपंच ने उससे सिंचाई कर वसूल किया है। उपरोक्त जांच से पाया गया है कि श्री केशव देव सरपंच ने एक हजार रुपये की धनराशि पंचायत समिति से अपनी निजी जरुरत को पूरा करने के लिए उठाई है तथा दरख्वास्त पर जिन व्यक्तियों के हस्ताक्षर व निशानी की गई है उनमें से सिवाय इन्द्रकुमार के जो इनका खास काका लगता है अन्य व्यक्तियों के दस्तखत व निशानी फरजी बनाये गये हैं। और श्री केशवदेव ने एक हजार रुपये का इस प्रकार पंचायत समिति को धोखा देकर दुरुपयोग किया है। इस कूप से इस समय श्री केशवदेव निजी फायदा उठा रहा है। यह कार्यवाही अनुचित है। उन्होंने अपने पद के अधिकार का दुरुपयोग किया है। यह राशि सार्वजनिक काम में ली जा सकती है पर निजी काम में ली है। श्री केशवदेव ने यह धनराशि सामुदायिक विकास की मद सिंचाई में से गलत रूप से स्वीकृत की है क्योंकि इस मद में से केवल सार्वजनिक हित के लिए ही दी जाती है।

जिलाधीश, सवाई माधोपुर ने आदेश दिया कि मामला ताजीरी जुर्म होना पाया जाता है अतः मुताल्लिक पुलिस स्टेशन पर रिपोर्ट दर्ज की जावे व नकल रिपोर्ट विकास

(श्री कृष्णकुमार गोयल)

विभाग में ले ली जावे व रकम पैनल्टी इण्ट्रेस्ट के वसूली करने की कार्यवाही की जावे।

श्रीमती सभानेत्री : माननीय सदस्य, एक मिनिट सूचना करनी है।

सदन को यह सूचित किया जाता है कि वित्तीय समितियों के चुनाव से नाम वापिस लेने का समय १० अप्रेल, १६७० के १ बजे तक माननीय अध्यक्ष द्वारा बढ़ा दिया गया है।

एक माननीय सदस्य : चुनाव कब होंगे?

श्री जयनारायण सालोदिया : चुनाव अगले साल होंगे।

श्री कृष्णकुमार गोयल : तो बिचपुरी के केशवदेव की घटना बता रहा था। क्रमांक २१७६ पंचायत ६८ दि० २३-८-६८ को उप जिला विकास अधिकारी जी ने अधीक्षक आरक्षी मण्डल सवाई माधोपुर के पास इत्तिला दी की सरपच के खिलाफ फौरन कानूनी कार्यवाही की जावे।

उसके बाद उप मन्त्री महोदय के पास भेजा गया। उप मन्त्री, पंचायत विभाग राजस्थान, राजस्थान सरकार पंचायत एवं विकास विभाग क्रमांक एफ २३ (४) सी. पी. एस. ६८/१२६६८/७० जयपुर दि० १२-६-६८ विषय:—श्री केशव देव सरपंच बिचपुरी से एक हजार रुपया वसूली बाबत त० खण्डार रा. "उपरोक्त विषय में राजस्थान सरकार द्वारा मुझे यह सूचित करने का निर्देश है कि पूर्व में प्रसारित स्थगन क्रमांक २३ ४) सी. पी. एस. ६८ मिसलें १४७१-७३ दि० १-२-६८ तुरन्त प्रभाव से रिक्त किया जाता है। श्री केशवदेव सरपंच, पंचायत बिचपुरी से उक्त अनुदान की राशि दण्डनीय ब्याज सहित तुरन्त वसूल की जाये।"

लेकिन मेरी समझ में नहीं आता है कि जिसके लिए ऊपर से नीचे तक कार्यवाही करने के लिए कहा जाता है। सेक्रेटरिएट की मुहर लगाई जाती है। यह फैसला पंचायत मन्त्री के पास जाता है। पंचायत मन्त्री श्री मदेरणा के पास। राजस्थान सरकार पंचायत एवं विकास विभाग, क्रम एफ. २३(४) सी. पी. एस. ६८ मि० २३६। ता० ७-१-६६। पंचायत मन्त्री के पास भी इसको भेजा गया।

(३ म. प.)

मैं सोचता हूं सदन यह सुन कर आश्चर्य करेगा, सदन विचार करेगा कि क्या इन आधारों पर हम ईमानदारी लाना चाहते हैं, क्या इन आधारों पर पंचायत सिस्टम के प्रति लोगों में आस्था पैदा करना चाहते हैं। इस पर फैसला हुआ :

जिलाधीश, सवाई माधोपुर

विषय : श्री केशवदेव, सरपंच बिचपुरी खण्डार से १०००) वसूली बाबत।

उपरोक्त विषय में पूर्व प्रसारित आज्ञा संख्या एफ. २३ (४) सी. पी. एफ. ६८/१२६६८/७० दिनांक ६-१२-६८ के क्रम में सरकार द्वारा मुझे यह निवेदन करने का निर्देश कि चूंकि सरपंच ने अंकित किया है कि जिस जगह इस कुए का निर्माण हुआ है वो जगह अपने पिता की खातेदारी की

(श्री कृष्णकुमार गोयल)

जमीन के कोने पर स्थित है जिसका उसको उस समय इल्म नहीं था यद्यपि कुआ सार्वजनिक ही है फिर भी इस जमीन का रकबा २ बिस्वा जहां कुआ बना है अपने पिता की खातेदारी से हटा कर सरकार को सौंपने को तैयार है और सरकार उस स्थान को सार्वजनिक सिवाय चक में घोषित कर दे आदि।

अतः उस जमीन के हिस्से को जिस पर कुआ बना हुआ है नियमानुसार अपने कब्जे में लेकर सार्वजनिक कुआ घोषित कर दे एवं सरपंच (प्रार्थी) से यह शर्तनामा लिखवा लिया जावे कि वो इस कुए पर किसी प्रकार का कोई हस्तक्षेप नहीं करेगा तथा पुलिस को भी इस निर्णय से अवगत करा दे साथ ही सरपंच से वसूली की जाने वाली राशि १०००) रुपये की वसूली की कार्यवाही समाप्त की जाती है। सरपंच से अब राशि वसूल नहीं की जावे।

कई माननीय सदस्य : शेम शेम !

श्री परसराम मदेरणा : क्या शेम ?

श्री कृष्णकुमार गोयल : एक व्यक्ति, जिसने दरख्वास्त दी, उसने दरख्वास्त पर आठ आदमियों के दस्तखत कराये, इन आठ आदमियों में से पांच आदमियों के फर्जी दस्तखत उस पर थे। बाद में वह पांच आदमी कहते हैं कि यह फर्जी दस्तखत हैं। मैं आपको कहना चाहता हूँ कि इस व्यक्ति ने कुआ बना लिया, वह आप के खेत में कुआ बना लिया, जो दरख्वास्त दी उस पर फर्जी दस्खत कराये, फर्जी प्रार्थना-पत्र दिया और फर्जी तौर पर कुआ बना लिया। उसने वह कुआ अपने घर में खुदवा लिया। जब इस मामले की जांच की गई और जांच में तथ्य सामने आये तो आप उसको रेगुलेराइज करते हैं, कहते हैं कि पैनल्टी खत्म की जाय, जो मुकदमा पुलिस को दिया हुआ है उसको विथड्रा किया जाय, जिस जमीन पर उसने कुआ बनवा लिया है वह सरकार के कब्जे में चली जायगी और जो कुआ बनवा लिया है वह कुआ सार्वजनिक कुआ बन जायगा। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि एक आदमी क्रिमिनल ऑफेन्स करे, धोखा करे, फोर्जरी करे, धोखा देकर रकम को पंचायत की स्टैंडिंग कमेटी के चेअरमेन की हैसियत से खुद के काम में ले ले—उसको किस हालत में माफ किया जा सकता है ? मेरा निवेदन है कि ऐसे आदमी को माफ नहीं किया जाना चाहिए और उसके खिलाफ केस पुलिस को रेफर किया जाना चाहिए और पैनल्टी के साथ में उससे रकम वसूल करनी चाहिए। आप कहते हैं कि उस कुए को सार्वजनिक कुआ बना दिया है, मैं कहता हूं कि आज भी वह कुआ सार्वजनिक कुआ नहीं है, वह आज भी व्यक्तिगत कुआ है...

श्री प्रेमसिंह सिंघवी : भ्रष्टाचार की बू आ रही है।

श्री कृष्णकुमार गोयल : और उस कुए को वह खुद के काम में ले रहा है। इसलिए यह जो पैनल्टी का प्रोवीजन आप बनाना चाहते हैं उसकी मन्शा यही है कि राजनैतिक आधार यह संशोधन करके दूसरे जो व्यक्ति आपके विरुद्ध हैं उनके सिर के ऊपर कच्चे धागे से बंधी हुई तलवार लटकाये रखना चाहते हैं। मैं इसका विरोध करता हूँ। इसलिए मैंने इसमें यह संशोधन प्रस्तुत किया है कि इसको जनमत जानने के लिए प्रसारित किया जाय।

श्रीमती सभानेत्री : श्री श्रवण लाल !

श्री श्रवणलाल (हिन्डौन) : माननीय सभानेत्री जी, मैंने भी इस राजस्थान पंचायत विधियां (द्वितीय संशोधन) विधेयक, १९६९ को जनमत जानने के लिए प्रसारित करने का प्रस्ताव किया है। माननीय सभानेत्री महोदया, जो इस प्रकार का सरकार के द्वारा यह बिल लाया जा रहा है, इसी प्रकार का एक बिल पहले भी, आज से कुछ समय पहले भी लाया गया था। यह ग्राम पंचायत अपना कार्य सचिव के द्वारा सुचारु रूप से चलाती थीं, किसी प्रकार से ग्राम सेवक के द्वारा, या किसी भी तरह से उनको जो सब्जेक्ट थे उस सब्जेक्ट में अपनी ग्रामीण जनता को वह सुविधा, व्यवस्था और न्याय देती थीं। जब हमारी सरकार ने इस सदन में नगरपालिकाओं के सम्बन्ध में पंचायतों के सम्बन्ध में कोई प्रश्न लाकर उपस्थित किये तो माननीय सदस्यों ने काफी इस सम्बन्ध में विचार व्यक्त किये कि यह जो पंचायत या जो ग्राम पंचायत हैं इनकी आय के स्रोत बहुत कम हैं। इसी का परिणाम है कि आज उनके अन्दर सचिवों का वेतन बकाया है, जो काफी समय से बकाया चला आ रहा है और वह बकाया लाखों का है। इस बकाया से बचने के लिए हमारी सरकार ने एक षड़यंत्र रचा है कि इन ग्राम सचिवों को यहां से छुटकारा दिला कर इनके स्थान पर वी. एल. डब्ल्यू. या ग्राम सचिव हैं, जो ग्राम सेक्रेटरी के नाम से वर्क कर रहा है उसको उस स्थान पर लगाय जो आज ग्राम सचिव के नाम से काम कर रहे हैं उनको ग्राम पंचायत में नहीं रख कर तीन चार ग्राम पंचायतों का काम सौंपा जाय। इससे उसे ग्राम पंचायतों में सप्ताह में दो दो, तीन तीन दिन काम करना पड़ेगा। उस सेक्रेटरी को अमुक अमुक पंचायत में जाने के लिए, एक पचायत से दूसरी पंचायत तक जाने के लिए किराया देना पड़ेगा और किराये के साथ ही साथ तीन चार ग्राम पंचायतों से सम्बन्धित होने के नाते वह किसी भी पंचायत के काम को अच्छी तरह सम्भाल नहीं पायेगा। इसी तरह से पंचायत की जो मीटिंग होती है साप्ताहिक उसको भी अटेण्ड नहीं कर पायेगा। तो इसका मुख्य कारण है कि जो ग्राम पचायत के सेक्रेटरीज को बकाया थी, जिसका चुकारा करने में हमारी सरकार असमर्थ रही है और जो किसी प्रकार से बकाया का भुगतान किया जाना चाहिए था वह नहीं कर पाई है-उससे बचने के लिए यह इस प्रकार ग्रुप सेक्रेटरी नियुक्त किये हैं। सभानेत्री महोदया, मैं आपके द्वारा मंत्री महोदय से यह निवेदन करना चाहूंगा कि उन सेक्रेटरीज ने आज तक जो वर्क किया है, और पंचायतों में काफी समय से कार्य करते हुए ग्रामीण जनता की सेवा की है, उनके वेतन की बकाया हैं ...

श्री रघुनाथ विश्नोई (सांचोर) : ओन ए पॉइन्ट ऑफ ऑर्डर, ऐसा है लिस्ट काफी लम्बी चौड़ी है। अगर भाषण की लिमिट बाद में करना चाहते हैं, तो मेरा ख्याल है कि पहले ही कर दें, वरना फिर बाद में न करें।

श्री शंकर लाल (जैतारण) : यह ठीक है।

श्रीमती सभानेत्री : मैं माननीय सदस्यों से निवेदन करूंगी कि पांच पांच मिनिट में भाषण समाप्त कर दें।

श्री देवीदत्त गाड़िया (बारां) : यह उचित नहीं है, चाहें तो वाद-विवाद बन्द कर दीजिये, हम वैसा कर लेंगे। लेकिन पांच पांच मिनिट का समय देकर क्या नाटक किया जा रहा है, क्या ढोंग रचा जा रहा है ? इससे तो बिल को वैसे ही पास करवा लीजिये।

श्रीमती सभानेत्री : माननीय सदस्य ! यह आवश्यक नहीं है कि बिल पर अधिक समय में ही बात कही जा सकती है। बिल का विषय है उसकी रेलेवेन्सी में सीमित रहते हुए जनरल भाषण दें या बिल के क्लाजेज से ताल्लुक रखते हुए भाषण दें तो सारी बातें कम समय में कही जा सकती है। जैसा कन्डक्ट रूल्स में है, ऐसी बात नहीं है कि सूक्ष्म में विचार नहीं रख सकते हैं। आसन को लिमिट इसलिए करनी पड़ती है कि माननीय सदस्यों को बुलवाना पड़ता है, बाकी आप ज्यादा टाइम लें तो मुझे आपत्ति नहीं है। इसको मद्दे नजर रखते हुए माननीय सदस्य कोओपरेट करेंगे और संक्षेप में विचार रख देंगे–यह मेरा निवेदन है।

श्री देवीदत्त गाड़िया : यह तो समझ में आता है, पांच पांच मिनिट में भाषण करने की बात कही इसलिए मैंने कहा।

श्रीमती सभानेत्री : आसन की तरफ से को ओपरेशन चाहा जाता है। पांच मिनिट दिये जाते हैं उसके बजाय छः मिनिट ले लें तो आसन सदस्य को रोकता नहीं है। लेकिन मेरा निवेदन है कि इसको मद्दे नजर रखते हुए भाषण दें।

श्री देवीदत्त गाड़िया : आपकी आज्ञा शिरोधार्य है लेकिन, सभानेत्री महोदया, मैं आपके द्वारा माननीय सदस्य ने जो बात रखी है उनसे जानना चाहूंगा, काफी समय से...

श्री यशवन्तसिंह नाहर (बनेड़ा) : व्यवस्था का प्रश्न है, सभानेत्री महोदया ! आपने अभी पांच मिनिट में भाषण समाप्त करने की व्यवस्था दी, उस पर बारां से आने वाले माननीय सदस्य ने दो शब्द कह दिये, चेअर, आसन के प्रति बहुत आदरहीन शब्द हैं इसलिए उनको निकाल दिया जाय।

श्री प्रेमसिंह सिंघवी : कौन से।

श्री यशवन्त सिंह नाहर : आपने कहा कि नाटक, ढोंग किया जा रहा है। यह आसन के लिये कहना शोभा नहीं देता है, यह सदन की गरिमा और प्रतिष्ठा के लिए घातक है।

श्री प्रेमसिंह सिंघवी : आसन के लिए नहीं कहा। अनपार्लियामेन्ट्री शब्द नहीं हैं।

श्री देवीदत्त गाड़िया : जिन्होंने प्रस्ताव रखे हैं उनको पांच मिनिट मे भाषण देने का समय दें तो यह नाटक है, ढोंग है—यह मैं अभी भी कह रहा हूं क्योंकि पांच मिनिट में विवाद व्यक्त नहीं कर सकते। आसन के प्रति में कोई आरोप नहीं लगा रहा हूं। आप इस प्रकार की बेकार बात कर रहे हैं।

मैंने आसन के प्रति अनादर की या असंसदीय बात नहीं कही है।

श्रीमती सभानेत्री : माननीय सदस्य, व्यवस्था दे दी गई है।

श्री देवीदत्त गाड़िया : अगर पांच पांच मिनिट का समय दिया गया...

श्रीमती सभानेत्री : माननीय सदस्य, मैंने एक बार व्यवस्था दे दी, आपको समझा दिया कि इस तरह की व्यवस्था रहेगी तो आगे भाषण की गुंजाइश रहेगी ।

श्री श्रवणलाल : सभानेत्री जी, मैं कह रहा था कि आज मान लीजिये, उन सचिवों की बकाया को चुकाया जाय—इस प्रकार का बिल आप लाते इनकी बकाया को किस प्रकार से चुकाया जाय, जो लाखों की बकाया है, उसका किसी प्रकार से भुगतान किया जाय तो वह स्वागत योग्य बात हो सकती थी । मैं यह कह रहा था, पंचायत राज के अन्दर आप बकाया को ले लीजिये, किसी भी ग्राम पंचायत को उठा कर देख लीजिये, पंचायत का रिकार्ड उठा कर देख लीजिये तो लाखों की बकाया खाद और बीज की बकाया चली आ रही है, वह आज से नहीं, पांच, छः साल पहले से, १६५७-५८ से चली आ रही है । हमारी सरकार ने उसके चुकारे के लिए किसी प्रकार की चिन्ता व्यक्त नहीं की है । जिस बात की बकाया चली आ रही है, खाद की बकाया है, बीज की बकाया है— उसके सम्बन्ध में, माननीय सभानेत्री जी, रिकार्ड देखा जाय कि वह खाद और बीज किसके नाम से, किस व्यक्ति के नाम से किस को दिया गया तो इस प्रकार का रिकार्ड ग्राम पंचायत, पंचायत समिति और जिला लेवल पर देखने के लिए उपलब्ध नहीं होगा । मेरा कहना है कि इस प्रकार ग्राम पंचायतों के अन्दर चाहे ग्रुप सेक्रेटरी की बकाया हो – सबसे पहले उसका भुगतान होना चाहिए । उसके बाद जो और बकाया चली आ रही है, चाहे खाद के नाम से हो, चाहे बीज के नाम से हो, चाहे अनुदान के रूप में हो—जिस सरपंच ने अनुदान का दुरुपयोग किया है, जिस प्रकार से कई माननीय सदस्यों ने चार्ज लगाये हैं—इस प्रकार का एक नहीं, अनेक प्रश्न है, सवाई माधोपुर के अन्दर आनन्दपुरा ग्राम पंचायत के बजरंगलाल सरपंच हैं, उन्होंने अपने कारनामों के द्वारा नोटिफाइड एरिया के अन्दर गलत पट्टे किस प्रकार से ले लिये, उनके बारे में राज्य सरकार के पास में कैसेज आये, इन्क्वायरी हुई और कागजों को सील किया गया और फिर सरपंच को सस्पेन्ड किया गया—और आज भी वह सस्पेन्शन की हालत में चल रहा है । सभानेत्री महोदया, आपको यह सुन कर ताज्जुब होगा कि वह सरपंच सस्पेन्ड है रेकार्ड सब सील किया हुआ है, कागज उसके पास नहीं है, पर जो उसका सचिव था, उसके साथ उसके सम्बन्ध होने के कारण वह सरपंच आज भी जो नोटिफाइड एरिया है, जिसके लिये कमेटी नियुक्त हो चुकी है उस कमेटी के द्वारा ही एलॉटमेंट होने चाहिये, पर वह कमेटी किसी प्रकार कार्यवाही नहीं कर सकती और वह बजरंग आज भी गलत ढंग से जनता को धोखा दे कर पट्टे दे रहा है । आप खसरा नं० ५ से ७ की जाँच के लिये एन्क्वायरी कमेटी बैठा दीजिये आपको असलियत का पता चल जायगा कि उसने पट्टे दिये हैं, यह सही है या गलत है । आपको यह सुन कर ताज्जुब होगा, कि एक बार एक व्यक्ति के नाम पट्टा दे दिया, उसको कोई रसीद नहीं दी और उसी प्लाट का फिर दूसरे आदमी को पट्टा दे दिया, फिर उसी प्लाट का तीसरे आदमी को पट्टा दे दिया । इस तरह से एक ही प्लाट के चार चार आदमियो को पट्टे दे दिये हैं । किसी से दो हजार रुपये लिये हैं, किसी से चार चार हजार रुपये लिये हैं किसी से ५ हजार रुपये लिये

(श्री श्रवणलाल)

है। जो सरपंच सस्पेन्ड हुआ है, जिसका रेकार्ड सील किया हुआ है, वह इस तरह से खुला भ्रष्टाचार कर रहा है। और हमारी सरकार उसको संरक्षण दे, इससे बढ़कर दुख की बात और क्या हो सकती है। सरपंच आज भी जो काले कारनामें कर रहा है उनकी जांच करवाई जाय और उसको सजा दिलाई जाय, यह मैं निवेदन करना चाहता हूं।

आज आपको कई ऐसे मसले मिलेंगे चाहे अनुदान की रकम हो चाहे और तरह की रकम हो, जैसा कि श्री कृष्णकुमार जी गोयल ने कहा, पंच सरपंच आदि पर इस प्रकार के चार्जेज लगाये जाते हैं कि अमुक धनराशि का उन्होंने दुरुपयोग किया है। चाहे एन्टीकरप्शन के मामलों को ले लीजिये, चाहे अनुदानों की राशि और दूसरी तरह की धनराशि को हड़पने के केसेज को ले लीजिये, क्या आपने आज तक किसी को सजा दी है ?

श्री गिरधारीलाल : दी है।

श्री रघुनाथ विश्नोई : तभी तो सरपंचों को बचाने के लिये यह बिल लाये हैं।

श्री श्रवणलाल : सरपंच कितना ही भ्रष्टाचार करे, उसको बचाने के लिये ग्रुप सेक्रेटरी के पास रेकार्ड होगा और भ्रष्टाचार करेगा, उसके लिये उसके खिलाफ किसी प्रकार का एक्शन नहीं लेने के लिये यह बिल इस प्रकार लाया जा रहा है तो मैं यह चाहूंगा कि जैसा माननीय डागा साहब कह रहे थे सरपंच पढ़ा लिखा नहीं होने के कारण गड़बड़ियां होती हैं, एक प्रमुख साहब का उन्होंने कहा। मैं यह कहना चाहूंगा कि हमारे यहां तो उप मंत्री भी सरपंच हैं, इस प्रकार का कानून पास करने के बाद कौन सरपंच की बात मानेगा। उप मंत्री सरपंच हैं, उस ग्राम पंचायत में उनकी कोई भी वेल्यु नहीं रहेगी। यह अधिकार दिया जा रहा है, सरपंच को अधिकार न दे कर ग्रुप सेक्रेटरी को अधिकार दिया जा रहा है इससे सरपंच के प्रति लोगों की भावना गिरेगी, उनकी कद्र गिरेगी और जो वे लोग अपने ग्रामों का उत्थान अनेक प्रकार की योजनाएं शुरू कर के करना चाहते थे उसमें शिथिलता आयेगी जैसा डागा साहब ने कहा कि कई सरपंच नई नई योजनाएं ला कर अपना नाम रोशन कर रहे थे, गांव की पीने की समस्या को हल करने के लिये उन लोगों ने काम किया है या इसी प्रकार के और जनहित के कार्य करना चाहते थे वह सब खत्म हो जायेंगे। तो इस बिल से उन सरपंचों के अधिकारों पर इस प्रकार का कुठाराघात किया जा रहा है।

सभापति महोदय, मैं आपके द्वारा मंत्री महोदय को सुझाव देना चाहता हूं कि आज पंचायतों की हालत म्युनिसिपेलिटियों से भी बदतर हो रही है। उनकी माली हालत को ठीक करने के लिये सरकार ने नियम बनाया है कि ग्राम पंचायतों को १५ बीघा जमीन दी जायगी। पंचायतों की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिये आफिस आदि का खर्चा उठाने के लिये यह १५ बीघा जमीन ग्राम पंचायतों को एलाट करवाई पर यह जमीन ग्राम पंचायतों के नाम ली गई पर सरपंच उस जमीन का दुरुपयोग करने लगे। डागा साहब इतनी बड़ी बड़ी बातें करते हैं पर उनके वहां का फार्म कितना

Page No 114

(श्री श्रवणलाल)

घाटे में चल रहा है। तो फिर उन्होंने देखा कि जो १५ बीघा जमीन पंचायतों को एलाट की है, इसमें मुनाफा क्यों बताया जाय, क्यों नहीं घाटा ही बताया जाय। तो मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि इस १५ बीघा जमीन से पंचायतों का काम नहीं चलने वाला है, जैसा कि श्री कृष्णकुमारजी गोयल ने सुझाव दिया ग्राम पंचायत के नीचे जितना सर्किल पड़ता है, उसकी जितनी रेवेन्यू हो, वह ग्राम पंचायत को देनी चाहिये ताकि ग्राम पंचायतों की माली हालत ठीक हो सके और वे आने वाली पीढ़ियों के फायदे के लिये अपनी अनेकों प्रकार की योजनाओं को पूरा कर सकें।

इन सुझावों के साथ अन्त में मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि इस बिल को जनमत जानने हेतु प्रसारित किया जाय।

श्रीमती सभानेत्री : श्री रामचन्द्र आर्य।

(अनुपस्थित)

श्री नत्थीसिंह : रामचन्द्रजी नहीं हैं, मैं बोल लूं, मेरी पार्टी का समय है।

श्रीमती सभानेत्री : जिन माननीय सदस्यों ने संशोधन प्रस्ताव दिये हैं, उनको पहले मौका दिया जाय।

श्री हरजीराम बुरड़क।

(अनुपस्थित)

श्री शिवनाथसिंह।

श्री शिवनाथ सिंह (गुढ़ा) : सभानेत्री महोदया, यह जो इस बिल को जनमत जानने के लिये प्रसारित किये जाने का प्रस्ताव रखा गया है, उसका मैं समर्थन करते हुए कहना चाहूंगा कि पंचायतों की वित्तीय स्थिति के बारे में पुराने एक्ट में सरपचों को अधिकार दे रखे थे, अब यह प्रावधान कर रहे हैं कि पंचायतों का ग्रुप सेक्रेटरी होगा। मैं इसका तो स्वागत करता हूं कि पंचायतों का ग्रुप सेक्रेटरी होगा, पंचायतों के सरपंचों पर गबन आदि के केसेज इसलिये चलते हैं कि उनके पास फ़ाइनेन्सेज हैं। पर ग्रुप सेक्रेटरी की जो ड्यूटीज रखी हैं, उनमें ग्रुप सेक्रेटरी पर बहुत बड़ी ड्यूटी रखी है। क्लाज २ डी. में यह रखा है :

"(d) to be responsible for the safe custody of the Panchayat fund."

मैं यह निवेदन करना चाहूंगा कि आज पंचायतों के पास फंड्स नहीं हैं पर ऐसी भी परिस्थिति आ सकती है कि एक समय पंचायतों के पास बहुत बड़े फंड्स हों। इसलिये ग्रुप सेक्रेटरी की नियुक्ति करना चाहते हैं तो क्या पंचायतों के फंड्स की सेफ कस्टडी के लिये ग्रुप सेक्रेटरी को वह रकम दे दें, यह उस रकम की सेफ्टी के लिये क्या उचित होगा ? आज हम देखते हैं कि सरपंच पंचायतों के फंड्स के लिये जिम्मेदार हैं, आखिर ५ हजार आदमियों से चुना हुआ सरपंच है। इसलिये मैं निवेदन करना चाहूंगा कि जहां तक पंचायतों के फंड्स को रखने का सवाल है, इसमें कोई खतरा पैदा नहीं हो जाय, इसके लिये आप सावधानी से सोचें और देखें।

इसके साथ ही साथ मैं यह निवेदन करना चाहूंगा कि आज पंचायतों की

(श्री शिवनाथसिंह)

हालत क्या है ? पंचायतें ऐसे काम ले सकती हैं, स्टाफ नियुक्त कर सकती हैं जिसकी कि जरूरत हो और पंचायत समिति की इजाजत हो । आज पंचायतों के पास धन नहीं है, इसके लिये राज्य सरकार कोई इस प्रकार की समुचित व्यवस्था करें कि पंचायतों के पास फंड्स हों, इसके लिये पंचायतों को इन्कम के सोर्सेज देने होंगे । जब तक पंचायतों के पास अपने यहां समुचित रूप से कार्य करने के लिये समुचित फंड्स नहीं होंगे तब तक पंचायती राज केवल मखौल सा रह जायगा । इसलिये चाहें तो राजस्व की वसूली की कोई अंश हो या और कोई तरह का इन्कम का सोर्स हो, वह इन्कम का सोर्स पंचायतों को देना होगा । जब तक पंचायतों को धन नहीं देंगे तब तक पंचायतें कोई काम नहीं कर सकेंगी ।

एडहॉक बेसिस पर जो अनुदान पंचायतों को मिलने वाले थे वे लैप्स हो गये हैं, इसलिये पंचायतों और पंचायत समितियों में काम नहीं हो रहा है । इस ओर भी सरकार ध्यान दे, जो स्टाफ रखने का रखा है, उसके लिये पंचायतों के पास फंड्स हों, इसकी तरफ राज्य सरकार ध्यान दे । सबसे बड़ा चेंज लाया गया है वह यह कि सरपंच की एक इलेक्टिव पोस्ट है । उसका हम आज प्रावधान कर रहे हैं । मैं मानता हूं कि सरपंच कोई ऐसा कार्य करे मिसएप्रोप्रिएशन करे या कोई जघन्य अपराध करे अपने काल में तो उसको दंड मिले लेकिन जैसा आज प्रावधान है और जैसा करने जा रहे हैं उसको देखने से पता लगेगा कि वह अनुचित है । मैं मन्त्री महोदय का ध्यान जो सेक्शन ७८ है ओल्ड कानून का, उसकी सब-क्लाज ४ है, उस ओर दिलाना चाहता हूं, क्योंकि हमें संशोधन लाना है, वह सिर्फ यह है कि जो फाइंडिंग्स रेकार्ड होंगी, उसको डिस्क्वालिफिकेशन माना है । सेक्शन १७ का सब-क्लाज है । जहां गवर्नमेंट की फाइंडिंग्स हो जायगी, अब तक पेनल्टी नहीं थी अब नए संशोधन से गवर्नमेंट की फाइंडिंग्स हो जायगी, उसके बाद वह प्रेजेंट इलेक्टिव पोस्ट के लिए अधिकारी नहीं होगा, उसका असर क्या होगा ? सब-क्लाज ४ है ।

"(4) The State Government may, by order in writing and after giving him an opportunity of being heard and making such inquiry as may be deemed necessary, remove any Panch, Sarpanch or Upsarpanch who (a) refuses to act or becomes incapable of acting as such, or"

एक तो यह है । दूसरा है :

"(b) in the opinion of the State Govenment has been guilty of misconduct or neglect in the discharge of his duties or of any disgraceful conduct."

सभानेत्रीजी, जो क्लाज १ है, उसका सेकन्ड पार्ट है । उसमें है कि 'It he becomes incapable of action as such' चाहे किसी कारण से बीमार हो गया, अंधा हो गया, फाल्ट नहीं है, प्राकृतिक कारणों से वह सरपंच अपना काम करने में असमर्थ था और राज्य सरकार ने सोचा कि उनके खिलाफ फाइन्डिंग्स हो तो हटा दिया । दुबारा सरपंच बनकर आता है क्योंकि सब-क्लाज ४ में फाइन्डिंग्स दे दीं, उसका कोई मिसकंडक्ट नहीं, मिसएप्रोप्रिएशन नहीं किया,

(श्री शविनाथसिंह)

बुरा काम नहीं किया, मॉरलटरपीट्यूड नहीं और आपने डिबार कर दिया। एक बार इन्कैपेबुल हो गया तो फाइन्डिंग्स की वजह से अपने क्षेत्र से दुबारा इलेक्ट हो जाता है तो सरपंच नहीं रह सकता। इस ओर मंत्री महोदय ध्यान दें और यह बात ऐसी है जिसको रिमूव करना चाहिए। जिसने अपना बोनाफाइडी काम किया है, सही रूप से काम किया है, जिसकी खुद की गलती नहीं है, तो उसकी वजह से सफर उनको करना पडता है उसके साथ साथ पंचायत के वोटर्स को भी सफर करना पड़ेगा, जिन्होंने उनको चुना है। इसलिए इस क्लाज में संशोधन होना चाहिए या हटाया जाना चाहिए क्योंकि आगे जाकर देखते हैं कि सब-क्लाज ४ (ए) में क्रिमिनल केसेज इन्सटीट्यूट होते हैं, उनको आप सस्पेंड करते हैं। इसमें इस तरह डिस्क्वालिफिकेशन नहीं रखना चाहिए।

इन्हीं मुद्दों के लिए मैं निवेदन करना चाहता हूं कि जनमत जानने के लिए प्रसारित किया जाय, नहीं तो जो दो तीन सुझाव मैंने दिए हैं उनको स्वीकार किया जाय।

श्रीमती सभानेत्री : श्री देवीदत्तगाड़िया।

श्री देवीदत्त गाड़िया (बारां) : सभानेत्रीजी, राजस्थान पंचायत विधियां (द्वितीय संशोधन) विधेयक, १६६६, जो मंत्री महोदय ने सदन में प्रस्तुत किया है, उसमें ग्रुप सचिवों की नियुक्ति के संबंध में सरपंचों को अधिकार दिया है, उसमें बताया है कि पंचायत समिति को स्वीकृति लेने की आवश्यकता नहीं है। जब ग्राम पंचायत का बजट पंचायत समिति द्वारा स्वीकृत होता है और उस ग्राम पंचायत की आर्थिक स्थिति को देखा जाता है, उसी आधार पर पंचायत समिति उसके बजट की आय और व्यय को देखकर स्वीकृति दे देती है लेकिन दूसरी ओर सरपंच को, ग्रुप सचिव जिसकी योग्यता का कोई मापदण्ड नहीं, उसके वेतन के बारे में, सरपंच को उसके वेतन के बारे में कोई निर्णय देने का अधिकार नहीं कि कितना वेतन देंगे तो उस आधार पर ग्राम पंचायत की आर्थिक स्थिति पर एक बहुत बुरा असर पड़ेगा।

दूसरी ओर ग्रुप सचिव को इतना अधिकार दिया है कि वह ग्राम पंचायत के हिसाब रखे, रजिस्टर रखे, उनके पैसे को रखे, जबकि एक एक ग्रुप सचिव ४-४ ग्राम पंचायतों में जाता है, तो मैं सरकार से निवेदन करना चाहता हूं कि यदि ग्राम पंचायत के रेकार्ड उस ग्रुप सचिव के पास रहे और वह ग्रुप सचिव यदि दूसरी ग्राम पंचायत में गया तो न तो ग्राम पंचायत की बैठक होगी, न ही ग्राम पंचायतों को जो पैसा देना है वह ग्रुप सचिव की अनुपस्थिति के कारण, वह भुगतान नहीं कर सकेंगे। इस कारण से ग्राम पंचायत की प्रशासनिक व्यवस्था अस्तव्यस्त हो जायगी।

मैं पूछना चाहता हूं सरकार से न्याय पंचायतें जिसमें ग्राम पंचायत के चुने हुए प्रतिनिधि हैं, ग्राम पंचायत के चुनाव तो नहीं हुए तीन साल से, उनकी अवधि समाप्त हो गई और न्याय पंचायतों के जो सदस्य हैं जो उसी ग्राम पंचायत के जन प्रतिनिधियों द्वारा चुनकर गए थे, उनका चुनाव करा दिया गया है। वह कौनसा

Page No 117

(श्री देवीदत्त गाड़िया)

कानून था कि ग्राम पंचायतों की अवधि समाप्त होने के बाद भी उनकी अवधि को बढ़ाया । फिर न्याय पंचायतों के चुनाव कराने की आवश्यकता थी ? न्याय पचायतों की आर्थिक स्थिति खराब होने के कारण, वह न्याय पंचायत के सेक्रेटरी को वेतन नहीं दे पा रहे हैं । ये न्याय पंचायतें ठीक प्रकार से चलें, इस संबंध में मैं सरकार से निवेदन करना चाहता हूं कि यह जो संशोधन बिल आया उसके अंदर यह संशोधन लाते कि न्याय पंचायतों की आर्थिक स्थिति को ठीक करने के लिए आज तक जो ५००) की देनदारी के मुकदमें सुनने का न्याय पंचायतों को अधिकार था, उसके बजाय एक हजार रुपये के मुकदमें सुनने का अधिकार उनको होगा तो बढ़ी हुई कोर्ट फीस से न्याय पंचायतों की आर्थिक स्थिति ठीक होती लेकिन सरकार ने ध्यान नहीं दिया । सरकार को जो संशोधन लाना चाहिए था वह नहीं ला पाई ।

इतना ही नहीं यह जो संशोधन लाया गया है कि पंच, सरपंच, प्रधान व उपप्रधान पर पिछले कार्यकाल में यदि कोई आरोप हो और उस आधार पर इसको निलंबित ही नहीं, उसको बरखास्त किया जाना मानना चाहिए, इसमें राज्य सरकार की एक बहुत बड़ी राजनैतिक कूटनीती चाल है । विरोधी दल जो कांग्रेस दल को परास्त करके पंचायतों के चुनाव में जीतकर आते हैं । उस पर रोक लगाना है । आपको मालूम है कि पंच, सरपंच ये सब प्रधान के चुनाव में मत देते हैं तो कांग्रेसी उम्मीदवार को जिताने के लिए पंच जो विरोधी दल का हो उस पर रोक लगाने के लिए जिस समय चुनाव होगा, सरकार के हाथ में हथियार होगा किसी भी पंच को बरख्वास्त करवाने का । किसी भी पंच पर, किसी भी सरपंच पर सरकार कोई भी आरोप लगाकर बरख्वास्त करेगी और प्रधान के होने वाले चुनाव में बहुत बड़ा रोड़ा विरोधी दल के लिए होगा जो निष्पक्ष रूप से चुनाव होंगे उन पर कुठाराघात होगा ।

इसलिए मैं सरकार से निवेदन करना चाहता हूं कि यदि किसी पंच, सरपंच, प्रधान या उपप्रधान पर आरोप हो तो जिस समय आरोप लगे, उसके कार्यकाल में एक महीने या दो महीने के अंदर उसका निर्णय हो जाना चाहिए । यह सरकार को गारंटी देनी चाहिए, लेकिन सरकार इस स्थिति में नहीं है और पंच के पास अधिकार क्या हैं ? सरपंच के पास फिर भी अधिकार है लेकिन पंच के पास नहीं है । पंच को इसमें क्यों घसीटा जा रहा है मेरी समझ में नहीं आता है । पंच तो चुन कर आते हैं । ग्राम पंचायतों की मिटिंग में भाग लेते हैं लेकिन उनको अधिकार नहीं है । पंचों को इसलिये इन्वाल्व किया था कि आने वाले चुनावों में प्रधान चुनाव लड़े, राजनैतिक आधार पर कांग्रेस के उम्मीदवार को जीताने के लिये और विरोधी दल का प्रधान जीत न जाय इसलिये उस समय इसका दुरुपयोग किया जावेगा और इसीलिये मैं इसका विरोध करता हूं ।

प्रधान और सरपंच पर कोई आरोप हो तो सरकार कहती है कि सरकार उसको बरख्वास्त करेगी । सभापति महोदया, पंचायतों में आज कितना बड़ा मखौल चल रहा है । कितनी राजनैतिक आधार पर सत्ता पर अधिकार करके रोक लगाते हैं

(श्री देवीदत्त गाड़िया)

पंचायतों पर। मैं एक उदाहरण रखना चाहता हूं। अटरू जिला कोटा में पंचायत समिति है। ग्राम पंचायत शहर में है। सरपंच के ऊपर अनेक गम्भीर आरोप हैं। नाम है उसका विश्वनाथ शर्मा। चीनी और गल्ले के मामलों को लेकर वह हजार रुपयों खा गया। इतना ही नहीं ५५–५६ में प्रोजेक्ट का ३० हजार का गल्ला आज भी सरपंच की तरफ निकलता है। कलेक्टर ने रिकार्ड मांगा, नोटिस दिया लेकिन जवाब नहीं दिया। उक्त सरपंच के विरुद्ध न्यायालय में मुकद्मा चल रहा है और इसके ऊपर गम्भीर आरोप होने के बावजूद भी मैं माननीय मंत्रीजी से, सभापति महोदया, आपकी मार्फत पूछना चाहता हूं कि राज्य सरकार ने विश्वनाथ शर्मा, सरपंच अटरू, जिला कोटा के ऊपर गम्भीर आरोप होने पर राज्य सरकार ने इसको निलम्बित किया था और निलम्बन के आदेश दिनांक ३.५.६७ को निकाले थे राज्य सरकार की ओर से राजस्थान सरकार, पंचायत एन्ड विकास विभाग। ६७।४४५६ जयपुर दिनांक ३.५.६७। राज्य सरकार के आदेश हैं। श्री विश्वनाथ शर्मा पंचायत समिति अटरू के विरुद्ध भारतीय दंड संहिता की धारा ४१६ के तहत प्रथम मजिस्ट्रेट कोर्ट में कार्यवाही प्रारम्भ है। उक्त आरोप में नैतिक पतन आदि आरोप भी समाविष्ट हैं। राज्य सरकार यह उचित समझती है उक्त मामले में निर्णय होने तक श्री विश्वनाथ शर्मा पंचायत समिति में कोई कार्य करे……

श्री रामनारायण चौधरी : माननीय सदस्य बोल रहे हैं, वह सब्जेक्ट से बाहर जा रहे हैं।

श्री देवीदत्त गाड़िया : पंच, सरपंच के ऊपर आरोप हों और उनका निलम्बन हो उस पर कह रहा हूं। सरकार से निलम्बन हुआ है उसके लिये कह रहा हूं।

श्रीमती सभानेत्री : स्पेसिफिक केसेज में तो नहीं कहा जाय। जनरल में कह सकते हैं। एक एक इन्डिविजुअल केस को डील करेंगे तो यह संभव नहीं है।

श्री देवीदत्त गाड़िया : एक उदाहरण देकर बताना चाहता हूं।

"न तो कोई कार्यवाही करे और न ही किसी कार्यवाही में भाग ले। राजस्थान पंचायत अधिनियम का प्रयोग करते हुए राज्य सरकार श्री विश्वनाथ शर्मा को निलम्बित करती है।"

राज्यपाल की आज्ञा से

एस. डी। अमरचन्द बापना।

मैं सरकार से पूछना चाहता हूं कि यह आदेश जारी किया था। क्या सरपंच निलम्बित हुआ ? नहीं वह आज तक बरखास्त नहीं हुआ। क्योंकि कांग्रेस का सरपंच है। फिर यह आदेश क्यों जारी किये ? यह मखौल करते हैं। हजारों रुपयों के गबन के आरोप हैं खा गये, उस सरपंच के विरुद्ध डी० आई० आर० के अन्तर्गत न्यायालय में केस चल रहा है। पुलिस द्वारा चालान किया गया। इसका क्या हुआ ? यह अमेन्डमेन्ट लाने से कोई कार्य सिद्ध नहीं होगा।

इतना ही नहीं सभापति महोदया, एक निवेदन करना चाहूंगा कि राज्य सरकार द्वारा ग्राम पंचायतों की आर्थिक स्थिति को

(श्री देवीदत्त गाड़िया)

ठीक करने के लिये कोई योजना नहीं और न ही कोई जानकारी है। खर्चा बढ़ाने के नाम पर ग्रुप सचिव को लादने की कोशिश की है। पचायत समितियों का जितना बजट है, उसका ८० प्रतिशत तो प्रशासनिक व्यय, कर्मचारियों के वेतन और उनके टी. ए. डी. ए. में चला जाता है। ५९ से लेकर आज तक काम अधूरे पड़े हुए हैं और उस ओर सरकार की नीयत नहीं और ध्यान नहीं कि पंचायत समितियों की आर्थिक स्थिति को ठीक किया जाय, सुधारा जाय और इस ओर कोई राज्य सरकार अमेन्डमेन्ट लाती तो उसका स्वागत करते। मैं पूछना चाहता हूं राज्य सरकार से कि क्या आपने रेवेन्यू, एन्टरटेनमेन्ट टैक्स की इन्कम, पैसेन्जर टैक्स की आमदनी, गांवों में पेसेन्जर बसें, ट्रकें चलती हैं, पी०डबल्यू० डी० की भी चलती है, उनसे रोड टैक्स आदि की आमदनी के लिये जो पंचायत और पंचायत समितियों को मिले कोई कानून बनाया है? नहीं। कोई इस ओर ध्यान नहीं। पंचायतों और पंचायत समितियों के अधिकारों का हनन करके जो आर्थिक हानि उनको हो रही है इसलिये पंचायती राज में लोगों का विश्वास उठता जा रहा है।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

दो मिनट।

सभापति महोदया, इस अमेन्डमेन्ट में ग्राम पंचायतों और पंचायत समितियों की अवधि तीन साल से पांच साल बढ़ायी जा रही है। मुझे दुख के साथ कहना पड़ता है कि आज तक राजस्थान में सैंकड़ों ऐसे पंच और सरपंच हैं जिनकी डेथ हो जाने पर भी वह जगहें खाली पड़ी हुई हैं। चार साल से चुनाव नहीं हुए हैं। पंचायत मंत्रीजी आप से पूछना चाहता हूं कि चुनाव क्यों नहीं कराये? पंच और सरपंच, प्रधान और उप-प्रधान की पांच-पांच साल से जगहें खाली पड़ी हैं। जो सरकार पांच साल में चुनाव नहीं करा सकती वह तीन साल के बजाय पांच साल की अवधि बढ़ा कर पंचायती राज को सुचारु रूप से चला सकेगी इसकी क्या गारन्टी है? पंचायतों के चुनाव कभी होंगे इसकी कोई गारन्टी नहीं। सरकार कह देगी कि वह आज इस स्थिति से नहीं है।

अन्त में एक बात कहना चाहता हूं कि पंचायत समितियों में ऑन डेपुटेशन कर्मचारी रखे गये हैं। पंचायत समितियों की व्यवस्था ठीक चलती नहीं। वे बी. डी. ओ. की आज्ञा मानते नहीं। जैसे एकाउन्ट्स क्लर्क्स हैं और दूसरे डिपार्टमेन्ट्स आने वाले कर्मचारी हैं। इसलिये मेरा सुझाव है कि पंचायत समितियों में जो क्लर्क एकाउन्ट्स क्लर्क की परीक्षा पास कर लेते हैं उनको क्यों नहीं लगा दिया जाय और डेपुटेशन की प्रथा को समाप्त किया जाय।

सभापति महोदया, इसी तरह से पंचायत समितियों में कॉलोनीज बनी हुई हैं। उसका किराया पी. डब्ल्यू. डी. को दिया जाता है। राज्य कर्मचारी रहते हैं वहां। क्यों नहीं पंचायत समितियों की समिति बना दी जाय और उसका किराया क्यों नहीं पंचायत समिति को दे दिया जाय? मैं यह मान कर चलता हूं कि पंचायत समितियों की आर्थिक स्थिति ठीक हो जावेगी तो सरकारी अधिकारियों का अंकुश खत्म हो जावेगा।

(श्री देवीदत्त गाड़िया)

एक उदाहरण देना चाहता हूं कि ये पंचायत समितियों के प्रधान जो कांग्रेस के हैं किस प्रकार दुरुपयोग करते हैं। गढ़ी का प्रधान है। खुद के पास कोई जमीन नहीं। दूसरे की जमीन पर १६ हजार का खाद ले लिया और दूसरे किसान से गेहूं लाकर पंचायत समिति को बेच दिया। और प्रधान ने अपने नाम का बिल बनाया, जो प्रधान पंचायत समिति का है वह विक्रय अपने निजी लाभ के लिये नहीं कर सकता है। लेकिन आज तक कोई कार्यवाही नहीं हुई है। इसी तरह से यह दूसरा सरपंच, प्रधान है इसी बांसवाड़े जिले का। इनके ऊपर भी गंभीर आरोप है क्योंकि ये कांग्रेसी है और इनके कांग्रेसी होने के नाते उनके साथ कोई कार्यवाही नहीं की जाती है। इन पर नौ हजार, दस हजार के गबन का आरोप है। यह सरपंच सज्जनगढ़ पंचायत समिति का है, यह भी बांसवाड़े जिले में है। इसके प्रधान ने ४००० का गबन किया है। दूसरा घाटोल तहसील का है। इस पंचायत समिति के प्रधान के ऊमर भी ८००० के गबन का आरोप है। इनका क्या हुआ? कोई जांच नहीं की गई और दूसरों के ऊपर पाबन्दी डालते हैं। यह अमेंडमेंट सिर्फ इसलिये लाया गया है कि जो पंचायत समितियां विरोधी हैं उनको किसी तरह से समाप्त किया जाये। अंत में यह कहता हुआ, सभापति महोदया, आज यदि इसी तरह से बिल जो लाया जा रहा है उसके बजाय यह अच्छा होता कि यह जो पटवारी है तहसीलों के अन्दर यह पंचायतों के अधीन हो जाते। इसी तरह से जो ग्राम सेवक की पोस्ट है, उसको और पटवारी को एक कर दिया जाये और पटवारी की वेतन वृद्धि कर दी जाये। तहसीलों और पंचायत समितियों का समन्वय होना चाहिये। यह पंचायत समितियों के अन्दर एक रेवेन्यू टैक्स, क्या टैक्स लगाया है। आज शिक्षा का टैक्स लग रहा है। मुझे दुःख के साथ कहना पड़ता है, सभापति महोदया, कि यह जो टैक्स जब लगाया गया था यह कह कर लगाया गया था कि हर क्षेत्र का किसान ५ पैसा प्रति एक रुपया लगान के हिसाब से देगा और वह पैसा उस क्षेत्र के अन्दर ही जो अधूरे काम पड़े हुए हैं, उस क्षेत्र में पूरे करने के लिये लगाये जायेंगे। और किसान ने अपनी इच्छा के विपरीत उस क्षेत्र के अधूरे काम को पूरा करने के लिये पैसा दिया लेकिन वह हजारों रुपया जो लगान के साथ वसूल किया गया था, ५ पैसा प्रति रुपया उस क्षेत्र के किसान से लिया गया था, वह उस ग्राम पंचायत क्षेत्र के अन्दर खर्च न होकर, प्रधानों ने अपनी इच्छानुसार, अपने क्षेत्र के अन्दर पैसा खर्च कर दिया। यह अनुचित है। इसलिये मेरा निवेदन है कि किसान के ऊपर टैक्स का भार न लादें। उसके ऊपर टैक्स का भार न लादा जाकर जितनी भी आमदनी राज्य सरकार को गांवों से सिंचाई के जरिये होती है, उसका एक अंश पंचायतों के लिये यह सरकार तय कर दे, जो बिजली की आय राज्य सरकार को गांवों से होती है, जो रेवेन्यू गांवों से होती है, पैसेन्जर टैक्स, रोड टैक्स आदि जो टैक्स गांवों से मिलते हैं उनकी टोटल आमदनी का १० प्रतिशत, २० प्रतिशत ग्राम पंचायतों और पंचायत समितियों को दे दिया जाये ताकि पंचायत समितियों की आर्थिक स्थिति ठीक होगी, प्रशासन अच्छा चलेगा और अंत में यह कहता हुआ कि पंचों के ऊपर जो आपने दूधारी तलवार लटकाई है

(श्री देवीदत्त गाड़िया)

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

एक मिनिट और। इससे उनके फण्डामेंटल राइट्स् पर कुठाराघात किया है। हमारा लोकतंत्र जो धीरे-धीरे पनप रहा है, उसको पनपने देने की जिम्मेदारी सरकार की है। इसलिये आज पंचों के ऊपर यह जो लादा जा रहा है कि पहले जो पंच, सरपंच रहा है, उसके खिलाफ कोई आरोप हो और उसको बरखास्त कर दिया तो इसका मैं विरोध करता हूं और अन्त में इस विधेयक को जनमत जानने हेतु परिचालित करने के लिये स्ताव करता हूं।

मती सभानेत्री : श्री कल्याण मल।

श्री कल्याणमल (जहाजपुर) : सभापति महोदय, राजस्थान पंचायत विधियां (द्वितीय संशोधन) विधेयक, १९६९ को जनमत जानने हेतु परिचालित करने के लिये मैंने प्रस्ताव रखा है। मैं इसके पहले उक्त विधेयक में माननीय मंत्रीजी ने जो एक सराहनीय कदम उठाया है जिसके लिये मैं उनको धन्यवाद देता हूं। और इस बिल का स्वागत करता हूं। यह सराहनीय कदम क्या है? जो पंचायतों में धन होता था, उसकी जिम्मेदारी और उनका बजट एक सरपंच पर डाल रखा था और इस वजह से चूंकि सरपंच कम पढ़ा लिखा होता था और सेक्रेटरी लोग ज्यादा पढ़े लिखे होते थे उससे गलत दस्तखत करवा लेते थे और उसकी जिम्मेवारी सरपंच पर डाली जाती थी। तो यह जिम्मेदारी उससे हटाने से और उनका बजट कम करने से यह लोकतांत्रिक विकेन्द्रीकरण को बढ़ावा मिला है। और इससे यह पंचायतीराज बहुत ही मजबूत होगा। इसमें जो ढिलाई का मुख्य कारण था तो यही एक कारण कि सरपंच कम पढ़े लिखे होते थे, और दूसरा इसका कारण कि वे अपना हिसाब-किताब सही नहीं रख पाते थे और कोई सेक्रेटरी अच्छा पढ़ा-लिखा होता तो उनसे गलत दस्तखत और गलत काम करा लेता। इसलिये यह जो जिम्मेदारी उठाई है वह बहुत ही अच्छा किया है। इसके साथ ही मैं यह निवेदन करूंगा कि ग्रुप के सेक्रेटरी पर जो यह जिम्मेदारी डाली। पर इसके साथ साथ उसमें उस सरपंच की मर्जी या सरपंच की इच्छा को सरकार जानकारी कर ले और उसके आधार पर वहां ग्रुप सेक्रेटरी रखा जाये। यदि उसको उसकी जानकारी या उसकी मर्जी का ग्रुप सेक्रेटरी नहीं दिया तो वो गलत काम करेंगे और उनके ऊपर किसी तरह का कोई नियत्रंण नहीं रहेगा। ग्रुप सेक्रेटरी रखो तो उसमें उस सरपंच की मर्जी के आधार पर रखा जाना चाहिये। और दूसरी बात मैं यह कहना चाहूंगा कि पंचायतों की आज आर्थिक हालत दिनों दिन गिरती जा रही है। इसका मुख्य कारण है कि पंचायतों के पास में कोई विशेष अधिकार नहीं है। इसलिये पंचायतों को अधिकार देने चाहिये और अधिकार यह चाहिये कि लगान का कुछ हिस्सा पंचायतों को दें और इसके साथ में मैं यह भी कहूंगा कि ग्राम पंचायतों और न्याय पंचायतों को एक कर दिया जाये। ग्राम पंचायतें और न्याय पंचायतें अलग-अलग रहने से जितना काम होना चाहिये वह नहीं होता है। जो काम होना चाहिये वह नहीं हो पा रहा है इसलिये इनको भी एक कर दिया जाये और दूसरी बात मैं यह कहना चाहूंगा कि पंचायत समितियों में जो विकास अधिकारी

Page No 122

(श्री कल्याणमल)

रखा जाता है। पंचायत समितियों के इन विकास अधिकारियों का काम वहां के तहसीलदारों को दे दिया जाये और विकास अधिकारियों को नहीं रखा जाये। यह फालतू का खर्चा है और जो जिला परिषदें हैं, मेरे अन्दाज से जिला परिषदें मुझे आज कमजोर नजर आ रही है। इसलिये इनको भी हटा दिया जाना चाहिये।

मैं यह जो दो, चार बातें हैं उनको रखता हुआ मेरा जो प्रस्ताव है उसको रखता हूं।

श्रीमती सभानेत्री : श्री रामनायरण चौधरी।

श्री रामनारायण चौधरी (मन्डावा) : माननीय सभानेत्री महोदय, में पंचायत राज के संबन्ध में मेरे विचार आसन के माध्यम से सदन के समक्ष रखना चाहता हूं। सभानेत्री महोदय, सरपंच, प्रधान, पंच उप सरपंच इनकी जांच के सिलसिले में जो प्रावधान इस बिल में रखा गया है और जो इसी प्रकार का पुराने बिल में प्रावधान है उसका मैं विरोध करता हूं। ग्राम पंचायतों की और पंचायतों की जो हालत आपने इन चार पांच सालों के अन्दर कर दी है वह बहुत ही दुखदायी है। आज हमारे सरपंचों की जो दुर्गति है जनता के चुने हुए प्रतिनिधियों की जो हालत विकास अधिकारियों ने कर रखी है, वह किसी से छिपी नहीं है। वह तो एक तरह से बी. डी. ओ. के ऑफिस का एल. डी. सी. या यु. डी. सी. और पंचायत सहायक पर पूरी तौर से उसको निर्भर कर दिया है।

सभानेत्री महोदया, सरकार अपने विभाग के रेकार्ड को अवलोकन करें तो आपको पता चलेगा जब से यह पंचायती राज कायम हुआ है तब से ही पंचों और सरपंच पर एन्क्वायरीज चल रही हैं उनमें से एक का भी फैसला नहीं हुआ है। आपके विभाग में आप देखेंगे दस साल से लगातार एन्क्वायरी चल रही है। आखिर इसकी कोई लिमिटेशन होनी चाहिये। अमुक समय के अन्दर जांच का निर्णय हो जाना चाहिये आपने सरपंच को मुलजिम के कठघरे में खड़ा कर रखा है उसको निकाल नहीं रहे है। मं इस संबन्ध में आपको जनरल बात कहना चाहता हूं कि पंचों और सरपंचों के मामलों की जांच प्रशासनिक अधिकारियों को नहीं दी जानी चाहिये। उनकी जांच जुडिशियल अधिकारियों को सुपुर्द कर दे। एक तरफ तो आप पंचायत राज को पनपाना चाहते हैं और दूसरी ओर हम जन प्रतिनिधियों को प्रशासनिक अधिकारियों को हवालात में खड़ा कर रहे हैं यह पूर्णतया विरोधाभास है। में इसका सख्त विरोध करता हूं। अगर आप पंचायती राज को पनपाना चाहते हैं, अगर डेमोक्रेसी के साथ-साथ पंचायत राज को फ्लोरिश करना चाहत हैं तो आपको जन प्रतिनिधियों का सम्मान करना होगा उनके अधिकारों की रक्षा करनी होगी। आज वे पूरी तरह से नौकरशाही से दबे हुए है। जो व्यवस्था पंचायत मंत्री जी कर रहे हैं, आप ग्रुप सेक्रेटरी बनकर जो व्यवस्था करना चाहते है वह इतनी घातक है जो ग्राम पंचायतों के ऊपर और सरपंचों पर हावी हो जायेंगे। आपको यह अनुभव होगा कि पंचायत समितियों की जिस प्रकार की हालत विकास अधिकारियों ने कर रखी है वही दुर्दशा इन ग्रुप सेक्रेटरीज द्वारा पंचायतों और सरपंचों की हो जायगी जैसी कि पंचायत समितियों की बी. डी. ओ. द्वारा कर दी गई है। अगर कोई ग्राम

Page No 123

(श्री रामनारायण चौधरी)

पंचायत प्रस्ताव भी पास कर देगी तो ये कार्य रूप में उसको होने नहीं देंगे। जिस प्रकार कोई पंचायत समिति प्रस्ताव पास करती है उसको कार्य रूप में परिणित करने का अधिकार विकास अधिकारी को है वही बात हम इसके द्वारा पंचायतों के अन्दर लाने जा रहे हैं। यह सेक्रेटरिएट पर लेवल ठीक हो सकता है लेकिन यह पंचायत लेवल तक कामयाब नहीं हो सकती। आप ग्राम पंचायत के सेक्रेटरी के पद पर पटवारी को रखते हैं या किसी को मुकर्रर करेंगे वह पंचायत के रेजोल्यूशन को इम्पलीमेण्ट नही होने देगा इससे जो पंचायत राज का उद्देश्य है वही नष्ट हो जायगा। मैं इस व्यवस्था का विरोध करता हूं।

श्री रामसिंह कुड़ी : एक पंचायत के पीछे एक सेक्रेटरी होना चाहिये।

श्री रामनारायण चौधरी : सेक्रेटरी ग्राम पंचायत पर हावी रहेगा वह मेजोरिटी से पास किये हुए प्रस्ताव को भी नहीं मानेगा इसलिये जिसको ग्राम पंचायत मेजोरिटी से सेक्रेटरी चुने उसे ही उस पद पर रखा जाना चाहिये। इसके अपॉइण्टमेण्ट के अधिकार सरकार को नहीं होने चाहिये। आप इस तरह से करके पंचायत राज के उसूलों का ही गला घोंटना चाहते हैं। आप नष्ट ही करना चाहते हैं तो बात अलग है। वरना ग्राम पंचायतों को अधिकार देना होगा वह चाहे पार्ट टाइप सेक्रेटी रखे या होल टाइम रखे किसी को भी रख ले। मैं इस धारा का विरोध करता हूं। जन-प्रतिनिधियों की जो शिकायतें हैं उनकी जांच के लिये समय निर्धारित होना चाहिये और समय अवधि में ही निर्णय होजाना चाहिये। उनकी एन्क्वायरी प्रशासनिक अधिकारियों की मार्फत न होकर जुडिशियल अधिकारियों की मार्फत होनी चाहिये। इन्हीं शब्दों के साथ में अपने कथन को समाप्त करता हूं।

श्रीमती सभानेत्री : श्री गंगासहाय (अनुपस्थित)

श्री किशनलाल
(अनुपस्थित)
श्री नन्दलाल
(अनुपस्थित)
श्री यशवन्तसिह नाहर।

श्री यशवन्तसिह नाहर (बनेड़ा) : सभानेत्री महोदया, मैं इतना ही निवेदन करना चाहता हूं कि यह जो बिल आ रहा है वह पार्शियल एमेण्डमेण्ट आ रहा है। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि० १६५६ में पंचायत राज की स्थापना हुई थी उसके पीछे कुछ उद्देश्य था कम्युनिटी डेवलपमेण्ट के प्रोग्राम को आगे बढ़ाना था। उसके बाद सादिक अली की रिपोर्ट आयी उस पर आबू में केबीनेट ने डिसीजन लिया।

श्री श्रवणलाल : व्यवस्था का प्रश्न है। जो भी माननीय सदस्य बोलते है अपनी सीट से ही बोल सकते हैं ट्रेजरी बेन्चेज पर बैठकर कोई भी माननीय सदस्य नहीं बोल सकता ट्रेजरी बेन्चेज से केवल मंत्री की हैसियत वाले ही बोल सकते हैं अन्य सदस्य नहीं।

श्री मदनसिह : ऐसी व्यवस्था है कि ट्रेजरी बेन्चेज से साधारण सदस्य बोल नहीं सकते। मिनिस्टर के सिवाय अन्य सदस्य वहां से बोल नहीं सकते। यह क्या तमाशा बना रखा है मन चाहे जहां से बोल दिया। आज आप मिनिस्टर बन गये है क्या ?

श्री रामनारायण चौधरी : वह तो महत्वपूर्ण नियम है कोई भी माननीय सदस्य ट्रेजरी बेन्चेज पर बैठकर बोल नहीं सकता। ऐसा हो रहा है कि कोई भी मुख्य मंत्री की सीट पर बैठ जाता है वहीं से बोलना शुरू कर देता है। इसलिए मेरा निवेदन है कि कम से कम लीडर आफ दी हाउस और लीडर आफ अपोजीशन ये दो स्थान तो बिलकुल उन्हीं के लिये होने चाहिये। और दूसरे माननीय सदस्य भी अपने अपने ही स्थान से बोलें मैं सभानेत्री महोदया, आपसे निवेदन करूंगा कि कम से कम आप ऐसी व्यवस्था दें ताकि ये दो स्थान ऐसे रहे जिन पर कोई बैठ न सके और न वहां से बोल सके।

श्री रामचन्द्र आर्य : सरकार के मर्यादित न होने की वजह से ही मर्यादित रूप से सदन नहीं चल रहा, इसलिये यह हो रहा है।

श्री रामनारायण चौधरी : केवल दो सीटों की बात है लीडर आफ दी हाउस और लीडर आफ दी अपोजीशन के सीट की इनको उचित सम्मान मिलना चाहिये। अन्य सम्मानीय सदस्यों के लिये अपनी ही सीट से बोलने का नियम है उसका पालन होना चाहिये।

श्रीमती सभानेत्री : सामान्यत: हरेक माननीय सदस्य अपनी ही सीट से बोलता है। इसी तरह की परम्परा रही है कि चाहे जिस सीट से बोल भी लेते हैं। अभी माननीय सदस्य जिस जगह पर बैठे हैं वहीं से बोल सकते हैं। आम तौर पर बोलना तो अपनी ही सीट से चाहिये।

एक माननीय सदस्य : शायद मिनिस्ट्री में इनका नम्बर आ रहा है।

श्री यशवन्तसिंह नाहर : कुछ सीटें आगे की छोड़ने के बाद माननीय सदस्यों को आपत्ति नहीं होगी। मैं कहीं से बोलूं न तो ऐसा कोई नियम है......

श्री मदनसिंह : इधर आकर बोलें आप।

श्री यशवन्त सिंह नाहर : बोलने का जहां तक अधिकार है—मैं समय नहीं लूंगा। मैं यह निवेदन करना चाहता हूं अब तक पंचायत राज चलाने का जो अनुभव राज्य सरकार को रहा है उसको हम जो प्रगति के प्रतिवेदन आये हैं, उससे देख सकते हैं या अब तक जो राज्य ने अनुभव किया है उसके सम्बन्ध में राज्य सरकार ने जो निर्णय लिये हैं, उससे देख सकते हैं। सादिक अली कमेटी की रिपोर्ट है। मैं यह निवेदन करूंगा, मैं समय नहीं लूंगा। तीन मिनिट का समय तो व्यवस्था के आदेश में निकल गया, दो मिनिट और लूंगा। हमारे पंचायत राज की स्थापना के बाद में यह निवेदन करना चाहता हूं हमारे राजस्थान में कितना विकास हुआ है। सामुदायिक विकास की जो प्रगति मिली है और जनतन्त्र की जो आस्था लोगों में बैठी है वह बहुत बड़ी चीज है। हमारे राजस्थान की यह बहुत बड़ी कमाई है। मैं वह दिन देखने के लिये तरस रहा हूं जिस दिन सारे ऐडमिनिस्ट्रेशन का जिला परिषदों, पंचायतों और नगरपालिकाओं में होगा। केवल डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट ला एन्ड आर्डर को मेन्टेन करने के लिये जिलों में रहेंगे। अगर हम जनतन्त्र को जिलाना चाहते हैं और

(श्री यशवन्तसिंह नाहर)

हमारे जीवन से उसको आत्मशांत करना चाहते तो मैं यह निवेदन करना चाहता हूं इस कानून को सदन में पारित कराया जाय जिससे डेमोक्रेसी पनप सके और जनता में उसके प्रति आस्था बैठ सके। जब हम लोगों में विश्वास पैदा करेंगे तो जनतन्त्र पनपेगा अगर हमने अविश्वास किया तो अविश्वास का दूसरा रास्ता है और वह यह है कि केवल उन लोगों पर आश्रित हो जायेंगे जो जादू को पनपाने वाले हैं और जिस दिन समाज में यह प्रवृत्ति पैदा हो जायगी वहां जनतन्त्र नहीं रहेगा, डिक्टेटरशिप हो जायगी। आज जो सही मायने में जनतन्त्र आया है उसके पीछे जनता की आस्था है। जहां केवल राजनीति ही जनतन्त्र में रही तो सारा समाज विकृत हो जायगा। इसलिये जनतन्त्र की स्थापना के लिये आवश्यक है अधिक से अधिक पावर्स को डिसेन्ट्रलाइज किया जाय यही मेरा निवेदन है।

श्रीमती सभानेत्री : श्री वृद्धिचन्द्र जैन।

श्री रामचन्द्र आर्य : आप एक ही पार्टी के······

श्रीमती सभानेत्री : मैंने आपका नाम पहले ले लिया था। यह कोई दल वाईज नहीं है। जिस तरह संशोधन प्रस्ताव दिये गये हैं उनकी सूची के अनुसार ही नम्बर दिया जा रहा है। माननीय सदस्य का नाम पहले था, मैंने नाम लिया, लेकिन माननीय सदस्य हाऊस में नहीं थे। इसलिये अब उसी क्रम से नाम लिये जा रहे हैं।

श्री वृद्धिचन्द्र जैन (बाड़मेर) : सभानेत्री महोदया, राजस्थान पंचायत विधियां (द्वितीय संशोधन) विधेयक, १९६९ जनमत जानने हेतु प्रचारित किया जाने सम्बन्धी संशोधित प्रस्ताव मैंने रखा है। उसके बारे में मैं अपने विचार रखना चाहता हूं। मैं पहले इस बात पर जाना चाहता हूं कि जो एमेन्डमेंट बिल हमारे सामने प्रस्तुत है मेरी भी विशेष तौर से यह आपत्ति थी कि पंचायतों में कोई सचिव उपलब्ध नहीं है और उसके कारण सरपंच को बड़ी कठिनाई का सामना करना पड़ता था मिस एप्रोप्रियेशन आफ एकाऊन्ट्स के जो केसेज हैं, उनके खिलाफ क्रिमिनल केसेज है, मिस कन्डक्ट के बारे में केसेज हैं, नेगलीजेन्सी के केसेज हैं उससे जनरली सरपंचों पर बड़ा संकट आ जाता था। उस संकट को मिटाने के लिये राज्य सरकार ने जो कदम उठाया है और यह एमेन्डमेंट बिल रखा है उसका में समर्थन करता हूं। मैं यह चाहता हूं यह बिल ऐक्ट के रूप में परिणित हो उसका इम्पलीमेंटेशन जल्दी से जल्दी हो ताकि हमारे सरपंच की तकलीफ है वह दूर हो जाय—यह मैं विशेष तौर से चाहता हूं।

दूसरे यह भी प्रोविजन किया गया है कि तीन साल के मिसकन्डक्ट और नेगलीजेन्सी के अन्दर उनको डिसक्वालिफाई किया है वह फाइव ईयर्स कन्टीन्यू रहेंगी पंचायत का टर्म पांच साल के लिये रखा गया है। यह जो डिसक्वालिफिकेशन है वह ठीक है परन्तु मेरा निवेदन है और माननीय मंत्री महोदय गौर करें सेक्शन ४ "(a) refuses to act or becomes incapable of action as such."

(श्री वृद्धिचन्द्र जैन)

इनकेपेबिल होने के बाद केपेबिल भी हो सकता है। अगर कोई मेन्टली एक साल बाद ठीक हो जाता है तो उसके लिये पांच साल की डिसक्वालिफिकशन ठीक नहीं रहेगी-That will be very hard.

इसके लिये गवर्नमेंट को सोचना चाहिये। अगर पांच साल की डिसक्वालिफिकेशन रहेगी तो यह अहितकर ही रहेगी और न्याय के सिद्धान्तों के अनुकूल नहीं रहेगी। इसके लिये विशेष तौर से सोचना आवश्यक है।

जिला परिषद और पंचायतों के चुनाव दिसम्बर ७० में करने चाहिये और अगर नहीं करते हैं तो जनतन्त्र का गला घोंटते हैं। उसके पहले में यह चाहता हूं कि पंचायत समितियों और जिला परिषदों के जो चुनाव हैं और जिसमें प्रधान व प्रमुख के चुनाव हैं वह बालिग मताधिकार के आधार पर होने चाहिये। प्रधानों को पंच और सरपंच चुनते हैं इसी प्रकार प्रमुख को सरपंच चुनते हैं, यह नहीं होना चाहिये इसमें यह व्यवस्था होती है कि जिनके पास शक्ति होती है वे जीपों में पंचों और सरपंचों को ७-७, ८-८ दिन पहले पकड़ लेते हैं। उनको अपने यहां रखते हैं। और पैसों के बल पर वे जीत जाते हैं। आज की व्यवस्था में अधिकांश प्रधान और प्रमुखों का यही हाल है। जिसके पास पैसे की शक्ति होती है वह जीत जाते है-यह डेमोक्रेसी का प्रिन्सिपल नहीं है। इसलिये में यह चाहता हूं प्रधान और प्रमुख का जो चुनाव है, जितने क्षेत्र के लोग हैं उसमें बालिग मताधिकार के आधार पर वोटिंग होना चाहिये। यह जो स्थिति पैदा होती है पैसों से खरीद लें, १०-१० दिन तक उनको रखें, उनको शराब पिलायें और उनसे मत प्राप्त कर लें यह जनतन्त्र का गला दबाने वाली बात है। बालिग मताधिकार के आधार पर चुनाव होंगे तो इतने सारे लोगों पर अनुचित प्रभाव नहीं डाला जा सकता है। गवर्नमेंट को इसको कन्सीडर करना चाहिये। इसको जल्दी से जल्दी, मैं तो चाहता हूं इसी सदन में इस प्रकार काबिल लाने की कोशिश करनी चाहिये ताकि हम समझेंगे कि प्रगति की ओर बढ़े हैं, और हम वाकई डेमोक्रेसी को चाहते है, डिसेन्ट्रलाइजेशन को सफल बनाना चाहते हैं तो यह अवश्य करना चाहिये।

आज जिला परिषद और पंचायत समितियां दिनोदिन कमजोर होती जा रही हैं उसकी तरफ ध्यान देते नहीं हैं, उदासीनता अपनाई जा रही है। डिसेन्ट्रालाइज को अपनाया है तो उसके लिये वित्तीय साधन उपलब्ध करें। जिला परिषदों के लिए उपलब्ध करें। जिला परिषदों को रखना चाहते हैं तो उनको मजबूत करें। इस प्रकार का निर्णय लेना चाहिए। हमें सोचना चाहिए कि हम जब प्रजातंत्र को मजबूत करना चाहते हैं तो यह कदम लेकर ही हम प्रगतिशील समाज की स्थापना कर सकेंगे और देश की तरक्की कर सकेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ में यह चाहता हूं कि जो अमेंडमेंट रखा गया है वह जनमत जानने हेतु परिचालित किया जाये।

कार्य सलाहकार समिति के प्रतिवेदन का उपस्थापन

श्रीमती सभानेत्री : माननीय उद्योग मंत्री जी कार्य सलाहकार समिति के प्रतिवेदन का उपस्थापन करेंगे।

श्री हरदेव जोशी (उद्योग मंत्री) : सभापति महोदया, मैं कार्य सलाहकार समिति के २७वें प्रतिवेदन का उपस्थापन करता हूं जो इस प्रकार है :

राजस्थान विधान सभा, कार्य सलाहकार समिति का २७वां प्रतिवेदन। कार्य सलाहकार समिति की बैठक गुरूवार दिनांक ९ अप्रैल, १९७० को हुई। समिति अपने २६वें प्रतिवेदन में आंशिक परिवर्तन करते हुए यह सिफारिश की है कि दिनांक १४ अप्रैल, १९७० तक लिये जाने वाले कार्य के संबंध में समय का बंटवारा इस प्रकार किया जावे:—

शुक्रवार, दिनांक १० अप्रैल, १९७०	(१) राजस्थान टिनेन्सी (संशोधन) विधेयक, १९७० पर अग्रेतर विचार एवं उसका पारण। (२) गंगानगर आन्दोलन के संबंध में दिनांक २५ मार्च, १९७० को मुख्य मंत्री जी द्वारा दिए गए वक्तव्य पर विचार।
सोमवार, दिनांक १३ अप्रैल, १९७०	(१) निम्नांकित शासकीय विधेयकों पर विचार एवं उनका पारण:— १. राजस्थान विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, १९७० २. राजस्थान विश्वविद्यालय विधियां (संशोधन) विधेयक, १९६९ ३. प्रवर समिति द्वारा प्रतिवेदित राजस्थान बालक विधेयक, १९६९ (२) राजस्थान के तीनों विश्वविद्यालयों तथा छात्रों के संबंध में प्रस्तावों पर चर्चा।
मंगलवार, दिनांक १४ अप्रैल, १९७०	(१) राजस्थान आवासन बोर्ड विधेयक, १९७० पर अग्रेतर विचार एवं उसका पारण। (२) राज्य में अकाल की स्थिति पर विचार।

उपरोक्त समय के बंटवारे में श्री अध्यक्ष द्वारा आवश्यकतानुसार परिवर्तन किया जा सकेगा।

श्री नत्थीसिंह (भरतपुर) : सभापति महोदया, एक जानकारी करना चाहता हूं कि इस सत्र में ही जो सीलिंग के विषय में टिनेन्सी बिल में अमेन्डमेन्ट था उसको लेने की बात कही गयी थी और गवर्नर महोदय के अभिभाषण में भी इसका एलान किया गया है और यहां कई बार कहा गया और यह जो कार्य सलाहकार समिति का प्रतिवेदन आया है इसमें सीलिंग के बारे में कोई जिक्र तक नहीं है। उसके बारे में क्या स्थिति है, क्या इस पर प्रकाश डालेंगे ?

श्री वृद्धिचन्द्र जैन (बाड़मेर) : सभानेत्री महोदया, मेरा भी दृष्टिकोण है कि सीलिंग को इसी सत्र में लाया जाना चाहिए और उसका निश्चय किया जाना चाहिए। राज्य सरकार ने आश्वासन भी दिया है कि एक साल के अन्दर इसको कार्यान्वित करेंगे। किस प्रकार करेंगे यह बड़ा जटिल प्रश्न है। इस सीलिंग के बारे में निश्चय करना चाहिए। अगर हाउस को और भी

(श्री वृद्धिचन्द्र जैन)

अधिक बढ़ाना पड़े तो इसके बारे में निश्चय करके तय करना चाहिए ।

श्री रामानन्द अग्रवाल (अलवर) : सभानेत्री महोदया, सीलिंग के कानून को इसी सत्र में लाया जाना चाहिए । सरकार घोषणा कर देती है अपनी नीयत के बारे में और नीयत है नहीं लागू करने की ।

श्री हरिदेव जोशी : माननीय सदस्य स्वयं कार्य सलाहकार समिति की बैठक में मौजूद थे और उसके बावजूद भी ऐसी बात कह रहे हैं ।

श्री रामानन्द अग्रवाल : आपकी तरफ से कोई प्रोपोज़ल नहीं रखा गया ।

श्री रोशनलाल (सलूम्बर) : आप ही रखते । सीलिंग का कानून इस असेम्बली में आना चाहिए हमारी भी मांग है ।

श्री नत्थीसिंह (भरतपुर) : सभानेत्री जी उद्योग मंत्री जी को और सोने वाले मंत्री दोनों को जगाया है ।

श्री शंकरलाल (जेतारण) : जिस सीलिंग कानून के लिए राज्यपाल महोदय ने घोषणा की और इतना बड़ा सत्र चला और बहुत सारे ट्रान्सफर्स के मामले काम्प-लीकेटेड होते जा रहे हैं । अगर सीलिंग को लागू करना चाहते हैं तो इसको इसी सत्र में क्यों नहीं लाना चाहते हैं ? इसी सत्र में लाना चाहिए ।

श्री रामनारायण चौधरी (मंडावा) : सभापति महोदया, कार्य सलाहकार समिति का जो प्रतिवेदन होता है उस पर आम तौर से कोई बहस नहीं होती इसलिए मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं कि यह परम्परा कायम रहनी चाहिए ।

श्री हरिदेव जोशी : सभापति महोदया, सभी पार्टीज के लीडर इस कार्य सलाहकार समिति की बैठक में मौजूद थे जिसमें कार्य सलाहकार समिति ने इसको स्वीकार किया है । मैं तो केवल कार्य सलाहकार समिति ने जो कार्यक्रम स्वीकार किया है उसको सदन के समक्ष रख रहा हूं । यह हाउस के लीडर का काम है कि वह किन बिल्स को रखना चाहते हैं अथवा क्या करते हैं । बहरहाल मेरा काम खाली कार्य सलाहकार समिति ने जो कार्यक्रम स्वीकार किया है उसको सदन के समक्ष रखना है । इसलिए मैं यह प्रस्ताव करता हूं कि यह सदन कार्य सलाहकार समिति के २७वें प्रतिवेदन की जिसकी बैठक गुरूवार ९ अप्रैल, १९७० को हुई से अपनी सहमति प्रकट करता है ।

श्री नत्थीसिंह : मेरा व्यवस्था का प्रश्न है । जिस तरह से समय का बंटवारा किया है उसके लिए एतराज नहीं है लेकिन हम राज्य सरकार से जानना चाहते हैं कि जैसा कि उद्योग मंत्री जी ने कहा है कि सदन के नेता का काम है कि कौन कौन सा काम वे पारित कराना चाहते हैं तो हम राज्य सरकार से पारित करते समय यह जानकारी लेना चाहते हैं कि क्या राज्य सरकार का यह इरादा नहीं है कि इस सदन में सीलिंग के बिल को पास करायें ?

श्री हरिदेव जोशी : मैं इसका स्पस्टी-करण कर दूं । जैसा मैंने निवेदन किया मेरा काम तो खाली इसको यहां पेश करने का

(श्री हरिदेव जोशी)

है। मैं समझता हूं कि माननीय सदस्यों की भावनायें सदन के माननीय नेता के सामने रख दी जायेंगी।

श्री पी० के० चौधरी (फुलेरा) : मेरा सुझाव था कि आम तौर से सिफारिश को स्वीकार करते हैं लेकिन सदन को यह भी अधिकार है कि कार्य सलाहकार समिति के पास इस रिपोर्ट को वापिस भेज दे रिकन्सीड्रेशन के लिए।

श्री हरिदेव जोशी : उस स्थिति में मैं यह पसन्द नहीं करूंगा। "आई वुड विथ्ड्रा दी रिपोर्ट।"

श्री पी०.के० चौधरी : यह राइट तो सदन को है।

श्री हरिदेव जोशी : लेकिन मुझे भी तो राइट है, I would withdraw the report.

श्री पी० के० चौधरी : It was referred back to the Businces Advisory Committee.

(४. १८ म. प.)

(श्री निरंजननाथ आचार्य, अध्यक्ष, पदासीन)

श्री अध्यक्ष : मैं सदन की भावनाओं को समझ रहा हूँ लेकिन जहां तक इस प्रतिवेदन का सवाल है और विजिनेस एडवाइजरी कमेटी का सवाल है यहां सदन को इस प्रश्न पर विचार करना है या तो विजनेस एडवाइजरी कमेटी रहे ही नहीं और रहे तो उसकी मान्यताओं को, उसके निर्णयों को यहां पर स्वीकार किया जाना चाहिए।

कुछ माननीय सदस्य : स्वीकार है।

श्री पी०के० चौधरी : अध्यक्ष महोदय,...

श्री अध्यक्ष : The Chair is on its legs.

श्री हंसराज आर्य : अध्यक्ष महोदय,...

श्री अध्यक्ष : अध्यक्ष पैरों पर हैं। माननीय नेता सभी दल के इस समिति में थे और इस समिति ने ठीक ढंग से सारे प्रश्नों पर विचार किया। अगर इस विचार के प्रश्न पर माननीय सदस्य उसी दल के यहां चुनौती दें और यहीं पर सजेशन्स दें तो फिर विजिनेस एडवाइजरी कमेटी की स्थिति नहीं रहती है।

श्री पी० के० चौधरी : अध्यक्ष महोदय, पाइन्ट दूसरा है।

श्री अध्यक्ष : पांइन्ट तो मेरा चल रहा है। स्थान गृहण करें। उसके बाद में आपका पॉइन्ट आयेगा।

इसलिए जहां तक इस प्रतिवेदन का सम्बन्ध है इसको तो स्वीकार किया जाये लेकिन माननीय सदस्यों की भावनाओं का जहां तक प्रश्न है मैं सम्भवतः कल और इस समिति की बैठक को बुला लूंगा ताकि उसमें कोई संशोधन आगे भी माननीय सदस्यों की भावनाओं के संदर्भ में कोई हो सके तो वह कर देंगे।

एक माननीय सदस्य : जो अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति की रिपोर्ट है उसको भी लिया जाना चाहिए।

श्री अध्यक्ष : मैंने यही तो निवेदन किया है कि मैं कल बिजिनेस एडवाइजरी कमेटी की मीटिंग और बुला लूंगा। यह कागज वगैरह मेरे सम्मुख रख दिये जायेंगे।

माननीय मंत्री महोदय

श्री हरिदेव जोशी : अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि यह सदन कार्य सलाहकार समिति के २७ वें प्रतिवेदन से अपनी सहमति प्रकट करता है।

श्री अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि सदन कार्यसलाहकार समिति के २७ वें प्रतिवेदन से अपनी सहमति प्रकट करता है ?

(स्वीकृत)

प्रतिवेदन स्वीकार किया गया

विधायी काय राजस्थान पंचायत विधियां (द्वितीय संशोधन) विधेयक, १६६६ पर अग्रेत्तर वाद विवाद।

श्री नत्थीसिंह : अध्यक्ष महोदय जनमत जानने के प्रस्ताव पर बहस चल रही थी और मैंने सभानेत्री जी को लिखकर दिया था कि मैं भी बोलना चाहता हूं। उन्होंने कहा था कि जब सब के नाम आ जायें तो बाद में बोल लें।

सभानेत्री जी मुझे कह चुकी हैं कि सब के बाद में बोलेंगे।

श्री रघुनाथ विश्नोई : मेरा प्रस्ताव प्रवर समिति के लिए है।

श्री नत्थीसिंह : ये प्रवर समिति के पास भेजना चाहते हैं और मैं जनता के पास भेजना चाहता हूं।

श्री रघुनाथ विश्नोई : कौन बोलेगा इसके लिये तो आप ही हुकम देंगे।

श्री अध्यक्ष : अभी मैं निर्णय दे दूगां। में स्थिति से अवगत होना चाहता हूं।

माननीय सदस्य स्थान ग्रहण करें।

श्री रामचन्द्र आर्य : अध्यक्ष महोदय...,

श्री नत्थीसिंह : जनमत वालों को जवाब देंगे या नहीं. मंत्रीजी। रिपोर्ट देख लीजिये।

श्री रामचन्द्र आर्य : १६६६ में...

श्री अध्यक्ष : क्या हुआ १६६६ में ? आप स्थान ग्रहण करें।

श्री रामचन्द्र आर्य : मैंने कोई निर्णय, माननीय सदस्य, नहीं लिया है।

श्री नत्थीसिंह : समस्त दलों के विचार आने चाहिए। इसी दृष्टिकोण से मैंने लिख कर दिया था।

श्री अध्यक्ष : माननीय मंत्री महोदय, क्या स्टेज है ? विचारार्थ है कि नहीं ?

एक माननीय सदस्य : विचारार्थ है।

श्री अध्यक्ष : विचारार्थ पर यह संशोधन है जनमत का और सिलेक्ट कमेटी का। (श्री नत्थीसिंह) मैं माननीय सदस्यों को देख लेता हूं। आप बैठ जाये।

(विराम)

तो जो अवशेष हैं माननीय सदस्य श्री दुर्गालाल बाढ़दार, श्री रघुनाथ विश्नोई, श्री शंकरलाल जाट, और श्री शंकरलाल (जैतारण) श्री दुर्गालाल बाढ़दार नहीं है। मैं श्री रघुनाथ विश्नोई से निवेदन करूंगा कि वे बोलें लेकिन...

श्री किशनलाल वर्मा : मेरा नाम है, किशनलाल वर्मा का।

श्री अध्यक्ष : आपका नाम जब पुकारा गया तब आप उपस्थित नहीं थे। अपनी लेकिंग हो तो स्वीकार कर लेना चाहिए।

श्री किशनलाल वर्मा: मेरा नाम तो है।

श्री अध्यक्ष : है तो में वेव करता हूं। आप उपस्थित नहीं थे।

इसके बाद माननीय सदस्यों को एक-दो को एडजस्ट करने का प्रयत्न करूंगा। रघुनाथ विश्नोई।

श्री रघुनाथ विश्नोई (सांचोर) : अध्यक्ष महोदय, राजस्थान पंचायत लॉज पर सेकण्ड एमेंडमेंट बिल आज सदन के समक्ष प्रस्तुत हुआ है इस सम्बन्ध में इस बिल को सिलेक्ट कमेटी को रेफर करने का प्रस्ताव रखा है। अध्यक्ष जी, इस बिल के द्वारा जो राज्य सरकार की ओर से इस कानून में संशोधन चाहा गया है वह प्रथम तो ग्रुप सेकेटरी के एपाइटमेंट्स के वारे में, दूसरा उसकी जो टर्म ३ साल की है वह ५ साल की करने के वारे में और तीसरा डिस्क्वालिफिकेशन का है। ये तीनों संशोधन सदन के समक्ष प्रस्तुत हैं।

सभापति जी, नहीं, अध्यक्षजी, ग्रुप सचिव के एमेंडमेंट का जहां तक एक सवाल है हम आपकी मारफत राज्य सरकार से जानना चाहेंगे कि जो ग्रुप सेक्रेटरीज कुछ पंचायत समितियों को दिये गये हैं, उनके रिजल्ट आज तक तो क्या रहे हैं ? जो सेक्रेटरीज एपाइंट किये हैं उनको पंचायतों ने एक्सेप्ट किया है और पंचायतों में सचिव रखे गये हैं और उनका एपाइंटमेंट करके उनको पंचायतों की सर्विस में डालने में कठिनाई पेश हुई है, और भविष्य में ये ग्रुप सेक्रेटरीज जो राज्य सरकार इस एमेंडमेंट के जरिये चाहती है पंचायतों को एक्टिव बनाने के लिए, और जो पहले पंचायत बिल पेश हुआ था प्रिवियस उसके अन्दर सदन के माननीय सदस्य इधर से और उधर से उनकी यह राय थी कि सरपंच अपने दस्तखत करके अपना पैसा पंचायत समिति या राज्य से उठाते हैं उन पैसों का हिसाब रखना उनके लिए बहुत कठिन है, उनको सचिव प्रोवाइड किया जाना चाहिए और सदन में एक जनरल राय थी, उस वात को देखते हुए राज्य सरकार ने यह एमेंडमेंट बिल रखा है उसका तो में स्वागत करता हूं। इसका कारण यह है कि पंचायतों के सरपंच बहुत से अनपढ़ होते हैं इसलिए वे लिखा-पढ़ी का काम नहीं कर सकते हैं। सिर्फ दस्तखत करके पैसा उठा लेते हैं और बाद में पैसा खर्च हो गया तो उसका हिसाब करना मुश्किल हो जाता है, क्योंकि एक पर्टीक्यूलर सरपंच ने पैसा उठाया और उसके बाद सरपंच दूसरा इलेक्ट हो गया तो आपस में पार्टीबाजी होने के नाते युटिलाइजेशन सर्टिफिकेट टाइम पेश नहीं होने के कारण बहुत से एम्बेजलमेंट, (टेक्निकली), के केसेज और कई तरह के मुकद्मात की उलझन में पड़ जाते हैं। इस चीज को देखते हुए राज्य सरकार पहले इस सदन में जो भावनाएं पहले बिल के सम्बन्ध में कहीं गई थीं कि पंचायतों को सेक्रेटरीज प्रोवाइड किये जाने चाहिएं और पैसे उठाने का काम सचिव अपने दस्तख्तों से करे, यह एमेंडमेंट लाई है। सरपंच इलेक्टेड हैड है जैसे मिनिस्टर अपने सचिव के

(श्री रघुनाथ विश्नोई)

जरिये से काम करते हैं इसी से सरपंच-उप सरपंच, प्रधान और उप प्रधान को सचिव प्रोवाइड किये जाने चाहिएं। यह बात ठीक है, अध्यक्षजी, परन्तु उसके बाद ग्रुप सचिव का प्रावधान रखते हैं तो मेरी धारणा यह है कि इस तरह की जो व्यवस्था है कि प्रेस्क्राइब्ड रूल्स के मुताबिक एपाइंटमेंट होगा "shall be apponited as prescribed in the manner" तो उस रूल में खुलासा नहीं है कि राज्य सरकार एपाइंटमेंट करेगी या पंचायत समिति के एप्रूवल के बाद करेगी? तो क्या व्यवस्था रहेगी इस बारे में एम्बीगुइटी है। राज्य सरकार एपाइंटमेंट करेगी तो पंचायतों के अधिकारों पर कुठाराघात होता है। कौन सा सचिव किस जगह फिट होता है? मिनिस्टर को अधिकार है अपना प्राइवेट सेक्रेटरी और पी०ए० अपनी राय से लेता था। उसके बगैर उसका एपाइंटमेंट नहीं हो सकता है। इसी तरह से सेक्रेटरीज यदि गवर्नमेंट एपाइंट करेगी तो खराब व्यवस्था होगी। बहुत से झगड़े होंगे। सचिव को ड्यूटी पर नहीं लिया जायगा। झगड़े आज जैसे चल रहे हैं वैसे चलेंगे। यह व्यवस्था खुलासा नहीं है। पंचायत समितियों की राय एपाइंटमेंट करेंगे तो उस बारे में भी अगर पूरा फण्ड पंचायतों के पास में नहीं होगा और एपाइंटमेंट करने के बाद में जिस तरह से न्याय पंचायतों के सचिवों का एपाइंटमेंट किया गया था तो उनका साल-दो साल का पैसा वेतन का बकाया है उसी तरह की यहां भी व्यवस्था होगी। जहां पर पंचायतों की राय से पैसा खर्च होगा तो पंचायत के सचिव का खर्चा कौन देगा? किस के जरिये से देंगे। यह एम्बीगुइटी है। ग्रुप सचिव कितनी पंचायतों के बीच में होगा, इसी तरह से ग्राम सेवक २-३ पंचायतों में होगा। पिछला अनुभव है और तीन-चार साल से जो एक्सपेरीमेंट हुए तो मेरी जानकारी के अनुसार कई सचिवों को मैंने यहां सेक्रेटेरियेट में घूमते हुए देखा है। मिनिस्टर आर्डर दे देते हैं लेकिन उनको ड्यूटी पर नहीं चढ़ाते हैं। इस तरह के कई केसेज हैं। इन डिफिकल्टीज को देखते हुए मैं चाहूंगा कि मंत्रीजी इसका खुलासा करें। (समय-समाप्ति-सूचक घंटी) किस तरह से इस प्रावधान का इम्प्लीमेन्टेशन करेंगे? गुजरात में हर पंचायत में जैसे हमारे यहां पटवारी होता है तो पटवारी ही वहां की पंचायत का सचिव का काम करता है। तो उसके आधार पर यहां पर भी पटवारी को ग्राम पंचायतों का सेक्रेटरी रखने का प्रावधान होता तो हर पंचायत में एक एक सचिव होता तो इससे काफी कठिनाई हल हो सकती थी। चुंगी अगर लैण्ड रेवेन्यू की होती है तो वह पंचायतों को देने का प्रावधान है गुजरात में। इस तरह से यहां पर भी होता तो ठीक रहता। ग्रुप सचिव का कानून बनाया जाता है तो इसमें कई तरह की डिफिकल्टीज होंगी।

तीसरा आपने ५ साल की डिस्क्वालिफिकेशन का प्रावधान रखा है। पंचायत एक्ट की ११ वीं दफा में पहले डिस्क्वालिफिकेशन का प्रावधान नहीं था। हाईकोर्ट में इस तरह से रिटें हुई हैं और उसकी वजह से यह कानून बनाया जा रहा है। परन्तु, अध्यक्षजी, उस बारे में फाइंडिंग्स सरकार की किस पीरियड तक हो जाना चाहिए, और अगर फाइंडिंग्स के आधार पर डिस्क्वालिफिकेशन होती तो किसी लॉ

(श्री रघुनाथ विश्नोई)

कोर्ट, जुडिशियल कोर्ट द्वारा फाइंडिंग्स होना चाहिए। उसके बाद डिस्क्वालिफिकेशन रखी जाय। उसके बारे में पीरियड डिस्क्वालिफिकेशन का जैसा कि रिप्रेजेन्टेशन आफ पीपल्स एक्ट में है कि इस तरह के सजा याफ्ता की पर्टिक्यूलर इयर्स के बाद में डिस्क्वालिफिकेशन हट जाती है तो कितने सालों के बाद में डिस्क्वालिफिकेशन यहां पर आटोमेटिकली हट जायगी? १–२ साल की डिस्क्वालिफिकेशन इन कर की हुई है वह हट जाती है, काम के अनुसार तो उसके बारे में क्या स्थिति होगी? उस बारे में खुलासा नहीं है तो इस बारे में खुलासा चाहूंगा।

दूसरा, पंचायतों में सचिव गवर्नमेंट रखेगी या पंचायतें डाइरेक्ट रखेंगी तो उसके बारे में जो गवर्नमेंट की मन्शा क्या है, उसकी पूर्ति किस तरह से होगी? पंचायतों और सचिवों के बीच झगड़े नहीं होगें, यह सारा खुलासा मंत्री महोदय से चाहूंगा। वर्ना जल्दीबाजी में कानून पास करके एमेंडमेंट लाया जाय ऐसी चीज नहीं होना चाहिए। इस बारे में मेरा यह सुझाव है कि इस मुताबिक इसको एक्जामिन करने के लिए सिलेक्ट कमेटी को रेफर कर दिया जाय ताकि वह सारी डिफिकल्टीज को एक्जामिन करके उसको दुबारा रखें तो उससे डिफिकल्टीज दूर हो सकती हैं।

इन्हीं शब्दों के साथ में अपना सिलेक्ट कमेटी का प्रस्ताव सदन के सम्मुख प्रस्तुत करता हूं।

श्री शंकरलाल जाट (कपासन) : अध्यक्ष महोदय, राजस्थान पंचायत विधियां (द्वितीय संशोधन) विधेयक, १६६६ को प्रवर समिति के सुपुर्द किया जाये। यह मेरा एमेंडमेंट है। माननीय अध्यक्ष महोदय, राजस्थान सरकार ने जो ग्रुप सचिवों की नियुक्ति के लिए सोचा है, उसका मैं स्वागत करता हूं। पहले जो इण्डिवीजुअल सचिव लेते थे तो वह सारी जिम्मेदारी सरपंच पर होती थी। अब सरपंच जिम्मेदारी से बरी हो जाएगा। पहले कई ऐसे केसेज हुए जिन में सरपंच सस्पेंड हो गये थे।

श्री अध्यक्ष : आप कहें तो सरकार को ही भेज दें प्रवर समिति को? हो गया यह तो मामला।

श्री शंकरलाल जाट : प्रवर समिति को सौंपने वाली बात है, इसके बारे में कहूंगा कि यह सचिवों की जिम्मेदारी कहीं सचिवों पर हावी न हो। सरपंचों के ऊपर सचिव हावी न हो। नहीं तो कल गलती कोई करेगा फिर उलटा सुलटा कर देगा तो सरपंच मारा जाएगा। इसलिए ऐसा प्रावधान होना चाहिए।

श्री अध्यक्ष : भेजा जाए।

श्री शंकरलाल जाट : ग्राम पंचायतों की हालत बहुत खराब है। गांवों में रास्ते साफ करने का कोई साधन नहीं है। इसलिए उनकी सफाई के लिए उनको भी हिस्सा मिलना चाहिए। जिससे कि गांवों आदि के रास्ते में रोशनी के लिए लालटेन खरीद सकें। सरपंच पर जो प्रतिबन्ध लगा रखा है कि वह पढ़ा-लिखा हो। पढ़ाई-लिखाई का प्रतिबन्ध विधान सभा और लोक सभा के लिए नहीं है।

श्री अध्यक्ष : इसके बारे में सोचा जाए। अनपढ़ कर दिया जाए।

श्री शंकरलाल जाट : अनपढ़ नहीं, जैसा उन लोगों के लिए है वैसा कर दिया जाए।

श्री अध्यक्ष : कर देंगे ।

श्री शंकरलाल जाट : आप ने पंचायत और न्याय पंचायत अलग अलग बना रखी हैं। प्रतापगढ़ माधोपुर में एक सचिव है ।

श्री अध्यक्ष : आप तो कपासन की बात बोलिये।

श्री शंकरलाल जाट : अध्यक्ष महोदय, जिले की बात तो कहनी पड़ेगी। प्रतापगढ़ के सेक्रेटरी ने ८० हजार का बंगला बनवाया है ।

एक माननीय सदस्य : सेक्रेटरी ने ?

श्री शंकरलाल जाट : सेक्रेटरी ने बनवाया है, ८० हजार का बंगला।

श्री अध्यक्ष : व्यापार करता होगा ।

श्री शंकरलाल जाट : वहां आदिवीसी। लोग हैं। उनको पम्पिग सैट के लिए अनुदान मिलता है, उन लोगों के नामों से वह अनुदान ले लेता है।

श्री अध्यक्ष : अपने प्रश्न पर आ जाइये।

श्री शंकरलाल जाट : अध्यक्ष महोदय, यह बिल जो लाया गया है, वह प्रवर समिति को सौंप दिया जाए।

श्री अध्यक्ष : श्री शंकरलाल (जैतारण)।

श्री शंकरलाल (जैतारण) : अध्यक्ष महोदय, मैंने इस कानून को प्रवर समिति को सुपुर्द करने का प्रस्ताव रखा है। मैं निवेदन करना चाहूंगा, अध्यक्ष महोदय, राजस्थान के अन्दर हम पंचायत राज संस्थाएं ऐसे चलाएं जिससे कि जनजाग्रति हो। लेकिन संशोधन की धारा में २ बातें लाये हैं। हम राजस्थान पंचायत अधिनियम और राजस्थान पंचायत समिति तथा जिला परिषद् अधिनियम इन दोनों में संशोधन कर रहे हैं। राजस्थान पंचायत अधिनियम और जिला परिषद् अधिनियम दोनों में इक्विलिटी होनी चाहिए इसके लिए प्रवर समिति इस पर विचार करे कि पंचायत समिति और जिला परिषद् दोनों का ही एक ही कानून हो। आपने ग्रुप सचिव के लिए प्रावधान रखा है। कई पंचायतों को मिलाकर एक सचिव होगा। अध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करना चाहूँगा कि इसमें एक पंचायत के लिए एक सचिव होना चाहिए। अगर एक सचिव दो तीन जगह के लिए होगा तो मुझे अनुभव है, यह होगा कि एक जगह जाओ तो कहा जाएगा कि वहां गया हुआ है। वहां जाकर पूछो तो पता चलेगा कि दूसरी पंचायत में गया हुआ है। तीसरी जगह जाओ तो पता चलेगा कि छुट्टी गया हुआ है। हमारे राजस्थान में बहुत सी पंचायतें छोटी हैं। बहुत सी पंचायतें बड़ी हैं। इसलिए मैं निवेदन करूंगा कि जैसा पहले राजस्थान सरकार ने ऐलान किया था कि हम राजस्थान की पंचायत समितियों का डि-लिमिटेशन करना चाहते हैं। आपने सचिवों का प्रावधान किया है लेकिन वह डि-लिमिटेशन नहीं हुआ है। मैं निवेदन करना चाहूँगा कि पहले डिलिमिटेशन कीजिये Dont put cart before the horse.

पहले आप पंचायतों का डिलिमिटेशन करें, पंचायतों को अनुरूप बनायें, हर एक पंचायत के लिए एक एक सचिव रखें, तो बात समझ

(श्री शंकरलाल)

में आ सकती है, वरना पंचायत के सचिव के कहीं अच्छे होने की बात आई, कई जगह पर अच्छे नहीं होने की बात आई क्योंकि वह समूह पंचायतों में काम कर रहे हैं, कहीं तीन जगह पर और कहीं पर चार जगह पर। इसको करने के लिए आप ठहर जाइये, पहले विचार करिये, पहले डिलिमिटेशन करायें या पहले सचिव रखें। मेरा निवेदन है कि आप पहले डिलिमिटेशन करायें जो कमीशन बना था उसकी रिपोर्ट के अनुसार और फिर आप सचिव रखने की बात करें।

तीसरा, में निवेदन करू', इसमें आपने पांच साल के लिए प्रावधान रखा है कि जो रिमूव हो जायेंगे वह पांच साल के लिए डिस्क्वालिफाई होंगे । पांच साल आपने इसलिए किया है क्योंकि पंचायतों की म्याद पहले तीन साल थी, वह अब पांच साल तक बढ़ गई है । मेरा निवेदन है कि तीन साल के बजाय आपने पांच साल तक अवधि बढ़ा दी, लेकिन सेक्शन सात में प्रावधान किया है उसमें जो प्राविजो है, उसमें राज्य सरकार ने अपने पास यह अधिकार रखा है–

"Provided the State Government can extend the period of the Panchayat for one year more."

इसका मतलब यह है कि पांच साल के बाद में एक साल और बढ़ा सकते हैं। मेरा निवेदन है कि इस प्रोविजो को आप हटा दीजिये और एक चीज जो रखी है, जो तीन साल से मियाद बढ़ा कर पांच साल कर दी है उस पर पांच साल को ही रखिये, जिस तरह की एम. एल. ए. की लिमिट पांच साल की है उसके अनुरूप आप यह बनाना चाहते हैं तो कोई बात नहीं है लेकिन जो पांच साल के बाद एक साल की अवधि बढ़ाने का और अधिकार रखना चाहते हैं– वह ठीक नहीं है। इसलिए इस मुद्दे पर भी विचार हो सकता है कि पांच साल के बाद एक साल बढ़ाने का जो प्रोविजो है– इसको रखें या नहीं ? चौथा में निवेदन यह करना चाहता हूं कि इस क्लाज के अन्दर है-

"Provided that if any Pradhan, UpPradhan or Up sarapnch."

यह ताज्जुब की बात है कि इसमें सरपंच शब्द नहीं है। क्या सरपंच के लिए यह प्रोविजन नहीं बनाना चाहते हैं ? मेरे पास जो इंगलिश का बिल है उसमें यह सरपंच शब्द नहीं है। जो डिस्क्वालिफाइड मानते हैं १७ (७) में यह लिखते हैं :

"Provided that if any Pradhan, Up- Pradhan or Up sarpanch."

इसमें सरपांच शब्द नहीं है। यह सरपंच के लिए लागू होगा ? यह सरपंच शब्द कैसे हटा है ? क्या भावना हैं ? मेरी समझ में नहीं आता। डिस्क्वालिफाई होगा तो वह भी होगा। इसलिए सरपंच के लिए भी यह कानून लागू होना चाहिए। में निवेदन करना चाहूँगा, १७ (७) के अन्दर सरपंच या पंच हटते हैं वह दो प्रकार से हटते हैं, एक तो इनकेपेबल हो जाय काम करने के लिए या मोरल टर्पीट्यूड का काम करें। इनकेपेबल हो जाय इस कारण हटते हैं, तो आदमी वीक हो या बीमारी हो गई हो इस कारण वह इनकेपेबल हो–तो उसको भी आप पांच साल तक के लिए डिबार करना चाहते हैं, जब कि वह एक साल, दो साल के बाद ठीक हो सकता है। तो बीमार आदमी कुछ

(श्री शंकरलाल)

समय बाद में ठीक हो जाता है—उसके लिए पांच साल रखना ठीक नहीं है। मैं समझता हूँ कि प्रवर समिति इस पर विचार करेगी कि हर प्रकार के सरपंच जो १७ (४) के अन्तर्गत हटते हैं उनको पाँच साल के लिए डिबार करना चाहते हैं या उन लोगों को दोषी हैं जिन्होंने गबन किया है, पांच साल के लिए डिबार करना चाहते हैं? जो किसी बीमारी के कारण इनकेपेबल हैं वह बाद में ठीक हो सकते हैं इसलिए उनको पांच साल के लिए डिबार करते हैं यह ठीक नहीं है।

मैं कहना चाहूँगा कि जो इसमें सेक्शन है उसमें लिखा है कि जो ग्रुप सचिव होगा वह सब्जेक्ट टू दि कंट्रोल ग्राफ सरपंच होगा वह कैसे होगा? यह विवाद का विषय है। इससे विवाद पैदा होगा, इससे झगड़ा पैदा होगा। आप सचिव क्लिग्रर कट रखना चाहते हैं तो जो जो बातें उनके लिए रखना चाहते हैं वह रजिस्टर–रिकार्ड रखेगा, यह करेगा, वह करेगा तो वह ठीक होगा। मैं मानता हूँ कि सरपंचों के ऊपर गबन के के मामले के चार्ज इसलिए बनते हैं क्योंकि वह पढ़े लिखे नहीं होते हैं। इसलिए इस सचिव को रखने की बात की गई है। लेकिन इसमें जो सब्जेक्ट टू दि कंट्रोल ग्राफ सरपंच रखा है इसमें यह प्रश्न पैदा होगा कि किसका कंट्रोल है? जो सचिव होगा वह कहेगा कि मुझे पावर दी गई हैं, और सरपंच कहेगा कि सब्जेक्ट टू दि कंट्रोल ग्राफ सरपंच है। यह सारी बातें इसमें हैं; इसलिए मेरा निवेदन है कि सलेक्ट कमेटी बने उसमें यह पूरा कानून जाय और वह इस पर विचार करे, उसके बाद में मोडीफाइड रूप में बिल लायें तो पंचायत राज की संस्थाओं का भला कर सकते हैं वरना इस प्रकार से पीस-मील संशोधन आते हैं टुकड़े टुकड़े में इससे कन्फ्यूजन पैदा होता है। इसलिए इस पर प्रवर समिति में विचार करना जरूरी है।

श्री रामचन्द्र आर्य : माननीय अध्यक्ष।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य। मैं एक बात अर्ज कर दूं। स्थान ग्रहण करें। माननीय नत्थीसिंह और श्री रामचन्द्र। आप इन संशोधनों पर बोलना चाहते हैं?

श्री रामचन्द्र आर्य : हां साहब।

श्री अध्यक्ष : वह तो उपयुक्त नहीं है। इन प्रस्तावों को वोट पर रखने के बाद कन्सीडरेशन की स्टेज आती है, उस पर आप दोनों माननीय सदस्य बोल सकते हैं। लेकिन फिर भी माननीय सदस्य इस जनमत के प्रस्ताव पर बोलना चाहते हैं तो कन्सी-डरेशन की स्टेज पर नहीं बोलेंगे।

श्री रामचंद्र आर्य : नहीं हम दूसरे पर बोल देंगे।

श्री नत्थी सिंह : मैं अभी बोल देता हूं जिससे उसका भी जवाब दे दें।

श्री अध्यक्ष : कम से कम समय लें तो अच्छा होगा।

श्री नत्थीसिंह (भरतपुर) : अध्यक्ष महोदय, यह ऐसा विषय है जिससे ऐसा लगता है कि लोकतांत्रिक विकेन्द्रीकरण के नाम पर इस सरकार ने इस पंचायत राज की भूमिका बांधी थी, उस सम्बन्ध में यह बिल बार बार ला रहे हैं उससे मुझे प्रतीत होता है कि यह सरकार पंचायत राज की

(श्री नत्थीसिंह)

मुर्दा लाश को ढोये फिर रही है इसलिए बार बार बिल लाती है। जरूरत इस बात की थी, अध्यक्ष महोदय, यह शासन और मन्त्री ने कई बार कहा है, कभी सादिक अली कमेटी बैठाई, कभी और कमेटी बैठायी और उसके परिणामस्वरूप हम ऐसा एक्जास्टिव बिल लायेंगे जिससे पंचायत राज की सारी बातों का समाधान करते हुए सही तौर से पंचायत राज चले इस प्रकार की व्यवस्था करेंगे······

श्री अध्यक्ष : समाचार पत्र नहीं पढ़ा जाय।

श्री नत्थी सिंह : कानून में प्रावधान है कि प्रधान और सरपंच की जगह छः महीने से ज्यादा खाली नहीं पड़ी रहेगी···

श्री अध्यक्ष : माननीय श्री सारण, सदन में समाचार पत्र नहीं पढ़ा जाय।

श्री नत्थी सिंह : लेकिन कई जगह प्रधान और सरपंच की जगह छः महीने से ज्यादा से खाली पड़ी हैं लेकिन उनका चुनाव यह सरकार नहीं करवा रही है। किसी न किसी बहाने से चुनाव की अवधि बढ़ाई जा रही है। एक तो अकाल का बहाना हो गया। दुर्भाग्य से हमारे पंचायत मन्त्री और अकाल मन्त्री दोनों एक हैं इसलिए अकाल का इनको बहुत जल्दी पता लग जाता है कि कहां अकाल है, कहां पंचायत का काम ठीक नहीं चल रहा है। इन दोनों···

श्री रामकिशन (वैर) : माननीय दौलतराम सारण यह समाचार पढ़ रहे हैं कि स्वेतलाना की चौथी शादी हो गई।

श्री दौलतराम सारण : आपको तो बुढ़ापे में यही सूझता है···

श्री अध्यक्ष : वह पढ़ना आपको चाहिए। गलती से पढ़ा।

श्री दौलतराम सारण : इन्हें सिवाय स्त्री, शादी, और लड्डू रसगुल्ले के और कुछ दिखाई नहीं देता।

श्री रामकिशन : मैं हमेशा यह सोचता रहता हूं इनका सम्बन्ध है।

श्री नत्थीसिंह : माननीय अध्यक्ष महोदय, पंचायत मंत्री यह कह कर टाल देते हैं कि चुनाव मंत्री और हैं, हमारा चुनाव से ताल्लुक नहीं है। लेकिन इस प्रकार कानून की अवहेलना होती आई है, पहले तीन वर्ष से पांच वर्ष किये, फिर पांच वर्ष से छः वर्ष किये। मेरा ख्याल है कि १९७२ तक इसको आप खींचेंगे। इसलिए हम कानून बनायें तो निश्चित तौर पर एक बात का ध्यान रखें कि जो कानून आज हैं वह कार्यान्वित हो रहा है या नहीं ? जो कानून बना रहे हैं उससे पंचायत राज मजबूत होगा या नहीं ? नियमों में संशोधन लायें, या कानून में संशोधन लायें—उसके सम्बन्ध में यह ध्यान रखें। अब आप कह रहे हैं कि ग्रुप सचिव नियुक्त करेंगे, पंचायत समूह के लिए ग्रुप सचिव नियुक्त करेंगे। अध्यक्ष महोदय, इसका कारण दिया है स्टेटमेंट आफ आब्जेक्ट्स एन्ड रीजन्स में, उसमें कहा है कि पंचायत की सहमति से ऐसा करेंगे लेकिन आपने कानून में व्यवस्था की है उसमें कहा है कि यह प्रेस्क्राइव्ड मेनर में नियुक्ति की जायगी। यह कौनसा प्रेस्क्राइव्ड मैनर होगा ? किसका अधिकार होगा ? एक जमाना था १९५९

(श्री नत्थीसिंह)

में पंचायत राज बना, विकेन्द्रीयकरण आया तो पंचायत का यह हक था कि वह तमाम जिले के जिलाधिकारी से जिले के सम्बन्ध में, विकास के सम्बन्ध में, और समस्याओं के सम्बन्ध में सीधे सवाल पूछ सकती है, जिस तरह से हम असेम्बली में सवाल पूछते हैं उसी तरह से पंचायत राज संस्थाओं को सवाल पूछने की व्यवस्था की थी और उसके अनुसार एक महीने में एक मीटिंग करना जरूरी था। लेकिन वह अधिकार धीरे-धीरे एक्जीक्यूटिव ऑर्डर से सारा छीन लिया। अब आज क्या करने जा रहे हैं? आपने मुर्दा कर दी है पंचायत, अब कहते हैं कि पंचायतों के बस्ते, तीन पंचायतों के बस्ते, पांच पंचायत के बस्ते ग्रुप सचिव के कमरे में बन्द रहेंगे, जिससे उसकी मर्जी होगी वैसा वह कह देगा, उस पंचायत में मैं उस दिन था इसलिए 'अ' में नहीं आ सका, 'अ' में था इसलिए 'स' में नहीं जा सका, 'द' में नहीं जा सका, इसलिए पंचायत की मीटिंग अटेन्ड नहीं कर सका। यह अब ग्रुप सचिव की मर्जी पर हैं कि वह किसी पंचायत का बस्ता खुला रखे या बन्द रखे। यह गलत व्यवस्था है। राज्य सरकार को करना था तो वह हिम्मत के साथ यह करती कि प्रत्येक ग्राम पंचायत का कार्यालय राज्य सरकार अनुदान देकर बनवायेगी और ग्राम सेवक होगा वह सचिव होगा, उस पर पूरा नियन्त्रण ग्राम पंचायत का होगा। आज जो ट्रान्सफर मनमौजी तरीके से किये जाते हैं वह नहीं किये जायेंगे, पंचायत जिस ग्राम सेवक को चाहेगी वह ग्राम सेवक रहेगा। यह व्यवस्था होती तो समझ में बात आती कि यह पंचायत कार्य सुचारु रूप से चलाना चाहते हैं। मुझे पूरा अनुभव है, आज भी ग्रुप सचिव जो चट हैं इधर उधर एप्रोचेज हैं वह मजे में रहते हैं नहीं तो सुबह से शाम तक एक आफत रहती है, कभी फलां मंत्री, कभी फलां एम. एल. ए. जो कांग्रेस के हैं, उनका कहना नहीं माना तो वह नाराज हो गये और इस प्रकार तीन ट्रान्सफर किये और तीन बार कैंसिल कर दिये। इसलिए सरपंच जिसको चाहता नहीं होगा वह ग्रुप सचिव को इस प्रकार की व्यवस्था से परेशान करके छोड़ देगा और किसी हालत में भी पंचायत का काम नहीं चल सकेगा और उसके बस्ते बन्द रहेंगे। मैं कहना चाहता हूं कि पंचायत मंत्री (समय समाप्ति सूचक घंटी) अभी तो शुरूआत हुई है।

श्री अध्यक्ष : समय की सीमा में।

श्री नत्थीसिंह : समय की सीमा में और सब्जेक्ट की सीमा में।

मैं निवेदन करना चाहता हूं इस व्यवस्था को तुरन्त बदलें, इसमें संशोधन करें और ग्राम सेवक, ग्राम सचिव होगा वह ग्राम पंचायत की मर्जी से रहेगा। प्रेस्क्राइब मैनर की बात आप जानते हैं कि वह जहां आई तो राज्य सरकार के आफिसरों के हाथ में बात जाती हैं और फिर मनमाने तरीके से काम होता है। इसको कतई बर्दाश्त नहीं किया जाना चाहिए स्वायत्त शासन की इकाई पंचायत है उसके कर्मचारी कौन हों इसका अधिकार केवल ग्राम पंचायत को होना चाहिए, और किसी को नहीं। अब यह नौबत क्यों आई? यह मैं दूसरी बात कहना चाहता हूं कि यह इसलिए आई है कि राज्य सरकार कहती है कि पंचायत के पास फंड्स नहीं हैं, साधन नहीं हैं वह इस

(श्री नत्थीसिंह)

लिए सचिव नहीं रख सकती। मुझे मालूम है कि पंचायतों के पास चपरासी तक को देने के लिए पैसा नहीं है और न्याय पंचायत के सचिव हैं उनको तीन तीन महीने का भुगतान नहीं हुआ है। यह हालत है, इसमें आप पंचायत राज को जिन्दा रखना चाहते हैं, तो ठीक ढंग से इस पर विचार करें, और दफनाना चाहते हैं तो सीधे-सादे ढंग से यह काम किसी और के लिए आप छोड़ें। यह माननीय पंचायत मन्त्री को शोभा नहीं देता है।

मैंने कई दफा कई बातें इस सम्बन्ध में कही हैं, मैं उनको आज दोहराना नहीं चाहता। आज स्थिति क्या है, इसमें तीन बातें है—आज जो पंचायत एण्ड जिला परिषद् सर्विस सिलेक्शन कमीशन बना हुआ है उसका जयपुर में हैड क्वाटर बना हुआ है, इसके द्वारा जो चयन होता है, सिलेक्शन होता है—उसके बारे में आपको सुनकर आश्चर्य होगा कि इस दफ्तर में सिलेक्टेड केन्डीडेट्स की लिस्ट बदल दी जाती है। भरतपुर और अलवर के लिए सिलेक्ट किये गये व्यक्तियों की लिस्ट बदली, इस सम्बन्ध में राज्य सरकार को शिकायत हुई लेकिन क्या किया राज्य सरकार ने ? क्या संशोधन राज्य सरकार ला रही है जिससे इस पर नियंत्रण कर सकें। अध्यक्ष महोदय, एक पंचायत समिति नगर है, उसने कहा कि हमारे बजट में ६० हजार का घाटा है, हमारे मथुरादास जी वित्त मंत्री हैं वह घाटे की पूर्ति के लिए इन्दिरा गांधी की तरफ देखते हैं और सब्र कर लेते हैं कि किसी न किसी तरीके से घाटे की पूर्ति होगी। लेकिन पंचायत खर्च कहां से करती है, कहां से उसके पास आता है ? उसकी तो आपने सीमा बांध रखी है, उसका उल्लंघन करती है पंचायत तो जांच करनी चाहिए और सही रूप से निश्चित रूप से करनी चाहिए। पैसा देते हैं पंचायत को वह बेकार और फालतू संस्था हो गई है, उसका उपयोग नहीं है तो भी पंचायत समिति को तोड़ेंगे नहीं, ग्राम पंचायत को बड़ा बनायेंगे नहीं, पूरे आर्थिक साधन के अधिकारी उसको देंगे नहीं है। मेरा निवेदन है कि जिला परिषद् ऐसी सक्षम बने कि प्रमुख को बालिग मताधिकार से चुना जाय, प्रधान को बालिग मताधिकार से चुना जाय और कलेक्टर जिला परिषद् के सचिव के रूप में काम करे तब जा कर पंचायत राज संस्थाओं में जान फूंकी जा सकती है, वर्ना ये संस्थाएं मुर्दा ही रहेंगी। इसलिये इस बिल को लाने से कोई फायदा नहीं है, इसको तो आप डेफर करें और एक पूरा सम्पूर्ण बिल लायें जिसमें यह समाधान किया जाय कि पंचायती राज संस्थाओं को कैसे मजबूत किया जा सकता है।

अध्यक्ष महोदय, मैं एक तथ्य की ओर सदन का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं सुबह भी इस सम्बन्ध में मेरा एक प्रश्न था पर मैं आ नहीं पाया। पंचायतों के, नगर पालिकाओं के चुनाव राज्य सरकार हटाती जा रही है। पहला काम आपने यह किया कि १३ जिलों में सहकारी समितियों के चुनाव नहीं कराये। इस तरह आप जनतन्त्र की लाश कर देना चाहते हैं, दिल्ली में तो लाठी और अश्रु गैस से जनतन्त्र की लाश

(श्री नत्थीसिंह)

करते हैं, जब हमारी वाजिब मांगों को लेकर जाते हैं तो लाठियों से और अश्रुगैस से दिल्ली में जनतन्त्र की लाश की जाती है और राजस्थान में गोली के साथ-साथ जनता के मन में चुनाव प्रणाली के प्रति सुस्ती और अनास्था पैदा कर के जनतन्त्र की प्रणाली पर आप कुठाराघात करना चाहते हैं। यह जो आपने संशोधन बिल रखा है इससे पंचायती राज संस्थाओं को कोई लाभ नहीं होगा । यह जो संशोधन आप लाये हैं इस संशोधन के द्वारा आप यह करना चाहते हैं कि पंचायतों की मयाद ५ साल की कर दी तो डिस्क्वालिफिकेशन की मयाद भी ५ साल होनी चाहिये, भूतपूर्व सरपंच अब चुना गया है तो वह डिस्क्वालिफाई हो जाना चाहिए। हम भरतपुर के लोग तो आपकी इस प्रकार की कार्यवाहियों के भुक्तभोगी है, हमें कांग्रेसी को हटाना पड़ता, आप तो आये दिन यह करते रहते हैं कि किसी विरोधी पंच को, सरपंच को फंसा दो ताकि वह वोट डेने के काबिल ही नहीं रहे पर जब हम कांग्रेसी के खिलाफ आरोप सिद्ध करते हैं तो इनके गले में घंटी लटक जाती है। इस सदन में कई बार सवाल आया। हमने एक प्रधान को, कुम्हेर के प्रधान को वोटों के आधार पर हटा दिया वह डकैती में फंस गया, जिस वक्त राजस्थान में राष्ट्रपति का शासन था ··

श्री अध्यक्ष : ऑर्डर, ऑर्डर, पर्व्यू में नहीं है, इस बिल के।

श्री नत्थीसिंह : इस तरह का प्रावधान १७ (४) में यही रहना चाहिये। पंच या सरपंच को, किसी चुने हुए व्यक्ति को सस्पेन्ड करने का अधिकार एग्जीक्यूटिव के हाथ में नहीं रहना चाहिये, सेशन जज के पास ही सस्पेन्शन के, हटाने के अधिकार रहने चाहिये। एक अफसर प्रजातन्त्र में यह कहे कि अमुक सरपंच, सरपंच नहीं रहेगा, अमुक पंच, पंच नहीं रहेगा अमुक प्रधान प्रधान नहीं रहेगा, यह प्रजातन्त्र प्रणाली के लिये अपमानजनक है । एग्जीक्यूटिव आफिसर को इस प्रकार का अधिकार नहीं रहना चाहिये। इसलिये में कहूंगा कि इसमें जो यह प्रावधान किया गया है, वह बिलकुल गलत है । में आपसे पूछना चाहता हूं कि इस प्रकार का प्रावधान लाकर आप किस तरह से जनतन्त्र को मजबूत करना चाहते हैं ?

श्री रामचन्द्र आर्य : ये तो कांग्रेस को मजबूत करना चाहते हैं।

श्री नत्थीसिंह : इनके इस भ्रम को भी मैं दूर करना चाहता हूं । कांग्रेस इससे मजबूत नहीं होने वाली है, इनकी हर लाठी इनको कब्र की तरफ ले जा रही है। इस तरह से कांग्रेस स्वयं अपना नुकसान कर रही है। मुझे यह लगता है कि जनतन्त्र के प्रति सरकार का जोम मर गया है, यह तो जनतन्त्र के नाम पर केवल दिखावा करती है, उसी निर्जीव दिल से ऐसा बिल लाया गया है। इसलिये मैं मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहता हूं कि वे इस बिल को वापिस ले और एक पूरा सम्पूर्ण बिल इस सत्र में संभव नहीं हो सके तो अगले सत्र में लायें···

श्री अध्यक्ष : समाप्त करें।

श्री नत्थीसिंह : यह वेगली (कारी अर्थात् पेचिंग) लगाने की कार्यवाही नहीं करें। यह बिल दिखने में निर्दोष लगता है

Page No 141

(श्री नत्थीसिंह)

पर इस बिल के माध्यम से पंचायती राज संस्थाओं के सारे अधिकार ग्रुप सेक्रेटरी के हाथ में दे दिये जा रहे हैं. वह भी तीन तीन चार चार पंचायतों के अधिकार एक ग्रुप सेक्रेटरी के हाथ में दिये जा रहे है, इसको हमें कभी पास नहीं करना चाहिये···

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य···

श्री नत्थीसिंह : पंचायतों को पूरे अधिकार दिये जाने चाहिये । पंचायत को कर्मचारियों पर पूरे अधिकार रहने चाहिये, यह करना चाहिये । इसलिये मैं कहूंगा कि यह बिल वापिस लिया जाय और सम्पूर्ण तौर से सही बिल हो, उसको सदन के समक्ष प्रस्तुत किया जाय ।

श्री गिरधारी लाल व्यास (सरकारी मुख्य सचेतक) : अध्यक्ष महोदय, सदन का समय समाप्त हो रहा है, जब तक यह बिल पारित नहीं हो जाय तब तक के लिये सदन का समय बढ़ा दिया जाय ।

श्री अध्यक्ष ; समाप्ति की सीमा में आने दीजिये ।

श्री रामचन्द्र आर्य ।

५ मिनिट लेंगे ।

श्री रामचन्द्र आर्य : ५ मिनिट थोड़े हैं ।

श्री अध्यक्ष : ६ मिनिट ।

श्री रामचन्द्र आर्य : ६ मिनिट थोड़े हैं ।

श्री अध्यक्ष : ७ मिनिट ।

श्री रामचन्द्र आर्य (नोहर) : अध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करना चाहता हूं कि राजस्थान सरकार पचायती राज संस्थाओं को समाप्त करने पर तुली हुई है । और सन् ५३ में जिस वक्त पंचायतों का निर्माण हुआ, सन् ५६ में उनके अधिकार छीन लिये गये ।

श्री अध्यक्ष : ऑर्डर । सदन की अनुमति से मैं जब तक विधेयक पारित नहीं हो तब तक के लिये सदन का समय बढ़ाता हूं ।

श्री रामचन्द्र आर्य : जब सन् ५६ में पंचायत समितियों का निर्माण हुआ था तो उस समय पंचायतों के अधिकार कम किये गये और पंचायत समितियां बना कर विकास अधिकारियों को सरपंचों के सिर पर बैठाया गया और उन पंचायत समितियों द्वारा करोड़ों रुपयों का घोटाला हुआ । सरपंचों की कोई सुनवाई नहीं हुई और अब यह सरकार पंचायतों के सेक्रेटरी के बारे में और सरपंचों के अधिकार कम करने के बारे में उनको हटाने के बारे में यह बिल सदन में पेश किया गया है, इस प्रकार यह पंचायती राज संस्थाओं को समाप्त करने वाला बिल है ।

अध्यक्ष महोदय, मैं ट्रेजेरी बैंचेज पर बैठने वालों से और राज्य सरकार से कह देना चाहता हूं, कान खोल कर सुन लें । इससे तो न प्रजातन्त्र रहेगा, न पंचायती राज रहेगा, न वोटों की प्रणाली रहेगी और न इसमें विश्वास ही रहेगा । प्रजातन्त्र की जड़ों को मजबूत करने वाली ये पंचायतें हैं । पंचायतों को अधिकार देंगे तो प्रजातन्त्र मजबूत होगा, इनके अधिकार छीनेंगे तो प्रजातन्त्र टिक नहीं सकेगा । ग्राम पंचायतों की इकाइयां ही प्रजातन्त्र को मजबूत करने

Page No 142

(श्री रामचन्द्र आर्य)

वाली हैं। आप देखें कि आप यहां तड़क भड़क से रह रहे हैं और गांवों के पंच, सरपंच कुछ नहीं है। यह आप नहीं भूलें कि उनके बल पर ही आप चुन कर यहां कुर्सियों पर बैठे हैं और सचिवों को उनके सिर पर बैठा देना चाहते हो ?

पंचायतों के आपने वो दो टुकड़े किये, एक तो पंचायत समितियां बना कर पंचायतों के टुकड़े किये फिर न्याय पंचायतें आपने अलग बनाई। पंचायतों में गांव के मुखिया बैठते हैं, फिर आपको ये न्याय पंचायतें बनाने की क्या आवश्यकता थी ? पर पंचायतों में फूट डालने के लिये आपने न्याय पंचायतें बनाई। गांवों के छोटे-छोटे मुकदमों के फैसले पंचायतें कर सकती हैं। पर पंचायती राज को खत्म करने के लिये आपने यह नीति चलाई। इसी तरह से पंचों और सरपंचों को हटाने के लिये यह सरकार यह बिल ला रही है। यह दुर्भाग्य की बात है कि सरकार इस प्रकार का बिल सदन में पास करेगी और सरपंच लोगों को सिर लटकाये हुए अदालतों के सामने खड़े रहना पड़ेगा।

(५. म. प.)

(श्री पूनमचन्द विश्नोई, उपाध्यक्ष पदासीन)

सरपंच को हटाया जाता है ५ साल बाद भी उसके खिलाफ ऑडिट रिपोर्ट आने के बाद क्योंकि ऑडिट रिपोर्ट भी बगैर रिश्वत दिये कोई भी ऑडिटर रिपोर्ट सही तरीके से नहीं देता। जो सरपच बेईमानी करता है और ऑडिट वालों को रिश्वत देता है उनके खिलाफ कोई कार्यवाही नहीं मगर जो ईमानदारी से काम करता है, उनके खिलाफ रिपोर्ट भेजते हैं, बाद में चालान होते हैं ४०६ में, वह अदालत के सामने गर्दन नीचे कर खड़ा रहता है। इस प्रजातंत्र की नींव को मजबूत करने के लिए हम सरपंच को अदालत के अन्दर सर नीचा करके उसको खड़ा करते हैं। यह ठीक नहीं।

दुर्भाग्य की बाद है कि इस वातावरण में देश किधर जा रहा है और सरकार किस प्रकार से कानून पास कर, प्रजातन्त्र को कायम रखना चाहती है पहले चुनाव समय पर नहीं कराए, बाद में मियाद बढ़ाई, सरकार कानून लाकर ५ साल की पाबन्दी लगाना चाहती है। ५ साल तक वह चुनाव नहीं लड़ सकेगा। पंचायतों को पूरे अधिकार देने चाहिये, वे गांवों में सर्वेसर्वा होनी चाहिये, उनके फैसलों के खिलाफ हाई कोर्ट के नीचे की अदालतों में अपील नहीं होनी चाहिये जिस तरह से शुरू में पंचायतों का गठन हुआ, उस समय तहसील पंचायतें कायम की गई थीं। तहसील पंचायतों के फैसलों की अपील होती थी लेकिन हाई कोर्ट से नीचे की अदालतों में मुकदमा नहीं हो सकता था, उनको बड़ी ताकत थी, पंच को हटाने का अधिकार भी सरकार को नहीं था लेकिन आज विकास अधिकारी या एस० डी० एम० या कलेक्टर द्वारा उसको हटाया जाता है और वे मारे मारे फिरते हैं। पंचायत राज में पंचों की इज्जत नहीं तो राज की भी इज्जत नहीं, फिर आपकी इज्जत भी एक कोड़ी की है। आप पंचायत राज की इज्जत को नहीं समझते, आप उनकी इज्जत नहीं करेंगे तो जनता आपकी इज्जत नहीं करेगी। आप समझते है कि नौकरशाही के भरोसे राज करते रहेंगे और नौकरशाही जिस तरह से करेगी,

(श्री रामचन्द्र आर्य)

आप उनके सहारे से कुर्सी पर कायम रहेंगे, यह असम्भव है। यह नौकरशाही सबको खायेगी एक दिन ऐसा आएगा। नौकरशाही आज भी मन्त्रियों के हुक्म को नहीं मानती है और मन्त्रियों के हुक्म को ताक पर रखते है और कहते हैं कि कलेक्टर जब हुक्म देंगे तब मानेंगे, मन्त्री कौन होता है? आज यह हालत प्रशासन की। आप पंचायत राज को इस तरह से बरबाद करने के लिए इस प्रकार का बिल पास न करायें। उनको मजबूत करने के लिए और पंचों और सरपंचों की इज्जत बढ़ाने के लिए आपको बढ़िया बिल पेश करना चाहिये जैसे शुरू में सरकार ने जो पंचायतों को अधिकार दिया था। हम समझते थे कि राज्य सरकार पंचायतों को और अधिकार देगी लेकिन दिनों दिन आप पंचायतों के अधिकार छीनते जा रहे हैं, आपकी भावनायें बदल रही हैं। आपका प्रजातन्त्र में भरोसा नहीं, वोट-प्रणाली में भरोसा नहीं। इसलिए आप इस तरह से कानून बनवाकर विधान सभा की मोहर लगवाकर नौकरशाही के हाथ में दे देना चाहते हैं। जब कार्य रूप में परिणत करेंगे तब नतीजा सामने आयेगा। तब हर आदमी महसूस करेगा कि हमारे चुने हुए आदमियों ने विधान सभा में इस प्रकार का कानून बनाया और इतनी परेशानी हुई। चाहिये यह था कि पंचायतों को और शक्तिशाली बनाते, जिससे आपकी ग्राम की इकाई और मजबूत होती और प्रजातन्त्र की जड़ मजबूत होती लेकिन यह नहीं हो रहा है। इससे बढ़कर दुर्भाग्य क्या होगा? आज पंचायत राज में सेक्रेटरी को सरपंच रखने लायक नहीं है क्योंकि फंड्स नहीं हैं, क्यों नहीं भू-राजस्व में से पंचायतों को कुछ धन-राशि नहीं देते हैं? जब तक वह राज्य का इकाई है, तो उसको चलाने के लिए आपकी जिम्मेदारी है। आपको उनको सेक्रेटरी रखने के लिये फंड्स देने चाहिये, आप मामूली अनुदान देते हैं उससे पंचायतें नहीं चलती। २-४ महीने में पैसा खतम हो जाता है। कईयों को मिलता नहीं। विकास अधिकारी जिस पर राजी होता है उसको दे देता है, नहीं तो नहीं देता है। इस प्रकार की अव्यवस्था आपके शासन व पंचायती राज की है। आप पंचायती राज का महत्व को न समझकर जिस प्रकार से अंग्रेज और राजा लोग राज्य करते थे, उस प्रकार तड़क-भड़क से आप प्रशासन के बल पर कठपुतली बनकर नाच रहे हैं और जैसा वह बिल लाते हैं आप पास करवाकर 'हां' और 'ना' पक्ष में फैसला करवाते हैं। माननीय सदस्य देखते हैं कि हमारे मुख्य मन्त्री का रुख किधर है। जब बिल पास कराने के लिए उस तरफ से हां होगी तो विरोधी दल के सदस्य कितना ही चिल्लाते रहें, उनकी कोई कीमत नहीं होगी क्योंकि फैसला हाथ उठाकर होता है। इस प्रकार की अव्यवस्था के कारण ही आज देश का प्रजातन्त्र डगमगा गया। यदि आप लोग इस तरह से चलते रहे तो वह दिन दूर नहीं है कि न आप रहेंगे न आपका प्रजातंत्र रहेगा, खाली नौकरशाही रहेगी और वह तांडव नाच करेगी। जिस तरह कई देशों में सैनिक शासन हो गया उनमें जो राज करते थे उनको फांसी पर चढ़ाया गया, गोली से उड़ाया है, यह हालत आपकी होने वाली है। इसलिए यह जो बिल है इसको आप वापस लें और भविष्य में आपको एक

(श्री रामचन्द्र आर्य)

दूसरा बिल पेश करना चाहिये जो सिलेक्ट कमेटी के सुपुर्द करें। वह सुझाव दे कि इन इन मुद्दों पर पंचायतों को अधिकार मिलने चाहिए ताकि आगे जाकर पंचायत राज मजबूत हो और आज भ्रष्ट प्रशासन के जो अधिकारी हैं, आप कहते हैं कि सरपंच बेईमानी करता है लेकिन इस नौकरशाही के अन्दर करोड़ों रुपये का घोटाला है लेकिन कोई जांच नहीं। मैं जब प्रधान था तो मैंने विकास अधिकारी के खिलाफ शिकायत को कि इतनी गड़बड़िया की है सामान खरीदने में लेकिन ७ दिन के बाद रामचन्द्र आर्य को प्रथक कर दिया और ११ महीने तक वह विकास अधिकारी वहीं बैठा रहा। कोई कुछ उसका बिगाड़ नहीं सका। पंचायत समिति बरबाद हो गई, आज भी घोटाले ज्यों के त्यों हैं और एक सरपंच की गल्ती से रोकड़ में रुपया जमा नहीं हुआ, उनके खिलाफ ४०९ का मुकद्दमा बनाया जाता है और जहां सैकड़ों लाखों रुपये की गड़बड़ है, उनके खिलाफ कोई मुकद्दमा नहीं। आज हजारों की तादाद में ऑडिट के एतराजात हैं उन पर कोई कार्यवाही नहीं लेकिन सरपंच के खिलाफ शिकायत आ जाय कि फलां तरीख को रकम उठाई और तीन दिन बाद जमा कराई तो ४०९ का मुकद्दमा तो बनता ही है और उसको हथकड़ी लगाकर अदालत में पेश किया जाता है, जमानत नहीं होती इस प्रकार की आपकी प्रणाली और आचरण प्रजातन्त्र को समाप्त करने वाला है। तो सरकार विचार करे कि हम कहां जा रहे हैं। हम किस प्रकार के कानून बनाकर जनता पर थोप रहे हैं महज नौकरशाही के बलबूते, उनके बनाये कानूनों को पास करवा रहे हैं। आपने संशोधन पेश किया है सेक्रेटरी रखने का पंचायत अपने आप सेक्रेटरी रखे, यही अधिकार होना चाहिए, उनके पास फंड्स होने चाहिए। पंचायतें आपसे ज्यादा अयोग्य नहीं हैं आप ज्यादा योग्य नहीं हैं। आप इतने बड़े राज्य को सम्भाल सकते हैं तो पंचायत दो तीन गांवों को क्यों नहीं सम्भाल सकेगी ? दो तीन गांवों का काम होता है और गांव का मुख्य आदमी सरपंच होता है और अपने भले-बुरे को वे जानते हैं। आप चुने हुए लोगों को अधिकारियों द्वारा सजा दिलायें और वे अदालतों में जाय यह सही नहीं है। इस बिल को आपको पास नहीं करना चाहिए। अगर पास हो गया तो पंचायतों के लिए घातक होगा और आपने जो न्याय पंचायतें बनाई है, उनको तोड़ देना चाहिए, पंचायत समितियों को भंग करना चाहिये, उनके घोटालों की जाँच के लिए जांच कमीशन नियुक्त करना चाहिये। जिन अधिकारियों ने घोटाले किए हैं, उनको सजायें होनी चाहिए लेकिन वह होगा नहीं क्योंकि खुद आप भ्रष्टाचार के कुण्ड में सने हुए हैं। इस प्रकार का कानून पास करना प्रजातन्त्र के लायक नहीं हैं, इसलिए मैं इसका विरोध करता हूं।

श्री उपाध्यक्ष : (कुछ माननीय सदस्यों के खड़े होने पर) पारण का प्रस्ताव आएगा, तब आपको भी अवसर दिया जायेगा।

मन्त्री महोदय.

पंचायत एवं विकास मंत्री (श्री परसराम मदेरणा) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, पंचायत समिति विधियां विधेयक के ऊपर सदन

(श्री परसराम मदेरणा)

में विचार चल रहा है। १४ माननीय सदस्य अपने विचार व्यक्त कर चुके हैं। राज्य सरकार इस विधेयक के जरिये तीन बड़े एमेन्डमेन्ट करना चाहती है। एक तो पंचायत और पंचायत समितियों के टर्म को इसी सदन की अनुमति से कानून में संशोधन करके ३ साल से ५ साल की अवधि के लिये बढ़ाया गया था और कॉन्सिक्वेन्शियल एमेन्डमेन्ट किया जाना था सेक्शन १७ पंचायत एक्ट और सेक्शन ४० पंचायत एण्ड जिला परिषद् एक्ट में। पंच, सरपंच, उप-सरपंच, प्रधान उप-प्रधान और पंचायत समितियों पर आरोप लगाये गये हैं उनके खिलाफ कार्यवाही करने का प्रश्न है, अधिनियम की जो धारायें हैं, उनमें परिवर्तन हो जाना चाहिये क्योंकि स्कीम ऑफ थीम जो कुछ एक्ट की है तीन साल की अवधि रहेगी उसको पांच साल की बढ़ायी गयी तो यह भी आवश्यक हो गया कि जहां सजा देना और पनिशमेन्ट का क्लाज है उसकी अवधि भी पांच साल बढ़ानी चाहिये थी। राज्य सरकार एक तो यह एमेन्डमेन्ट लायी है।

दूसरा, अधिकांश माननीय सदस्यों को यह जानकारी होगी कि राजस्थान की ६५ पंचायत समितियों में ग्रुप सचिव की स्कीम लागू है और राज्य सरकार का विचार नहीं है कि इस योजना को आगे बढ़ाया जाय क्योंकि उसके लिये धन राशि चाहिये। जहां ग्रुप सचिव की योजना लागू कर दी गयी और कार्य कर रहे हैं उनके कर्त्तव्य क्या होंगे, उनका कानून में उल्लेख नहीं है तो इससे कई डिफिकल्टीज़ खड़ी होती हैं। कई माननीय सदस्यों ने कही कि सेक्रेटरी बस्ते बांध कर बैठ जावेंगे। लेकिन किसी अधिनियम का उल्लेख नहीं है और अपनी जिम्मेदारी वह पूरी करें उसके लिये उनको पाबन्द किया जाय उसके लिये यह एमेन्डमेन्ट ला रहे हैं। इसको बिना सोचे समझे भी लागू नहीं करना चाहती राज्य सरकार। इसलिये ऑब्जेक्ट्स एण्ड रीजन्स में कह दिया कि जो पंचायतें कन्सेन्ट देंगी तो ही लागू करेंगे वरना ऊपर से राज्य सरकार लागू नहीं करना चाहती।

तीसरा एमेन्डमेन्ट यह लाया गया है कि हाई कोर्ट का जजमेन्ट हुआ है मेघराज वर्सेज स्टेट गवर्नमेन्ट ऑफ राजस्थान और जजमेन्ट में उन्होंने उल्लेख किया है कि इस बात को कि राजस्थान पंचायत एक्ट की धारा १७ और राजस्थान पंचायत समिति और जिला परिषद् एक्ट की धारा ४४ में "ओनली" वर्ड का उपयोग किया है उसका मतलब यह है कि फाईन्डिग रिकार्ड कर दी जाय और उसकी वजह से वह डिस्क्वालिफाई हो जाता है और उस टर्म में हो जाता है तो ठीक है लेकिन वही सरपंच और प्रधान दोनों ही स्थितियों में है, दूसरे टर्म में भी इलेक्टेड है तो कोई एक्शन नहीं ले सकते। लीगल लैकुना खड़ा हुआ उसको दूर करने के लिये यह लाया गया है और दूसरा इसका कोई उपयोग नहीं है।

३ में और ५ में एक प्रोविजो जोड़ा गया है। वह इसी हाई कोर्ट के जजमेन्ट से सम्बन्ध रखता है। तीन बड़े बड़े एमेन्डमेन्ट इस बिल के जरिये राज्य सरकार लायी है और उसके पीछे राज्य सरकार की कोई ऐसी भावना नहीं है कि वह पंचायती राज की ग्रोथ को स्टीमुलेट करना चाहती है और मंडावा से आये माननीय सदस्य को इस बात

(श्री परसराम मदेरणा)

का बड़ा आतंक था कि सरपंच को पंगू बना दिया जावेगा, राज्य सरकार की कतई पंगु बनाने की मंशा नहीं है। ग्रुप सचिव की जो ड्यूटीज़ है उसको डिफाइन कर देना चाहिये ताकि वह इवेड नहीं कर सके और डिफाइन हो जावेंगी तो सेक्रेटरी रहते हुए भी काम ठीक तरह से नहीं करता है, ड्यूटीज की परफॉर्मेंस में कमी पायी जावेगी तो एक्शन लिया जा सकेगा इसलिये ड्यूटीज को डिफाइन करना जरूरी हो गया है।

पाली से आने वाले माननीय सदस्य ने विश्वास उठाना बताया। कॉमन सेन्स में कतई राज्य सरकार को शंका नहीं है। आप भी वकील हैं। रोबस्ट कोमन सेन्स का आदमी होता है गांवों में।

श्री रामचन्द्र आर्य : पंचायत में सेक्रेटरी को हटाने का अधिकार होगा। प्रशासन नाच नचायेगा।

श्री मदनसिंह (दांता रामगढ़) : थोड़ा नाचने दें।

श्री परसराम मदेरणा : रूल्स प्रेस्क्राइब किये जावेंगे और प्रावधान रखा जावेगा कि कोई भी सरपंच पंचायत के सेटिस्फेक्शन के अनुसार काम नहीं करता है तो एक्शन लिया जावेगा। पाली से आने वाले माननीय सदस्य ने एक बात कही कि सरपंच में विश्वास कम हो गया है। सरपंच की तरफ से मांग आती रही है। ऑब्जेक्ट्स एन्ड रीजन्स के सम्बन्ध में ऑब्जेक्शन उठाया तो उस समय मैंने निवेदन किया था और उसको दोहराना चाहता हूं कि सरपंच की तरफ से मांग की गयी। कई दफा देखा है कि गबन का मामला है। समय पर एन्ट्री न हुई, टाइम पर जमा नहीं कराया। सरपंच एक बात कहता है कि एकाउन्ट रखना नहीं जानता। आपने जिम्मेदारी दी है इसलिये पोस्ट होल्ड कर रहा हूं। एकाउन्ट मुख्य मंत्री हैंडल नहीं करते हैं, प्राइम मिनिस्टर हिन्दुस्तान की वह नहीं करती है, प्रेसिडेन्ट ऑफ अमेरिका नहीं करता है, ब्रिटेन का प्रधान मंत्री नहीं करता हैं। उसकी काबलियत में मैं नहीं जाना चाहता। एक बात निवेदन करना चाहता हूं कि रसीद का आग्युमेन्ट पेश किया। रसीद खुद काटता है तो जनता में विश्वास रहता है। रसीदें काटते हैं जो टैक्स की वसूल करते हैं इन्कम टैक्स है सेन्ट्रल गवर्नमेन्ट के डिप्टी रेवेन्यू कमिश्नर, रेवेन्यू बोर्ड यह काम यह लोग करते हैं या भारत की प्रधान मंत्री ? प्रश्न यह नहीं है। कॉन्फीडेन्स की बात है। सरपंच बार बार रसीदें काटता है। कॉन्फीडेन्स की बात आती है। रसीद देने से क्या सरपंच का विश्वास घट जायगा ? सरपंच दे देगा तो क्या कन्ट्रीब्यूशन अधिक आ जावेगा ? सदन के माननीय सदस्य और दूसरे भी रुचि नहीं लेते हैं इसलिये कन्ट्रीब्यूशन पब्लिक से कम आता है। उसमें दो राय नहीं है।

कोटा से आये माननीय सदस्य ने दो तीन बातें कहीं। वे यहां नहीं हैं। बीचपुरी गांव के सरपंच के मामले में यह कहा कि फाइन्डिंग रिकार्ड हो गयी है उसमें तरमीम कर दी गयी। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि जो फेक्ट्स हैं, क्वासी-ज्युडिशियल है उसके बारे में रिव्यू का प्रावधान है, मेरिट और डिमेरिट पर रिव्यू किया गया हैं उसकी तो मैं नहीं कह सकता हूं। प्रेसाइडिंग ऑफिसर की हैसियत से उसमें दखल न करें मेरा

(श्री परसराम मदेरणा)

यह निवेदन है। किसी भी मुद्दे पर आरोप है, उसकी एविडेन्स लेना, हियरिंग का मौका देना और नेचुरल जस्टिस देखना पड़ता है। जो फैसला दिया है उस पर नुक्ता चीनी करना, इसको सस्पेन्ड क्यों कर दिया इसको वार्निंग क्यों दे दी यह अलग बात है। एक प्रश्न पूछा गया था तीस रुपये एक सरपंच के पास रह गये उसके पास में ७ दिन तक ३०/-रुपये क्यों रह गये? क्यों नहीं उसने पोस्ट आफिस में जमा कराये? यह हो सकता है कि सरपंच भूल गया हो। आसपास में कोई पोस्ट ऑफिस नहीं होगा। दूर होता। मैं यह कहना चाहता हूं कि राज्य सरकार ने जो कुछ भी फैसला लिया है वह मेरिट पर लिया है। किसी के साथ पक्षपात नहीं किया गया है या किसी को बचाने के लिये फैसला नहीं लिया है। एक इसके अन्दर यह भी कहा गया कि जो अनुदान कुए के लिये दिया गया था वह सार्वजनिक कुए के लिये था और वह कुआ किसी की जमीन में खोदा गया है, सार्वजनिक जमीन पर वह कुआ नहीं खोदा गया है। दूसरी जगह पर है और वह जमीन किसी दूसरे की है। जो गांवों से आते हैं वे इस बात को जानते हैं, मैं शहर वालों के लिए नहीं कह रहा हूं। गांव में जो कुआ सेंक्शन करते हैं, पहले गांवों में तालाब रहते थे, इस बार वहां बरसात नहीं हुई है। नागौर जिले में एक गांव है वहां पर कोई कुआ नहीं है। वहां पर नया कुआ खोदने के लिये सेंक्शन की गई। वहां पर कुआ खोदा गया है। हमारे यहां का यह आदेश है कि जो राजस्थान ग्राउन्ड वाटर बोर्ड है, उसके हाइड्रोलॉजिस्ट बताते हैं इस जगह पर पानी मिलेगा, लेकिन गांवों के अन्दर भी ऐसे लोग होते हैं जो पानी कहां हैं यह बताते हैं। उनका एक अंध विश्वास होता है और उसके अनुसार वहां पर कुआ खोदा जाता है। मैं सोचता हूं कि माननीय मदनसिंह जी मेरी इस बात की ताईद करेंगे...

श्री मदनसिंह : मैं ताईद ही नहीं, मैं इसको पूरी तरह से सपोर्ट करता हूं।

श्री परसराम मदेरणा : तो मैं यह कह रहा था, उपाध्यक्ष महोदय, कि लोगों में एक विश्वास रहता है। अब गवर्नमेंट की पड़त जमीन है उसमें कुआ नहीं खोदा गया और उसको दूसरी जगह खुदवाया जहां पानी की संभावनाएं थी। वह किसी की प्राइवेट जमीन थी। उसने पंचायत समिति को लिख कर भी दे दिया कि मैं यह जमीन पंचायत को देता हूं। एक हजार रुपये कुआ खोदा गया और वह कुआ सार्वजनिक रुप से पीने के पानी के लिए हैं। इसलिए इस पर कोई क्रिमिनल केस नहीं बनता।

श्री प्रेमसिंह सिंघवी : उसने पिलाई वसूल की है।

श्री परसराम मदेरणा : उसने पंचायत समिति को लिख कर दे दिया है।

श्री उपाध्यक्ष : ऑर्डर प्लीज।

श्री परसराम मदेरणा : उपाध्यक्ष महोदय, उसने लिख कर दिया है। उसके बाद क्या एक्शन लिया जा सकता है, मैं नहीं समझ सकता।

श्री हरिवल्लभ शर्मा (सवाई माधोपुर) : यह फेक्ट गलत है। हरिजनों की बस्ती में कोई कुआ नहीं था। दो ढाणियां

(श्री हरिवल्लभ शर्मा)

बनास नदी के किनारे पर हैं। उस गांव में करीब १५ कुए हैं और वहां पर १५ हाथ पर पानी निकल जाता है। लेकिन हरिजनों की एक ढाणी ऐसी है जहां पर कि बनास नदी का बहाव कुछ ऊंचा है, और बहाव ऊंचा होने के कारण वहां पर कोई कुआ नहीं है। जो अनुदान ग्रांट किया गया था कुए के लिये, उससे एक खातेदार की जमीन पर कुआ बनवाया गया। वहां पर २० कुए और हैं और कोई कुए की आवश्यकता नहीं है, नये कुए की। उल्टे मंत्री महोदय ने उसको जमीन बख्श दी है और उस कुए से वहां पर पिलाई होती है और उसके चारों ओर खेत है और कोई दूसरे काम में वह नहीं आ सकता है। बनास नदी के किनारे पर गांव है और बनास नदी के किनारे पर जो गांव है उनमें १५।२० हाथ पर ही काफी पानी मिल जाता है। वे परिस्थितियों नहीं है जो मंत्री महोदय यहां पर बता रहे हैं और कुए के लिये अनुदान दिया है.....

श्री उपाध्यक्ष : आसन अपने पैरों पर है, माननीय सदस्य स्थान ग्रहण करें। इस पर चर्चा नहीं होगी। जो विधेयक है उसी पर चर्चा की जाये।

श्री प्रेमसिंह सिंघवी : उसको शरण मिल रही है।

श्री उपाध्यक्ष : आर्डर, प्लीज।

श्री हरिवल्लभ शर्मा : उपाध्यक्ष महोदय, मंत्री महोदय जो एक्स्प्लेनेशन दे रहे हैं वह फाइन्डिंग्स और फैक्ट्स के विपरीत है।

श्री उपाध्यक्ष : आर्डर माननीय सदस्य।

श्री परसराम मदेरणा : उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपकी व्यवस्था से सहमत हूं कि ऐसे मामलों को यहां पर कवर नहीं किया जाना चाहिये जिनका कि इस विधेयक से बिलकुल ही सम्बन्ध न हो।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं अब यह निवेदन करना चाहता हूं कि रिमूवल के सम्बन्ध में हाईकोर्ट ने कहा कि तुम नहीं कर सकते। इसलिये इस में एक डिफिकल्टी है। इसकी शिकायत होती है, जैसे बारा से आने वाले माननीय सदस्य ने कहा कि एक-दो महीने में इसका फैसला कर दो जिसके खिलाफ कम्पलेंट होती है, उसमें टाइम लगता है। कई बार शिकायतें उसके टर्म खतम होने के एक-दो दिन पहले आती है। इसकी जांच होने में प्रोसीजर लम्बा चौड़ा है। सब से पहले प्रेलिमिनेरी जांच होने के बाद में उसको शो-काज नोटिस दिया जायेगा। शो-काज नोटिस के उत्तर से गवर्नमेंट सर्टिफाइड नहीं होती है और कोई प्राइमाफेसी केस बनता है तो उसकी इन्क्वायरी कराई जायेगी। एन्क्वायरी के लिये एक एन्क्वायरी आफिसर की नियुक्ति की जायेगी। वह एन्क्वायरी आफिसर उसको एक अपारचुनिटी देगा। फिर पंच, सरपंच या उप-सरपंच के सामने वह एन्क्वायरी करेगा और उसके बाद में वह अपनी एन्क्वायरी रिपोर्ट सरकार के पास में भेजेगा। सरकार के पास में वह अपनी एन्क्वायरी रिपोर्ट आने के बाद उसको फिर नोटिस देगी और उस नोटिस का जवाब आने के बाद अगर सरकार ठीक समझे तो उसको एक हीयरिंग की अपोरचुनिटी देगी और उसको हीयरिंग का मौका

(श्री परसराम मदेरणा)

देने के बाद पंचायत समिति का प्रधान है अगर वह तो जिला परिषद की कन्सेन्ट के लिये भेजेगी और उसके बाद फिर उसको एक अपोरचुनिटी दी जायगी। इस तरह से एक लम्बा चौड़ा प्रोसीजर है। जो इलेक्टेड रिप्रिजेन्टेटिव हैं उन पर एक-दो महिने में एक्शन नहीं ले सकते हैं। इसलिये यह एक एनोमोली खड़ी हो गई। कब यह कम्पलेंट हो गई। इसको देखना चाहिये। उसके खिलाफ जबर्दस्त गबन, मोरल टरपीट्यूट के चार्जेज हैं। यह सब पहले की टर्म में थे। फिर दूबारा वह सरपंच बन गया। उसके खिलाफ कोई एक्शन नहीं लिया जा सकता। उसको रिमूवल करने की पावर नहीं है और इसलिये सरकार रिमूवल की पावर लेना चाहती है। हम समझते थे कि रिमूवल की पावर हमारे पास में है। किन्तु हाईकोर्ट में एक जजमेंट से यह डिफिकल्टी खड़ी हो गई और इसीलिये यह लाया गया है......

श्री रामनारायण चौधरी : सरपंच को हटाने के लिये क्या पंचायत समिति की राय ली जाना आप मुनासिब नहीं समझते हैं। प्रधान को हटाने के लिये आप जिला परिषद् की कन्सेन्ट लेते हैं और उसी तरह से सरपंच के लिये पंचायत के लिये पंचायत समिति की कन्सेन्ट लेना मुनासिब नहीं समझते हैं।

श्री रामचन्द्र आर्य : कोई नहीं मानता है। जिला परिषद की सर्वसम्मत राय थी, परन्तु उसको सरकार ने नहीं माना। यहां तो सरकार की चलती है।

श्री देवीदत्त गाड़िया : ये प्रधान थे और इनके बारे में सर्वसम्मत राय थी वह क्यों नहीं मानी ?

श्री नत्थीसिंह : ये मुक्त भोगी हैं और इनके अनुभव से आपको लाभ उठाना चाहिये।

श्री रामचन्द्र आर्य : सब जगह से सर्व सम्मति आ गई लेकिन उस पर कोई अमल नहीं किया गया।

श्री परसराम मदेरणा : प्रधान को रिमूव करने के लिये जिला परिषद् की कन्सेन्ट ली जाती है और सरपंच के लिये क्यों नहीं ली जाती है ? यह यहां पर अभी प्रश्न आया है। मैं इस सदन में कोई कन्सोलिडेटेड बिल, या कम्प्रेहेन्सिव बिल नहीं लाया हूं। यह सदन सिर्फ जो बिल है उसकी तीन धाराओं में अमेंडमेंट कर रहा है। इसलिये कन्सेन्ट वाली बात है, लेजिस्लेचर का इसमें जो इन्टेशन रहा है उसको मैं ठीक समझता हूं। लेजिस्लेचर का जो इन्टेशन रहा है उसका इन्टरप्रेटेशन मैं नहीं कर सकता हूं। इसलिये सरपंचों के बारे में कोई कन्सेन्ट लेने की आवश्यकता नहीं है।

श्री देवीदत्त गाड़िया : अटरू पंचायत समिति के सरपंच के संबंध में आपके आदेश हुए थे, उसका क्या हुआ ?

श्री उपाध्यक्ष : आर्डर प्लीज।

श्री परसराम मदेरणा : आप मेरी बात सुनिये। यहां पर मंडावा से आने वाले माननीय सदस्य ने एक बात कही कि ग्रुप सचिव की जो बात है, जो योजना है वह बड़ी घातक होगी। इसलिये इसको लागू

(श्री परसराम मदेरणा)

नहीं किया जाये। जैसा कि प्रारंभ में ही मैं निवेदन कर चुका हूं, यह क्यों किया गया है? इसको राजस्थान में पूरी तरह से लागू करने का अभी विचार नहीं है। तो भी थोड़े दिनों पहले इस बारे में पूछा गया था। बाड़मेर से आने वाले माननीय सदस्य इसको लागू करने के पक्ष में हैं, सांचोर से आने वाले माननीय सदस्य भी इसके पक्ष में है लेकिन मंडावा से आने वाले माननीय सदस्य ने इसको घातक बतलाया है। आज जो स्थिति है वह निवेदन कर दी है। मैं माननीय सदस्यों को यह निवेदन करना चाहता हूं कि अगस्त १९६९ में, हमने ६५ विकास अधिकारियों ६५ प्रधानों से, १६ डिस्ट्रिक्टों में जहां यह योजना लागू है, डिप्टी डी. डी. ओ. और एग्रीकल्चर डाइरेक्टर से लिख कर पूछा था और उन्होंने लिख कर जो अपने विचार भेजे हैं, उनके विचार क्या है ग्रुप सचिव योजना के बारे में— उन्होंने सब ने वह राय भेजी है कि एक पंचायत में एक सचिव लगाया जाये और यह सम्भव नहीं हो तो छोटी छोटी पंचायतों पर एक ग्रुप सचिव रखा जाये। बड़ी पंचायतों में एक सचिव रहेगा तो आप इनको ठीक तरह से चला सकेंगे। लेकिन यह योजना सफल हुई है। यह इस तरह से उनका सोचना है। इसलिये यह बिलकुल घातक नहीं होगा।

श्री रामनारायण चौधरी : मंत्री महोदय मेरा आपसे निवेदन है कि राजस्थान की एक भी ग्राम पंचायत या मेजोरिटी पंचायत इस धारा से सहमति देती है तो मैं अपने प्रस्ताव को और अपने विचारों को वापिस कर लूंगा।

श्री रामचन्द्र आर्य : आप गांव वालों के लिये क्या कहते हैं आप तो शहरों में जो बैठे है उन्हीं के हाथ में दे दीजिये।

श्री मदनसिंह : क्या आप इसको ठीक समझते हैं सरपंच ही हमेशा मरते रहें आज सरपंच सस्पेण्ड होने के बाद या चुनाव में हार जाने के बाद में दो दो तीन तीन महिने तक चार्ज तक नहीं देता। क्या इसको आप ठीक समझते हैं?

श्री रामचन्द्र आर्य : सरकार हारने के बाद भी कुर्सी नहीं छोड़ती। सन् ६७ के चुनाव में सरकार हार गई थी लेकिन जबरदस्ती उन्होंने सत्ता हथिया ली उसी के देखा देखी ये सरपंच लोग भी करते हैं।

श्री परसराम मदेरणा : मंडावा से आने वाले माननीय सदस्यों ने और अन्य माननीय सदस्यों ने यह सुझाव दिया कि इस बारे में पंचायतों की राय लेनी चाहिये इस बारे में ६५ पंचायत समितियों की राय मंगवा ली जायगी।

बाड़मेर से आने वाले माननीय सदस्य ने और इसके साथ साथ भरतपुर से आने वाले माननीय सदस्य ने और भी एक, दो माननीय सदस्यों ने चुनाव कब करायेंगे, इस बारे में जानकारी चाही। टर्म एक्सटेण्ड करने का सवाल आयेगा तो विधान सभा के सामने आयेगा। इस बारे में चुनाव मंत्री जी ने भी साफ कह दिया था कि जहां तक इनकी अवधि बढ़ाने का सवाल है वह नहीं बढ़ायी जानी चाहिये। लेकिन यदि टर्म बढ़ती है तो वह आप ही की अनुमति से बढ़ायी जायगी।

श्री मूलचन्द डागा : पंचायतों के टर्म पांच साल के ही होने चाहिये।

श्री देवीदत्त गाडिया : कई ऐसे पंच और सरपंचों की जगह खाली है लेकिन आप उनके भी चुनाव नहीं करा पाये है।

श्री परसराम मदेरणा : इतनी सूचना तो मेरे पास नहीं है कि कहां कहां पंच, सरपंच की जगहें खाली हैं। जहां तक पंचायतों के चुनाव का सवाल है वह चुनाव विभाग करता है। इस चुनाव के बारे में यहां पर काफी चर्चा हुई थी उन्होंने आपको पूरी तरह से सन्तुष्ट कर दिया था यह मामला पोलिसी डिसीजन का था। चुनाव तो करायेंगे, यह बात ठीक है टर्म खत्म होने बाद भी चुनाव नहीं करा पाये। चुनाव के बारे में किसी प्रकार का निर्णय लेने में राज्य सरकार सक्षम नहीं है। इस बारे में चुनाव विभाग सक्षम है। अभी हम दो बार तो विधान सभा में मिलेंगे ही अगर टर्म बढ़ाने का ही सवाल आयेगा तो उसके लिये राज्य सरकार सक्षम नहीं है वह तो विधान सभा के समक्ष आयेगा।

श्री देवीदत्त गाडिया : कई ग्राम पंचायतों में पंच और सरपंच की जगह खाली है उनके स्थान पर तो चुनाव करायें।

श्री परसराम मदरेणा : अब मैं आपकी बात पर ही आने वाला हूँ।

श्री देवीदत्त गाडिया : भ्रष्टाचारियों के खिलाफ भी आप एक्शन नहीं ले सकते तो आपसे और क्या आशा की जा सकती है?

श्री परसराम मदेरणा : आप तो हमेशा ही इसी तरह की बातें कहते हैं। मैं एक प्रश्न के उत्तर में निवेदन कर चुका हूं कि इस तरह के मामलों में एक दो महिने में इन्क्वायरी संभव नहीं है।

दूसरी बात यह भी कही गई कि इसमें पंचों को क्यों घसीटा गया मैं निवेदन करना चाहता हूं पंचों के लिये तो पहले से ही प्रावधान है। पंचों के खिलाफ कोई आरोप है तो उसके लिये कलेक्टर के पास उसके बारे में प्रस्ताव जा सकता है। यह पहले से प्रावधान है। उसमें स्कीम आफ थीम के अनुसार अमेण्डमेण्ट करेंगे।

माननीय सदस्य ने यह भी कहा कि हमें सरकार से इस बारे में आशा भी नहीं करनी चाहिये। आप भले ही उम्मीद न रखें हम इन्साफ के अनुसार जो ठीक समझते हैं उसी के अनुसार इन्साफ करने की कोशिश करते हैं।

श्री देवीदत्त गाडिया : यह तो आप भी मानते हैं कि इस बारे में जो निर्णय लिये जाते हैं राजनैतिक आधार उसमें ज्यादा वजन रखता है। दबाव के आधार पर निर्णय होते हैं।

श्री परसराम मदेरणा : सरकार की नियत और इरादा कानून के अन्तर्गत कार्यवाही करने का है। कोसी-जुडिशियल मेटर में किसी को सस्पेण्ड कर दिया तो हम उसकी मेरिट में जाना पसन्द नहीं करेंगे। यह भी यहां देखने की बात है कि पंचायतों के सम्बन्ध में एक्शन लिया जाता है उसकी अपील भी होती है और यहां तक अधिकार है कि अगर किसी को उसी से भी सन्तोष नहीं हो तो रिट भी कर सकता है निर्णय को लॉ कोर्ट्स में चेलेन्ज भी कर सकता है। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट में मामला ले जा सकते हैं। अपील का प्रावधान है। हाईकोर्ट का दरवाजा भी खटखटा सकते हैं।

श्री देवीदत्त गाडिया : मैंने जिस सरपंच के लिये निवेदन किया उसको राज्य सरकार ने ३-४-६७ को निलम्बित करने का आदेश भी जारी कर दिया वह निलम्बित क्यों नहीं हुआ ?

श्री परसराम मदेरणा : मुझे इसके फेक्टस याद नहीं हैं । मैं यह भी निवेदन करना चाहता हूँ कि जब से डेमोक्रेटिक डिसेन्टेलाइजेशन, पंचायत राज, की स्थापना हुई तब से लेकर ५४३२ की जांच हुई इतने मामले आये जिसमें से २७९५ की प्रामाणिकता नहीं हुई । ६७८ में विभागीय जांच के पश्चात आरोप पत्र दिये गये । ६७८ की जांच के बाद आरोप समाप्त कर दिये । ७९ सरपंचों को हटाया गया २१७ की फाइन्डिग्स रिकोर्ड की गई । २२७ को निलंबित किया गया । जिनकी फाइण्डिंग रेकार्ड हुई उनमें ४२ सस्पेण्डेड हैं । पंच और उप सरपंच के १०५९ मामले अभी तक विचाराधीन हैं इनके फेक्टस दे सकना मेरे लिये सभव नहीं है । इसी प्रकार से प्रधानों के खिलाफ भी कार्यवाही की गई है ।

श्री रामनारायण चौधरी : ७९ आदमियों को तो पहले ही चार्जशीट दी गई है ।

श्री मदनसिंह : इतने बदमाश लोग होते है क्या सरपंचों में ?

श्री कृष्ण कुमार गोयल : माननीय मंत्री महोदय यह सवाई माधोपुर की खन्डार तहसील के बारे में आपने कहा उस गरीब को दो बिस्वा जमीन दे दी और क्या चाहिये, मैं पूछना चाहता हूँ आपके एस. डी. ओ. ने जांच करके यह बताया है कि फर्जी दस्तखत थे ?

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य यह अलग से प्रश्न है । उत्तर देने की आवश्यकता नहीं । जो माननीय सदस्य अपने प्रस्तावों को वापिस लेना चाहते हैं वे ऐसा कर सकते हैं । क्या सदन की अनुमति है ?

(स्वीकृत)

प्रस्ताव वापिस लेने की अनुमति दी गई ।

श्री रामनारायण चौधरी :
श्री वृद्धि चन्द जैन :
श्री मूल चन्द डागा :
} हम अपने प्रस्ताव वापिस लेते हैं.

श्री नत्थी सिंह : केवल ये तो बोल दिये हैं इससे आगे कुछ नहीं है ।

श्री उपाध्यक्ष : श्री कल्याण मल ।

श्री कल्याण मल : मैं अपना प्रस्ताव वापिस लेता हूँ ।

श्री उपाध्यक्ष : श्री यशवन्त सिंह नाहर।

(अनुपस्थित)

प्रश्न यह है कि माननीय सदस्य कृष्ण कुमार गोयल, श्रवण लाल, श्री देवीदत्त गाड़िया श्री यशवन्तसिह नाहर ने जो प्रस्ताव प्रस्तुत किये हैं कि राजस्थान पंचायत विधियां (द्वितीय संशोधन) विधेयक, १९६९ को जनमत जानने हेतु परिचालित किया जाय ? उसे स्वीकार किया जाय ।

(स्वीकृत)

प्रस्ताव गिर गया ।

दूसरा प्रस्ताव प्रवर समिति को सुपुर्द करने के सम्बन्ध में जो माननीय सदस्य अपना प्रस्ताव वापिस लेना चाहते हैं, वे ले सकते हैं, क्या सदन की अनुमति है ?

(अस्वीकृत)

(श्री उपाध्यक्ष)

प्रस्ताव वापिस लेने की अनुमति दी गई।

श्री शंकर लाल }
श्री रघुनाथ बिश्नोई } हम अपना प्रस्ताव वापिस लेते हैं।

श्री रामकिशन : उपाध्यक्ष महोदय १० साल बाद हां पक्ष जीत रहा है, आज क्या हो गया ?

श्री उपाध्यक्ष : प्रश्न यह है कि राजस्थान पंचायत विधियां (द्वितीय संशोधन) विधेयक, १९६९ को विचारार्थ लिया जाय।

(स्वीकृत)

विधेयक को विचारार्थ लिया गया।

विधेयक पर खन्डश : विचार।

श्री प्रेम सिंह सिंघवी : उपाध्याक्ष महोदय...

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य अभी खन्डश : विचार हो रहा है।

प्रश्न यह है कि खन्ड दो स्वीकार किया जाय।

(स्वीकृत)

खन्ड २ स्वीकार किया गया।

खन्ड ३ माननीय मन्त्री महोदय।

श्री परसराम मदेरणा : उपाध्यक्ष महोदय मेरा एमेन्डमेंट इस प्रकार है :—

"In the Sub-clause (3) of clause 3, for the expression "Paradhan, Up-Pradhan Up Sarpanch" substitute "Panch, Sarpanch, or Up-Sarpanch", and for the article "a" substitute article "an".

यह प्रिन्टिंग एरर रह गई है उसको ठीक किया जाना जरूरी है इसलिये यह एमेन्डमेंट है।

श्री उपाध्यक्ष : प्रश्न यह है कि खन्ड ३ में जो संशोधन प्रस्ताव माननीय मंत्री महोदय ने प्रस्तुत किया है, स्वीकार किया जाय।

(स्वीकृत)

संशोधन प्रस्ताव स्वीकार किया गया।

प्रश्न यह है कि खण्ड ३ को संशोधन के साथ स्वीकार किया जाय।

(स्वीकृत)

खण्ड ३ संशोधित रूप में स्वीकार किया गया।

खण्ड ४। श्री पी. के. चौधरी।

श्री पी. के. चौधरी : उपाध्यक्ष महोदय मेरा जो एमेन्डमेंट है वह यह है कि स्टेटमेंट आफ आबजेक्शन एण्ड रीजन्स में कहा है— "The Government, therefore, consider it expedient to provide for appointment of Group Secretaries in such Panchayats which may give their consent to such arrangements." मेरा इतना ही निवेदन है कि राजस्थान एक्ट २१ सन् १९५३ में प्रति स्थापित की जाने वाली धारा २३ के उपखण्ड (१) के भाग (१) के अन्त में "विराम चिन्ह" ":" द्वारा प्रति स्थापित कर दिया जाय तथा उसके पश्चात् निम्नांकित परन्तुक जोड़ा जाय :

"Provided that every Panchayat in the group agrees to the appointment of a Group Secretary."

(श्री पी० के० चौधरी)

यानि जो बात स्टेटमेंट ग्राफ ग्राबजेक्ट्स एण्ड रीजन्स में रखी गई है वह स्टेच्यूटरी रूप में इनकारपोरेट होनी चाहिये। माननीय मंत्री महोदय मेरे इस एमेन्डमेंट को स्वीकार करेंगे दूसरी बात जो स्टेटमेंट ग्राफ ग्राबजेक्ट्स एण्ड रीजन्स में इवेल्युऐशन रिपोर्ट में है ग्रौर यह पाया गया है कि ग्रुप सेक्रेटरी का फंक्शन ग्रच्छा हुग्रा है। मेरी जो जानकारी है उससे मैं समझता हूँ ग्रच्छा नहीं हुग्रा है। ग्रुप सेक्रेटरीज तीन पंचायतों में रहते हैं। हर पंचायत समिति की मीटिंग में ग्राते नहीं है ग्रौर न किसी सरपंच का कन्ट्रोल होता है। ग्राज एक पंचायत समिति कल दूसरी पंचायत समिति में। किसी एक पंचायत में पूछा जाय कहां है ग्रुप सेक्रेटरी साहब तो सरपंच जी कहेंगे फलां पंचायत समिति में होंगे, यहां तो नहीं है। एक्चुग्रली में सरपंचों का कोई कन्ट्रोल नहीं रहता है। इसलिये ग्रलग ग्रलग सेक्रेटरी रहने चाहिए ग्रलग ग्रलग पंचायत के। पहले पार्ट टाइम सेक्रेटरी रहा करते थे वे ग्रच्छे थे ग्रौर वे उसमें ग्रच्छा काम करते थे। यह स्टेटमेंट ग्राफ ग्राबजेक्ट्स एण्ड रीजन्स के साथ है कन्ट्राडिक्ट्री नहीं है मैं मानता हूं माननीय मंत्री महोदय को इसमें ग्राबजेक्शन नहीं होना चाहिये।

एक माननीय सदस्य : फिर एपाइन्टमेंट?

श्री पी. के. चौधरी : With the consent of the parties,

ग्रलग ग्रलग पंचायत के ग्रुप सेक्रेटरी रहेगें ग्रौर यदि वे एग्री करेंगे तो लागू होगा। इस बात का प्रावधान है।

श्री परसराम मदेरणा : माननीय सदस्य यह मैंने कभी नहीं कहा कि इवेल्यूऐशन रिपोर्ट में जो कुछ राय दी है वह ग्रनुकूल दी है। उसमें बड़ी पंचायतों में एक सेक्रेटरी है।

श्री पी. के. चौधरी : स्टेटमेंट ग्राफ ग्राबजेक्ट्स एण्ड रीजन्स में लिखा है :—

"to provide for appointment of Group Panchayat Secretaries in such Panchayats which may give consent......"

श्री परसराम मदेरणा : बड़ी पंचायतों में सक्रेटरी रह सकता है। छोटी पंचायतों में भी ग्रुप सेक्रेटरी रहने चाहिये। वहां भी सेक्रेटरी की पोस्ट रहे। हम इस बात के हामी हैं। छोटी पंचायतों में ग्राम सेवक सेक्रेटरी का काम कर ले इस प्रकार की राय दी है। जैसा ग्राबजेक्ट्स एन्ड रीजन्स में उल्लेख कर चुका हूं हम पंचायतों से पूछकर करवायेंगे। इस एक्ट में ग्रुप सचिव की योजना है या जैसा मैं सदन में ग्राश्वासन दे चुका हूं योजना के बारे में उनकी क्या राय है मैं जाननाचाहूंगा। ग्रभी ६५ पंचायतों में ग्रुप सचिव हैं किन्तु उनकी कोई ड्यूटीज डिफाइन नहीं है। इसलिए कन्सेन्ट ले लिये जाने का प्रावधान है। सरपंचों के कन्ट्रोल में काम करेंगे, एकाऊन्ट्स को मैन्टेन करने का सवाल है इसलिए उनकी ड्यूटीज डिफाईन कर देनी चाहिये इसलिये माननीय सदस्य ने जो संशोधन प्रस्तुत किया है उसको मानने में मेरी ग्रसमर्थता है।

श्री रामचन्द्र ग्रार्य : ग्रधिकारी मंत्रियों को ही नहीं पूछते हैं तो उनको कौन पूछेगा।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय पी. के. चौधरी ग्राप ग्रपने संशोधन को वापिस ले रहे हैं ?

श्री पी. के. चौधरी : उपाध्यक्ष महोदय, मैं वापिस लूंगा लेकिन मैं कहना चाहता हूं कि मंत्री जी कहना चाहते हैं आब्जेक्ट्स एण्ड रीजन्स में जो बात कही है उससे मैंने कोई अलग बात नहीं कही। दूसरी बात यह है कि आपने आरग्यूमेंट दिया ६५ पंचायतों को लागू किया आगे नहीं लगायेंगे। हो सकता है इसको एमेंन्ड करना पड़े इसलिए प्रोवाइजो में ही एमेन्डमेन्ट कर दें। इसको रखने से आपको नुकसान नहीं होता है और जो स्टेटमेंट आफ आब्जेक्ट्स एण्ड रीजन्स में कहा कि ग्रुप सेक्रेटरी को पंचायत की राय लेकर ही लागू किया जायेगा। मैंने कहा है कि कौन कौनसी पंचायतें इस काम को करना चाहती हैं। ३ पंचायतों के ग्रुपिंग को उसमें लेना चाहते हैं या दूसरे ग्रुप में जाना चाहते हैं। उसकी राय होनी चाहिए। मैं समझता हूं कि उसको मानने में किसी प्रकार का आब्जेक्शन नहीं होना चाहिए। आप आब्जेक्ट करते हैं तो लगता है......

श्री उपाध्यक्ष : आर्डर प्लीज। फिर दुबारा चर्चा नहीं होगी।

श्री परसराम मदेरणा : उपाध्यक्ष जी, क्लाज ४ के जरिये राजस्थान पंचायत एक्ट १९५३ की धारा २३ को मैं सब्स्टीट्यूट कर रहा हूं और इसमें खास तौर से सब्स्टीट्यूट करने में क्लाज (२) में सेक्रेटरी और ग्रुप सेक्रेटरी की क्या ड्यूटीज़ होंगी इसका मैंने क्लाज (२) में वर्णन किया है। उसके नीचे यह प्रोवाइजो लगाना कि ग्रुप सेक्रेटरी के लिए कंन्सेन्ट ली जायेगी मैं समझता हूं कि जहां उसकी ड्यूटीज दी हुई हैं उसके नीचे यह क्लाज नहीं आयेगी। वह तो ड्यूटीज प्रेस्क्राइब्ड की हैं। मैं इस बात का ध्यान रखूंगा और माननीय सदस्यों को विश्वास दिलाता हूं कि बिना कन्सेन्ट के नहीं लेंगे। यह मेरी भी राय है इसलिए स्टेटमेंट आफ आब्जेक्ट्स एण्ड रीजन्स में इसका उल्लेख किया है।

श्री पी. के. चौधरी : उपाध्यक्ष जी...

श्री उपाध्यक्ष : आर्डर प्लीज। इस तरह चर्चा नहीं होगी।

श्री पी. के. चौधरी : सब-क्लाज (१)...

श्री उपाध्यक्ष : मंत्री महोदय इनसे (श्री पी. के. चौधरी) संशोधन वापिस लेने के लिए रिक्वेस्ट कर दें। माननीय सदस्य वापिस लेना चाहते हैं क्या ? मंत्री महोदय आपसे रिक्वेस्ट कर दें।

श्री परसराम मदेरणा : मैंने कह दिया है।

श्री पी० के० चौधरी : मैं संशोधन को वापस लेना चाहता हूं।

श्री उपाध्यक्ष : प्रश्न यह है कि श्री पी० के० चौधरी ने जो संशोधन प्रस्ताव रखा है उसे वापिस लेने की अनुमति प्रदान की जाये ?

(स्वीकृत)

अनुमति प्रदान की गयी।

श्री पी० के० चौधरी : मैं संशोधन को वापिस लेता हूं।

श्री उपाध्यक्ष : प्रश्न यह है कि खण्ड ४ स्वीकार किया जाये ?

(स्वीकृत)

खण्ड ४ स्वीकार किया गया।

Page No 156

खण्ड ५

प्रभारी मंत्री जी।

श्री परसराम मदेरणा : माननीय उपाध्यक्ष जी क्लाज ५ में मेरा एमेंडमेंट इस प्रकार है : "In sub-clause (1) of clause 5, for the words "Principal Act" substitute "Pannchayat Samitis and Zila Parishads Act".

यह माइनर सा एमेन्डमेन्ट है।

और इसी प्रकार है : ' In sub-clause (2) for the words 'Principal Act', substitute the expression' 'Panchayat Samitis and Zila Parishads Act', the word 'only' shall be omitted and"

श्री उपाध्यक्ष : प्रश्न यह है कि जो संशोधन खण्ड ५ में मंत्री महोदय ने प्रस्तुत किये हैं उन्हें स्वीकार किया जाये ?

(स्वीकृत)

संशोधन स्वीकार किये गये।

प्रश्न यह है कि खण्ड ५ संशोधित रूप में स्वीकार किया जाये ?

(स्वीकृत)

खण्ड ५ संशोधित रूप में स्वीकार किया गया।

प्रभारी मंत्री जी।

श्री परसराम मदेरणा : माननीय उपाध्यक्ष जी, क्लाज १ में मेरा संशोधन इस प्रकार है : "In clause 1, omit the word "Second" before the word "Amendment" in the brackets, and for the figures "1969" substitute the figures "1970".

सीजन का मतलब ६६ में इस बिल को रखा गया...

श्री नत्थी सिंह : उपाध्यक्ष जी, आपका बिल आया और एमेन्डमेन्ट पर एमेन्डमेन्ट प्रस्तुत करते जा रहे हैं प्रत्येक क्लाज में यह कहां तक उचित है ? वह भी सक्युलेट नहीं किये गये हैं और उनको आराम से पास करा रहे हैं। यह गलत है। इस तरह से क्या कानून बनाना है ?

श्री परसराम मदेरणा : मैं जानकारी देता हूं। क्लाज १ में यह है : "This Act may be called the Rajasthan Panchayat Laws (Second Amendmant)"
मेरा मतलब यह है कि सैकिण्ड को उड़ा दिया जाय। फर्स्ट होता नहीं है सेकिण्ड के लिए होता है। '६६' की जगह '७०' किया जाये। उसमें कोई खास बात नहीं है।

श्री रामकिशन : उपाध्यक्ष महोदय, ६६ में ही फर्क है। ६६ में पंचायती राज की अलग स्थिति थी। ७० में सारी शक्तियां वापिस ले लीं। तो इसमें तो बहुत फर्क पड़ जाता है।

श्री उपाध्यक्ष : प्रश्न यह है कि खण्ड १ में जो मंत्री महोदय ने संशोधन प्रस्तुत किया है उसे स्वीकार किया जाये ?

(स्वीकृत)

संशोधन प्रस्ताव स्वीकार किया गया।

प्रश्न यह है कि संशोधित रूप में खण्ड १ स्वीकार किया जाये ?

(स्वीकृत)

खण्ड १ संशोधित रूप में स्वीकार किया गया।

प्रस्तावना आदि

श्री परसराम मदेरणा : उपाध्यक्ष जी, मेरा एमेन्डमेन्ट इस प्रकार हैं...

श्री रामचन्द्र आर्य : यह संशोधन और जोड़ दो कि चुनाव नहीं कराये जाये।

श्री परसराम मदेरणा : माननीय उपाध्यक्ष, प्रिएम्बल में मेरा संशोधन इस प्रकार है—"In the preamble, for the words "Twentieth Year" substitute "Twenty First Year"

ट्वेन्टीयथ ईअर लास्ट ईअर था और इस साल २१ वां साल हो गया।

श्री उपाध्यक्ष : प्रश्न यह है कि प्रस्तावना में जो संशोधन मंत्री महोदय ने प्रस्तुत किया है उसको स्वीकार किया जाय।

(स्वीकृत)

संशोधन स्वीकार किया गया।

प्रश्न यह है कि नाम, प्रस्तावना आदि संशोधित रूप में स्वीकार किये जायं।

(स्वीकृत)

नाम, प्रस्तावना आदि स्वीकार किये गये।

श्री परसराम मदेरणा : माननीय उपाध्यक्ष, मैं प्रस्ताव करता हूँ कि राजस्थान पंचायत विधियां (द्वितीय संशोधन) विधेयक, १९७० को पारित किया जाय।

श्री उपाध्यक्ष : प्रश्न यह है कि राजस्थान पंचायत विधियां (द्वितीय संशोधन) विधेयक, १९७० को पारित किया जाय।

(स्वीकृत)

विधेयक पारित किया गया।

(६ म० प०)

सदन की अनुमति से सदन का समय आधा घन्टा बढ़ाया जाता है। आधा घन्टे की चर्चा, श्री रामसिंह कुड़ी।

आधा घंटे की चर्चा

श्री रामसिंह कुड़ी (जायल): उपाध्यक्ष महोदय, मैं नियमों के अन्तर्गत मेरे प्रश्न संख्या २०४ के सम्बन्ध में चर्चा उठाना चाहता हूं। सहकारी मन्त्रीजी ने तारीख...

श्री नत्थीसिंह : कोई सही।

श्री रामसिंह कुड़ी : ता० २०-३-७० को उत्तर दिया था उसमें उन्होंने जो बातें बताई हैं उन बातों से जिन मुद्दों पर भ्रम उत्पन्न हुआ है, उस सम्बन्ध में जानकारी करना चाहता हूँ, और आशा करता हूं कि जो मुद्दे इस सम्बन्ध हैं वे बड़े महत्वपूर्ण हैं।

मैं निवेदन करूंगा कि लाडनूं सहकारी कोआपरेटिव बैंक के संचालक ने मिलकर एक गलत तरह से अनियमित तौर पर २४,००० रुपया एक व्यक्ति को दे दिया...

श्री देवीदत्त गाड़िया : मंत्रीजी सुनते हैं?

(श्री अमृतलाल यादव द्वारा सिर हिलाकर स्वीकृति दी)

श्री रामसिंह कुड़ी : ऐसा रुपया कब दिया इसकी तिथि की जानकारी नहीं दी गई और उन रुपयों की वसूली का क्या वायदा किया था देने वाले ने और लेने वाले के बीच में, और उससे क्या वसूली हुई इसके सम्बन्ध में कोई जानकारी नहीं दी।

(श्री रामसिंह कुड़ी)

राज्य सरकार ने जो उत्तर दिया है उस उत्तर में यह कहा था कि इस रकम की वसूली का कोई आदेश नहीं दिया गया। वह भी गलत था। इसलिए मैं राज्य सरकार से इस सम्बन्ध में पूछना चाहूँगा कि क्या वसूली के आदेश राज्य सरकार ने दिये थे? क्या राज्य सरकार यह मानती है कि यह जो रकम दी थी वह अनियमित तौर से दी गई थी? इस प्रकार से वह वायड ट्रान्जेक्शन था तो उस वायड ट्रान्जेक्शन की रिकवरी के आदेश दिये या नहीं? वह रकम सहकारी बैंक की थी इसलिए इस प्रकार से वह पब्लिक मानी थी, जन-धन था, इसलिये उसको वसूल करने का अधिकार है, और आप बतायें कि उसकी वसूली के आदेश दिये या नहीं? वसूली नहीं करने के आदेश का कथन जो मन्त्री महोदय ने दिया वह सही नहीं था। इसलिए भी यह विचार उठाना पड़ा।

मैं यह भी बताऊं, उपाध्यक्ष महोदय, कि जो धन दिया गया वह अनियमित तौर से तो दिया गया ही है, परन्तु उसका उपयोग भी सही तौर से नहीं हुआ है। जिस भूमि पर यह भवन बनाया है वह भूमि सरकार की भूमि है, और उस पर आज भी जिसका भवन कहा जाता है उस व्यक्ति के अधिकार में वह नहीं है। वह इसलिए कि जिस भूमि पर भवन बना है उस पर सिवाय राज्य सरकार के और किसी व्यक्ति का हक नहीं है। इसलिए उसका सही उपयोग नहीं हुआ है। इस धन की तुरन्त वसूली की जाना आवश्यक है।

मन्त्री महोदय ने यह भी जवाब में कहा था कि जिस व्यक्ति को यह रकम दी गई है वह व्यक्ति बैंक का कर्मचारी नहीं है। यह भी गलत जानकारी थी?

मैं इसके साथ साथ यह भी बता दूं कि वहां पर जो यह रकम दी गई है वह बयनामा ट्रान्जेक्शन है। जो वहां के अध्यक्ष हैं चैनाराम उनके निजी नौकर को दिया गया है। यह व्यक्ति रामचन्द्र हैं जो पहले श्री चैनाराम का निजी नौकर था और उसका ड्राइवर था और आज भी सहकारी बैंक से तनख्वाह पाता है, और चैनाराम के कुए की मशीन चलाता है।

यह कार्यवाही अध्यक्ष ने अपने स्वयं के लाभ के लिए की है और उस व्यक्ति की हालत बताऊं, उपाध्यक्ष महोदय, कि मैं श्री रामचन्द्र के घर पर गया हूँ और उसके घर को मैंने देखा है। उसके घर पर बाढ़ है और ५० रुपये का छप्पर है। इसके अलावा उसके घर में कोई सम्पत्ति नहीं है। ऐसे व्यक्ति को इन्होंने २४,००० रु० दे दिये।

यह भी जानकारी मैं दूं, उपाध्यक्ष महो० कि बलिया नमक उत्पादक सहकारी समिति के नाम से एक समिति बनी हुई थी जिसमें २-४ व्यक्ति सदस्य थे जिन्होंने ६२ में ही अपनी सारी हिस्सा राशि उठा ली और उसके बाद वह पड़ी रही। उसका सारा ऑडिट रिपोर्ट में उल्लेख है। इसका सारा कार्य क्षेत्र बलिया ग्राम है फिर भी ६-१२-६८ को एक ऑडिट रिपोर्ट में यह बताया है कि १६-६-६७ से पुराने सदस्य चले गये और उनकी सदस्यता चली गई इसलिए ११ सदस्य नये बनाये और नई हिस्सा-राशि जमा करके इस समिति को चालू कर दिया। उसी हिस्सा-राशि में से बलिया सहकारी समिति के अध्यक्ष श्री चैनारामजी

(श्री रामसिंह कुड़ी)

ने रामचन्द्र को उधार दे दिया। वह रकम भी आज तक वसूल नहीं हो पाई है। बलिया नमक उत्पादक सहकारी समिति ने वह रकम वसूल नहीं की। वह बलिया नमक उत्पादक सहकारी समिति के कार्य-क्षेत्र का रहने वाला नहीं है फिर भी इसका रामचन्द्र को चैनाराम ने सदस्य बनाकर फर्जी रेकार्ड बनाकर, फर्जी रेकार्ड इसलिए कहता हूँ कि इस बलिया सहकारी समिति का आॅडिट १३-५-६८ को हुआ था तो वह पुराने सदस्य थे और दूसरा जो आॅडिट बताया गया है वह ९-१२-६८ को हुआ है और वह कहते हैं कि श्री चैनाराम और उसके साथी ११ सदस्य १६-९-६७ को सदस्य बन गये थे जब कि १३-५-६८ की आॅडिट रिपोर्ट कहती है कि चैनाराम और श्री रामचन्द्र १६-९-६७ को सदस्य नहीं थे। दूसरा आॅडिटर किस प्रकार से कहता है कि यह बात है।

तो मैं कहता हूँ कि श्री चैनाराम ने सहकारी संस्थानों में घोटाला करने के लिए सहकारी बैंक के धन का दुरुपयोग करने के लिए ४ ट्रेक्टर खरीद लिये और फर्जी सोसाइटी से कर्जा उठा लिया है, और यह जो २४ हजार का लोन है वह स्वयं के फायदे के लिए रामचन्द्र अपने निजी नौकर के नाम से लिया है। उसको वसूल नहीं किया और वसूली के आदेश नहीं देने का कथन देकर सरकार ने एक जटिलता पैदा कर दी है। उसके लिए यह विचार उठाना पड़ा है।

मै निवेदन करूंगा कि सरकार ने इन्हीं व्यक्तियों के खिलाफ केस पुलिस को देने का निर्णय किया है। संयुक्त रजिस्ट्रार ने इस रकम को वसूल करने का आदेश दिया और पुलिस को देने का आदेश था उसको एस० पी० से मिल कर वहां से हटा लिया गया। यह जो सारी बातें हैं मैं आप से निवेदन करूं कि इस व्यक्ति को कर्जा जब दिया गया था, तब श्री रामचन्द्र ने जो जमीन बताई, कहा कि मैंने मंगूराम से खरीदी है। विभाग के अधिकारी ने जब जांच की तो तहसील ने यह बताया कि रजिस्ट्री मंगूराम के नाम बेचान की है, उनका गिरदावरी में कोई नाम नहीं है। अगर कब्जा किया गया है तो वह गलत है। इसके बारे में पुलिस में कि केस दिया गया। उपाध्यक्ष महोदय, कर्जा पहले लिया रजिस्ट्री बाद में हुई। इसको तुरन्त वसूल किया जाना चाहिए। यह फोर्जरी की है। यह नियम में प्रावधान है। इसमें यह स्पष्ट है कि क्रिमनल केस अलग लेंगे। राजस्थान हाईकोर्ट में ऐसा प्रावधान रखा गया है। क्रिमिनल केस भी चलेगा दफा ६४ का मगर वसूली का भी साथ साथ चलेगा। यह लोगों को बढ़ावा देने का नाजायज कार्य किया है। इसीलिए मैंने यह आवाज उठाई है। राजस्थान सरकार यदि सदुपयोग या दुरुपयोग नहीं देखती है तो यह अवैधानिक है। यह रकम अवैधानिक तौर से दी गई है। वह तुरन्त वसूल की जाए, और यह केस पुलिस में दिया जाए। तथा श्री चैनाराम और संचालक मण्डल के अन्य सदस्यों को अयोग्य घोषित करने की कार्यवाही दफा ७४ में की जाये। इसलिए मैं राज्य सरकार से चाहूंगा कि श्रीरामचन्द्र जिसकी आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है। उससे वसूल नहीं कर सकते हैं। मैं निवेदन करूं कि जो संचालक मण्डल ने किया था वह आज तक रामचन्द्र से साढ़े ९ हजार रुपया वसूल नहीं हुआ है।

Page No 160

(श्री रामसिंह कुडी)

और भी आप को बताऊं यदि सरकार ने तत्परता नहीं दिखाई और अगर मन्त्रिमण्डल यह चाहता है कि नागौर सहकारी बैंक बरबाद न हो जाए तो वह चाहे रामचन्द्र से वसूल करे, चाहे संचालक मण्डल से वसूल करे। दफा ७४ की एन्क्वायरी चालू रखी जाये वह सरचार्ज है और पिछले लॉसेज हैं उनकी वसूली के लिए है। मूल रकम के लिए नहीं है। मूल रकम वसूल की जाय। आपने माना है कि फर्जी दस्तावेज तैयार किये हैं। चेनाराम, रामचन्द्र, मंगूराम आदि ने ये सारे के सारे घोटाले किये हैं।

(६–१०–म. प.)

(श्रीरामनारायण चौधरी सभापति, पदासीन)

इन लोगों पर क्रिमिनल केस लगाये जायें। सदन से निवेदन है कि सहकारी मन्त्री से इस बात का आश्वासन दिलायें।

श्री सभापति : श्री मन्त्री महोदय।

श्री अमृतलाल यादव : सभापति महोदय ...

श्री नत्थीसिंह : सभापति महोदय, आधे घण्टे की चर्चा उठाई गई, जो उनके मुद्दे उठाये गये। आप (मन्त्री जी) उनका लिखित उत्तर कैसे पढ़ रहे हैं ? इसका मतलब है, आपने सुना नहीं हैं। आप को जानकारी नहीं है।

श्री अमृतलाल यादव : जो मुद्दे उठाये गये हैं, उनका उत्तर इसमें मिल जाएगा।

श्री सभापति : पढ़ नहीं रहे हैं, मदद ले रहे हैं।

श्री अमृतलाल यादव : नहीं पढ़ नहीं रहा हूँ।

श्री नत्थीसिंह : आप पढ़ रहे हैं।

श्री मनोहरसिंह मेहता : बिना पढ़े ही बोलें।

श्री अमृतलाल यादव : माननीय सभापति जी...

श्री हरजीराम बुरड़क : सभापति महोदय, मेरा भी एक प्रश्न है। उत्तर दिला दिया जाए। मुझे भी प्रश्न पूछना है। नियमानुसार लिख कर दिया है।

एक माननीय सदस्य : साथ ही आ जाएगा।

श्री हरजीराम बुरड़क : पहले राज्य सरकार ने विधान सभा में यह आश्वासन दिया था कि इस केस को पुलिस में सौंपने का विचार कर रहे हैं। मेरा यह कहना है कि यदि ऐसा निर्णय लिया था तो कब लिया गया ? क्या यह भी सही है कि जब एस० पी० को यह केस भेजा गया तो उसने यह कह कर वापिस लौटा दिया कि चेनाराम के खिलाफ केस नहीं बनता है। उसके बाद में कार्यवाही हुई। जब यह डिपार्टमेंट में वापिस आया तो क्या कार्यवाही हुई ? आप के विभाग के अधिकारियों द्वारा तीनों चारों तरफ से एनक्वायरी हुई। सभी तरफ से यह आया है कि यह जमीन मंगूराम या रामचन्द्र की नहीं है। क्या यह भी सही है कि एस० डी० ओ० बीकानेर से जांच करवाई ? यदि जांच करवाई है तो क्या कार्यवाही हुई ? इसका भी उत्तर दे दें।

एक माननीय सदस्य : जो नहीं पूछा है उसका भी उत्तर दे दें।

Page No 161

श्री अमृतलाल यादव : दी नागौर सेण्ट्रल को-आपरेटिव बैंक लि०, नागौर द्वारा खोली गई ब्रांच डीडवाना के भवन के सम्बन्ध में दिनांक १७-९-६८ को शिकायत प्राप्त हुई। इस सम्बन्ध में दिनांक ३-५-६८ को बैंक ने प्रस्ताव पारित कर डीडवाना का शाखा हेतु भवन प्राप्त करने का निम्न प्रकार निर्णय लिया गया।

"इस सम्बन्ध में श्री रामचन्द्र पुत्र श्री बाजाराम जाट साकिन मोलासर के पत्र दि० २७-५-६८ पर विचार कर सर्व सम्मति से निर्णय किया जाता है कि प्रार्थी को कहा जावे कि किसी ओवरसीयर से मकान का पूरा एस्टीमेंट बनवाकर पेश करे। उसका आधा रुपया ५०% रकम बैंक रेट से डेढ़ प्र० श० ऊपर या ७% जो भी अधिक हो उस पर भी अग्रिम राशि का भुगतान कर दिया जावे।

भुगतान से पहले मोर्टगेज डीड जिसका फाइनल मसविदा अध्यक्ष महोदय एप्रूव्ड करेंगे, रजिस्ट्री करवा ली जाय। यह रकम २५,००० रु० से अधिक यदि एस्टीमेट बैठे तो भी न दी जावे। मकान का किराया ३०० रु० अधिक है और प्रार्थी को अग्रिम राशि की भी सुविधा दी जा रही है। अतः सिर्फ २०० रु० माहवार ही किराया दिया जावे। रकम का ब्याज प्रतिमाह किराये में से काटा जाये एवं पूर्ण रकम १० सालाना किश्तों में वसूल की जावे।"

प्रस्ताव के ऊपर श्री रामचन्द्र को बैंक द्वारा २४,००० रु० का ऋण दि० ११-६-६८ को दिया गया। भवन का रहन नामा आदि निस्पादन १२-६-६८ को हुआ। यह २४,००० रु० का ऋण श्री रामचन्द्र से रकम किराये पेटे अग्रिम दी गई राशि से १० साल में साधारण किश्तों में वसूल किया जाना है। रकम का ब्याज प्रति माह किराये में से काटे जाने का उल्लेख है।

जो भवन बैंक ने श्री रामचन्द्र पुत्र श्री बाजाराम से २४,००० रु० का ऋण देकर मोर्टगेज किया है उस जमीन को श्री रामचन्द्र ने श्री मंगूराम से ६० रु० में खरीदना बताया जाता है। यह भवन खसरा नम्बर ८८५ पर डीडवाना में स्थित है। जिस भूमि पर यह भवन बना है वह भूमि मार्केटिंग सोसायटी डीडवाना की है जिसे राज्य सरकार ने मार्केटिंग सोसायटी डीडवाना को लीज पर दी है। इस भूमि पर रेवेन्यू विभाग की रिपोर्ट के अनुसार जो कि उप-रजिस्ट्रार, सहकारी समितियां, बीकानेर व सहायक रजिस्ट्रार, सहकारी समितियां, नागौर से विभाग को प्राप्त हुई है, के आधार पर इस भूमि पर श्री मांगूराम का या श्री रामचन्द्र का कभी भी स्वामित्व नहीं रहा। सुन लें ! ऐसा लगता है कि भूमि पर गैर कानूनी तरीके से कब्जा कर भवन बनाया गया है और भवन को बैंक के पास मोर्टगेज कर बैंक से ऋण लेकर धोखा दिया गया है। सहायक रजिस्ट्रार सहकारी समितियां, नागौर व उप रजिस्ट्रार, सहकारी समितियां, बीकानेर की जांच रिपोर्ट के आधार पर पाया गया कि इस जमीन पर उपरोक्त दोनों व्यक्तियों का स्वामित्व नहीं था और श्री रामचन्द्र ने बैंक को इस प्रकार भवन रहन रख करके धोखा दिया है। इसके वास्ते शिकायतों के आधार पर राज्य सरकार को दिनांक ८-८-६९ को लिखा गया है

(श्री अमृतलाल यादव)

कि इस मामले की विस्तृत जांच पुलिस से कराई जावे । पुलिस में एफ०आई० आर० दर्ज कराने पर पता लगा कि मामला पुलिस द्वारा कार्यवाही योग्य नहीं है।

उक्त शिकायतों पर इस कार्यालय से दिनांक ३-१०-६८ को आदेश पारित कर उप-रजिस्ट्रार, सहकारी समितियां, बीकानेर को इस मामले में राजस्थान सहकारी समितियां अधिनियम, १९६५ की धारा ७० के अन्तर्गत जांच अधिकारी नियुक्त किया गया । जांच अधिकारी द्वारा रिपोर्ट २९-१०-६८ को प्रस्तुत की गई । जांच रिपोर्ट की प्रतियां आपको दी गई हैं। जांच प्रतिवेदन के आधार पर निम्न अनियमिततायें पाई गई :

१. डीडवाना ब्रांच के लिये बैंक द्वारा २४,००० रु० का ऋण गलत तरीके से भवन रहन रख दिया जाना।

२. जमीन जिस पर भवन बना हुआ है उस पर स्वामित्व विवादग्रस्त होना।

.३ बिना टेण्डर आमंत्रित किये ब्रांच डीडवाना के लिये सामान क्रय करना।

४. अध्यक्ष द्वारा अग्रिम राशि बैंक से प्राप्त करना।

उपरोक्त अनियमितताओं में से क्रम संख्या १ व २ के लिये निम्न व्यक्ति दोषी पाये गये :

१. श्री चैनाराम, अध्यक्ष, नागौर सेन्ट्रल को आपरेटिव बैंक लि०
२. श्री रामकरण, उपाध्यक्ष ,, ,,
३. श्री हरदीनराम, सदस्य ,, ,,
४. श्री रामदेव चौधरी, सदस्य ,, ,,
५. श्री उदा राम, सदस्य ,, ,,
६. श्री मन्शा शंकर, ट्रेजरी आफिसर, मनोनीत सदस्य, बेंक
७. श्री एस. पी. भण्डारी, कार्यवाहक सहायक रजिस्ट्रार, सदस्य, नागौर सेन्ट्रल कोपरेटिव बेंक लि०
८. श्री जीवन चन्द्र जैन, मैनेजर ,,

श्री मनोहर सिंह मेहता : एस. पी. भंडारी—क्या कहा ?

श्री नत्थी सिंह : सहायक रजिस्ट्रार हैं ? उधर क्या देख रहे हैं।

श्री अमृतलाल यादव : इस जांच पर इस कार्यालय से उप-रजिस्ट्रार, सहकारी समितियां, बीकानेर को राजस्थान सहकारी समितियां अधिनियन, १९६५ की धारा ७४ (१) के अन्तर्गत बेंक के व्यवस्थापक एवं संचालक मंडल के अन्य सात सदस्यों के आचरण की जांच अधिकारी दिनांक २४-३-६९ को नियुक्त किया गया। आचरण की जांच रिपोर्ट २० दिवस में मांगी गई थी। सचालक मंडल के सदस्यों ने कई बार उप-रजिस्ट्रार के लिखने पर भी अपने बयान नहीं दिये। अत: आचरण की जांच प्रेषित करने की वृद्धि दिनांक १०-८-६९ तक बढ़ाई गई। आचरण की जांच प्रतिवेदन की रिपोर्ट उप-रजिस्ट्रार से दिनांक ७-८-६९ को प्राप्त हुई है। उक्त रिपोर्ट के आधार पर सहकारी नियमों के अन्तर्गत नियमानुसार दोषी व्यक्तियों के विरुद्ध नियम संख्या ७४ (२) के तहत दिनांक १९-८-६९ को नोटिस जारी कर दिये हैं।

(श्री अमृतलाल यादव)

परन्तु श्री चैनाराम को जारी किये गये नोटिस की तामील बेंक के मार्फत न होने के कारण सुपरिटेंडेंट आफ पुलिस, नागौर के मार्फत दिनांक २२-१२-६६ को भेजी गई जो कि श्री चैनाराम ने दिनांक १०-१-७० के तामील हुए नोटिस का उत्तर दिनांक ६-२-७० को कार्यालय में प्राप्त हुआ। राजस्थान सहकारी संस्था नियम, १९६६ के नियम संख्या ७४ के तहत उक्त उत्तर प्राप्त होने के पश्चात् आरोपपत्र दिया जाना आवश्यक है। अतएव अध्यक्ष, श्रीचैनाराम व सम्बन्धित संचालकों को आरोप पत्र क्रमांक फा. १५ (७) सविरा। बेंक २।६७ पार्ट २ दिनांक ८-४-७० को जारी किया जा चुका है। उपरोक्त नियम के अन्तर्गत निर्धारित कार्यवाही पूर्ण होने से ही दोषी व्यक्तियों के विरुद्ध उक्त राशि बतौर सरचार्ज वसूल करने के आदेश जारी किये जा सकेंगे।

श्री रामानन्द अग्रवाल : अभी भी वह चेअरमैन बना हुआ है?

श्री हरजीराम बुरड़क : पुलिस केस के बारे में क्या बताया?

श्री मूलचन्द डागा : मना कर दिया।

श्री रामकिशन : यह देखा गया कि मामले...

श्री अमृतलाल यादव : व्यवस्थित तरीके से जितने माननीय सदस्यों के प्रश्न थे उनके लिए पूरी जानकारी मैंने दी है और जैसा आपने कहा था कि पुलिस में कुछ नहीं किया तो वह भी सूचना मैंने दी है वह आपके सामने है।

श्री नत्थीसिंह : पुलिस ने असमर्थता प्रकट कर दी है तो विभाग इससे संतुष्ट है? पुलिस ने असमर्थता प्रकट कर दी है तो विभाग का उस पर क्या विचार है?

श्री अमृतलाल यादव : माननीय सदस्य जानते हैं, यह होने के बाद अगर विभाग संतुष्ट होता तो वह सारी कार्यवाही क्यों करता। विभाग ने यह सारी कार्यवाही की है।

श्री नत्थीसिंह : पुलिस केस नहीं बना...

श्री अमृतलाल यादव : हम उसके सम्बन्ध में कार्यवाही कर रहे हैं।

श्री मनोहरसिंह मेहता : अब भी चेयरमैन है?

श्री अमृतलाल यादव : वह तब तक रहेगा जब तक दोष सिद्ध नहीं हो।

श्री गोकुलचन्द जाटव (खैरथल) : उपाध्यक्ष महोदय, राज्य सरकार के तमाम आफिसों में आधे दिन की छुट्टी की है। लेकिन हम यहां ग्यारह बजे से बैठे हैं। हमारे लिए क्या अब भी छुट्टी नहीं है।

श्री रामानन्द अग्रवाल : गोकुलचन्दजी बूढ़े तो हो गये, अब भी गणगोर मनायेंगे।

श्री मनोहरसिंह मेहता : राज्य सरकार विचार रखती है या नहीं कि पुलिस में केस वापिस भेजा जाय। और राज्य सरकार चौबीस हजार की वसूली के लिए शीघ्रातिशीघ्र आदेश देगी?

एक माननीय सदस्य : स्वीकार है।

श्री अमृतलाल यादव : मैंने निवेदन कर दिया, जो एक्ट में प्रोविजन है उसके अनुसार हम किसी को माफ नहीं करेंगे और सख्ती से कार्यवाही करेंगे। इस प्रश्न का उत्तर मैंने जवाब में दे दिया है। मैं फिर माननीय सदस्यों को एश्योर करना चाहता हूँ कि इसके अन्दर कोई कसर नहीं रखेंगे और जल्दी ही कार्यवाही करेंगे।

श्री रामानन्द अग्रवाल : सदन के आरोप हैं उनको सरकार ने स्वीकार किया है। तो इनको रिमूव करने का कदम क्यों नहीं उठाया ? ऐसे आदमी को जिसके खिलाफ गबन प्रूव्ड है। उसको रिमूव क्यों नहीं किया गया चेअरमैनशिप से ?

श्री अमृतलाल यादव : उसके लिए हम नौटिस देंगे, उसका वह जवाब देंगे, उस पर निर्णय किया जाय ऐसे ही कैसे कर सकते हैं।

श्री रामसिंह कुड़ी . रामचन्द्र नौकर है बैंक में ?

श्री रामानन्द अग्रवाल : सस्पेन्ड तो कर सकते हैं।

श्री अमृतलाल यादव : पहले ड्राईवर था, बाद में चपरासी है।

श्री रामकिशन : नौकर तो है ही।

श्री अमृतलाल यादव : बैंक की नौकरी में है।

श्री मनोहर सिंह मेहता : मैं तो यह निवेदन करना चाहता हूँ कि सहकारिता को बचाना चाहते हैं तो तुरन्त सख्त से सख्त कार्यवाही कीजिये, नहीं तो सहकारी समितियाँ...

श्री उपाध्यक्ष : चर्चा...

श्री अमृतलाल यादव : मैं आश्वासन देता हूँ कि सख्त कार्यवाही करेंगे।

श्री हरजीराम बुडरक : इसमें जो कर्मचारी थे, जो संचालक मंडल में सरकारी प्रतिनिधि थे वह भी शामिल थे, उन के खिलाफ क्या कार्यवाही कर रहे हैं ? ऐसी हालत इस बैंक में कायम नहीं रहने दी जाय। जब छोटी छोटी बातों के लिए कर रहे हैं तो इसमे क्यों नहीं की जाय...

श्री उपाध्यक्ष : चर्चा...

श्री नत्थी सिंह : मन्त्री जी ने कहा वह हम समझ रहे हैं, माननीय सदस्य कह रहे हैं वह समझ रहे हैं मन्त्री जी।

श्री अमृतलाल यादव : आई हैव स्टेटेड ऑल दि डिटेल्स।

श्री नत्थीसिंह : मन्त्रीजी मजबूर हैं, उन्होंने प्रावधानों का उल्लेख किया है, लेकिन साल तक नोटिस सर्व नहीं हुआ। मन्त्री जी आपको मालूम है, राजस्थान सहकारी नियम के अन्तर्गत व्यवस्था है उसके अनुसार नोटिस पर आसानी से अमल हो सकता है। ऐसी व्यवस्था है तो कोई और कारण तो ऐसा नहीं है जिसके कारण देरी लग रही है और जिसकी वजह से देरी होती हो। मुझे ऐसा मालूम होता है कि है नहीं, लेकिन मुझे डर लगता है।

श्री अमृतलाल यादव : ऐसा कोई कारण नहीं है।

श्री उपाध्यक्ष : ऑर्डर प्लीज। चर्चा समाप्त हुई। सदन की कार्यवाही कल प्रातः ११ बजे तक के लिए स्थगित की जाती है।

(तदनन्तर सदन की कार्यवाही सायंकाल ६ बज कर २९ मिनिट पर शुक्रवार दिनांक १०-३-७० के प्रातः ११ बजे तक के लिए स्थगित हुई।)

परिशिष्ट १

(अतारांकित प्रश्न संख्या ६३५ की सूची)

सूची-विभाग के उन अधिकारियों की जिनकी प्रतिनियुक्तियां
उनके अपने जिले में है

क्र० सं०	अधिकारी का नाम	प्रतिनियुक्ति का पद व स्थान
१.	श्री श्यामसुन्दर गुप्ता	सहायक रजिस्ट्रार, प्रतिनियुक्ति पर अतिरिक्त अधिशाषी अधिकारी, सेन्ट्रल कोआपरेटिव बैंक लि०, कोटा। १५-४-६९ से।
२.	श्री चांदमल पोरवाल,	सहायक रजिस्ट्रार, प्रतिनियुक्ति पर-व्यवस्थापक, क्रय विक्रय सहकारी संघ लि०, चित्तौड़गढ (निरीक्षक आडिट के समय से ही प्रतिनियुक्ति पर हैं) १०-९-६९ से।
३.	श्री कृष्णचन्द्र गौत्तम,	सहायक रजिस्ट्रार, प्रतिनियुक्ति पर-अधिशासी अधिकारी, कोटा सेन्ट्रल कोआपरेटिव बैंक लि०, कोटा। २८-९-६५ से।
४.	श्री अमोलकचन्द जैन,	सहायक रजिस्ट्रार, प्रतिनियुक्ति पर-प्रख्याता, ग्राम सेवक प्रशिक्षण केन्द्र, छत्रपुरा, कोटा। ४-२-७० से।
५.	श्री रामेश्वर प्रसाद विजयवर्गीय	सहायक रजिस्ट्रार-प्रतिनियुक्ति पर-प्रख्याता, सहकारी प्रशिक्षण महाविद्यालय, कोटा। ११-४-६७ से।
६.	श्री गणेशमल मेहता,	सहायक रजिस्ट्रार, प्रतिनियुक्ति पर-प्रख्याता, ग्राम सेवक प्रशिक्षण केन्द्र, मण्डोर (जोधपुर)। ४-९-६५।
७.	श्री अजीतकुमार सिकन्दर,	सहायक रजिस्ट्रार, प्रतिनियुक्ति पर-अधिशासी अधिकारी, अजमेर सेन्ट्रल कोआपरेटिव बैंक लि०, अजमेर। २४-४-६७।

क्र. सं.	अधिकारी का नाम	प्रति नियुक्ति का पद व स्थान
८.	श्री बाबूलाल ओझा,	सहायक रजिस्ट्रार, प्रतिनियुक्ति पर-अधिशाषी अधिकारी, भीलवाड़ा सहकारी उपभोक्ता भण्डार लि०, भीलवाड़ा । २८-१-६७ ।
९.	श्री रामपाल पोरवाल,	सहायक रजिस्ट्रार, प्रतिनियुक्ति पर-भीलवाड़ा सैन्ट्रल कोआपरेटिव बैंक लि०, भीलवाड़ा । २४-४-६७ ।
१०.	श्री केदारनाथ गुप्ता,	सहायक रजिस्ट्रार, प्रतिनियुक्ति पर-अधिशाषी अधिकारी, भरतपुर सहकारी उपभोक्ता मण्डार लि०, भरतपुर । ६-४-६८ ।
११.	श्री राधारमण शर्मा,	सहायक रजिस्ट्रार, प्रतिनियुक्ति पर-व्यवस्थापक, कामां क्रय विक्रय सहकारी समिति लि०, कामां (भरतपुर) निरीक्षक के पद से ही प्रतिनियुक्ति पर चल रहे हैं । १६-२-६६ ।

Page No 167

सूची उन निरीक्षक (कार्यकारी) की जो प्रति नियुक्ति पर अपने होम डिस्ट्रिक्ट में लगे हुये हैं।

क्र० सं०	नाम अधिकारी व पद	प्रतिनियुक्ति का स्थान
१.	श्री रामेश्वर प्रसाद शर्मा	क्रय विक्रय सहकारी समिति लि०, चौमू ६-६-६६ से जयपुर।
२.	श्री बी० एन० शर्मा	प्राथमिक सहकारी भूमि विकास बैंक लि०, हनुमानगढ़ २७-११-५६ से।
३.	श्री भगवानसिंह	सहकारी उपभोक्ता होलसेल भण्डार लि०, भरतपुर ८-११-६७ से।
४.	श्री सत्यदेव जैन	सहकारी प्रशिक्षण केन्द्र भरतपुर १-४-६६ से।
५.	श्री वेदप्रकाश अर्गवीर	क्रय विक्रय सहकारी समिति लि०, गंगापुर २६-१२-६४ से।
६.	श्री प्रहलाद शर्मा	क्रय विक्रय सहकारी समिति लि०, कोटा १-११-६४ से।
७.	श्री हनुमान प्रसाद शर्मा	केन्द्रीय सहकारी बैंक लि०, गंगानगर २७-१०-६७ से।
८.	श्री बहादुर राज	" " २५-१-६८ से।
९.	श्री ओमकारेश्वर चौबीसा	आमेट क्रय विक्रय सहकारी समिति लि०, ज़िला उदयपुर ३-६-६७ से।
१०.	श्री इन्द्र प्रकाश शर्मा	केन्द्रीय सहकारी बैंक लि०, भरतपुर ७-२-७० से।
११.	श्री निरञ्जन प्रसाद	" " ११-१-६८ से।
१२.	श्री राधेश्याम गुप्ता	जयपुर केन्द्रीय सहकारी बैंक लि०, जयपुर ११-१०-६४ से।
१३.	श्री एच० एल० ओधव्य	केन्द्रीय सहकारी बैंक लि०, जयपुर २५-९-६५ से।

Page No 168

होम डिस्ट्रीक्ट में प्रतिनियुक्ति पर लगाये गये निरीक्षकों (आडिट) की सूची

क्र. सं.	नाम निरीक्षक पद की प्रतिनियुक्ति की	पद का नाम	दिनांक	होम डिस्ट्रीक्ट
१.	श्री भंवरलाल पारीक सहकारी उपभोक्ता होलसेल सरकार लि.,जयपुर	अतिरिक्त अकाउन्टेन्ट, जयपुर	११-१-६७ से	जयपुर
२.	श्री गोतमचन्द मेहता	सरकार, कोआपरेटिव ट्रेनिंग स्कूल जोधपुर	१७-६-६८	जोधपुर
३.	श्री भंवरलाल गुप्ता	ऋण निरीक्षक, सेन्ट्रल को० बैंक लि०, टोंक	७-९-६८	टोंक
४.	श्री एस० पी० बहल	ऐक्जीक्यूटिव डाइरेक्टर, होलसेल सहकारी उप० भण्डार लि०, श्री गंगानगर	७-१-६९	श्रीगंगानगर
५.	श्री रमेशचन्द्र गुप्ता	अकाउन्टेन्ट, होलसेल सहकारी उप० भण्डार लि०, भरतपुर	१९-५-६१	भरतपुर
६.	श्री किशनलाल यादव	अकाउन्टेन्ट, जयपुर सहकारी उप० भण्डार लि०, जयपुर	५-११-६९	जयपुर
७.	श्री पारसचन्द अवानी	अकाउन्टेन्ट, सहकारी उप० भण्डार लि०, जोधपुर	१-१२-६९	जोधपुर
८.	श्री छगनलाल शर्मा	चूरू सेन्ट्रल को० बैंक लि०	७-१-६७	चूरू
९.	श्री सुरेशचन्द्र शर्मा	दाती क्रय विक्रय सहकारी स० लि०, बाड़ी	२८-५-७०	भरतपुर
१०.	श्री छगनलाल जैन	लेडलीगज मार्केट सो० लि०, अलवर	२३-१-७०	अलवर
११.	श्री चिरंजीलाल मीणा	सहायक व्यवस्थापक, क्रय विक्रय सहकारी समिति लि०, जयपुर	१२-११-६८	सवाई माधोपुर

परिशिष्ट २

(तारांकित प्रश्न संख्या ६३८ के भाग (२) में निर्दिष्ट सूची)

प्रतिलिपि पत्र क्रमांक एफ २। कोष जमा। ६६। दिनांक २०-९-६९ द्वारा सचिव, जवाहरलाल नेहरू स्मारक कोष, क्षेत्रीय उप समिति, जयपुर वास्ते जिलाधीश, नागौर।

महोदय,

जवाहरलाल नेहरू स्मारक कोष के लिए धनराशि एकत्रित करने के उद्देश्य से एक क्षेत्रीय उप समिति का गठन किया गया है जिसके अध्यक्ष मुख्य मंत्री महोदय है। श्रद्धेय नेहरू जी की स्मृति में कोष की केन्द्रीय समिति के नियमानुसार एकत्रित धनराशि निम्न कार्यों पर व्यय की जावेगी।

१. मानव ज्ञान की सीमाओं के विस्तार के उद्देश्य से एक नेहरू अकादमी की स्थापना।

२. राज्यों में जवाहर लाल भवनों का निर्माण जिससे बच्चों को, जिनसे नेहरू जी को प्यार था, सांस्कृतिक और आमोद प्रमोद की सुविधाएं उपलब्ध कराई जा सके।

३. क्षेत्रिय उप समिति में इस मामले पर विचार किया गया और यह निर्णय लिया गया कि जिन जिलों में इस कोष के लिए राशि एकत्रित करने में विशेष रूचि ली जायेगी वहां स्मारक ट्रस्ट द्वारा जो राशि स्थानीय कार्यों के लिए स्वीकृति होगी उतनी ही राशि राज्य सरकार अपनी ओर से अनुदान स्वरुप देगी।

४. अतः निवेदन है कि जिलाधीश महोदय, जिला स्तरीय समिति, जिला प्रमुख, पंचायत समितियों के प्रधान, विधायकों और संसद सदस्यों, स्थानीय नेताओं, शिक्षा व समाज कल्याण अधिकारियों आदि को सम्मिलित कर अविलम्ब बना लें, ताकि जब १४ नवम्बर, १९६९ से इस कोष के लिए धन एकत्रित करने का एक सप्ताह का अभियान प्रारम्भ हो तो निर्धारित लक्ष्य अर्थात् ५० लाख रुपये एकत्रित करने का लक्ष्य प्राप्त किया जा सके।

५. धन एकत्रित करने के लिए सामान्य तौर पर ५ रुपये, २५ रुपये और १०० रुपये के छपे कूपन अलग से भेजे जा रहे हैं। यदि प्राप्त राशि अधिक हो तो विशेष प्रकार की रसीदें इन कूपनों के साथ भेजी जा रही है जो उपयोग में लाई जा सकती हैं। इन पर प्रमाणिकरण के लिए एक मोहर काउन्टर फाईल और कूपन दोनों पर लगाई गई है।

जिलाधीश महोदय भी अपने क्षेत्र के लिए भेजे गये कूपनों पर अपनी मोहर लगवायेंगे ताकि सुरक्षा की दृष्टि से भरोसे की व्यवस्था हो जावे।

(क) यदि चन्दे पांच रुपए से कम हो तो ऐसे चंदों को मिला कर पांच रुपए पूरे होने पर कूपन दिया जाना चाहिए।

(ख) यदि चन्दा देने वाले कोई महानुभाव अथवा नाम कूपनों पर लिखाने का अनुरोध करें तो ऐसा करने में कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए।

६. अभी से नेहरुजी के आदेशों के अनुरूप नाटक खेल इत्यादि करने के लिए उत्सुक कलाकारों व संस्थाओं को भी अनुमति दी जा सकती है परन्तु यह देख लेना जरूरी होगा कि ऐसे कलाकारों या संस्थाओं की खास टीम है और समस्त आय कोष को मय हिसाब के व्यौरे के दे दी जाती है जिसमें टिकटों की संख्या, बिक्री किए हुए टिकटों की संख्या तथा बाकी टिकट और प्राप्त रकम का व्यौरा होना चाहिए।

७. मुख्य मंत्री जी ने प्रत्येक पंचायत समिति क्षेत्र में १०,००० रु० की अपेक्षा की थी तब लक्ष्य २५ लाख रुपए का ही था। अब लक्ष्य दुगना हो जाने के कारण प्रत्येक पंचायत समिति से उसी अनुपात अर्थात् कम से कम २० हजार रुपयों की राशि एकत्रित की जाने की अपेक्षा की जाती है।

८. कोष के लिए एकत्र की जाने वाली राशि का हिसाब रखने के लिए फार्म व प्रक्रिया संबंधी निवेदन संलग्न है।

जवाहरलाल नेहरू स्मारक कोष क्षेत्रिय उप समिति

विषय:—नेहरू स्मारक कोष का हिसाब रखने संबंधी हिदायतें।

कूपन ५ रु., २५ रु., व १०० रु. के है और प्रत्येक रसीद पर क्रमबार नम्बर डला हुआ है।

इन रसीदों द्वारा प्राप्त राशि का हिसाब रखने के लिए पैशानि संलग्न है सारा हिसाब इन ही फार्मों में रखा जाना है। इसके अलावा प्रतिदिन प्राप्त होने वाली रकम एवं व्यय के लिए अलग से एक रोकड़ भी रखनी होगी। इसके प्रत्येक इन्द्राज पर संबंधित अधिकारी के हस्ताक्षर होने चाहिए।

संग्रहीत राशि की पाक्षिक रिपोर्ट फार्म में भेजी जानी है और रकम बैंक ड्राफ्ट द्वारा भेजी जानी है।

कार्य पूर्ण हो जाने के बाद १५ जनवरी १६६७ तक उपरोक्त सभी रिकार्ड इस कार्यालय को भिजवा दिये जाने चाहिये।

कूपनों के हिसाब रखने के संबंध में यह भी अपेक्षित है कि प्रत्येक प्रकार की रसीद बुकों के लिए एक अलग से खाता तैयार किया जाना चाहिये ताकि हिसाब भेजने व रखने में सुविधा रहे।

परिशिष्ट ३

(तारांकित प्रश्न संख्या 639 के भाग (1) में निर्दिष्ट सूची)

GOVERNMENT OF RAJASTHAN
COOPERATIVE DEPARTMENT

No. F.4(1)Coop.I/70 Dated Jaipur the 30th Jan. 1970

ORDER

In exercise of the powers conferred by Section 139 of the Rajasthan Cooperative Societies Act, 1965, the Government is pleased to direct that due to the prevailing scarcity condition, section 30 of the Rajasthan Cooperative Societies Act, 1965 shall apply to all Cooperative Societies, whether primary or central, in the following districts with the modification that the elections if any to be held under sub-section (b) of the said section on any date hereafter shall not be held within six months from the date of issue of this order in the central societies functioning in these districts and in primary societies in the villages that have been or may hereafter be declared to be scarcity affected areas by the Relief Department of the Government.

1. Barmer
2. Jaisalmer
3. Bikaner
4. Nagaur
5. Pali
6. Ganganagar
7. Churu
8. Jalore
9. Ajmer
10. Jhunjhunu
11. Sirohi
12. Jodhpur
13. Dungarpur

By Order,
Sd/-
(Anand Mohan Lal)
Special Secretary to Government

Copy forwarded to :—

1. Registrar, Cooperative Societies, Rajasthan, Jaipur.
2. Dy. Registrar, Cooperative Societies of the regions concerned.
3. Asstt. Registrar, Cooperative Societies of the concerned districts.
for information and necessary action.

Sd/-
(M.S. Jha)
Assistant Secretary to Government

COOPERATIVE DEPARTMENT
RAJASTHAN JAIPUR

No. F.4(1)Coop.1/70 Jaipur, 7th Feb., 1970

From

The Secretary to Government

To

1) Registrar, Cooperative Societies, Rajasthan, Jaipur.
2) All Dy. Registrar, Cooperative Societies.
3) All Asstt. Registrar, Cooperative Societies (concerned).

Sir,

I am directed to invite your attention to this Department order of even number dated 30-1-1970 regarding suspension of elections, in certain Central and Primary Societies in scarcity affected districts/areas and to say that between the words "date of issue of this Order" and "the Central Societies" in the said order the word "in" has not appeared legally in duplication. This may therefore please be read in the same.

It may also be clarified that in respect of Central Societies elections are not to be held for the duration mentioned in the said order in the districts mentioned therein.

In respect of Primary societies situated in the 13 notified districts, elections are not to be held for a period of 6 months from the date of issue of the order (30-1-70) only. If their area of operation falls within the area notified as scarcity affected by the Relief Department, elections to all other Primary societies in the notified districts can be held.

Yours faithfully,
Sd/-
(M.S. Jha)
Asstt. Secretary to Government

परिशिष्ट ४

(समयाभाव के कारण समय पर न लिये जाने वाले तारांकित प्रश्नोत्तर)

स्थगित प्रश्न

(२०-३-७० व २८-३-७०)

विजय स्तम्भ देखने वालों पर टैक्स

१९३. **श्री राम कुमार नन्दवाना** (चितौड़गढ़) : क्या पर्यटन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(१) क्या यह सही है कि चित्तौड़गढ़ किले पर स्थिति विजय स्तम्भ को देखने पर यात्रियों पर कोई टैक्स लगा रखा है ? यदि हां, तो क्यों तथा यह टैक्स कब से लागू किया गया है तथा अब तक कुल कितना टैक्स जमा हुआ है ?

(२) क्या सरकार यह उचित नहीं समझती कि विजय स्तम्भ पर जो टैक्स लगाया गया है इससे यात्रियों की असुविधा है ? यदि हां, तो क्या इसे समाप्त करने का कोई विचार है ?

उत्तर

(१) जी हां। दिनांक १३-१२-६९ से विजय स्तम्भ में ऊपर जाने के लिए ५० पैसा प्रति व्यक्ति की दर से भारत सरकार के पुरातत्व विभाग द्वारा टैक्स लगा दिया गया है। अब तक इस टैक्स से लगभग १८००) रु० एकत्रित हुए है। १५ वर्ष से नीचे की आयु वालों पर कोई टैक्स नहीं लगता है। शुक्रवार के दिन कोई भी व्यक्ति बिना टैक्स के जा सकता है।

(२) इस सम्बन्ध में पर्यटकों से कोई शिकायत राज्य सरकार को प्राप्त नहीं हुई है।

स्थगित प्रश्न

(२-४-७०)

राज्य कर्मचारियों एवं नगरपालिका कर्मचारियों के वेतन भत्तों में अन्तर

४७६. **श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल** (जौहरी बाजार, जयपुर) : क्या स्वायत शासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(१) राज्य कर्मचारियों एवं नगरपालिका कर्मचारियों के वेतन भत्तों आदि में जो अन्तर है उसको दूर करने की दृष्टि से क्या सरकार ने कोई योजना बनाई है ?

(२) क्या नगरपालिका कर्मचारियों के वेतन भत्तों आदि में वृद्धि किये जाने हेतु सिफारिश करने के लिये सरकार वेतन आयोग नियुक्त करने का विचार रखती है?

(३) नगरपालिका कर्मचारियों को न्यूनतम वेतन क्या मिलता है और उसी पद का न्यूनतम वेतन राज्य कर्मचारी का क्या है ?

उत्तर

(१) यह मामला सरकार के विचाराधीन है।

(२) जी नहीं।

(३) राज्य कर्मचारी (चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी) का न्यूनतम वेतन ६०/रु० अलाउन्सों के अलावा है।

नगरपालिका कर्मचारी का न्यूनतम (वेतन चतुर्थश्रेणी कर्मचारी) २५/रु० अलाउन्सों के अलावा है :

स्थागित प्रश्न (२-४-७०)

गणतंत्र दिवस कार्यक्रम से नगर पालिका नैनवा द्वारा योगदान

४७६. श्री नन्दलाल बैरवा (पाटन) : क्या स्वायत्त शासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(१) क्या यह सही है कि नैनवा एस०डी०एम० ने २६ जनवरी, १६७० को गणतन्त्र दिवस का कार्यक्रम बनाने के लिये बैठक का आयोजन किया था ? अगर हां, तो कब और किन किन को बुलाया गया ?

(२) क्या यह भी सही है कि नगर-पालिका नैनवा की ओर से गणतन्त्र दिवस के उपलक्ष में आयोजित इस कार्यक्रम में योगदान नगरपालिका की ओर से दिया था ?

(३) क्या नगरपालिका द्वारा दिये गये अनुदान की शिक्षा संस्था में मिठाई आदि वितरण करने का भी आयोजन किया गया था ? अगर किया गया था तो कौन कौनसी शिक्षा संस्थाओं को मिठाई वितरण की गई ? क्या यह सही है कि वितरण की गई मिठाई को छात्र-छात्राओं को न देने के लिये अध्यापकों ने धमकियां दीं ? यदि हां, तो किन किन अध्यापकों ने तथा उनके विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई ?

उत्तर

१. जी हां।

दि० १७-१-७० को जिसमें निम्नांकित अधिकारियों को बुलाया गया था—

(१) तहसीलदार नैनवा।

(२) प्रधानाध्यापक, माध्यमिक विद्यालय, नैनवा।

(३) विकास अधिकारी, नैनवा।

(४) मेडिकल आफिसर (इंचार्ज), नैनवा

(५) प्रधानाध्यापक, प्राथमिक पाठ-शाला नैनवा

(६) सी० ओ०, नैनवा (पुलिस)

इनके अतिरिक्त सर्व श्री सूर्य कुमार व माणकलाल एडवोकेट भी सम्मिलित किये गये।

२. जी हां।

३. जी हां। मिठाई वितरण का आयोजन था किन्तु इसका वितरण पूर्व रूप से नहीं हो सका। इस बाबत प्रशासक नगरपालिका, नैनवा ने एस० डी० ओ० नैनवा को जो रिपोर्ट भिजवाई है उसमें निम्न अध्यापकों के नाम बतलाये गये है :

(१) कृष्ण वल्लभ पारीक

(२) श्री सफदर अहमद

(३) श्री कृष्णवल्लभ गोयल

(४) श्री रामेश्वर सोनी

(५) श्री यासीन मोहम्मद

(६) श्री मुरलीधर

(७) श्री गोपाल

(८) श्री रमेश कक्कड़

(९) श्री छोटूलाल

एस० डी० ओ० ने इस बाबत प्रतिवेदन जिलाधीश बूंदी को भेजा है।

परिशिष्ट ५

(तारांकित प्रश्न सं० ६२६ के भाग (१) में निर्दिष्ट सूची)

निम्न ग्रामपंचायतों को नगरपालिका में परिणित करने के मामले राज्य सरकार के विचाराधीन है—

क्र. सं.	नाम पंचायत	१९६१ की जनगणना के अनुसार आबादी
१.	मांगोल (कोटा)	८१४६
२.	आमेट (उदयपुर)	६६१६
३.	सोजतरोड़ (पाली)	६७१०
४.	पदमपुर (गंगानगर)	जिलाधीश की टिप्पणी चाही गई है
५.	विजयनगर (गंगानगर)	३६६८
६.	केसरीसिंहपुर ,,	४६७०
७.	पीलीबंगा ,,	४०००
८.	विजयनगर (अजमेर)	५७६५
९.	नरायणा (जयपुर)	६३१५
१०.	फतहनगर सनवाड (उदयपुर)	७६६८
११.	कुम्भेर (भरतपुर)	७४००
१२.	बिलाड़ा (जोधपुर)	१२,१७१
१३.	नापासर (बीकानेर)	५५८९

परिशिष्ट ६

(तारांकित प्रश्न सं० ६३० के भाग (१) व (३) में निर्दिष्ट सूची)

राजस्थान सरकार

नियुक्ति (क-१) विभाग

पिछले पांच वर्षों में सेवा-निवृत्ति आई० ए० एस० अधिकारियों की सूची

क्र. सं.	नाम	विभिन्न पदों पर पुनः नियुक्ति
१.	श्री भगवतसिंह मेहता	अध्यक्ष, राजस्थान औद्योगिक खनिज विकास निगम
२.	श्री शरफ अली	सचिव, राजस्थान मुस्लिम वक्फ
३.	श्री के० पी० यू० मेनन	सतर्कता आयुक्त, राजस्थान, जयपुर
४.	श्री जी० के० भगत	उप राजकीय अधिवक्ता, राजस्व मण्डल, अजमेर
५.	श्री रामेश्वरदयाल माथुर	अध्यक्ष, जयपुर पुलिस गोली काण्ड जांच अधिकारी समिति

Page No 177

राजस्थान सरकार

नियुक्ति (क–१) विभाग

(पिछले पांच वर्षों में सेवा-निवृत आर० ए० एस० अधिकारियों की सूची)

क. सं.	नाम	विभिन्न पदों पर पुनः नियुक्ति
१.	श्री रघुराजसिंह	विशेषाधिकारी एवं पदेन उप शासन सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य (परिवार नियोजन) राजस्थान ।
२.	श्री दुर्गाचन्द माथुर	सचिव, नगर विकास न्यास, जोधपुर ।
३.	श्री टी० एन० टिक्कू	फोडर अधिकारी, सहायक विभाग, जयपुर ।
४.	श्री गोकुलप्रसाद	प्रशासक, नगर परिषद्, जयपुर ।
५.	श्री परमानन्द	सदस्य, राजस्थान पंचायत समिति एवं जिला परिषद् सेवा चयन आयोग, जयपुर ।

परिशिष्ट ७

(अतारांकित प्रश्न संख्या ६४८ की सूची)

जून, १९६८ से जनवरी, १९७० तक जिन मंत्रियों के लिये
सरकारी कार खाली भेजी गई, उनकी सूची

क्र. सं.	मंत्री का नाम व पद	दिनांक	स्थान
१	२	३	४
१.	श्री मोहनलाल सुखाड़िया, मुख्यमंत्री,	५–७–६८	सीकर
		१३–१–७०	अजमेर
२.	श्री हरिदेव जोशी, उद्योग मंत्री,	३०–७–६८	आगरा
		१२–१–६९	अजमेर
		९–२–६९	सीकर
		१६–२–६९	अजमेर
		३०–१२–६९	अजमेर
		१२–१–७०	अजमेर
३.	श्री रामकिशोर व्यास, राजस्व मंत्री,	२९–१२–६९	कोटा
४.	श्री बृज सुन्दर शर्मा, स्वास्थ्य मंत्री,	२४–१–६९	सीकर
५.	श्री अमीनुद्दीन अहमद, निर्माण मंत्री,	१२–१–६९	नागौर
		१३–९–६९	अलवर
		२६–११–६९	कोटा
६.	श्री भीखाभाई, स्वायत्त शासन मंत्री,	१–१–७०	अजमेर
७.	श्री अमृतलाल यादव, सहकारिता मंत्री,	८–२–६९	आगरा
८.	श्रीमती सुमित्रासिंह, राज्य मंत्री स्वास्थ्य	८–९–६९	चूरू
		२९–१२–६९	कोटा
९.	श्री जयकिशन शर्मा, राज्य मंत्री आयुर्वेद	२४–११–६९	अलवर
		१–१–७०	कोटा
१०.	श्री गंगाराम चौधरी, उप मंत्री, राजस्व	१–१–७०	जोधपुर
११.	श्री प्रद्युमन सिंह उप मंत्री, नियुक्ति	१०–१०–६९	दिल्ली
१२.	श्री जसराज उप मंत्री, सिंचाई	२९–१२–६९	कोटा
१३.	श्री मुल्कराज थिंद, उप मंत्री, स्वायत्त शासन	६–१२–६९	दिल्ली

———

परिशिष्ट ८

(अतारांकित प्रश्न संख्या ६४६ की सूची)

निगमों के अध्यक्षों की सूची

क. सं.	निगम	अध्यक्ष का नाम	सुविधाएं	दिनांक	योग्यताएं
१.	राजस्थान लघु उद्योग निगम	श्री भीमसेनजी, उप मंत्री उद्योग	इनके वेतन, भत्ता; टेलीफोन बंगला, कार आदि सुविधाएं सम्बन्धी व्यय निगम द्वारा वहन नहीं किया जाता है ।	६८	उपमंत्री
२.	राजस्थान होटल निगम	श्री जी० एस० मेहता	५०) रु० निगम की किसी भी बैठक में उपस्थित होने के लिये	६६	रिटायर्ड आई.ए.एस.
६.	राजस्थान परिवहन निगम	श्री ज्वाला प्रसाद	वेतन १०००) कार भत्ता ५००) मकान किराया ५५०) टेलीफोन खर्चा ४२३) (प्रतिमाह औसत) यात्रा भत्ता ५८५) (प्रतिमाह औसत) बाहर जब वे निगम के कार्य से अपनी निजी कार द्वारा यात्रा करते हैं तो ५० पैसे प्रति	६७	भूतपूर्व सदस्य विधान सभा एवं लोक सभा

क्र. सं.	निगम	अध्यक्ष का नाम	सुविधाएं	दिनांक	योग्यताएं
			किलो मीटर के हिसाब से कार किराया भी दिया जाता है जिसका औसत खर्चा अब तक ९७५) रु० प्रतिमाह रहा है। उन्हें वे सुविधाएं निगम द्वारा उपलब्ध की जाती हैं, जो एक उप मंत्री को राज्य सरकार देती है।		
४.	राजस्थान खनिज विकास निगम	श्री भगवतसिंह मेहता	सेम्चुरी अलाउन्स ४००) रु० प्रतिमाह कार अलाउन्स २५०) रु० प्रतिमाह फ्री फरनीशड रेजीडेन्शियल हाउस टेलीफोन चार्जेज १२२) रु० प्रतिमाह	६९	बी. ए., एल.एल.बी भूतपूर्व मुख्य सचिव (रिटायर्ड आई. ए. एस.)
४.	राजस्थान खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड	श्री भोगीलालजी पंड्या	वेतन ७५०) रु० सेम्चुयरी अलाउन्स २५०) रु० यात्रा व्यय ६००) रु० टेलीफोन व्यय ५००) रु० कार व्यय १४५०) रु० फ्री फरनीश्ड मकान ५२५) रु०	६९	भूतपूर्व मंत्री

इनको राज्य मंत्री मंडलीय स्तर की समस्त सुविधाएं स्वीकृत हैं। जिसके अन्तर्गत उपरोक्त प्रकार मासिक व्यय इन पर होता है।

परिशिष्ट ९

(तारांकित प्रश्न संख्या ६५० की सूची)

दिनांक १-१-६९ से ३१-१२-६९ तक मंत्रियों पर यात्रा भत्ता व टेलीफोन की मद में हुए व्यय की तालिका

		दिनांक १-१-६९ से ३१-१२-६९ तक हुआ व्यय	
क्र. सं.	मंत्री का नाम व पद	यात्रा भत्ता	टेलीफोन
१	२	३	४
१.	श्री मोहनलाल सुखाड़िया, मुख्य मन्त्री,	७,५७७.१९	३७,५८०.९८
२.	श्री हरिदेवजोशी, उद्योग मन्त्री,	९,३४१.१०	२४,४९६.४५
३.	श्री अमीनुद्दीन अहमद, खां, निर्माण मन्त्री,	७,८२३.७५	१९,९६६.७५
४.	श्री मथुरादास माथुर, वित्त मन्त्री,	१४,३६०.१०	६८,३५२.२२
५.	श्री परसराम मदेरणा, खाद्य मन्त्री,	५,५३२.९६	३०,४४५.७५
६.	श्री रामप्रसाद लड्ढा, सिंचाई मन्त्री	५,६२२.१३	२५,०४३.५५
७.	श्री दामोदरलाल व्यास, गृह मन्त्री	३,६०९.३६	२२,५६७.८५
८.	श्री शोभाराम, कृषि मन्त्री,	६,१०१.९१	१३ ७४८.२५
९.	श्री भीखाभाई, स्वायत्त शासन मन्त्री,	९,८७९.६१	२५,१५७.१३
१०.	श्री बृजसुन्दर शर्मा, स्वास्थ्य मन्त्री,	६,२१६.०८	२१,८०७.५५
११.	श्री बरकतुल्ला खां, विधि मन्त्री,	१३,६६१.११	६,५८२.७०
१२.	श्री अमृतलाल यादव, सहकारिता मन्त्री,	९,५१६.५२	१४,६३६.१५
१३.	श्री नारायणसिंह मसूदा, वन मन्त्री,	५,१९३.४४	११,९०६.२५
१४.	श्री रामकिशोर व्यास, राजस्व मन्त्री,	१०,२२८.१५	१३,७१५.१९
१५.	श्री शिवचरण माथुर, शिक्षा मन्त्री,	६,५३७.९०	१७,७३०.०५
१६.	श्री बी०एन० जोशी, राज्य मन्त्री,	३,६५८.८०	१३,२८८.८०
१७.	श्री जयकिशन शर्मा. ,,	४,७७६.३६	११,४५५.२५
१८.	श्री मनफूल सिंह, ,,	३,९१६.३०	११,८९७.५०
१९.	श्री हीरालाल देवपुरा ,,	७,००५.२६	१३,५८६.९५
२०.	श्रीमती सुमित्रासिंह. ,,	३,७८९.७३	१२,३००.३५
२१.	श्री गंगाराम चौधरी, उप मन्त्री,	४,९६८.००	१४,७९७.४५

Page No 182

१	२		३	४
२२.	श्रीमती प्रभामिश्रा	उप मंत्री,	११,३५४.३४	६,४५४.३५
२३.	श्री खेतसिह,	,,	८,७१२.८३	१०,६०८.००
२४.	श्री समरथलाल,	,,	५,३११.५०	१४,९८८.६५
२५.	श्री भीमसेन,	,,	१५,७२४.९०	११,०८७.४५
२६.	श्री रामचरन,	,,	१७,४४८.०४	७,६५७.२०
२७.	श्री प्रद्युमनसिंह	,,	५,३०६.९५	७,२९६.४५
२८.	श्री मुल्कराज थिंद,	,,	८,५५८.७६	१५,३६३.४५
२९.	श्री जसराज,	,,	१७,७२३.२९	१२,९९०.६०
३०.	श्री रामदेवसिंह,	,,	१६,२८७.००	१०,४८५ १५
३१.	श्री शिवचरणसिंह,	,,	८,२१४.७९	८,१८२.५५
३२.	श्री बृजप्रकाश गोयल	,,	१०,३५२.७४	१२,९४०,१५
३३.	श्री माधोसिंह,	,,	५.८७६.७६	१६,३९६.०५
३४,	श्री रावधीरसिंह,	,,	६,३५५.५४	१४,६६३.६०
५३.	श्री हरिसिंह बेगू,	,,	४,६५३.००	६,९७९.९५
३६.	श्री कन्हैयालाल पटेल,	,,	८,७३३.८५	९,५४९.४०
३७.	श्री गुरुदीप सिंह,	,,	७,९४६.७१	६,६११.१०

परिशिष्ट १०

(अतारांकित प्रश्न सं० ६५२ की सूची)

सेवामें,

श्रीमान् न्यायधिकर्ता एवं दण्डनायक महोदय पाली अपराधिक परिवाद संख्या ....सन् १९६७।

अभियोगी	बनाम	अभियुक्त
चम्पालाल पुत्र मीठालालजी		घीसूलाल पुत्र देवीचन्द जाति ओसवाल
कोठारी निवासी गुड़ा एन्दला, त० पाली।		निवासी गुड़ा एन्दला व पाली।

परिवाद वास्ते अपराध अ० धा० ४०६, ४२० भा० द० संहिता

महोदय,

अभियोगी निम्न परिवाद अभियुक्त के विरुद्ध प्रस्तुत करता है:—

१. कि अभियुक्त वर्तमान सरपंच पंचायत गुड़ा एन्दला का है।

२. कि पंचायत समिति पाली ने सन् १९६५ में गेहूँ (कणक) बीज के लिए गुड़ा एन्दला पंचायत के सरपंच होने की हैसियत से विभिन्न काश्तकारों में वितरण के लिए अभियुक्त को एन्ट्रेस्ट किया था। उक्त कणक लगभग १०० बोरी (अर्थात् १०० क्विन्टल) अभियुक्त को जन सेवक की हैसियत से एन्ट्रस्ट की थी। इसके साथ ही चणा १०० बोरी (अर्थात् ६६ कि० २०० ग्राम लगभग) भी अभियुक्त को बीज के लिए विभिन्न काश्तकारों को वितरण करने के लिए जन सेवक की हैसियत से एन्ट्रस्ट किया था।

३. कि उक्त गेहूं बीज के लिये विभिन्न काश्तकारों में वितरित किया गया और बाद में उक्त काश्तकारों से उक्त बीज की वसूली नियत नियम के अनुसार इस प्रकार होनी थी कि ६५) रु० प्रति क्विन्टल मूल तथा ५) रु० प्रति क्विन्टन बाढी (अर्थात ब्याज) के कुल ७०) रु० प्रति क्विन्टल के हिसाब से वसूली होनी थी। लेकिन अभियुक्त ने लगभग ६० बोरी गेहूँ (कणक) उक्त काश्तकारों से १½ गुनी बाढ़ी के हिसाब से वसूल किया। उक्त ६० बोरी गेहूँ अभियुक्त ने अपने भण्डारी ब्रदर्स राणी (आढ़तिया) के मार्फत दिनांक १५-४-६६ को बेचा जबकि कण का बाजार भाव उस समय ८०-८५ रु० प्रति क्वि० थी। इस प्रकार जिस काश्तकार से ७०) रु० की वसूली करनी थी। उससे १००) रु० से १०६-२५ पै० तक वसूली की गई जो काश्तकारों के साथ धोखा करके की गई है। इसके अतिरिक्त उक्त गेहूं बेचकर उसकी कीमत जो लगभग ५१००) रु० जो प्राप्त हुई वह उसी समय पंचायत कोष में जमा को जाकर पंचायत समिति में भेजी जानी थी जो कतई जमा

नहीं की गई और उक्त लगभग ५१००) रु० को अभियुक्त ने अपने काम लेकर अमानत में खयानत की है ।

४. कि उक्त १०० बोरी चणे में से २९ बोरी चणे को बेचकर खयामत अभियुक्त ने की उसका मुकद्दमा श्रीमान् के न्यायालय में चल ही रहा है । तथा शेष ७० बोरी (लगभग) चणा काश्तकारों को वितरित बीज के लिए किया उसमें से ५० बोरी चणा काश्तकारों को वितरित बीज के लिए किया उसमें से ५० बोरी चणा (५० क्विन्टल लगभग) पुनः वसूल अभियुक्त ने हैसियत जनसेवक के किया जो नियमानुसार प्रति क्विटल ५६) रु० मूल तथा ४ बाढ़ी (ब्याज) कुल मिलाकर ६०) रु० प्रति क्विन्टल वसूली करनी चाहिए थी । लेकिन अभियुक्त ने उक्त ५० बोरी चणा जो वसूली में अभियुक्त ने लिया वह १½ गुनी बाढ़ी के हिसाब से काश्तकारों से लिया है अर्थात एक क्विंटल का १½ क्वि० वसूल किया है जबकि चणें का बाजार भाव ६०) रु० से ६५) रु० प्रति क्वि० का भाव था । अर्थात एक क्वि० बीज के बदले किसान से ९०) रु० से ९७½) रु० वसूल किए गए जबकि ६० रुपये ही वसूल करने चाहिये थे जो किसानों को धोखा देकर ठगा गया है । उक्त चणें ५० बोरी (लगभग) वसूल होने पर अभियुक्त ने बख्तावर मल भंवरलाल पाली (अभियुक्त के निजी आडतिया) के मार्फत जून माह में बेच दिया । और उसकी रकम लगभग ३२५०) रु० आज तक अभियुक्त ने पंचायत अथवा पचायत समिति के कोष में जमा नहीं करवाकर निजी उपयोग में खर्च की जो करके अभियुक्त ने जनसेवक होते हुए अमानत में खयानत की है ।

५. कि इस परिवाद के अवतरण सं० ३ तथा ४ में वर्णित घटना की पुष्टि विकास अधिकारी पाली ने अपनी रिपोर्ट दि० २१-४-६६ तथा १०-६-६६ में की है जो पत्र सं० ६३६ तथा १५४३ के द्वारा उपजिला विकास अधिकारी पाली के पास भेजी गई है ।

६. कि अभियोगी ने उक्त अपराध के अनुसंधान कराने के लिए गुड़ा एन्दला थाना में रिपोर्ट दर्ज करने का निवेदन किया लेकिन थाने में अभियोगी द्वारा दी गई रिपोर्ट इस लिए नहीं ली गई कि उनका कहना है कि धारा ४०९ तथा ४२० आई. पी. सी. के अपराध के लिए धारा १९७ सी. आर. पी. सी, में राज्य सरकार की अनुमति सरपच के विरुद्ध मुकद्दमा चलाने के लिए आवश्यक है । वस्तुतः कानूनी स्थिति यह है कि सुप्रीम कोर्ट के फैसला (ए. आई. आर. १९६६ एस. सी. २२०) के अनुसार ४०९ आई. पी. सी. में मुकद्दमा चलाने के मामले में धारा १९७ सी. आर. पी. सी. की अनुमति की आवश्यकता नहीं है तथा ४२० आई. पी. सी. के अपराध में भी सुप्रीम कोर्ट के फैसलों के अनुसार अनुमति की आवश्यकता नहीं है । फिर भी पुलिस मुकद्दमा लेने से इन्कार होने से यह परिवाद प्रस्तुत है ।

अतः यह परिवाद प्रस्तुत कर निवेदन है कि अभियुक्त को उसके द्वारा किए गए अपराधों के लिए बाद जांच तथा अन्वीक्षा के कड़ी सजा दिलाई जावे । इति दि० ३-३-६७

ह० चम्पालाल कोठारी

अभियभाषक अभियोगी का

३-३-६७

यह इस्तगासा श्री चम्पालाल मुस्तगीस ने आज पेश किया। वास्ते जांच व रिपोर्ट हस्तदफा १५६ (३) सी. आर. पी. सी. के तहत एस. एच. ओ. गुडा एन्दला थाना में भेजा जाता हैं। बाद जांच तारीख ७-४-६७ तक रिपोर्ट पेश करें। ता० ४-३-६७।

कार्यवाही पुलिस:—

आज यह रिपोर्ट श्री इब्राहीम खां एन. सी. न० ४२६। आई. सी. थाना में पेश की जिस पर मुकदमा न० १२ दि० १०-३-६७ धारा ४०६, ४२० आइ. पी. सी. में माफिक आदेश की श्रीमान एस. एच. ओ. पाली के दरज किया गया चूंकि श्रीमान एस. एच. ओ. सा. पी. टी. एस. किशनगढ़ में तसरीफ ले गये और एच. एम. जी. थाना हाजा रुखस्त में है ऐसी सूरत में में एस सी मैंनासिह न० २०२ मासूर तफतीस हुआ मुकद्मा के शरीफ तफतीस के लिए श्रीमान सी. ओ. सा. पाली को जुदागाना रिपोर्ट इटसाला होगी।

दिनांक १०-३-६७ समय ८ ए. एम.

हस्ताक्षर

एच० सी० २०२ एस. एच. ओ.

गुड़ा एन्दला जि० पाली (राज०)।

परिशिष्ट ११

(अतारांकित प्रश्न संख्या ६५४ की सूची)

मुकदमा नं०	दफा	कब से पेण्डिग है	क्यों पेण्डिग है।
६३	३७९ आई० पी० सी०	११-३-६९	मौजूदा थानेदार से तफतीश लेकर दूसरे थानेदार को देने की वजह से देरी हुई है।
४६	३०७।३४ आई. पी. सी.	२८-१०-६९	फाईल मुंसिफ मजिस्ट्रेट सा० बांरा ने तलब कर रखी है जो अभी तक प्राप्त नहीं हुई हैं।
६४	४।९ ओ. पी. एम. एक्ट		एक मुलजिम जो सीकर का रहने वाला है, गिरफ्तार करना बाकी है तथा अफीम का केमिकल रिजल्ट भी आना बाकी है।

परिशिष्ट १२

(अतारांकित प्रश्न संख्या ६७१ की सूची)

शूकर प्रजनन केन्द्र, बस्सी के आय व्यय की सूची

नेट एक्सपेन्डीचर

सन्	टोटल एक्सपेन्डीचर	इन्कम	नेट एक्सपेन्डीचर
१६५६–६०	३२,५५५–००	१,१६०–००	३१,३६५–००
१६६०–६१	२४,६६७–००	१,२६०–००	२३,४३७–००
१६६१–६२	३४,६६४–००	२,०२०–००	३२,५७४–००
१६६२–६३	३३,६६८–००	६२०–००	३३,३६८–००
१६६३–६४	२६,३५८–५३	२,१६२–००	२७,०५८–००
१६६४–६५	२६,३५८–२६	१,७१०–००	२७,६४८–२६
१६६५–६६	२६,५५६–२४	७०२–००	२८,८५४–२४
१६६६–६७	३०,४०४–६५	३५०–७५	३०,०५४–२०
१६६७–६८	३१,८६६–४४	१,६५६–५०	३०,२०६–६४
१६६८–६९	२६,७६३–६०	१,२६७–००	२८,४६६–६०

अलवर शूकर पालन केन्द्र के पिछले तीन वर्षों का आय एवं व्यय का विवरण

वर्ष	आय	व्यय
१९६६-६७	९२,१९०—००	२,११,७६९—००
१९६७-६८	१,०२,२३६—००	४,३८,९८६—००
१९६८-६९	७३,५३४—००	४,१०,५५२—००

सूची . ब – प्रशासनिक अधिकारी

		ग्रेड
शूकर विकास अधिकारी	१	५००–१०००
व्यवस्थापक	१	२७५–६५०
कर्मचारी		
१. लेखाकार	१	२००–४५०
२. कम्पाउण्डर	१	११०–२३०
३. स्कंधपाल	२	११०–२३०
४. कनिष्ठ लिपिक	१	११०–२३०
५. पम्प ड्राइवर	१	११०–२३०
६. ट्रक ड्राइवर	१	११०–२३०
७. ट्रेक्टर ड्राइवर	१	११०–२३०
८. चपरासी	२	६०–८५
९. चौकीदार	१	६०–८५
१०. पिग अटेन्डेन्ट	५	६०–८५
११. हरिजन	५	६०–८५

परिशिष्ट १३

(अतारांकित प्रश्न संख्या २७६ की सूची)

विगत तीन वर्षों में वधियकरण किये गये पशुओं की पंचायत समिति वार सूची

क्र. सं.	सिवाना पंचायत समित	सांड वितरण गो सांड			भैंसा सांड			वधिया करण			विशेष विवरण
		६६-६७	६७-६८	६८-६९	६६-६७	६७-६८	६८-६९	६६-६७	६७-६८	६८-६९	
१.	सिवाना	—	२१	६	—	६	—	४६२	२६३०	३८६	
२.	शिव	—	३२	५	—	—	—	४१८	१९९०	५५५	
३.	बालोतरा	—	१५	—	—	—	—	५७६	४८७९	२८४७	
४.	घोरीमन्ना	—	२	२	—	—	—	४९५	११४५	२२०६	
५.	बाड़मेर	१९	२१	२	—	२	—	४०४८	२८३६	७७६	
६.	बायतू	—	—	५	—	—	—	२२२६	२२०४	५२३२	
७.	चोटरन	—	३५	५	—	—	—	२४१	१२२५	२७७२	
८.	सिन्दरी	—	१०	५	—	४	—	९६७०	१५३४	९५८	
	योग	१९	१३६	३३	—	१५	—	१८१६६	१८४४३	१५७३२	

विगत तीन वर्षों में बधियाकरण किये गये पशुओं की पशु औषधालय वार सूची

क्र. सं.	पशु औषधालय/चिकित्सालय	कान्स्ट्रेशन किया गया १९६६-६७	१९६७-६८	१९६८-६९	विशेष विवरण
१.	बाड़मेर पशु चिकित्सालय	८१	—	२७३१	
२.	बालोतरा ,, ,,	११३	२४८	११	
३.	सिवाना ,, ,,	११०	६५६	१४०	
४.	चोहटन ,, ,,	—	६०३	२५७	
५.	शिव ,, ,,	१०४	३४४	७८	
६.	पचपदरा ,, ,,	२	१५६	३७	
७.	धोरीमन्ना ,, औषधालय	१६४	१८३	४६	
८.	सिवेरी ,, ,,	२५	२५६	६५	
९.	बायतू ,, ,,	—	१०२	५२	
१०.	चल पशु चि० इकाई	—	८६७	५७१	
११.	वाड़मेर (आर-ए-सी)	—	—	—	
	योग	६२६	४०५४	४०१८	

वर्ष १९७०-७१ तालिका विधान सभा प्रश्न

बाड़मेर में सारे राज्य में चतुर्थ योजना

			बाड़मेर में	राज्य में
१. वधियाकरण	१५,०००	२,५०,०००	७५,०००	१२,५०,०००
२. कृत्रिम गर्भाधान	२,०००	८०,०००	३०,०००	२,००,०००
३. सांड वितरण	७५	२,०००	५००	१२,०००

शुद्धि-पत्र

(गुरुवार, दिनांक ६ अप्रेल, १६७०)

क्र० सं०	पंक्ति संख्या	अशुद्ध	शुद्ध
१	२	३	४
१	५	११.०१ को विधान सभा	११.०१ बजे विधान सभा
३	अन्तिम से १०	एवं और एल. आई. जी. एच	एवं एल. आई. जी. एच.
८	२	खुदवाने लिये	खुदवाने के लिये
६	अन्तिम से १	नलकूपों बनाने	नलकूपों को बनाने
१०	४	कम	काम
११	२	बानी	वनी
३८	२	अधिकारी पर प्रति नियुक्ति	अधिकारी प्रतिनियुक्ति
,,	अन्तिम से २	नियोजिक	नियोजक
४०	११	यह	इन
४२	अन्तिम से १३	विकासित	विकसित
४४	५	श्री रामसिंह कुड़ी (जाल) :	श्री रामसिंह कुड़ी (जायल) :
४८	अन्तिम से १२	भूम	भूमि
५५	२	में में	में
५६	अन्तिम से ८	लगता कि	लगता है कि
५६	१४	एड्जोन	एडजोर्न
७३	१	————	अतारांकित प्रश्नोत्तर
७४	अन्तिम से ८	व्यवसाय	व्ययसाध्य है

१	२	३	४
८६	१४	६५	६५६
६१	अन्तिम से ३	६६४	६६५
६६	,, १५	वही	यदि
१००	,, २	में	से
१०१	८	अजी	जी
१०२	अन्तिम से १५	२७२. श्री हरजीराम बुड़रक : (लाडनू)	२७२. श्री हरजीराम बुरड़क (लाडनू) :
१०६	,, १५	में समय मैं	के समय में
१२८	२	है	है
१३१	१२	निकाल	निकाला
१३५	अन्तिम से८	के के	के
१३७	,, १४	समया	समस्या
१४०	,, २	नगरपरिष	नगर परिषद
१४१	१०	श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : मुझे बड़ा	मुझे बड़ा
१४२	अन्तिम से ४	अधिकार	अविकारों के लिये
१४६	१२	व्यक्तियों दो	दो व्यक्तियों को
१५३	५	ने	द्वारा
१५४	अन्तिम से १	फॉफिट	प्रोफिट
१७०	,, से ५	पुलिस	पुलर्स
१७१	,, १२	में सवाड़ा	भैंसवाड़ा
१७५	१४	सकते जिससे	सकते हैं जिससे
१८५	अन्तिम से ६	अल	आल

१	२	३	४
१८८	१२	आर्डर सर	आलराइट सर
१८६	१७	सेक्रेटीरी	सेक्रेटरी
१९०	७	उनको	उनका
,,	१७	जो एक्ट बिल	जो बिल
१९१	२	बान	बना
१९२	अन्तिम से १४	टयुटीज	ड्यूटीज्
,,	,, ,,	टयुटीज क्या नहीं होंगी	ड्यूटीज् क्या होंगी
१९५से २५१	शीर्षक	विधायनी शक्ति प्रत्यायोजित करने वाले विधेयकों का व्याख्यात्मक ज्ञापन	राजस्थान पंचायत विधियां (द्वितीय संशोधन) विधेयक, १९७०
२०२	१९	जा	जो
२०८	अन्तिम से ७	समा	समय
२३१	शीर्ष	(श्री शविनाथ सिंह)	(श्री शिवनाथ सिंह)
२३२	१२	पड़ेना	पड़ेगा
२३३	अन्तिम से ११	निलबित	निलम्बित
,,	,, १०	बरखस्त	बरख्वास्त
२३९	,, १४	ऊमर	ऊपर
२४१	१४	मती सभानेत्री	श्रीमती सभानेत्री
२५३	१	श्री हरदेव जोशी	श्री हरिदेव जोशी
२५९	१५	विधायी काम	विधायी कार्य
२६४	६	सेकेटेरियेट	सेक्रेटेरियेट
२६७	अन्तिम से १२	आदिवीसी	आदिवासी

१	२	३	४
२७४	१५	वर्ष	वर्ष
२७५	५	वकास के संबंध में, और मस्याओं	विकास के संबंध में, और समस्याओं
२७६	५	जा	जो
२७६	अन्तिम से १३	डेने	देने
२९३	१३	होता	होगा
२९४	१७	एक हजार अपये कुआ खादा	एक हजार रुपये में कुआ खोदा
३२६	२	(अतारांकित प्रश्न सं.६३५ की सूची)	(तारांकित प्रश्न सं० ६३५ की सूची)
३३४	८	हसोलसेल	होलसेल
३४२	अन्तिम से ४	actıon	action